



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra


भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

अपनाइए बैंकिंग नए दौर की
महाबैंक के साथ

Experience New Age
Banking with
MAHABANK

Safe, easy &
convenient options
for
Cashless Transactions



Maha-Mobile App

Internet
Banking

M-POS Machine

Credit / Debit Cards

BHIM
BHARAT INTERFACE FOR MONEY

वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017
ANNUAL REPORT 2016-2017

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधकगण	General Managers	3
3.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन	Statement of Managing Director & CEO	4
4.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	7
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	8
	- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	8
	- वर्ष 2016-17 का कार्य निष्पादन	- Performance in 2016-17	8
	- बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं	- Important Schemes/Projects of the Bank	20
	- निगमित सामाजिक दायित्व	- Corporate Social Responsibility	22
	- अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	23
	- सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	24
	- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	26
	- निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	- Directors' Responsibility Statement	27
	- निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors	27
	- आभार	- Acknowledgements	28
6.	कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	Corporate Governance Report	29
7.	तुलनपत्र	Balance Sheet	54
8.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	55
9.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	65
10.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	71
11.	नकदी प्रवाह का विवरण	Cash Flow Statement	134
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	136
13.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statements	138
14.	व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	Business Responsibility Report	168

14 वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस संलग्न NOTICE FOR 14TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

मेसर्स पारख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
जयपुर

M/s Parakh & Co.
Chartered Accountants
Jaipur

मेसर्स ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पुणे

M/s A.R. Sulakhe & Co.
Chartered Accountants
Pune

मेसर्स कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
कोलकाता

M/s KOTHARI & Co.
Chartered Accountants
Kolkata

मेसर्स सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
सनदी लेखाकार
पुणे

M/s CMRS & Associates, LLP
Chartered Accountants
Pune



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

31-03-2017 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2017



श्री आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri R. P. Marathe
Managing Director & CEO



श्री आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

Shri R. K. Gupta
Executive Director




श्री ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक


Shri A. C. Rout
Executive Director



श्री अतीश सिंह
Shri Ateesh Singh



श्री जी. श्रीकुमार
Shri G. Sreekumar



श्री प्रेमचन्द्र ए. सेठी
Shri Premchandra A. Sethi



श्री आर. तामोधरण
Shri R. Thamodharan



डॉ. अर्चना आर. धोलकिया
Dr. Archana R. Dholakia



श्री दीनदयाल अग्रवाल
Shri Deendayal Agrawal

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

31-03-2017 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2017



श्री पी. एन. देशपांडे
Shri P. N. Deshpande



श्री नंदकुमार वी. पुजारी
Shri Nandkumar V. Pujari



श्री नरेन्द्र काबरा
Shri Narender Kabra



श्री एम. सी. कुलकर्णी
Shri M. C. Kulkarni



श्री राजकिरण भोईर
Shri Rajkiran Bhoir



श्री मनोज बिस्वाळ
Shri Manoj Biswal



श्री आर. एच. फडणीस
Shri R. H. Phadnis



श्री सी. के. वर्मा
Shri C. K. Verma



श्री एस. जी. चितळे
Shri S. G. Chitale



श्री टी. वी. रमण मूर्ती
Shri T. V. Raman Murthy



श्री आर. के. पाण्डेय (मुख्य सतर्कता अधिकारी)
Shri R. K. Pandey (c.v.o.)



श्री आर. पी. मराठे
 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri R. P. Marathe
 Managing Director & CEO

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपके बैंक की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले दो वर्षों के दौरान बैंकिंग उद्योग कठिनाइयों से गुजर रहा है और एनपीए में बढ़ोत्तरी तथा इसके प्रतिकूल प्रभाव सरकारी क्षेत्र के बहुत से बैंकों को प्रभावित कर रहे हैं। मैंने 26 सितंबर, 2016 को आपके बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्यग्रहण किया है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में इस प्रतिष्ठित बैंक का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए मैं भारत सरकार का आभारी हूँ। मैं इस 82 वर्ष पुराने गौरवपूर्ण संस्थान का नेतृत्व करने और इसे नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए तथा हितधारकों के मूल्य संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

अब तक वैश्विक बाजारों में सतत मंदी के बावजूद घरेलू क्षेत्र अपने सुदृढ़ व्यापक आर्थिक सिद्धांतों पर लाभ अर्जित करता रहा है। विमुद्रीकरण के कारण अस्थायी मुद्रा दबाव के बावजूद मुद्रास्फीति, नियंत्रित राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा के दौर में भारतीय वृद्धि की बात ध्यान देने योग्य रही है।

वर्ष 2017-18 हेतु जीवीए वृद्धि की 7.4% की भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि जीएसटी के रूप में संरचनात्मक सुधार और केन्द्रीय बजट के दौरान घोषित उपायों द्वारा समर्थित पुनर्मुद्रीकरण के साथ अर्थव्यवस्था तेज गति प्राप्त करेगी। मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, उदारीकृत एफडीआई नीति और इन्फ्रा-बैंकिंग भारतीय अर्थव्यवस्था को और गति देगी। बैंकों को आरईआईटी (REITs) और आईएनवीआईटी (InvITs) में निवेश की अनुमति देने का केन्द्रीय बैंक का निर्णय उत्साहवर्धक रहा है और यह रियल इस्टेट/ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों हेतु तरलता का बेहतर माध्यम हो सकेगा। ऋण की वृद्धि, जो कि पिछले 61 वर्षों में न्यूनतम रही, अब वृद्धिशील घरेलू मांग के आधार पर इसमें सुधार अपेक्षित है।

STATEMENT OF MANAGING DIRECTOR & CEO

Dear Shareholders,

I extend a very warm welcome to each one of you to the 14th Annual General Meeting of your Bank. During past couple of years banking industry is passing through turbulence, rise in NPAs and consequent adverse impact affecting many public sector banks. I have taken over as Managing Director & CEO of your Bank on 26th September, 2016. I thank the Government of India for entrusting me with the responsibility to lead this esteemed Bank, in such challenging times. I am committed to lead this 82 year old institution and take it to greater heights and increase the stakeholders' value.

Despite the continued sluggishness in the global markets till recently, the domestic front continued to book gains on its robust macroeconomic fundamentals. Reigned in inflation, controlled fiscal deficit and current account deficit despite the temporary currency squeeze on account of demonetization, has made the Indian growth story more appealing.

The GVA growth forecast for 2017-18 has been put at 7.4%, indicating that the economy will gather faster pace with remonetisation, backed by a slew of measures announced during Union Budget and rolling out of structural reforms as GST. Make in India, Start-up India, liberalised FDI policy and infra backing will give the Indian economy a further boost. The decision of the Central bank to allow banks to invest in REITs and InvITs is encouraging and would offer a good source of liquidity for the Real Estate/ Infrastructure Companies. The credit growth which was at its lowest in the past 61 years is expected to improve based on increased domestic demand.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु आपके बैंक के कार्य-निष्पादन से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक का कार्य-निष्पादन

आपके बैंक का 1897 शाखाओं का शाखा नेटवर्क है, जिसमें से 55 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में हैं। देश के 30 राज्यों और 4 संघशासित प्रदेशों में बैंक की उपस्थिति है। ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक का 1878 एटीएम का नेटवर्क भी है। बैंक के पास प्रतिबद्ध और समर्पित कार्य-बल है, जिसकी औसत आयु लगभग 42 वर्ष है तथा 37% स्टाफ की आयु 35 वर्ष से कम है।

वर्ष 2016-17 दृढ़ीकरण (कंसोलिडेशन) का वर्ष रहा है। न्यून ऋण उठाव को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अपनी थोक जमाराशि देयताओं तथा जमा प्रमाणपत्र में कमी की है। इसके परिणामस्वरूप कासा जमाराशियां 31.03.2016 के 36.67% से बढ़कर 31.03.2017 को 44.89% हो गई। इसके साथ ही एनपीए वसूली पर भी सघन ध्यान केन्द्रित किया गया। वसूली, कोटि-उन्नयन और बट्टा खाते में डालने के माध्यम से एनपीए में कुल कमी 2015-16 के रु.1740 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में रु.2316 करोड़ हो गई। आपके बैंक ने सीइटी 1 पूंजी, टियर I पूंजी और कुल सीआरएआर का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखा। कार्य-निष्पादन की अन्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

- 31.03.2017 को कुल व्यवसाय रु.240590 करोड़ रहा।
- 31.03.2017 को कुल जमाराशियां रु.139053 करोड़ रहीं और सकल अग्रिम रु.101537 करोड़ रहे।
- कासा जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 22.47% (रु.11452 करोड़) की वृद्धि हुई और 31 मार्च, 2017 को यह रु.62419 करोड़ रहे।
- रिटेल अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 25.65% वृद्धि हुई और 31.03.2017 को यह रु.15792 करोड़ रहे।
- जमाराशियों की लागत विगत वर्ष के 6.75% से कम होकर 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि हेतु 6.05% रही। चौथी तिमाही में जमाराशियों की लागत 5.75% रही जो कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 84 बीपीएस की कमी दर्शाती है।
- 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान गैर-ब्याज आय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 47.95% बढ़कर (पिछले वर्ष के रु.1019 करोड़ से) रु.1508 करोड़ हो गई।
- एनपीए में बढ़ोत्तरी के कारण मार्च, 2017 हेतु निवल ब्याज आय (एनआईएम) 1.99% रही।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु परिचालनगत लाभ रु.1827 करोड़ रहा (वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु रु.2345 करोड़)।
- 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु निवल हानि रु.1373 करोड़ रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु रु.101 करोड़ के निवल लाभ के तुलनात्मक)।
- सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः 16.93% (रु.17189 करोड़) और 11.76% (रु.11230 करोड़) रहे।
- बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2017 को 11.18% रहा, जो कि बेसल-III मानदंडों के अनुसार 10.25% के अपेक्षित स्तर से पर्याप्त अधिक है।
- सीइटी 1 अनुपात न्यूनतम अपेक्षित 6.75% की तुलना में 7.28% रहा।

Let me now place before you some of the key features about your Bank's performance for the year ended 31st March 2017.

Performance of your Bank during 2016-17.

Your Bank has a branch network of 1897 branches of which 55% branches are in rural and semi urban area. Bank has presence in 30 states and 4 union territories. Bank has also ATM network of 1878, for providing services to customers. Bank has committed and dedicated work force with an average age of about 42 years and 37% staff having age less than 35 years.

The year 2016-17 has been a year of consolidation. In keeping with low credit off take, Bank reduced its bulk deposit liabilities and certificate of deposits. As a result, the share of CASA deposits increased from 36.67% as on 31.03.2016 to 44.89% as on 31.03.2017. Another focus was NPA recovery. The total reduction in NPAs by way of recovery, upgradation and write off increased from Rs.1740 crore in 2015-16 to Rs.2316 crore in 2016-17. Your Bank maintained the capital adequacy ratios of CET 1 Capital, Tier I Capital and total CRAR. Other highlights of performance are as under:

- Total business stood at Rs.2,40,590 crore as on 31.03.2017.
- As on 31.03.2017, total deposits stood at Rs.1,39,053 crore & Gross advances stood at Rs.1,01,537 crore.
- CASA deposits increased by 22.47% (Rs.11,452 crore) Y-o-Y, to Rs.62,419 crore as on March 31, 2017.
- Retail advances has grown by 25.65% Y-o-Y and stood at Rs.15,792 crore as on 31.03.2017.
- Cost of deposits has come down to 6.05% for period ended 31st March 2017 from 6.75% a year ago. Cost of deposits in Q4 was 5.75%, showing a reduction of 84 bps Y-o-Y.
- Non-Interest income increased by 47.95% Y-o-Y to Rs.1,508 crore during the year ended March 31, 2017 (from Rs.1,019 crore in the previous year).
- Due to increase in NPA, Net Interest Margin (NIM) for the year ended March 2017 stood at 1.99%.
- Operating profit for the financial year 2016-17, stood at Rs.1,827 crore (Rs. 2,345 crore for the financial year 2015-16).
- Net loss for the year ended March 31, 2017 was Rs.1,373 crore (as compared to net profit of Rs.101 crore for the year ended March 31, 2016).
- Gross NPAs and Net NPAs stood at 16.93% [Rs.17,189 crore] and 11.76% [Rs.11,230 crore] respectively.
- Bank had Capital Adequacy ratio of 11.18% as on 31st March 2017, well above the required level of 10.25% as per Basel III norms.
- CET 1 ratio stood at 7.28% as against minimum required 6.75%.



वर्ष के दौरान बैंक ने नई कारोबार पहलें की जो कि निम्नानुसार हैं:

- सीपीसी को नया रूप देना - रिटेल और एमएसएमई द्वारा प्रस्ताव के बेहतर मूल्यांकन सहित टर्न अराउंड समय में कमी।
- बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त 74 नकदी जमा मशीनें और 30 स्वचलित सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क स्थापित किए। इसके साथ ही नकदी जमा मशीनों की कुल संख्या 79 हो गई और स्वचलित सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क की संख्या 103 हो गई।
- बैंक ने विभिन्न संस्थाओं, संस्थानों आदि के शुल्क जमा करने हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई।
- भारत के माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एनपीसीआई के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का आरंभ किया। बैंक ने 1 लाख से अधिक ग्राहकों को एनरोल किया।
- बैंक ने भारत सरकार के “भीम” एप्लीकेशन के लिए एनपीसीआई से गठजोड़ किया।
- बैंक के पास नई पीढ़ी के ग्राहकों की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के आईटी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं।
- बैंक ने अपनी एटीएम मशीनों के माध्यम से एटीएम कार्ड हेतु कागजरहित एटीएम -री-पिन (ग्रीन पिन) सुविधा आरंभ की। यह सुविधा परंपरागत री-पिन अनुरोध प्रक्रिया की सभी कमियों का निवारण करती है।
- बैंक ने हेल्थ केयर बीमा उपलब्ध कराने हेतु सिग्ना टीटीके हेल्थ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड से गठजोड़ किया है। इसी प्रकार बैंक ने जनरल इन्श्योरेन्स सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु फ्यूचर जेनराली इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त 10.14 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले।

भविष्य की ओर :

कोई भी संस्थान हमेशा अपने स्वयं के अनुभवों से और साथ ही बाजार की गतिविधियों से सीखता है। विविध कारकों की वजह से परिचालनगत वातावरण में वर्तमान वर्ष के दौरान सुधार अपेक्षित है। आपका बैंक उभरती हुई चुनौतियों के प्रति सकारात्मक प्रतिसाद देगा और लाभप्रद व्यवसाय में वृद्धि के लिए अवसरों का लाभ उठाएगा। हम एक नए भारत की निर्मिति के प्रति समग्र वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैं हमेशा की तरह आपके सतत संरक्षण की अपेक्षा करता हूँ।

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

During the year, your Bank has taken new business initiatives as under:

- Revamping of CPCs – Retail and MSME to reduce the turnaround time along with better evaluation of proposals.
- Bank has installed additional 74 Cash Deposit Machines and 30 Automated Self-Pass Book Printing Kiosks at various places to provide better customer service. With this total number of Cash Deposit Machines are 79 and Automated Self-Pass Book Printing Kiosks are 103.
- Bank has provided an online facility to students for deposit of fees of different institutes, organization etc.
- Introduced Unified Payment Interface in collaboration with NPCI to give push to Digital India Campaign of Hon'ble Prime Minister of India, Bank has enrolled more than 1 lakh customers.
- Bank has also tied up with NPCI for GOI “BHIM” Application.
- Bank has all the IT Products to suit the Gen Next Customer aspirations.
- Bank started the Paper-less ATM-RePIN facility (Green PIN) for ATM Card through its ATM Machines. This facility overcomes all shortcomings of the conventional re-pin request process.
- Bank has tied up with Cigna TTK Health Insurance Company Limited for providing Health Care Insurance. Similarly, Bank has also tied up with Future Generali India Insurance Company Limited for providing General Insurance Services.
- Bank has opened additional 10.14 lakhs PMJDY accounts during this financial year.

Way forward:

An organization always learns from its own experience as also from market stimulus. The operating environment is expected to improve during the current year due to variety of factors. Your Bank will respond positively to the emerging challenges and seize the opportunities to grow profitable business. We stand committed to inclusive growth to build new India.

I look forward to your continued patronage as ever.

R. P. Marathe
Managing Director & CEO

प्रगति एक नजर में Progress at a Glance

	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)		
	2014-15	2015-16	2016-17
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	1063	1168	1168
आरक्षितियां Reserves	7004	7619	6211
कुल जमाशियां Total Deposits	122119	138990	139053
वृद्धि % Growth %	4.55	13.82	0.05
कुल जमाशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits	37.09	36.67	44.89
अग्रिम Advances	101210	111240	101537
वृद्धि % Growth %	12.00	9.91	(8.72)
रिटेल अग्रिम Retail Advances	11817	12568	15792
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	39095	41485	40388
कृषि Agriculture	15521	17175	17960
सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises	20657	22334	20585
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	3264	3037	2921
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	1643	1684	1738
निर्यात ऋण Export Credit	1301	1226	1213
कुल आय Total Income	13671	14072	13570
कुल व्यय Total Expenditure	11316	11727	11743
परिचालन लाभ Operating Profit	2355	2345	1827
निवल लाभ Net Profit	451	101	(1373)
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1880	1895	1897
एटीएम की संख्या Number of ATMs	1849	1861	1878
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल III (%)			
Capital Adequacy Ratio- Basel III (%)	11.94	11.20	11.18
प्रति शेयर आय Earning Per Share	4.5	0.91	(11.75)
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	65.61	63.36	46.96
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	15.74	18.18	18.54
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	3.18	0.73	(10.58)
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.33	0.07	(0.86)
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	51.75	52.12	60.98
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	6.33	9.34	16.93
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	4.19	6.35	11.76
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	46.57	45.04	44.48
ऋण- जमा अनुपात Credit- Deposit ratio	82.88	80.03	73.02
एएनबीसी को प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	41.76	39.82	34.99



निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सवर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1 आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2016-17

वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष के अधिकांश भाग हेतु निम्न पण्य मूल्य और मुद्रास्फीति दर के साथ मंद वृद्धि से चिह्नित रही। तथापि यू. एस. के चुनाव के उपरांत यूनाइटेड स्टेट में शिथिल राजकोषीय नीति की अपेक्षाओं ने डॉलर को मजबूत स्थिति और उच्च यू. एस. ट्रेजरी ब्याज दर की स्थिति में ला दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे विश्व में भी आय अर्जन को गति मिली।

भारत में वृद्धि का मामला वित्तीय वर्ष 16-17 की तीसरी तिमाही में विमुद्रीकरण अभियान के बावजूद सुदृढ़ रहा। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वार्षिक आधार पर 2016-17 हेतु सकल घरेलू उत्पाद 7.1% की वृद्धि अनुमानित की है।

निम्न पण्य मूल्यों के कारण वर्ष के अधिकांश भाग हेतु मुद्रास्फीति के नियंत्रण में रहते हुए सरकार का अंतिम उपभोग व्यय वित्तीय वर्ष 17 में वृद्धि का प्रमुख कारक रहा। तथापि वर्ष के दौरान निवेश और निर्यात में मंदी रही। वर्ष के दौरान बेहतर मानसून द्वारा समर्पित कृषि पिछले वर्ष के 0.8% के प्रति 2016-17 हेतु 4.4% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज करना संभावित है (जीवीए-सीएसओ)।

वर्ष 2016-17 में बैंकिंग क्षेत्र में पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया जिसमें भुगतान बैंकों और छोटे बैंकों की स्थापना हेतु नए सिरे से लाइसेंस जारी करना शामिल है।

1.2 2017-18 के लिए अनुमान

मजबूत गतिविधि और सुदृढ़ वैश्विक मांग के कारण वैश्विक वृद्धि 2016 के 3.1 प्रतिशत से 2017 में 3.5 प्रतिशत रही और 2018 में बढ़कर 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान है (डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2017)।

घरेलू क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि लगभग 5 प्रतिशत की अपेक्षित मुद्रास्फीति के साथ 2018 में 7.2% और 2019 में 7.7% तक प्रक्षिप्त होना अपेक्षित है (आईएमएफ)। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान मंद विनिर्माण और निर्यात का पुनरुत्थान प्रमुख सरोकार बना रहेगा। तथापि पुनर्मुद्रीकरण और न्यून उधारी लागत से निजी उपभोग व्यय में बदलाव अपेक्षित है।

पूंजी व्यय में बढ़ोत्तरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति और वहन करने योग्य आवास के संबंध में केन्द्रीय बजट 2017-18 में विभिन्न प्रस्ताव वृद्धि प्रेरक होना अपेक्षित है। विद्यमान बहुविध अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर पूरे भारत भर में 01 जुलाई, 2017 से एकरूप वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत की वृद्धि और प्रतिस्पर्धिता में तेजी के लिए तैयार है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का समापन और एफडीआई नीति में सुधार किए गए ताकि उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित किया जा सके। विश्व व्यापार में विस्तार की सुदृढ़ गति और परिणामों से घरेलू वृद्धि संभावनाओं पर बाह्य मांग बाध्यताओं में आसानी अपेक्षित है।

चूककर्ताओं के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने हेतु पारित दीवालिया कानून द्वारा भी बैंकिंग क्षेत्र का लाभान्वित होना अपेक्षित है।

2. वर्ष 2016-17 के कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

1. आपके बैंक का कुल व्यवसाय पिछले वर्ष के रु.250230 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को रु.240590 करोड़ रहा।
2. कुल जमा राशियां पिछले वर्ष के रु.138990 करोड़ की तुलना में रु.139053 करोड़ रहीं।
3. औसत जमा राशियां पिछले वर्ष के रु. 124788 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को रु. 133392 करोड़ रही। पिछले वर्ष की तुलना में 6.89% की वृद्धि दर्ज हुई।

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2017.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1.1 Economic and Banking Scenario 2016-17

The global economy was marked with subdued growth with low commodity prices and inflation rates for the major part of the year. However Post U.S. election, expectations of loose fiscal policy in the United States have pushed the dollar into a strong position and higher U.S. Treasury interest rates, thereby giving momentum to the yields across the world as well.

Indian growth story remained robust despite the demonetization drive in quarter 3 of the FY 16-17. Central Statistics Office has estimated the GDP to grow at 7.1% for 2016-17, on an annual basis.

The government's final consumption expenditure remained the major driver of the growth in FY17, with inflation remaining under control for most part of the year on account of low commodity prices. Investments and exports however remained subdued during the year. Agriculture is likely to register robust growth for the 2016-17 by 4.4% against previous year's 0.8% (GVA –CSO) backed by good monsoon during the year.

A major drive was undertaken for the revival of banking sector in 2016-17 including fresh issue of licenses for setting up small banks and payment banks.

1.2 Outlook for 2017-18

World growth is expected to rise from 3.1 percent in 2016 to 3.5 percent in 2017 and 3.6 percent in 2018(WEO, April 2017) on account of stronger activity and robust global demand

On the domestic front, GDP growth is expected to rebound to 7.2% in 2018 and 7.7% in 2019 (IMF), with inflation expected to be around 5 per cent. Revival of subdued manufacturing and exports would remain the major concerns during FY18. However remonetisation and lower borrowing costs are expected to revup the private consumption expenditure.

The various proposals in the Union Budget 2017-18 with regards to stepping up of capital expenditure; boosting the rural economy and affordable housing, are expected to be growth stimulating. Replacement of the existing multiple indirect taxes with uniform goods and service tax (GST) across India with effect from July 1, 2017, is set to give a major boost to India's growth and competitiveness.

Abolition of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) and reforms in FDI policy have been taken to attract higher foreign direct investment (FDI). The strong pace of expansion in global trade and output are expected to ease the external demand constraint on domestic growth prospects

Banking sector is also expected to be benefitted by the passing of the Bankruptcy Law passed for taking remedial action against defaulters

2. Performance Highlights 2016-17

1. Total Business of your Bank stood at Rs. 240590 crore as on 31.03.2017 as compared to Rs. 250230 crore last year.
2. Total deposit stood at Rs. 139053 crore as on 31.03.2017 as compared to Rs. 138990 crore last year.
3. Average Deposits stood at Rs. 133392 crore as on 31.03.2017 as compared to Rs. 124788 crore last year, registering a growth of 6.89% over last year.

- कासा जमा राशि पिछले वर्ष रु. 50967 करोड़ की तुलना में रु. 62419 करोड़ रही (22.47% की वृद्धि दर्ज हुई). कुल कासा का प्रतिशत 44.89% रहा.
- बैंक का सकल अग्रिम 31.03.2016 के रु.111240 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को रु.101537 करोड़ रहा.
- परिचालनगत लाभ पिछले वर्ष के रु. 2345.18 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को रु. 1827.07 करोड़ रहा.
- 31.03.2017 को प्रति शाखा व्यवसाय रु.126.83 करोड़ रहा.
- 31.03.2017 को प्रति कर्मचारी व्यवसाय रु.18.54 करोड़ रहा.

2.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों का वित्तपोषण करते समय बैंक ने विवेकपूर्ण ऋण संविभाग बनाए रखने का प्रयास किया है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण विस्तारण सुनिश्चित हो सके. बैंक ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले कोर, विनिर्माणी, प्राथमिकता क्षेत्र साथ ही आधारभूत परियोजनाओं को समर्थन देने के अपने प्रयास जारी रखे जो आर्थिक वृद्धि में सहायक हुए. राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक का यह फोकस भविष्य में भी जारी रहेगा.

दिनांक 31.03.2017 को उद्योगवार ऋण अभिनियोजन निम्नानुसार रहा :-

अनु. क्र.	विनियोजित ऋण	31.03.2017 को बकाया	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत	31.03.2016 को बकाया	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
1	उद्योग	44811.65	44.13	60953.31	54.79
	इसमें से				
	i. अवसंरचनात्मक	9931.29	9.78	13055.62	11.74
	ii. रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	3128.00	3.08	3202.56	2.88
	iii. पेट्रोलियम	1018.97	1.00	2199.72	1.98
	iv. मूल धातु और धातु उत्पाद	4975.65	4.90	6318.93	5.68
	v. एनबीएफसी और व्यापार	13784.69	13.58	17258.56	15.50
	vi. इंजीनियरिंग	3537.38	3.48	3649.50	3.28
	vii. निर्माण	119.84	0.12	3.49	0.00
	viii. अन्य उद्योग	8315.83	8.19	10164.32	9.14
2	कृषि	15491.45	15.26	14851.17	13.35
3	एमएसएमई	20419.50	20.11	22143.75	19.91
4	आवास	13595.25	13.39	10550.01	9.48
5	शिक्षा	891.05	0.88	804.06	0.72
6	निर्यात	1212.71	1.19	1226.61	1.10
7	वाणिज्यिक भू संपदा	5115.21	5.04	5811.72	5.22
	सकल अग्रिम	101536.82		111240.28	

2.2 गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

बैंक ने सभी अंचल कार्यालयों में "आस्ति वसूली कक्षों (एआरसी)" की स्थापना की है ताकि उन्नयन और एनपीए वसूली के सघन प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें.

बैंक ने बड़े एनपीए खातों, विशेषकर जहां कानूनी कार्यवाई चल रही है, के लिए बारह आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी) भी स्थापित की हैं, ताकि बड़े एनपीए पर सघन अनुवर्तन किया जा सके.

बैंक स्वप्रेरणा से गैर भेदभावपूर्ण और गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजनाओं को लागू कर रहा है. 2016-17 के दौरान ऐसी योजना अर्थात् "महाबैंक राहत योजना" लेजर बैलेंस के साथ रु. 25.00 लाख तक के एनपीए के लिए शुरू की गयी थी. प्रधान कार्यालय द्वारा पूर्व-स्वीकृत मंजूरी पत्र पात्र उधारकर्ताओं को भेजे गए. रु.10.00

- CASA deposit stood at Rs. 62419 crore against last year figure of Rs. 50967 crore (Registering growth of 22.47%). Total CASA percentage stood at 44.89%.
- Gross advances of the Bank stood at Rs. 101537 crore as on 31.03.2017 in comparison to Rs.111240 crore as on 31.03.2016
- Operating Profit stood at Rs 1827.07 crore as on 31.03.2017 as compared to Rs. 2345.18 crore last year
- Business per branch is Rs 126.83 Crore as on 31.03.2017.
- Business per employee is Rs 18.54 Crore as on 31.03.2017

2.1 Sectoral Deployment of Credit

While financing to various segments of the economy, the Bank has endeavored to maintain a diversified credit portfolio, with a view to ensuring credit dispersion across sectors. The Bank has continued its efforts to support core, manufacturing and priority sectors as well as infrastructure projects, which serve to drive economic growth. This focus of the Bank will continue in future, in line with the national economic growth priorities.

Industry wise credit deployment as on 31.03.2017 is as under:

Sr. No.	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2017	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2016	Percentage to total O/s
1	Industry	44811.65	44.13	60953.31	54.79
	Of which				
	i. Infrastructure	9931.29	9.78	13055.62	11.74
	ii. Chemicals, Dyes, Paints etc	3128.00	3.08	3202.56	2.88
	iii. Petroleum	1018.97	1.00	2199.72	1.98
	iv. Basic Metal and Metal Product	4975.65	4.90	6318.93	5.68
	v. NBFCs and Trading	13784.69	13.58	17258.56	15.50
	vi. Engineering	3537.38	3.48	3649.50	3.28
	vii. Construction	119.84	0.12	3.49	0.00
	viii. Other Industries	8315.83	8.19	10164.32	9.14
2	Agriculture	15491.45	15.26	14851.17	13.35
3	MSME	20419.50	20.11	22143.75	19.91
4	Housing	13595.25	13.39	10550.01	9.48
5	Education	891.05	0.88	804.06	0.72
6	Exports	1212.71	1.19	1226.61	1.10
7	Commercial Real estate	5115.21	5.04	5811.72	5.22
	Gross Advances	101536.82		111240.28	

2.2 Quality and NPA Management

The Bank has set up "Asset Recovery Cells(ARC)" at all Zonal offices to ensure focused efforts for upgradation and NPA recovery

The Bank has also set up twelve Asset Recovery Branches (ARBs) across its Zones for large NPA a/cs more particularly where legal actions are in progress so as to make focused follow up of large NPAs

Bank has been implementing Suo Motu non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) Schemes. During 2016-17 such scheme i.e. "Mahabank Rahat Yojana" was introduced for NPAs with Ledger Balance up to Rs.25.00 lakhs. Sanction letters pre-approved by Head Office were sent to the eligible borrowers. Additional relief was given to drought affected borrowers with balance up to Rs. 10.00 Lakhs.

लाख तक के शेष राशि के सूखे से प्रभावित उधारकर्ताओं को अतिरिक्त राहत दी गई।

वर्ष 2016-17 के दौरान एक अन्य विशेष स्वप्रेरित एक बारगी निपटान योजना (अर्थात् "महाबैंक कर्ममुक्ति योजना") ₹.25 लाख तक नियमित रूप से बट्टे खाते (आरडब्लूओ) में वसूली के लिए शुरू की गयी थी।

₹.1.00 करोड़ से ₹.10.00 करोड़ तक देय राशि के एनपीए खातों के मामले में 'रिजॉल्यूशन एजेंटों' को चयनित आधार पर नियुक्त किया जाता है ताकि शीघ्र निपटान हो सके।

छोटे एनपीए खातों (₹. 25 लाख तक) में वसूली के लिए **वसूली एजेंटों** की सेवाएं ली गईं।

बैंक ने दौरे, पत्र, नोटिस, वसूली शिविर, लोक अदालतों, सरफेसी / डीआरटी अधिनियम के माध्यम से चूककर्ता उधारकर्ताओं पर गहन अनुवर्ती कार्रवाई की है।

अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है;

विवरण	31.03.17 के अनुसार राशि	31.03.16 के अनुसार राशि	(+/-) का प्रतिशत
सकल एनपीए	17188.72	10385.85	65.50
अग्रिमों का %	16.93	9.34	XX
निवल एनपीए	11229.56	6832.03	64.37
अग्रिमों का %	11.76	6.35	XX
नकदी वसूली	876.42	772.82	12.99

2.3 विदेशी मुद्रा कारोबार

विवरण	2016-17	2015-16	(+/-) का प्रतिशत
कुल विदेशी मुद्रा व्यवसाय आवर्त	598503	595233	0.55
व्यापारी व्यवसाय आवर्त	36852	29562	24.66
विदेशी मुद्रा व्यवसाय में लाभ	101.91	77.83	30.93

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग ने व्यापारी व्यवसाय (उच्च आय विनिमय लाभ) के बारे में अधिक जोर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कारोबार में 24.66% तथा लाभ में 30.93% की वृद्धि हुई है। देश भर में 37 बी श्रेणी की शाखाएं बैंक के ग्राहकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मुंबई स्थित टी.आई.बी.डी. (ए श्रेणी) के अतिरिक्त एनआरआई ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक के पास एनआरआई कक्ष भी है।

2.4 निवेश

एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश में निवेश का ब्रेकअप निम्नानुसार दिया गया है:

- 31.03.2017 को सकल निवेश ₹.38841.56 करोड़ रहा, जिसमें से ₹.31613.02 करोड़ एसएलआर प्रतिभूतियां और ₹.7228.54 करोड़ गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां हैं। 31.03.2017 को अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां ₹.1855.01 करोड़ रही।
- 31.03.2016 को निवल निवेश (प्रावधानों का निवल) ₹.36230.87 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को ₹.38590.18 करोड़ रहा। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 77.66% शामिल है, जबकि विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) 31.03.2017 तक कुल निवेश पोर्टफोलियो का 22.34% शामिल है। निवेश गतिविधि से निवल ब्याज आय में पिछले वर्ष के दौरान ₹.2735.20 करोड़ से बढ़कर ₹.2829.47 करोड़ हो गया (3.45% की वृद्धि)।
- 31.03.2017 को गैर-निष्पादन निवेश ₹. 655.45 करोड़ पर रहा।

During the year 2016-17 another special Suo Motu OTS Scheme (Viz. "Mahabank Karimukti Yojana") was introduced for recovery in Regular Written Off (RWO) a/cs up to Rs 25 lakhs.

In case of NPA a/cs with dues of Rs.1.00 crore to Rs.10.00 crore; **Resolution Agents** are appointed on selective basis so as to have an early resolution.

Recovery in smaller NPA accounts (up to Rs.25 lakhs) the services of **Recovery Agents** are engaged.

Bank has also made intensive follow up with the defaulting borrowers through visits, letters, notices, Recovery Camps, Lok Adalats, actions under SARFAESI / DRT Act.

Position of Non-Performing Assets is as under;

Particulars	Amt. as on 31.03.17	Amt. as on 31.03.16	Percent-age of (+/-)
Gross NPA	17188.72	10385.85	65.50
% to advances	16.93	9.34	XX
Net NPA	11229.56	6832.03	64.37
% to advances	11.76	6.35	XX
Cash Recovery	876.42	772.82	12.99

2.3 Foreign Exchange Business

Particulars	2016-17	2015-16	Percentage of (+/-)
Total FEX Business Turnover	598503	595233	0.55
Merchant Business Turnover	36852	29562	24.66
Profit in FEX Business	101.91	77.83	30.93

The International Division has given more thrust on Merchant Business (high yielding Exchange Profit) resulting into growth of 24.66% in turnover and 30.93% in profit. 37 B Category branches across the country cater to the international business needs of the customers of the Bank. Apart from TIBB at Mumbai as "A" category. The Bank has also NRI Cell to cater the specific needs of NRI clients.

2.4 Investment

The breakup of Investments into SLR & Non-SLR investments is given below:

- The Gross Investments as on 31.03.2017 stood at Rs 38841.56 crore, of which Rs 31613.02 crore are SLR securities and Rs 7228.54 crore are Non-SLR Securities. The excess SLR securities as on 31.03.2017 stood at Rs 1855.01 crore.
- The net investments (net of provisions) stood at Rs **38590.18** crore as on 31.03.2017 as compared to Rs 36230.87 crore as on 31.03.2016. Investments under Held to Maturity (MTM) category consist of 77.66%, while Available for Sale (AFS) comprised of 22.34% of total investment portfolio as of 31.03.2017. The net interest income from investment activity increased to Rs 2829.47 crore from Rs 2735.20 crore during the last year (growth of 3.45%).
- The Non-Performing Investments stood at Rs 655.45 crore as on 31.03.2017.

2.5 व्यापारी बैंकिंग :

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए रु. 30170 करोड़ (पिछले वर्ष रु.54060 करोड़) के वाणिज्यिक पत्र के 70 निर्गम (पिछले साल 126 निर्गम) का संचालन किया है।

2.6 उधारियां :

31 मार्च 2017 को बैंक की उधारियां निम्नानुसार पुनर्वित्त सहित, रु. 8136.65 करोड़ रही;

विवरण	31.03.2017 को राशि	31.03.2016 को राशि	(+/-) का प्रतिशत
कुल उधारियां	8136.65	9228.10	(0.12)
उधारियां - सीबीएलओ	0	74.54	(1.00)
जिसमें से पुनर्वित्त	2892.95	4046.17	(0.29)
नाबार्ड	420	893.34	(0.53)
निर्यात आयात बैंक	324.25	331.27	(0.02)
भारतीय रिजर्व बैंक	0	500	(1.00)
एनएचबी पुनर्वित्त	277.89	370.52	(0.25)
मुद्रा पुनर्वित्त	370.81	370.81	0.00
सिडबी	1500	1580.23	(0.05)
बांड और डिबेंचर पूंजी लिखत के रूप में उधारियां	5225	5100	0.02
भारत के बाहर उधारियां	18.65	7.34	1.54
अन्य	0.05	0.05	0.00

उच्च स्तर पर पुनर्वित्त का लाभ उठाने के लिए इसकी योग्यता के बावजूद बैंक अपनी तरलता की स्थिति, निधि की उपलब्धता और इस तरह के पुनर्वित्त की लागत के आधार पर पुनर्वित्त का लाभ उठाता है।

2.7 निक्षेपी सेवाएं

- बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है।
- बैंक ने मूल सेवा डी-मैट खाता सुविधा (बीएसडीए) का शुभारंभ किया।

2.8 बैंकएश्योरेन्स

- फरवरी 2017 के माह में बैंकएश्योरेन्स के अंतर्गत, बैंक ने मेसर्स फ्यूचर जेनराली (गैर जीवन बीमा कंपनी) तथा मेसर्स सिग्ना टीटीके (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी) नामक दो नये भागीदारों को जोड़ा है।
- बैंक को भारत सभ्य प्रतिभूतियों का बीमा निरपवाद रूप से यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड तथा मेसर्स फ्यूचर जेनराली के साथ की गई, बैंकएश्योरेन्स व्यवस्था के अधीन किया जाए।
- 31.03.2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय में 1241 शाखाओं ने लॉगइन किया है।
- महास्वास्थ्य योजना के प्रचार हेतु हमने एक पोर्टल का सृजन किया है। टी+3 दिनों में सभी नए तथा नवीकरण मामलों का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अब इंटरनेट बैंकिंग सुविधा वाला ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करके तत्काल पॉलिसी जनरेट कर सकता है। इस वर्ष, 31.03.2017 तक, 79 बैंक शाखाएं बीमा शाखा के रूप में घोषित की गई हैं।
- वर्ष 2016-17 के दौरान 6993 जीवन बीमा पॉलिसियाँ एवं 102752 गैर-जीवन पॉलिसियां तैयार की गईं।

2.5 Merchant Banking:

The Bank handled 70 issues (previous year 126 issues) of Commercial paper amounting to Rs 30170 crore (previous year Rs 54060 crore) for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during the year.

2.6 Borrowings:

The borrowing of the Bank as on 31st March 2017 stood at Rs 8136.65 crore including re-finance as under;

Particular	Amount as at 31.03.2017	Amount as at 31.03.2016	Percentage of (+/-)
Total Borrowing	8136.65	9228.10	(0.12)
Borrowing - CBLO	0	74.54	(1.00)
Of which Refinance from	2892.95	4046.17	(0.29)
NABARD	420	893.34	(0.53)
EXIM BANK	324.25	331.27	(0.02)
RBI	0	500	(1.00)
NHB Refinance	277.89	370.52	(0.25)
Mudra Refinance	370.81	370.81	0.00
SIDBI	1500	1580.23	(0.05)
Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	5225	5100	0.02
Borrowings outside India	18.65	7.34	1.54
Others	0.05	0.05	0.00

The Bank does avail refinance depending upon its liquidity position, deployment of funds and also cost of such refinance despite its eligibility to avail refinance at higher level.

2.7 Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank has also introduced Basic Services Demat Account Facility (BSDA)

2.8 Bancassurance

- Bank had added two new partners namely M/s Future Generali (Non-Life Insurance Company) and M/s Cigna TTK (Standalone Health Insurance Company) under Bancassurance in the month of Feb.2017.
- Insurance for all the securities charged to the Bank may be done invariably under Bancassurance arrangement with UII Co. Ltd. and M/s Future Generali.
- 1241 branches are logged in as of 31.03.2017 for LIC Bancassurance business.
- We had created portal for Popularization of Mahaswasthya Yojana, All new as well as renewal of cases are done through the portal in T+3 days. Now, the customer having internet banking facility can make the payment online and generate the policy instantaneous. This year, till 31.03.2017, 79 bank branches declared as BIMA Branch.
- During the year 2016-17, 6993 life policies and 102752 Non-Life policies were made.

- बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान जीवन बीमा से रु.6.03 करोड़ एवं गैर जीवन बीमा व्यवसाय से रु.4.94 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

2.9 सरकारी कारोबार

- शाखाओं द्वारा वर्ष 2016-2017 के दौरान, कुल 746218 प्रत्यक्ष कर चालान और 178751 अप्रत्यक्ष करों के चालान वसूले गए। हमारी शाखाएं महाराष्ट्र राज्य के जीआरएएस सहित अन्य राज्य सरकारों के करों का भी संग्रहण करती हैं और वर्ष के दौरान कुल 1189393 चालान संग्रहित किए गए। केन्द्र सरकार से कर वसूली व्यवसाय से रु.5.64 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ।
- बैंक, केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के 1,14,886 से भी अधिक पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2016-17 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर रु.13.58 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।

2.10 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु.14072.27 करोड़ से कम होकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु.13570.03 करोड़ की हो गई।

ब्योरा	2016-17	2015-16	अंतर (प्रतिशत)
अग्रिमो/बिलों पर ब्याज/छूट	8469.96	9934.83	(14.74)
निवेशों पर आय	2829.47	2735.20	3.45
अंतर बैंक उधार पर ब्याज एवं अन्य ब्याज	762.53	382.95	99.12
कुल ब्याज आय	12061.96	13052.98	(7.59)
गैर ब्याज आय	1508.07	1019.29	47.95
कुल आय	13570.03	14072.27	(3.57)
जमा पर ब्याज	8075.59	8421.88	(4.11)
उधार पर ब्याज	11.61	54.88	(78.84)
अन्य ब्याज व्यय	800.07	697.52	14.70
कर्मचारी व्यय	1807.29	1540.98	17.28
अन्य प्रचालनगत व्यय	1048.40	1011.83	3.61
कुल गैर ब्याज व्यय	2855.69	2552.81	11.86
कुल प्रचालनगत व्यय	11742.96	11727.10	0.14
प्रचालनगत लाभ	1827.07	2345.18	(22.09)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3199.58	2244.49	42.55
निवल लाभ	(1372.51)	100.69	(1463.10)

2.11 वित्तीय अनुपात :

विवरण	2016-17	2015-16
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रु.)	(11.75)	0.91
आय से लागत का अनुपात (%)	60.98	52.12
आस्तियों पर आय (%)	(0.86)	0.07
इक्विटी पर आय (%)	(24.92)	1.39
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	46.96	63.36
प्रति शाखा लाभ (रु. लाख में)	(72.35)	5.31
प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	(10.58)	0.73
प्रति शाखा कारोबार (रु. करोड़ में)	126.83	132.05
प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. करोड़ में)	18.54	18.18
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.55	8.71
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजी आय	0.94	0.68
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)	1.99	2.59

2.9 Government Business

- The Bank earned a commission of Rs 6.03 crore from life insurance and Rs 4.94 crore for non-life insurance business during the year 2016-17.

2.9 Government Business

- During the year 2016-17, 746218 challans of Direct Taxes and 178751 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Our Branches are also collecting other state Govt. taxes including GRAS of Maharashtra State and the total number of Challans collected during the Year is 1189393. Total commission to the tune of Rs 5.64 Cr was received on Tax collection business from Central Government.
- The Bank is processing and crediting monthly pension payments of more than 1,14,886 Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2016-17 is Rs. 13.58 Cr.

2.10 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank decline from Rs 14072.27 crore in FY 2015-16 to Rs. 13570.03 crore in FY 2016-17

Particulars	2016-17	2015-16	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	8469.96	9934.83	(14.74)
Income on investments	2829.47	2735.20	3.45
Interest on interbank lending & other interest	762.53	382.95	99.12
Total interest income	12061.96	13052.98	(7.59)
Non-interest income	1508.07	1019.29	47.95
Total Income	13570.03	14072.27	(3.57)
Interest on deposits	8075.59	8421.88	(4.11)
Interest on borrowings	11.61	54.88	(78.84)
Other Interest expenditure	800.07	697.52	14.70
Staff expenses	1807.29	1540.98	17.28
Other Operating expenses	1048.40	1011.83	3.61
Total Non-interest expenses	2855.69	2552.81	11.86
Total Operating Expenses	11742.96	11727.10	0.14
Operating Profit	1827.07	2345.18	(22.09)
Provisions and Contingencies	3199.58	2244.49	42.55
Net Profit	(1372.51)	100.69	(1463.10)

2.11 Financial Ratios

Particulars	2016-17	2015-16
EPS (Rs)	(11.75)	0.91
Cost to Income Ratio (percent)	60.98	52.12
Return on assets (percent)	(0.86)	0.07
Return on equity (per cent)	(24.92)	1.39
Book value per share (Rs)	46.96	63.36
Profit per Branch (Rs in lakh)	(72.35)	5.31
Profit per employee (Rs in lakh)	(10.58)	0.73
Business per Branch (Rs in crore)	126.83	132.05
Business per employee (Rs in crore)	18.54	18.18
Interest income as per cent to Average working funds	7.55	8.71
Non-Interest income as per cent to average working funds	0.94	0.68
Net Interest Margin (per cent)	1.99	2.59

औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.14	1.56
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.13	1.03
लाभांश (प्रतिशत)	0	0
नेटवर्थ (रु. करोड़ में)	5486.47	7403.05
सीआरएआर (%) बेसल III	11.18	11.20
जिसमें से टियर - I (%)	9.01	9.02
सीईटी I	7.28	7.88

2.12 भारत सरकार से पूंजी

मार्च 2017 तिमाही के दौरान, भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.03.2017 के पत्र क्र. 7/38 / 2014 - बीओए द्वारा इक्विटी शेयरों की अधिमान आधार पर आबंटन के माध्यम रु. 300.00 करोड़ लगाए और यह राशि इक्विटी शेयरों का आबंटन पूर्ण होने तक आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि को सीआरएआर की गणना के लिए सीईटी - I पूंजी के रूप में मनाने की अनुमति दी है।

2.13 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ 31.03.2016 के रु.7403.05 करोड़ से 31.03.2017 को रु. 5486.47 करोड़ हो गया।

2.14 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल-III मानदंडों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.25% (सीसीबी सहित) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में 31.03.2017 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.18% रहा। सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीसीबी सहित) 7.28% रहा।

2.15 लाभांश:

चूंकि बैंक को हानि हुई है अतः निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कोई भी लाभांश का प्रस्ताव नहीं दिया है।

3.1 शाखा/एटीएम नेटवर्क:

दिनांक 31.03.2017 को कुल शाखा नेटवर्क में 1897 शाखाएं थीं जो सभी राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों में फैली हुई है। इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, स्व-सहायता समूह इत्यादि विशेषीकृत शाखाएं शामिल हैं।

दिनांक 31.03.2017 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

अ.क्र.	वर्गीकरण	31.3.2016 को	31.03.2017 को
1	ग्रामीण	658	618
2	अर्ध-शहरी	434	434
3	शहरी	366	343
4	महानगरीय	437	502
	कुल	1895	1897

01.06.2014 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 36 शाखाओं यथा सेवा/रिटेल आस्ति/वसूली शाखा को 'बैंक ऑफिस' के रूप में परिवर्तित किया गया है।

एटीएम नेटवर्क

	31.03.2016	31.03.2017
ऑफसाइट	577	587
ऑनसाइट	1284	1291
कुल	1861	1878

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मानव संसाधन प्रबंधन नीति लागू की है जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार,

Operating Profit as per cent to average working Funds	1.14	1.56
Staff expenses as a percent to average working funds	1.13	1.03
Dividend (per cent)	0	0
Net worth (Rs Crore)	5486.47	7403.05
CRAR (%) (Basel III)	11.18	11.20
Of which, Tier I (%)	9.01	9.02
CET 1	7.28	7.88

2.12 Capital from Government of India

During the March 2017 quarter, Government of India vide its letter no. 7/38/2014-BOA dated 16.03.2017 infused Rs.300.00 crore by way of preferential allotment of equity shares and the amount was maintained under Share application money pending for allotment, till the allotment of equity shares done. However, RBI has allowed to treat share application money pending for allotment as CET1 capital for computation of CRAR.

2.13 Networth

The Bank's Net Worth stood at Rs.5486.47 crore as on 31.03.2017 as against Rs 7403.05 crore as on 31.03.2016.

2.14 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 11.18% as on 31.03.2017, against the minimum of 10.25% (including CCB) prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 Ratio (including CCB) stood at 7.28%

2.15 Dividend : Your Directors do not propose any dividend for the FY 2016-17, as the Bank has incurred loss.

3.1 Branch/ATM Network:

As on 31.03.2017, the total branch network comprised of 1897 branches spread across all the States and 4 union territories. The branch network includes specialized branches in the area of foreign exchange, Government business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, Small Scale Industry and Hi-tech agriculture, Pension Payment, Self Help Groups etc.

Area wise classification of branches as on 31.03.2017 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2016	As on 31.03.2017
1	Rural	658	618
2	Semi-Urban	434	434
3	Urban	366	343
4	Metro	437	502
	Total	1895	1897

36 Branches like Service /Retail Asset/Recovery Br's are converted as a "Back Office" as per RBI Guidelines on 01.06.2014.

ATM NETWORK

	31.03.2016	31.03.2017
Offsite	577	587
Onsite	1284	1291
Total	1861	1878

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job



कैरियर निर्माण, कल्याण और कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने वेतनमान श्रेणी I के 127 अधिकारियों, वेतनमान श्रेणी II के 1 सुरक्षा अधिकारी, 79 लिपिकों तथा 12 अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती की है।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा से हटाने एवं मृत्यु के कारण 1017 कर्मचारी सेवा में नहीं रहे।

2016-17 के दौरान अधिकारियों के लिए अंतर्वेत्तनमान पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई। उम्मीदवारों को निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की गई :

कप्रवे- I से मप्रवे- II	मप्रवे- II से मप्रवे- III	मप्रवे- III से वप्रवे- IV	वप्रवे- IV से वप्रवे- V	वप्रवे- V से वप्रवे- VI	वप्रवे- VI से उकावे- VII
708	90	108	59	24	4

वर्ष 2016-17 के दौरान 19 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में पदोन्नत किया गया।

31.03.2017 के अनुसार लिंग अनुपात सहित संवर्गवार कार्मिक स्थिति निम्नानुसार है :

श्रेणी	पुरुष	%	महिला	%	कुल
अधिकारी	4710	73.82	1670	26.18	6380
लिपिक	3005	63.62	1718	36.38	4723
अधीनस्थ कर्मचारी	1682	89.90	189	10.10	1871
कुल	9397	72.43	3577	27.57	12974

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को अग्रिमों के संवितरण एवं वसूली में सर्वोच्च 3 शाखाओं को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से चल ट्राफी से सम्मानित किया गया।

बैंक अपने निवल लाभ से कर्मचारी सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए 3% रकम आबंटित करता है। प्रबंधन एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व वाली केन्द्रीय कल्याण समिति द्वारा कल्याण योजनाओं को लागू किया जाता है।

बैंक के औद्योगिक संबंध अच्छे हैं।

बैंक भारत सरकारी की आरक्षण नीति का अनुपालन करता है। आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग सार्वजनिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं। बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारी को नामित किया है तथा अंचल कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना की गई है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक संरक्षणों एवं साथ ही व्यवसाय वृद्धि में सहभागिता के संबंध में चर्चा हेतु वर्ष के दौरान एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारी संगठन के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन किया गया।

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

अ.क्र.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कुल से प्रतिशत
1.	महिला कर्मचारी	3577	27.57%
2.	विकलांग कर्मचारी	214	1.65%
3.	अनुसूचित जाति कर्मचारी	2370	18.27%
4.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	1035	7.98%
5.	अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी	2163	16.67%
6.	सामान्य कर्मचारी	7406	57.08%
	बैंक में कार्यरत कुल कर्मचारी	12974	

सरकार के दिशानिर्देशानुसार रोस्टर्स रखे जाते हैं तथा इनकी निरीक्षण/जांच नियमित रूप से की जाती है।

enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

During the year 2016-17 the Bank recruited 127 Officers in Scale I, 1 Security Officer in Scale II, 79 Clerks and 12 Sub-staff.

During the year, 1017 employees ceased to be in service on account of retirement, VRS, resignation, termination and death.

Inter scale promotions of officers were carried out during 2016-17. Following number of candidates were promoted.

JMGS-I TO MMGS-II	MMGS-II to MMGS III	MMGS- III TO SMGS-IV	SMGS- IV TO SMGS-V	SMGS-V TO SMGS-VI	SMGS- VI TO TEGS-VII
708	90	108	59	24	4

During the year 2016-17, 19 Substaff were promoted to Clerical cadre.

Cadre wise staff position as of 31.3.2017 with sex ratio percentage is as under :

Category	Male	%	Female	%	Total
Officers	4710	73.82	1670	26.18	6380
Clerks	3005	63.62	1718	36.38	4723
Sub-staff	1682	89.90	189	10.10	1871
Total	9397	72.43	3577	27.57	12974

The top three branches in disbursement and recovery of advances to SC/ST community were awarded Rolling Trophy in name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar.

The Bank has been allocating up to 3 per cent of its net profit towards various schemes for the welfare of staff including retired staff. The welfare schemes are administered by a Central Welfare Committee consisting of management & employees representatives.

The Bank has healthy industrial relations.

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at all Zonal Offices. During the year periodical meetings were held with SC/ST/OBC Employees Association to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safe guards and also to facilitate involvement in business growth.

The number of employees belonging to different categories is as under:

S No	Category of Employees	No. of Employees	Percentage to total
1.	Women	3577	27.57%
2.	Physically Challenged	214	1.65%
3.	SC Employees	2370	18.27%
4.	ST Employees	1035	7.98%
5.	OBC Employees	2163	16.67%
6.	General Employees	7406	57.08%
	TOTAL employees working in the Bank	12974	

Rosters have been maintained as per Government guidelines and are regularly inspected/ checked.

अनुकंपा नियुक्ति - भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए विकलांगता के कारण निवृत्त होने वाले या सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के 'अनुकंपा नियुक्तियों' / एक्स ग्रेटिया एकमुश्त रकम का भुगतान की योजना को कार्यान्वित किया गया। वर्ष 2016-17 के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों और एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:

अनुकंपा नियुक्तियां		अनुग्रह राशि का भुगतान	
संवर्ग	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	प्रदत्त राशि
लिपिक	6	2	रु.14.00 लाख
अधीनस्थ कर्मचारी	12	2	रु.12.00 लाख

अंशदायी समूह बीमा मेडिकलेम पॉलिसी यह पॉलिसी सभी कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है जिसका नवीनीकरण 01.04.2017 से किया गया है तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए बीमा की रकम बढ़ाकर रु.10.00 लाख की गई। पॉलिसी के नवीकरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	प्रदत्त प्रीमियम
विद्यमान	970	117.30
सेवानिवृत्त	1740	219.44
कुल	2710	336.74

भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के पाठ्यक्रमों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीए एवं सीएफए के पाठ्यक्रमों के संबंध में **परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति** तथा नकद प्रोत्साहन/मानधन का भुगतान किया जाता था जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों की सूची में तीन अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके साथ अब परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 25 पाठ्यक्रमों को पात्र घोषित किया गया है।

किसी स्थान पर **ड्यूटी के दौरान** अधिकारी की दुर्घटना/जखमी होने पर **अस्पतालीकरण व्ययों की 100%** प्रतिपूर्ति के साथ उसे विशेष छुट्टी प्रदान करने की नीति तैयार की गई है।

अन्य अंचलों से उत्तर पूर्वी अंचलों में तैनात एवं स्थानांतरित अधिकारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार नीति का गठन किया गया है।

प्रशिक्षण गतिविधियां:

वर्तमान एवं उभरती हुए व्यावसायिक अवसरों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कौशल के अभाव के नियमित आवधिक निर्धारण की ओर ध्यान दिलाने हेतु बैंक के पास एक प्रशिक्षण प्रणाली उपलब्ध है। वर्ष के दौरान ऋण में कौशल निर्माण, विदेश विनिमय, ग्राहक संबंध प्रबंधन, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी एवं वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक कानूनी एवं नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन, प्रतिरोधक सतर्कता के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया।

एसएमई को वित्तपोषण, खुदरा उधारी, कृषि वित्त, सॉफ्ट कौशल एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का संवर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

संवर्ग	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के कुल दिन	प्रशिक्षित कर्मचारी
अधिकारी	146	563	3984
लिपिक	44	102	684
अधीनस्थ कर्मचारी	40	76	619
कुल	230	741	5287

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

2016-2017 के दौरान बैंक ने विभिन्न प्रमुख आईटी परियोजनाएं शुरू की और सफलतापूर्वक आरंभ/लांच की जो निम्नानुसार सूचीबद्ध की गई है:

Compassionate Appointments - A Scheme for 'Compassionate Appointments' / Payment of Ex-gratia lump-sum amount" to /of heirs of employees dying in harness or retiring due to incapacitation framed as per the directives of Government of India, has been implemented. The details of compassionate appointments and payment of Ex-gratia lump-sum amount for the year 2016-17 is as under :

Compassionate Appointments		Payment of Exgratia	
Cadre	No.of employees	No.of employees	Amount paid
Clerk	6	2	Rs.14.00 Lacs
Substaff	12	2	Rs.12.00 Lacs

The **Contributory Group Insurance Mediclaim Policy** for all employees including retired employees, has been renewed w.e.f. 1.4.2017 and the Sum insured is increased upto Rs.10.00 Lakhs for existing employees. The details of renewal of policy are as under :

Employees	No.of Employees	Premium paid
Existing	970	117.30
Retired	1740	219.44
Total	2710	336.74

The **reimbursement of examination fees** & payment of cash incentive / Honorarium in respect of courses from Indian Institute of Banking & Finance, MBA from reputed Institutions & CFA has been widened by adding three more courses in the list of courses for reimbursement of fees thereby making total 25 courses eligible for reimbursement of examination fees.

A policy for granting special leave and **100% reimbursement of hospitalization expenses** to officers when he meets with an accident / injury **while on duty** is in place.

Policy for 'granting incentives, to officers posted & transferred in North eastern zones from other zones' framed as per the directives of Government of India.

Training Activities:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, Forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year.

Training programs were also held on thrust areas like financing SMEs, retail lending, agriculture finance, soft skills and rural development.

Cadre-wise Break up of Employees trained during the period 1.4.2016 to 31.03.2017 are as under-

Cadre	No. of Prog	Training Days	Employees Trained
Officers	146	563	3984
Clerks	44	102	684
S/staff	40	76	619
Total	230	741	5287

3.3 Technology Initiatives

The Bank had taken of & successfully initiated / launched various Major IT Projects during 2016-2017 which are enumerated as under:



- वर्ष 2016-17 के दौरान एकीकृत वाइस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) सहित संपर्क केंद्र संचालन का उन्नयन और सिस्टम परिचालन सफलतापूर्वक किया गया।
 - बैंक ने 'महायूपीए' का शुभारंभ किया, इसकी यूपीआई मोबाइल आवेदन दिनांक 26/08/2016 से शुरू हुई। 31/03/2017 को यूपीआई के लिए 1,10,749 ग्राहक पंजीकृत हैं।
 - सितंबर 2016 को बैंक ने अपने 4 सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के लिए अद्यतन आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन हासिल किया है, इसके साथ हमारे बैंक में गुणवत्ता आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) जारी है।
 - रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार सभी दक्षिण ग्रिड केंद्रों पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) कार्यान्वित किया जाता है।
 - बैंक ने अपने एटीएम मशीनों के माध्यम से एटीएम कार्ड के लिए पेपरलेस एटीएम री-पिन सुविधा (ग्रीन पिन) शुरू की। यह सुविधा परंपरागत री-पिन अनुरोध प्रक्रिया की सभी कमियों पर काबू पाती है।
 - विमुद्रीकरण चरण के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, बैंक ने एटीएम नकद निकासी सीमा में समय-समय पर परिवर्तन लागू किये हैं। साथ ही, बैंक ने समयबद्ध ढंग से सभी 1878 एटीएम को भौतिक रूप से रिकैलिब्रेट करने की मुहिम बड़े पैमाने पर पूरी की गई। इन एटीएम को ₹ 500 और ₹ 2000 के नये नोट्स के लिए विमुद्रीकरण के कारण रिकैलिब्रेट किया गया है।
 - रिटेल ग्राहकों के लिए नया इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है।
 - बैंक ने पूरे बैंक के विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने में स्वयं अपडेट पास बुक प्रिंटर और बंच नोट एक्सेप्टर मशीन लगाई है। यह ग्राहकों की आवश्यकताओं / संतुष्टि की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी रहेगी। नए एटीएम कोशुर करने के प्रतिवर्तन काल को कम करने, बेहतर ग्राहक अनुभव, जोखिम कम करने विभिन्न चैनलों द्वारा कार्ड की त्वरित हॉटलिस्टिंग, मूल्यवर्धित सेवाएं आदि महत्वपूर्ण लाभों में बैंक का अपना ईएफटी स्विच मदद कर रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के लिए बैंक ने वीजा के साथ और रुपे डेबिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के साथ गठबंधन किया है। बैंक ने रुपे प्लेटिनम कार्ड जारी करने का कार्य शुरू किया है। दिनांक 31.03.2017 को बैंक का कुल कार्ड आधार 64.54 लाख जिसमें 1.11 लाख प्लेटिनम चिप कार्ड शामिल हैं।
- हमारे ग्राहकों द्वारा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई तथा अन्य ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। दिनांक 31.3.2017 के अनुसार, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा यूपीआई के लिए क्रमशः 6.97 लाख, 2.92 लाख तथा 1.11 लाख ग्राहकों की संख्या पंजीकृत की गई।
- इंटरनेट बैंकिंग प्लैटफॉर्म से विभिन्न सुविधाएं यथा करो के ऑनलाइन भुगतान, उपयोगिता बिल भुगतानों, ऑनलाइन शॉपिंग/ई-कॉमर्स, रेलवे आरक्षण, एलआईसी प्रीमियम भुगतान, ई-एसबीटीआर इत्यादि तथा बैंक में टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट 26एस एवं डीमैट खाता अवलोकन की सुविधा प्रदान की गई है।
- बैंक के पास सशक्त सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ढांचा उपलब्ध है। उसका सूचना सुरक्षा संबंधी नीतिगत बयान है 'सुरक्षित व्यवसाय प्रचालनों को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी शेयरधारकों की महत्वपूर्ण जानकारी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है।' बैंक ने गोपालकृष्ण समिति द्वारा आंतरिक एवं बाह्य ग्राहकों की सुरक्षा पहलों संबंधी अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया है।
- बैंक के पास एक सीमित सुरक्षा प्रचालन केन्द्र (एसओसी) उपलब्ध है जो कि महत्वपूर्ण आईटी संरचना पर 24x7 आधार पर निगरानी रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मौजूदा सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) को साइबर सुरक्षा प्रचालन केन्द्र (सीएसओसी) को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और प्रगति पर है।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य सरकारों के करो के ई-भुगतानों का कार्य बैंक संभाल रहा है।

- During the Year 2016-17, Upgrade of Contact Center Operations including Integrated Voice Response System (IVRS) was successfully done & System is made operational
- Bank launched 'MahaUPI', its UPI mobile application from 26/08/2016. As on 31/03/2017, 1,10,749 customers are registered for UPI.
- ISO 27001:2013 Re-Certification achieved by the bank during September 2016, for its 4 IT Divisions, thereby continuing the Quality ISMS (Information Security Management System) in our Bank.
- Cheque Truncation System (CTS) is implemented at all South Grid Centers as per RBI directives..
- Bank started the Paper-less ATM-RePIN facility (Green PIN) for ATM Card through its ATM Machines. This facility overcomes all shortcomings of the conventional re-pin request process.
- As per Directives of GOI received from time to time during the Demonetization Phase, Bank has effected timely changes in ATM Cash Withdrawal Limits. Also, the Bank successfully completed the massive exercise of physically recalibrating all its 1878 ATMs in time bound manner. These ATMs have been recalibrated on account of demonetization, for the New Rs.500 & Rs.2000 notes.
- New Internet Banking Portal is launched for Retail Customers.
- Bank has implemented Self Update Pass Book Printers & Bunch Note Acceptor Machines in a big way at various locations across the Bank. The same shall be continued to ensure fulfilment of customer requirements/satisfaction.

Bank's Own EFT Switch, is helping the bank to derive significant advantages like reduced turn-around-time to introduce new ATM Product, Better customer experience, Reduced risk, Instant Hot-listing of a card through multiple channels, Value Added Services etc.

Bank has collaborated with VISA for International Debit Cards and with NPCI for Rupay Debit Cards. Bank has commenced issue of Rupay Platinum Cards. As on 31/03/2017, the total ATM card base of the Bank stood at 64.54 Lakhs, which includes 1.11 Lakh Rupay Platinum Chip cards.

Bank's Internet Banking, Mobile Banking, UPI & other online applications are well received by our Customers. As on 31/03/2017, the number of customers registered for Internet Banking, Mobile Banking & UPI stood at 6.97 Lakhs, 2.92 lakhs & 1.11 Lakhs respectively.

Various facilities are being provided through our Internet Banking platform for facilitating online payment of taxes, utility bill payments, online shopping / e-commerce, railway reservation, LIC premium payment, e-SBTR etc and facility for viewing tax credit statement 26AS and Demat account with the Bank.

Bank has robust Information Security Management System (ISMS) framework in place. Its information security policy statement being: "Bank of Maharashtra is committed to protect and safeguard the critical information of all stakeholders in order to ensure secure business operations". Bank has also implemented major security initiatives recommended by Gopalakrishna Committee for internal and external customers.

Bank has in place a captive Security Operations Centre (SOC) for monitoring Critical IT Infrastructure on 24 x 7 basis. The process for revamping the existing Security Operation Center (SOC) to Cyber Security Operations Center (CSOC), as per RBI Directives is initiated & in progress.

Bank is handling the e-Payments of State Government Taxes of Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh & Rajasthan States.

मुंबई, पुणे, अहमदाबाद केन्द्रों के आक सभाशोधन को पहले ही आउटसोर्स किया गया है। अब हमने अप्रैल 2016 के दौरान नागपुर में जाक सभाशोधन का आउटसोर्स आरंभ किया है। इसे चरणबद्ध तरीके से पुणे केन्द्र तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि भविष्य में केन्द्रीकृत सभाशोधन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बैंक ने निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को अपनाने/ कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है -

1. सीबीएस संविदा नवीकरण
2. साइबर सुरक्षा परिचालन केन्द्र (सीएसओसी)
3. लीज्ड लाइन/ वी-सैट शाखाओं के लिए अतिरिक्त नेटवर्क सेवा प्रदाता
4. वसूली, ओटीएस, ईडब्ल्यूएस, अग्रणी प्रबंधन आदि के एलएमएस - एंड टू एंड - एलओएस
5. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)
6. एमआईएस एडीएफ प्रणाली का कोटिउन्नयन
7. समन्वित जोखिम प्रबंधन सोल्यूशन
8. स्विफ्ट डीआर सेटअप

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक उन्मुख पहल

बैंक ने गोईपोरिया समिति, डॉ. एस.एस. तारापोर समिति एवं दामोदरन समिति की सभी बड़ी सिफारिशों का कार्यान्वयन करते हुए ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को अपनाया है ताकि संपूर्ण वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहक एवं एमएसएमई के प्रति बैंक संहिता की वचनबद्धता को अपनाया है।

बैंक ने 'माई फोल्डर' नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है जिसके अंतर्गत ग्राहक सेवा की सभी नीतियों, सेवा प्रभागों पर जानकारी, सरकार के योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश, लोकपाल (ओम्बड्समैन) एवं बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है। इसका मुद्रण मराठी, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में करके सभी शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों को इसकी आपूर्ति की गई है तथा मांग करने पर ये सभी ग्राहकों को उपलब्ध किया जाता है।

'जमाराशियों', 'चेकों की वसूली', 'शिकायतों का निपटान', 'मुआवजा', 'मृतक जमाकर्ताओं के निपटान संबंधी प्रचालनगत कार्यविधि' एवं ग्राहक अधिकार नीति पर विधिवत दस्तावेजीकृत नीतियों का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है।

ग्राहक सेवा समितियों का सभी शाखाओं में गठन किया गया है तथा इनकी बैठकें मासिक आधार पर नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति एवं अंचल कार्यालय में अंचल स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां नियमित रूप से बैठक का आयोजन करके ग्राहक से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करती हैं तथा लगातार ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाती हैं।

ग्राहक सेवा पर निदेशक मंडल की समिति तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करके ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक की शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखती है एवं ग्राहक संतोष सुनिश्चित करती है।

ग्राहक शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने हेतु एक पूर्ण संगठित शिकायत तंत्र का गठन किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शिकायतें दखिल करने अथवा ग्राहकों द्वारा सेवाओं पर सुझाव / प्रतिसूचना प्रदान करने तथा उनकी प्रतिसूचनाओं / शिकायतों की पावती प्रदान करने हेतु इन्टरनेट आधारित तंत्र, **मानकीकृत जन शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस)** का आरंभ किया है।

क्र.	विवरण	2015-16	2016-17
1	वर्ष के आरंभ में ग्राहक शिकायतें	2	73
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	3218	2912
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	3147	2931
4	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतें	73	54

Inward Clearing in Mumbai, Pune & Ahmedabad Centers is already outsourced. Clearing processing for outward clearing was made live in Nagpur Zone during April 2016. It is being extended to Pune Centers in a phased manner, so as to move towards the goal of Centralized Clearing in future.

In the coming FY 2017-2018, Bank proposes to take up / implement the following IT Initiatives -

1. CBS Contract Renewal.
2. Cyber Security Operations Centre (CSOC)
3. Additional Network Service Provider for Leased Line / VSAT Branches
4. LMS- end to end- LOS to Recovery, OTS, EWS, Lead Management etc
5. International Financial Reporting Standards (IFRS).
6. Upgrade of MIS ADF system.
7. Integrated Risk Management Solution.
8. SWIFT DR setup.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year by implementing all major recommendations of Goiporia Committee, Dr. S.S. Tarapore Committee and Damodaran Committee.

As a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Customer and Bank's Code of Commitment to MSMEs.

Bank has printed folder called as "My Folder" containing all customer service policies, information on service charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI Codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.

Duly documented policies approved by the Board, on "Deposits", "Collection of Cheques", "Redressal of Grievances", "Compensation", "Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors" and Customer Rights Policy are in place.

Customer Service Committees are formed at all branches and their meetings are conducted regularly on monthly basis. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at Zones, meet regularly to address and review various customer related matters and to take steps, for an improvement, on an ongoing basis.

The Committee of the Board on Customer Service meets on quarterly basis to monitor the quality of the customer service, redressal of customer grievances and to ensure customers satisfaction.

Full-fledged grievances Redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. The Bank has started internet based mechanism, **Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS)** for lodging the complaints or to give suggestions / feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback / complaints as per the directions of Government of India.

Sr. No.	Particulars	2015-16	2016-17
1	Customer complaints at the beginning of the year	2	73
2	Complaints received during the year	3218	2912
3	Complaints redressed during the year	3147	2931
4	Complaints pending at the end of the year	73	54

यह बैंक का प्रयास है कि सभी शिकायतें एक सप्ताह के समय के भीतर निपटाई जाएं.

प्रधान कार्यालय में किऑक्स मशीन का प्रतिस्थापन किया गया है ताकि ग्राहक ऑनलाईन शिकायतें / सुझाव पंजीकृत कर सकें तथा यह 14.03.2013 से प्रचालनगत है.

3.5 केवायसी / एएमएल

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों/ धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों/ आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धताएं.

बैंक की निदेशक मंडल से अनुमोदित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति हैं. इस नीति के आधार पर बैंक केवायसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपायों का कार्यान्वयन करता है. पूर्ण केवाईसी अनुपालन में ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है, इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं.

आईबीए ने बैंकों को एएमएल अलर्ट निर्मित करने के लिए अब तक 88 मापदंडों के कार्यान्वयन की सलाह दी है. बैंक ने आईबीए दिशानिर्देशों के अनुसार 49 मापदंडों में से 43 मापदंडों का कार्यान्वयन किया है और शेष 6 मापदंड अन्य पक्ष उत्पाद से संबंधित हैं. इसके अलावा फैक्स केंद्रों/ शाखाओं को धोखाधड़ी/ धन शोधन की रोकथाम के लिए एफआईयू-आईएनडी द्वारा जारी व्यापार आधारित धनशोधन पर दिशानिर्देशों के संबंध में जागरूक किया गया है.

ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट पर केवायसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई है. कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी दिशानिर्देशों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां लागू की हैं जो इसे जोखिम को प्रभावी रूप से अभिनिर्धारित करने, उसके मापन, निगरानी और प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है और बैंक की समग्र जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं. बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक स्तर पर जोखिम की निगरानी करती है. बैंक के शीर्ष प्रबंधन द्वारा अध्यक्षतावाली उप समितियों का भी बैंक द्वारा गठन किया गया है.

बैंक बेसल III पुंजी विनियमकों के अधीन प्रकटन आवश्यकताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

3.7 ब्रांड इमेज

बैंक की ब्रांड इमेज विकसित करने के दृष्टिकोण से आपके बैंक ने निगमित सामाजिक दायित्वों के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों के प्रचार किया है, इसकी विपणन व प्रचार नीति है और स्वतंत्र वर्टिकल है.

बैंक ने अपने निगमित सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), निगडी ग्राम में पानी की टंकी के निर्माण हेतु रोटरी क्लब, निगडी, वॉटर कूलरों के लिए बालेवाडी स्टेडियम, बाहुबली चिल्ड्रेन अस्पताल, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के 'श्रुतकेवली एज्युकेशन ट्रस्ट' तथा शिक्षा, अवसरचना, रोजगार, भोजन इत्यादि जैसे मुद्दों पर कार्य करने वाले विख्यात एनजीओ नाम फाउंडेशन को दान (डोनेशन) दिए गए.

3.8 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. नागरिक अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साइट पर प्रदर्शित किया गया है. शाखाओं की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं -

- देश के सभी भागों में बैंक की सभी शाखाओं को जन सामान्य को अधिक सक्रिय रूप से और जोर-शोर से निम्नलिखित ग्राहक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए -

It is Bank's endeavor to redress all complaints within a week's time.

Kiosk Machine has been installed at Head Office to enable the customer to register online complaints / suggestions and is in operation since 14.03.2013.

3.5 KYC/ AML

Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) and Obligation of Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002.

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Banks implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

IBA has advised the Banks to implement 88 parameters so far for generation of AML alerts. Bank has implemented 43 parameters out of 49 parameters as per IBA guidelines and the remaining 6 parameters are related to 3rd party products. In addition to these the FEX centers/branches have been sensitized on the guidelines on Trade Based Money Laundering issued by FIU-IND to prevent fraud/money laundering.

A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Banks web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Banks training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

The Bank has put in place Risk Management Policies and Strategies, enables it to identify, measure, monitor and manage risk efficiently and establishes control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor the risk at Bank level in accordance with RBI Guidelines. Bank has also constituted sub-committees headed by Top Management of Bank.

The Bank is Compliant to the RBI guidelines on disclosure requirements under Basel III Capital Regulations.

3.7 Brand Image:

Your Bank with a view to develop Brand Image of Bank, publicize Bank's various products coupled with Corporate Social Responsibilities has Marketing & Publicity Policy as well as independent vertical.

Bank has extended Donations under its **Corporate Social Responsibilities** to National Sports Development Fund (NSDF), Rotary Club Nigdi for the construction of water Tank in Nigade Village, Balewadi Stadium for providing Water Coolers, "Shrutakevali Education Trust" for Bahubali Children's Hospital, Shraavanabelagola, Karnataka, **NAAM Foundation famous NGO working on issues like education, infrastructure, employment, food etc.,**

3.8 Citizen's Charter:

The Bank has adopted the Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The charter is displayed at all the branches and Bank's website. Some of important responsibility of Branches are;

- All branches of banks in all parts of the country should provide the following customer services, more actively and vigorously to the members of public.

- सभी मूल्य वर्ग के नए बेहतर गुणवत्ता वाले नोटों व सिक्कों की मांग की पूर्ति करना
- कटे-फटे नोटों को बदलना और
- या तो संव्यवहार या विनिमय के लिए सिक्के व नोट स्वीकार करना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार

4. सामाजिक/ सूक्ष्म आर्थिक विकास

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए।

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कुल बकाया अग्रिम रु.40388.63 करोड़ थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 34.99% रहे।

4.2 कृषि

वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने रु.7752 करोड़ के ऋण वितरित किए। कृषि क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिम दिनांक 31.03.2017 को रु.17960 करोड़ के रहे (4.57% की वृद्धि)। बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण की वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया और रु.3042 करोड़ का वितरण किया। बैंक ने खेत मशीनीकरण और सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान ट्रैक्टर विनिर्माताओं, सूक्ष्म सिंचाई कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधन किए।

किसानों को बंधन मुक्त ऋण प्रवाह प्रदान करते हुए कृषि के लिए अग्रिमों में वृद्धि हेतु सभी शाखाओं के लिए बैंक ने जागरूकता/ सुग्राही कार्यक्रम चलाए।

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है। बैंक ने किसानों को कुल 601303 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। 31 मार्च 2017 को यथास्थिति एमकेसीसी लाभार्थियों को ऋण प्रवाह रु.7057 करोड़ हो गया। (5.47% वृद्धि)

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है। ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंक के वेबसाइट पर ऑन लाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध किया गया है।

हमारे बैंक ने एमएसएमई के लिए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे बैंक की वेब साइट पर प्रदर्शित किया है। बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता को भी अपनाया है और उसे बैंक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (प्राथमिकता + गैर-प्राथमिकता) को बैंक की उधारी 31.03.2017 को रु.20,585.22 करोड़ की रही। मार्च, 2017 को प्राथमिकता के अधीन सूक्ष्म उद्यमियों को अग्रिम एएनबीसी का 7.48% रहा जबकि आरबीआई का लक्ष्य 7.50% है।

इस वर्ग में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने ट्रक/ वाहन/ पैसेंजर कार विनिर्माताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला संवर्ग के सूक्ष्म उद्यमियों की हैण्ड होल्डिंग और उन्हें ऋण देना सुगम बनाने के लिए बैंक ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट एवं दे-आसरा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। बैंक ने myloanassochem.com पोर्टल के साथ भी भागीदारिता की है जिससे लीड्स निर्मित करने और एमएसएमई

- Meeting the demands for fresh / good quality notes and coins of all denominations.
- Exchanging soiled notes, and
- Accepting coins and notes either for transactions or exchange.
- Separate que for senior citizen

4. SOCIO/MICRO ECONOMIC DEVELOPMENT.

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector as of 31st March 2017, aggregates to Rs. 40388.63 Crore constituting 34.99% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

4.2 Agriculture

The Bank disbursed Rs. 7752 Crore for agriculture and allied activities during the year 2016-17. The total outstanding advances to agriculture sector reached a level of Rs.17960 Crore as on 31.03.2017 (growth of 4.57%). Bank focused on growth of investment credit under Agriculture during the year 2016-17 and disbursed Rs. 3042 Crore. Bank also entered into strategic tie-up arrangements with Tractor Manufacturers, Micro Irrigation Companies for promoting farm mechanization and micro irrigation activities during the year.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued total 601303 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries has reached to the level of Rs.7057 Crore as on 31.03.2017 (growth of 5.47 %).

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

SMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. On line enquiry portal is made available on the Bank's website.

Our Bank has adopted Simplified Loan Application for MSEs and the same is displayed on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise and the same is displayed on the Bank's website.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises (Priority + NP) is Rs. 20585.22 Crore as at 31.03.2017. Advances to Micro enterprises under priority are 7.48 % of ANBC against RBI target of 7.50 % as of March 2017.

For promoting finance under this category, Bank has entered into strategic tie up arrangements with Truck / Vehicle / Passenger car manufacturers. Bank has also entered into MoU with Bharatiya Yuva Shakti Trust and de-Asra foundation for Credit facilitation and hand holding of the Micro

को वित्तीय सहायता द्वारा बैंक के लिए उन्हें व्यवसाय में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी।

एमएसएमई प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए सभी अंचल कार्यालयों में केन्द्रीय प्रोसेसिंग कक्ष स्थापित कर उन्हें सुप्रवाहित बनाया गया है।

4.3.1 मुद्रा : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय), जिसमें मुख्यतः विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं से जुड़े हुए गैर-कृषि उद्यम आते हैं तथा जिनकी ऋण आवश्यकता रु.10.00 लाख से कम होती है। बैंक आरंभ से ही इस खंड पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस खंड के अंतर्गत आय निर्माण हेतु दिए गए ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) के अंतर्गत मुद्रा ऋण कहलाते हैं तथा तदनुसार उन्हें नामांकित किया जाता है।

31.03.2017 को बैंक ने रु.1800.00 करोड़ के लक्ष्यों के विरुद्ध पीएमएमवाय के अधीन रु.1732.72 करोड़ संवितरित किए। बैंक ने सरकार द्वारा पीएमएमवाय के अधीन आबंटित लक्ष्य का 96.54% प्राप्त किया।

बैंक ने दिनांक 16.09.2015 को मुद्रा कार्ड का शुभारंभ किया। 31.03.2017 तक 8281 मुद्रा कार्ड जारी किए।

4.3.2 सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत शामिल उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी निधि योजना के अधीन रु.100.00 लाख तक की ऋण सुविधाओं को शामिल किया गया है, जहां बैंक द्वारा कोई समर्थक प्रतिभूति एवं तृतीय पक्ष गारंटी की मांग नहीं की जाती। इस योजना के अधीन शामिल खातों के अंतर्गत रु.10.00 लाख से अधिक के ऋणों के लिए 50% वार्षिक गारंटी शुल्क का वहन बैंक द्वारा किया जाता है। मार्च 2017 तक बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 25955 उधारकर्ताओं को रु.2228.75 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवरेज 11.12% से बढ़ा।

4.3.3 महत्वपूर्ण खंडों को बैंक का विगोपन

क्र. सं.	क्षेत्र	31.03.2017 को बकाया राशि	31.03.2016 को बकाया राशि	बढ़ोत्तरी का % (+/-)
1	सूक्ष्म वित्त	154.52	152.62	-0.06%
2	कमजोर वर्ग	12190	11006	10.76%
3	अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थी	1738	1684	3.21%
4	अल्पसंख्यक समुदाय	2921	3037	-3.82%

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को आवासीय संपत्तियां/प्लॉट्स खरीदने, उसकी मरम्मत, नवीनीकरण हेतु, उपभोक्ता वस्तुएं, दो/चार पहिया वाहन खरीदने, शिक्षा हेतु और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है। बैंक का रिटेल ऋण संविभाग रु.15792.02 करोड़ का है।

(रु. करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 17 को संविभाग	अनर्जक आस्ति %
1	महा सुपर आवास ऋण योजना	आवास क्षेत्र महत्वपूर्ण खंड रहा है इसलिए बैंक ने सभी आर्थिक खंडों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न आवास ऋण योजनाएं लागू की हैं। बैंक 'नए/वर्तमान आवास के निर्माण/खरीदी, वर्तमान घर/फ्लैट की मरम्मत/नवीकरण/तब्दीली, प्लॉट की खरीदी और उस पर निर्माण के लिए आवास ऋण प्रदान करता है'	13595.20	2.72

entrepreneurs specially under Women and SC/ST categories. Bank has also partnered with myloanassochem.com portal for generating leads and converting them into business to the bank by financial assistance to MSMEs.

Centralized Processing Cell have been set up at all Zonal Offices for speedy disposal of MSME proposals.

4.3.1 MUDRA: With the introduction of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) which mainly consists of non-farm enterprises in manufacturing, trading and services whose credit needs are below Rs. 10.00 lakh. Bank is giving special attention to this segment. Loans given to this segment for income generation are known as **MUDRA** loans under Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) and branded accordingly.

Bank disbursed Rs 1732.72 Crore under PMMY against the target of Rs 1800.00 Crore as on 31.03.2017. Bank achieved 96.54 % of target allotted by Government under PMMY.

Bank has launched MUDRA Card on 16.9.2015 and so far issued 8281 MUDRA Cards as on 31.3.2017

4.3.2 Coverage under CGTMSE Scheme

Under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India credit facilities up to Rs.100.00 lakh are covered, wherein no collateral security and third party guarantee are insisted by the Bank. For the accounts covered under this scheme, Bank is bearing 50% annual guarantee fee for loans above Rs 10.00 lakh. The Bank has sanctioned loans of Rs 2228.75 Crore to 25955 borrowers under this scheme up to March 2017. During the current FY, coverage under Credit Guarantee Fund Scheme has increased by 11.12%.

4.3.3 Banks exposure to important segments.

S N	Sector	Outstanding as on 31.03.2017	Outstanding as on 31.03.2016	% of increase (+/-)
1	Micro Finance	154.52	152.62	-0.06%
2	Weaker Sector	12190	11006	10.76%
3	SC/ST beneficiaries	1738	1684	3.21%
4	Minority Community	2921	3037	-3.82%

5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK

5.1. Credit Flow to Retail Sector

The Bank is providing retail loans for salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of housing properties/ plots, repair/ renovation of house, purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles, education and loan for other personal needs etc. The retail loan portfolio of the bank is Rs.15792.02 Crore.

Amt. in Rs. Crore

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar'17	NPA %
1	Maha Super Housing Loan Scheme	Housing Sector being the thrust area, Bank has various Housing Loan schemes in place to meet the needs of all economic segments. Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon"	13595.20	2.72

2	महासुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना	बैंक ने व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए वैयक्तिक उपयोग (किराया/ यात्री आवागमन के लिए नहीं) नए फोर व्हीलर यथा कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वेहिकल (एमयूवी), एसयूवी के खरीदी के लिए योजना आरंभ की.	669.36	4.89
3	मॉडल शिक्षा ऋण योजना	बैंक आईबीए दिशानिर्देशों के अनुसार मॉडल शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन करता है और भारत और विदेश में उच्च शिक्षा/ अध्ययन के लिए सभी मेधावी और योग्य विद्यार्थियों (भारतीय राष्ट्रीय) हेतु ब्रंशट रहित शिक्षा ऋण प्रदान करता है।	891.05	5.87
4	महाबैंक टॉप अप ऋण योजना	वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहयोग प्रदान करने के साथ ही टॉप अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों के वर्तमान आवास ऋणों का अभिग्रहण करने के लिए बैंक ने “महाबैंक टॉप अप ऋण योजना” का आरंभ किया इस योजना के अंतर्गत आवास के नवीकरण/ सजावट/ मरम्मत के लिए, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के विवाह, चिकित्सा खर्चों, वाहन या हाई-टेक गैजेट खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है.	67.72	2.00
5	महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना	आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की संभावनाओं का लाभ उठाने और अन्य वैयक्तिक खर्चों जिसमें विवाह, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आकस्मिकताओं, व्यवसाय यात्रा इत्यादि जैसी विभिन्न आवश्यकताएं शामिल हैं, की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 26.09.2014 से प्रभावी रिटेल ऋण उत्पाद “महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना” आरंभ किया है.	96.58	2.80
6	महाबैंक आधार ऋण योजना	हमारे वर्तमान पेंशन खाताधारकों को उनके वैयक्तिक खर्चों, धार्मिक यात्राओं, चिकित्सा, घरेलू आवश्यकताओं इत्यादि की पूर्ति के लिए बैंक ने “महाबैंक आधार ऋण योजना” का पुनःआरंभ किया.	283.21	0.68

5.2 ऋणों का केंद्रीकृत प्रसंस्करण

बैंक ने अपने सभी 33 अंचलों में खुदरा/ वाणिज्यिक अग्रिमों हेतु केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्षों की स्थापना की है जिससे ऋण का ब्रंशट रहित वितरण एवं समुचित सावधानी सुनिश्चित होगी और टर्न अराउंड टाइम में सुधार होगा.

5.3 द्वार पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

बैंक ने उच्च मूल्य वाले अपने ग्राहकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाएं आरंभ की है तथा इन सेवाओं के अंतर्गत ग्राहक के द्वार पर निगमित एवं खुदरा नकद प्राप्ति (पिक अप) तथा सुपुर्दगी एवं चेक संग्रहण सेवाएं शामिल हैं.

2	Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme	Bank has launched scheme for purchase of New four Wheeler i.e. Car, Jeep, Multi Utility vehicles (MUVs), SUV etc. for personal use. (i.e. not for hiring/ferrying passengers) for individuals (18 years and above).	669.36	4.89
3	Model Education Loan Scheme	Bank is implementing Model Education Loan Scheme as per IBA guidelines and provides hassle free Education loan to all meritorious and deserving Students (Indian National) for pursuing higher studies /education in India and abroad	891.05	5.87
4	Mahabank Top up Loan Scheme	In order to extend additional credit support to existing housing loan borrowers as well takeover of existing housing loan of other banks with additional facility of Top-up Loan, Bank has launched “Mahabank Top Up loan Scheme”. Under this scheme credit is extended for repair / renovation / furnishing of house, children's education, Marriage of Children, Medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets etc.	67.72	2.00
5	Mahabank Gold Loan Scheme	With a view to tap the potential of gold loans as a lucrative asset and to cater to the needs of meeting other personal expenses, whatsoever which include personal expenditure of varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, business travel etc, Bank has launched a retail loan product as “Mahabank Gold Loan Scheme” w.e.f. 26.09.2014.	96.58	2.80
6	Mahabank Aadhar Loan Scheme	To cater to the needs of our existing pension account holders in meeting their personal expenses, pilgrimage, medical, domestic needs etc. Bank has re-launched “Mahabank Aadhar Loan Scheme”.	283.21	0.68

5.2 Centralized Processing of loans

Bank has established Centralized Processing Cells for retail / commercial advances at all its 33 Zones for hassle free & due diligence of loans with aim to improve turn around time.

5.3 Door Step Banking Services

Bank has introduced Door Step Banking Services for its High End Customers and the services include Corporate and Retail Cash pickup and delivery & Cheque Collection Services, at Clients Doorstep.

5.4 बीओएम एसबीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

- बीओएम-एसबीआई कार्ड का आधार 50064 है.
- वर्ष 2016-17 के दौरान एसबीआई कार्ड से कमीशन के रूप में रु.83.00 लाख प्राप्त हुए.

5.13 वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम

5.13.1 इंटरनेट/एसएमएस/फोन बैंकिंग

पिछले वर्ष की तुलना में बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग में 28%, फोन बैंकिंग में 31% एवं एसएमएस बैंकिंग में 33% की वृद्धि हासिल की है.

आईबीएन उपयोगकर्ताओं के लिए महासिक्योर के माध्यम से लगातार अनुवर्तन एवं नेट सुरक्षा में वृद्धि के फलस्वरूप उपयोगकर्ताओं की संख्या/ ऑनलाईन लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है.

5.13.2 मोबाइल बैंकिंग :

- पंजीकरण में वृद्धि हेतु महामोबाइल कार्य प्रणाली को ग्राहक उन्मुख एवं सरलीकृत किया गया है.
- इंटरनेट बैंकिंग एवं नई महामोबाइल कार्यप्रणाली पर उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार कर सभी फील्ड कर्मचारियों को तत्काल संदर्भ तथा प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के विपणन हेतु भेजा गया है.
- माह दिसंबर 2015 में बैंक ने 'महा मोबाइल ऐप' को डाऊनलोड करने पर शाखा सदस्यों के लिए प्रोत्साहन एवं ग्राहकों के लिए कैश बैक ऑफर योजनाओं का आरंभ किया है.
- माह दिसंबर 2015 में 'महा मोबाइल ऐप' की संख्या में 15744 की वृद्धि हुई है.
- वर्तमान में 112210 मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता हैं.

5.14 गठजोड़

5.14.1 भुगतान गेटवे सेवाएं

- वर्तमान में हमारे ऑनलाईन एग्रीगेटर्स के माध्यम से हम अपने सभी ग्राहकों को भुगतान गेटवे सुविधा प्रदान कर रहे हैं.
- हमने निम्नलिखित एग्रीगेटर्स के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है:

अनु.	ब्योरा	अनु.	ब्योरा
1	मे. एटम टेक्नोलॉजीस	7	मे. सीसी एव्हेन्यूज
2	मे. बिल डेस्क	8	मे. सिट्रस पेमेंट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
3	मे. ईबीएस सोल्यूशन्स लिमिटेड	9	मे. पेटीएम
4	मे. आईबीबी यथा पीएवाययू	10	मे. टेकप्रोसेस पेमेंट्स सोल्यूशन्स
5	मे. टाइम्सऑफमनी लिमिटेड	11	मे. एसबीआई ई पे
6	मे. एयरपे	12	मे. एफएसएस पेमेंट्स सोल्यूशन्स

5.14.2 'रेमिट2इंडिया' सुविधा

- 'रेमिट2इंडिया' वैब आधारित व्यक्ति से व्यक्ति धन अंतरण प्रणाली है जो व्यक्तियों, विशेषतः हमारे अनिवासी जमाकर्ताओं को विदेशी मुद्रा रकम के विप्रेषण एवं भारत में लाभार्थी के खाते में जमा की सुविधा प्रदान करता है.
- यद्यपि इस उत्पाद में आय बहुत कम है तथापि यह सुविधा /सेवा एनआरआई ग्राहकों को आकर्षित करने में उपयोगी है.

6. निगमित सामाजिक दायित्व :

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पुणे जिले के हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ वर्मी कंपोज्ड, खारी मिट्टी का पुनर्विकास, मिट्टी की जांच इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार

5.4 BOM SBI International Credit Card

- The BOM-SBI card base is 50064
- The commission received from SBI Card is Rs. 83.00 Lakhs during the year 2016-17.

5.13 ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

5.13.1 INTERNET /SMS/Phone Banking

Bank could achieved an increase of 28% in Internet Banking, 31% in Phone Banking and 33% in SMS banking over the previous year.

With continuous follow up and increase in net security through the Mahasecure for IBN users, substantial rise in users/online transactions is expected.

5.13.2 MOBILE BANKING

- Maha Mobile functionality has been customized and simplified for increasing the enrolments.
- A user manual on Internet Banking & New Maha Mobile functionality is prepared & sent to field staff for ready reference & marketing of the technology based products.
- Bank has introduced an Incentive schemes for Branch staff & Cash Back Offer to customers for Downloading "Maha Mobile App" in the month of December 2015
- Maha Mobile App has been increased by 15744 nos. in the month of December 2015.
- Presently, there are 112210 Mobile Banking users.

5.14 Tie Ups

5.14.1 Payment Gateway Services:

- Presently we are providing the facility of Payment Gateway to all our customers through our online aggregators.
- We have made tie up arrangement with following aggregators

Sr	Particular	Sr	Particular
1	M/s Atom Technologies	7	M/s CC Avenues
2	M/s BILL DESK	8	M/s Citrus Payment Solutions Pvt Ltd
3	M/s EBS solutions limited	9	M/s PayTm
4	M/s Ibibo i.e. PAYU	10	M/s Techprocess payment Solutions
5	M/s TimesofMoney Limited	11	M/s SBI e pay
6	M/s Airpay	12	FSS Payment Solutions

5.14.2 'Remit2India' facility

- "Remit2India" is a web-based, person to person money transfer system that allows individuals particularly our Non-Resident Depositors to remit foreign currency amount for credit to the Beneficiary account in India.
- Although the income is very less in this product but is facility/Services which we may be useful to attract NRI customers.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Rural Development Centers at Hadapsar- Pune and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the

की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं। बैंक ने ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) भिगवण में मार्डेफ ट्रस्ट के माध्यम से मिट्टी जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है। वर्ष 2016-17 में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 7007 मिट्टी तथा जल नमूनों का परीक्षण किया गया और तदनुसार परामर्श दिया गया। पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं।

बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है। मारडेफ कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है। मार्डेफ ट्रस्ट ने ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी), भिगवण और हड़पसर के किसानों हेतु 94 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक 3245 किसान लाभान्वित हुए।

बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एम-सेटी) की स्थापना की है। संस्थान के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे तथा नाशिक में प्रशिक्षण केंद्र हैं। संस्थान ने अब तक 26801 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। सेटलमेंट दर 65 प्रतिशत है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमबीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन स्व-सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें बैंक ऋण से सम्बद्ध करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है।

बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छह अग्रणी जिलों यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना व ठाणे में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का शुभारंभ किया है।

7. अग्रणी बैंक योजना

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे व पालघर में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है। प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधीश के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है।

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है और राज्य की वार्षिक ऋण योजना बनाता है। वर्ष 2016-17 के लिए योजना रु.1,86,620/- करोड़ की थी जो देश में सबसे बड़ी थी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक में योजना का अनुमोदन हुआ था। राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति करती है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा विभिन्न सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में 15,000 से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के 16,000 से अधिक गांवों में लगातार सूखा तथा प्राकृतिक विपदाएं आती रही जिसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि और संबंधित गतिविधियों पर हुआ। इस प्रकार के आपदाकाल में राज्य स्तरीय बैंकर समिति राहत उपायों, विशेष बैठकों के आयोजन और जहां आवश्यक हुआ वहां सदस्यों का मार्गदर्शन करने में सक्रिय रही है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है। राज्य में कुल 136 लाख खाते खोले गए और खाता खोलने के उद्देश्य से महाराष्ट्र संतुष्ट राज्य घोषित किया गया। तथापि खाता खोलने की प्रक्रिया जारी है।

benefit of farmers' viz. Vermi compost, Re-development of Saline Soils, Soil Testing etc. Bank has established Soil testing lab (STL) through MARDEF Trust at RDC Bhigwan. The Soil Testing Laboratory has analyzed 7007 Soil and Water samples in the year 2016-17 and accordingly counseling is done. Farmers from the districts of Pune, Ahmednagar, Sholapur and Satara are taking benefit of the lab.

A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) established by the bank, undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in Agriculture. Trust has implemented 94 training programmes for farmers at RDC Bhigwan and Hadapsar and has benefited 3,245 farmers from April 2016 to March, 2017.

The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik. The Institute has so far imparted training to 26801 educated unemployed youths. The settlement rate is 65 per cent.

Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit.

The Bank has opened Financial Literacy Centers in Six Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna and Thane for creating awareness about banking schemes.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year district credit plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other banks as well as in coordination with District Collectors of respective Districts.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convenor of State Level bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra and prepares State Annual Credit Plan. The plan for the year 2016-17 was for Rs.1,86,620/- crore which is highest in the country. The same was approved in a special meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra. SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plans, priority sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings, various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between various member banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC coordinates a network of more than 15,000 bank branches in the state.

In FY 2016-17, the State suffered due to continual draught in more than 16000 villages and also onslaught of natural calamities, the brunt of which is mostly borne by Agriculture and related activities. SLBC has always been very proactive in such calamities by issuing necessary guidelines in respect of relief measures, organizing special meetings and guiding the members whenever necessary.

As SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the State of Maharashtra. A total of 136 lakh accounts were opened in the State and the State was declared as saturated for the purpose of opening of accounts. The process of opening of accounts is continued.

एसएलबीसी महाराष्ट्र को पीएमजेडीवाय खातों का सर्वाधिक आधार सीडिंग करने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

7.3 वित्तीय समावेशन/पीएमजेडीवाय

योजना	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
एफआई योजना	बीसीए द्वारा संयवहारों की संख्या (लाख में)	20.80	55.27	109.75
	संयवहारों की राशि (करोड़ में)	602.08	2063.37	4702.81
पीएमजेडीवाय	पीएमजेडीवाय खातों की संख्या (लाख में)	22.96	32.19	42.28
	जिनमें से आधार सीडेड	11.81	24.05	33.18
	आधार सीडिंग का %	51.44	74.71	78.48
	जिनमें से मोबाइल सीडिंग	10.74	23.22	32.16
	मोबाइल सीडिंग का %	46.78	72.13	76.06
	पीएमजेडीवाय खातों में शेष (करोड़ में)	209.86	531.97	932.05
	प्रति खाता औसत शेष वास्तविक	914	1653	2205
	शून्य शेष पीएमजेडीवाय खाते	13.43	13.61	16.34
बीएसबीडी खाते	कुल बीएसबीडी खाते	53.30	61.70	71.28
	बीएसबीडी खातों में ओ/एस शेष (करोड़ में)	516.50	893.57	1410.85
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	969	1448	1979
	बीसी सेवाओं के प्रति देय कमीशन (करोड़ में)	5.30	11.95	23.07

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक ने 18001022636 टोल फ्री क्रमांक वाला पूर्ण विकसित कॉल सेंटर खोला है।

स्थानीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता की सामग्री तैयार कर शाखाओं/बैंक मित्रों को उपलब्ध की गई है ताकि वित्तीय साक्षरता कैंपों के दौरान इन्हे खाताधारकों में वितरित किया जा सके।

वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन महाराष्ट्र के जिलों के विभिन्न विद्यालयों में किया जा रहा है। सभी कौशल केंद्रों / आईटीआई को वित्तीय साक्षरता परियोजना के अधीन चिह्नित किया गया है।

बैंक को भारतीय बैंकिंग संस्थान, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा इकॉनॉमिक टाइम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया गया है।

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। दिनांक 31.03.2017 को बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल शाखाएं 408 हैं जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं।

सभी 408 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय सीबीएस के अधीन हैं। इस वर्ष के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 11 नई शाखाएं खोली हैं।

S L B C Maharashtra received award for highest Adhar seeding of PMJDY accounts from Department of Financial Service, MOF New Delhi.

7.3. FINANCIAL INCLUSION / PMJDY:

Scheme	Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
FI Plan	No of Transactions by BCA (in lakhs)	20.80	55.27	109.75
	Amt of transactions (in Cr)	602.08	2063.37	4702.81
PMJDY	No. of PMJDY accounts(in lakhs)	22.96	32.19	42.28
	Of Which Aadhaar Seeded	11.81	24.05	33.18
	% OF Aadhaar Seeding	51.44	74.71	78.48
	Of Which Mobile Seeding	10.74	23.22	32.16
	% of Mobile Seeding	46.78	72.13	76.06
	Balance in PMJDY A/c (in Cr)	209.86	531.97	932.05
	Average Bal. per account actual	914	1653	2205
	Zero Bal. PMJDY A/cs	13.43	13.61	16.34
BSBD Accounts	Total BSBD Accounts	53.30	61.70	71.28
	O/S Balance in BSBD A/c (in Cr)	516.50	893.57	1410.85
	Average bal. per account (actual)	969	1448	1979
	Commission Paid towards BC Services (in Crore)	5.30	11.95	23.07

The Bank has a full-fledged call centre with toll free number 18001022636 for redressal of PMJDY grievances.

The Financial Literacy Material has been prepared in vernacular languages and supplied to all Branches / Bank Mitrs for supplying the same to accountholders during FLC camps.

Financial literacy camps are organized different schools in districts of Maharashtra. All skilling centers /ITI are mapped under financial literacy project

Bank has been awarded for excellent performance in the field of financial inclusion from prestigious institutes like IBA, DFS, and Economic Times.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Aurangabad, Maharashtra State. Total no of branches as on 31.3.2017 stood at 408 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra State.

All 408 branches and controlling offices are now under CBS. MGB opened 11 new branches during this year.

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) ने **₹.11,000 करोड़ के कुल व्यवसाय एवं ₹.100 करोड़ का परिचालन लाभ के मानदंड को पार करते हुए 31.03.2017 को ₹.11899 करोड़ का कुल व्यवसाय एवं ₹.118.94 करोड़ का परिचालन लाभ हासिल किया है. वर्ष दर वर्ष वृद्धि की दर 30.75% रही.**

कुल जमा राशियों में चालू खाता-बचत खाता (कासा) जमा राशियों का हिस्सा 58.94% रहा. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का परिचालनगत लाभ ₹.118.94 करोड़ का रहा (30.75% की वृद्धि). वर्ष 2016-17 के दौरान, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशियों में 20.07% और अग्रिमों में 11.32% की वृद्धि हुई.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आबंटित 898 उप सेवा क्षेत्र और 80 वार्डों का सर्वेक्षण बैंक खाता रहित परिवारों के अभिनिर्धारण हेतु किया गया. बैंक ने सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बीसीए तैनात किए. प्रधानमंत्री जन-धन योजना अभियान अवधि के दौरान कुल 8.54 लाख खाते खोले गए और 7.45 लाख खाता धारकों को 'रु-पे एटीएम डेबिट कार्ड' जारी किए गए. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने पीएमजेबीबीवाई, पीएमएसबीबीवाई तथा एपीबीवाई एवं साथ ही भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा घोषित पीएमएमवाई योजना में सक्रियता से भाग लिया.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन मानदंडों के अंतर्गत एमओयू-डीएपी के अधीन अधिकांश लक्ष्य प्राप्त किए :

अनु.	कार्य निष्पादन मानदंड	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य	31.03.2017 को वास्तविक उपलब्धि
1	कोर जमा में वृद्धि (%)	10.78	20.07
2	अग्रिमों में वृद्धि %	10.27	11.32
3	जून 2016 की वसूली %	60.00	58.00
4	एनपीए स्तर	227.34	369.37
5	कृषि अग्रिमों में वृद्धि	15.63	13.76
6	सीडी अनुपात	71.21	66.33
7	एसएचजी क्रेडिट लिंक में वृद्धि की संख्या	-	4530
8	केसीसी कार्ड में वृद्धि की संख्या	-	233726
9	निवल लाभ, कर के बाद	42.25	42.19
10	प्रति शाखा लाभ (लाख में)	15.97	10.34
11	प्रति कर्मचारी लाभ (लाख में)	4.19	2.91

8.2 दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100% अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना
- निजी न्यायों / सार्वजनिक न्यायों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श देना
- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना
- व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

यह कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, वाशी-मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाईयां हैं. कंपनी लगभग 1094 निजी और सार्वजनिक न्यायों का प्रबंधन करती है. वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 27 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1125 हो गई है.

Maharashtra Gramin Bank has **crossed the benchmark of Rs.11000 Cr Total Business and Rs.100 Cr Operating Profit by achieving Rs.11899 Cr Total Business and Rs.118.94 Cr Operating Profit as on 31.03.2017 with a YOY growth rate of 30.75%**

The percentage of CASA to total deposit is 58.94%. Operating profit of MGB is Rs. 118.94 Crore (growth of 30.75%). During this year 2016-17, MGB has grown by 20.07% in total deposits and 11.32 % in advances.

Under Pradhan Mantri Jandhan Yojana surveys of all allotted 898 SSAs and 80 wards were conducted for identification of households having no bank account. The Bank has covered all allotted SSAs by engaging BCAs. Total 8.54 lakh accounts have been opened during the PMJDY campaign period and "RuPay ATM debit cards" have been issued to 7.45 lakh account holders. Maharashtra Gramin Bank has actively participated in the PMJJBY, PMSBY and APY as well as the PMMY scheme declared by GoI, DFS.

Bank has achieved most of the Targets under MOU_DAP for the financial year 2016-17 in the major Key performance parameters.

SR NO	PERFORMANCE PARAMETER	TARGET FOR THE FY 2016-17	ACTUAL AS ON 31.03.2017
1	Growth in Core Deposit (%)	10.78	20.07
2	Growth in Advances (%)	10.27	11.32
3	Recovery % June 2016	60.00	58.00
4	NPA Level	227.34	369.37
5	Growth in Agriculture Advances	15.63	13.76
6	CD Ratio	71.21	66.33
7	Increase in No. of SHGs credit linked	-	4530
8	Increase in No. of KCC Cards	-	233726
9	Net Profit After Tax	42.25	42.19
10	Per Branch Profit (Lakh)	15.97	10.34
11	Per Employee Profit (Lakh)	4.19	2.91

8.2 The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd.

Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO), the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- Consultation, Drafting & Execution of will
- Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts
- Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's property
- Consultation for sale/purchase of property
- Filing of I-Tax Returns for individuals

The Company is located at Pune having its branch units at Pune, Vashi-Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1094 Public & Private Trusts. During the year, additional 27 Wills were added making total 1125 Will in its custody for execution.



कंपनी द्वारा वर्तमान में 69 ग्राहकों की चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी 160 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 6 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मेटको का निवल लाभ रु.46.92 लाख है।

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं-

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई को हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से **द्वितीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ। उदयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में राजस्थान राज्य के माननीय राज्यपाल के कर-कमलों से समिति को पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा बैंक इस समिति का संयोजक बैंक है।

हमारे बैंक को मुंबई स्थित प्रतिष्ठित संस्थान “**आशीर्वाद**” द्वारा वर्ष के दौरान हिन्दी के बेहतर उपयोग हेतु **तृतीय पुरस्कार** प्रदान किया गया।

बैंक के **प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आर. पी. मराठे** की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (राजभाषा) की 31वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस शीर्ष स्तरीय समिति का संयोजक है। **श्री नागेन्द्र सिंह, निदेशक, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली** बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। **श्री आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक**, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा डॉ. सुनिता यादव, उप निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। **श्री मनोज बिस्वाळ, महाप्रबंधक (मा.सं.प्र. व राजभाषा) और डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव, स.म.प्र. (राजभाषा)** व समिति के सदस्य सचिव भी उपस्थित थे। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के शीर्ष स्तरीय कार्यपालकगण और हिन्दी अधिकारियों ने बड़ी संख्या में बैठक में सहभाग लिया। इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑनलाइन राजभाषा शब्दावली “राजभाषा कोश” का उद्घाटन **श्री नागेन्द्र सिंह, मुख्य अतिथि** के कर-कमलों से व ऑनलाइन हिन्दी रोस्टर का उद्घाटन **श्री आर. पी. मराठे, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ** के कर-कमलों से किया गया। सदस्यों को उनके कार्यालयों में हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु राजभाषा शील्ड और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।

प्रधान कार्यालय, पुणे में 15 सितंबर, 2016 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बैंक के कार्यपालक निदेशक **श्री आर. के. गुप्ता** ने समारोह की अध्यक्षता की। **डॉ. मोहन आगाशे**, प्रख्यात मराठी व हिन्दी अभिनेता और समाज सेवक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। **श्री नरेन्द्र काबरा**, महाप्रबंधक भी समारोह में उपस्थित थे। बैंक की अखिल भारतीय आंतरिक राजभाषा ट्रॉफी योजना के विजेताओं को समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए।

बैंक के सभी राजभाषा अधिकारियों के लिए **कोलकाता** में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ **श्री आर. पी. मराठे** ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। **श्री मनोज बिस्वाळ**, महाप्रबंधक, मासं.प्र. व राजभाषा ने कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की और सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। हमारे बैंक द्वारा एक अखिल भारतीय अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मेलन के दौरान बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ **श्री आर. पी. मराठे** के कर-कमलों से पुरस्कार प्रदान किए गए।

प्रत्येक माह नियमित रूप से **मासिक राजभाषा ई-पत्रिका “राजभाषा ई-प्रगति”** का प्रकाशन किया जा रहा है। नवोन्मेषी प्रयास के अंतर्गत बैंक के दिव्यांग कर्मचारियों के लाभार्थ मासिक राजभाषा ई-प्रगति का ब्रेल लिप्यांतरण भी प्रकाशित किया जा रहा है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर व जळगांव में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टॉलिक) का संयोजक बैंक है। वर्ष के दौरान इन समितियों ने नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया और अनुसूची के अनुसार संपूर्ण वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित कीं।

At present, the Company manages properties both movable and immovable of 69 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 160 policies under Married Women's Property Act and as Court appointed Guardian of minor's property in 6 cases.

The net profit of METCO for F.Y. 2016-17 is Rs.46.92 lakh.

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year **2016-17**, the Bank has achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

The Town Official Language Implementation Committee, Mumbai has secured **Second Prize** from the Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs, Government of India for better implementation of Hindi at the hands of Hon. Governor, Rajasthan State in a grand function held at Udaipur. Our Bank is the convenor Bank for the committee.

Our Bank was awarded **Third Prize** by the Mumbai based prestigious Institution ‘**Aashirvad**’ for better use of Hindi during the year.

31st meeting of the Maharashtra State Level Bankers' Committee (Rajbhasha) was held under the chairmanship of **Shri R. P. Marathe, Managing Director and CEO** of the Bank. Bank of Maharashtra is the convenor for this top-level committee. **Mr. Nagendra Singh, Director, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi** was present in the meeting as the Chief Guest. **Shri R. K. Gupta, Executive Director** of Bank of Maharashtra and Dr. Suneeta Yadav, Deputy Director, Ministry of Home Affairs, Govt. of India were present as special guest on the occasion. **Shri Manoj Biswal, General Manager (HRM & Rajbhasha) and Dr. Rajendra Shrivastava, AGM (Rajbhasha) & Member Secretary** of the Committee were also present. Top level executives and Hindi officers of all the public sector banks attended the meeting in large numbers. On this occasion Online Rajbhasha Glossary “Rajbhasha Kosh” of Bank of Maharashtra was inaugurated at the hands of **Shri Nagendra Singh, Chief Guest** and Online Hindi Roster of Bank of Maharashtra was inaugurated at the hands of **Shri R. P. Marathe, MD & CEO**. Rajbhasha Shield and memento were presented to the members for better implementation of Hindi in their offices.

Hindi day function was arranged at Head Office, Pune on 15th September 2016. **Shri R. K. Gupta**, Executive Director of the Bank presided over the function. **Dr. Mohan Agashe**, renowned Marathi and Hindi actor and social worker was the Chief Guest. **Shri Narender Kabra**, General Manager was also present in the function. Winners of the All India Internal Rajbhasha Trophy Scheme of the Bank were awarded during the function.

An All India Rajbhasha Seminar was organized in **Kolkata** for all the Hindi Officers of the Bank. **Shri R. P. Marathe**, Managing Director & CEO of the Bank inaugurated the seminar. **Shri Manoj Biswal**, General Manager, HRM & Rajbhasha reviewed the performance and guided all the participants. An All India Inter-Bank Essay Competition was organized by our Bank and the winners of the competition were awarded at the hands of **Shri R. P. Marathe**, Managing Director & CEO of the Bank during the seminar.

Monthly Rajbhasha E-Magazine ‘Rajbhasha E-Pragati’ is being regularly published every month. As a new initiative Rajbhasha E-Pragati in Brail script is also published for the benefit of differently able employees of the Bank.

Bank of Maharashtra is the convenor Bank for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly during the year and various activities of the committees were organized throughout the year as per the schedule.

संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष के दौरान हमारे औरंगाबाद अंचल कार्यालय, जामनगर शाखा (अहमदाबाद अंचल) और चेन्नई अंचल कार्यालय को भेंट दी तथा बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की। समिति के माननीय सदस्यों ने बैंक द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग और नई पहलों के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।

सिंडिकेट बैंक द्वारा माह जनवरी, 2017 में मणिपाल में अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया। बैंक के महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा श्री मनोज बिस्वाळ ने इस सेमिनार में हमारे बैंक का प्रतिनिधित्व किया और सभी बैंकों के कार्यपालकों को संबोधित किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पटना द्वारा हमारे बैंक को वर्ष के दौरान हिन्दी के बेहतर उपयोग हेतु 'प्रथम पुरस्कार' प्रदान किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक इस समिति का संयोजक बैंक है।

10. सुरक्षा

शाखाओं में सुरक्षा की आवश्यकताओं एवं बैंक के कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ-साथ सभी शाखाओं में भौतिक सुरक्षा संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से सक्रिय कदम उठाए गए। यह कार्य खतरे की संकल्पना, वर्तमान अपराध परिदृश्य, अपराध के तरीकों, बैंक डकैती की कार्य प्रणाली, सुरक्षा भंग, आग की घटनाओं का विश्लेषण करने तथा ऐसी परिस्थितियों के लिए सुरक्षा कर्मिकों एवं अन्य बैंक कर्मचारियों को तैयार एवं प्रशिक्षित करने के द्वारा किया जाता है।

11. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गईं और उनको सतत आधार पर लागू किया गया। यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और वर्ष के लिए लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए।
- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई और
- सतत आधार पर खाते तैयार किए गए।

12. निदेशक मंडल में परिवर्तन

- वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:
- श्री रामदेव एल. सायदीवाल दिनांक 20.07.2016 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे।
- श्री दीनदयाल अग्रवाल को केंद्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री संजीव जैन, दिनांक 18.08.2016 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे।
- श्री रविंद्र प्रभाकर मराठे को 26.09.2016 से केंद्र सरकार द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री सुशील मुह्मोट दिनांक 26.09.2016 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रहे।
- श्री आर. आत्माराम दिनांक 31.10.2016 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नहीं रहे।
- श्री आलेख सी. राउत को 31.03.2017 से केंद्र सरकार द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

Committee of Parliament on Official Language visited our Aurangabad Zonal Office, Jamnagar branch, Ahmedabad Zone and Chennai Zonal Office during the year and reviewed Official Language Implementation work of the Bank. The honorable members of the Committee expressed their satisfaction regarding progressive use of Hindi and the implementation of new initiatives by the Bank.

An All India Rajbhasha Seminar was organized by Syndicate Bank in Manipal in the Month of January, 2017. Shri Manoj Biswal, General Manager, HRM and Rajbhasha represented our Bank in the seminar and addressed the executives of all the banks.

Our bank was awarded First Prize by Town official Language Implementation Committee, Patna for better use of Hindi during the year. Reserve Bank of India is the convenor for this committee.

10. SECURITY

Proactive steps were taken in view of the security requirements at the branches and for Bank's staff and also for provisioning of physical security infrastructure at all branches. This was done after analysis of the threat perception, current crime scenario, crime pattern, modus operandi of bank robberies, the breaches of security and fire incidents besides equipping and training the security personnel and other bank staff to counter any such eventuality.

11. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2017:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.
- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

12. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

- During the year 2016-17, the following changes took place in the Board of Directors:
- Shri Ramdev L. Saydiwal, ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 20.07.2016.
- Shri Deendayal Agrawal was appointed as Director by the Central Government w.e.f. 26.07.2016.
- Shri Sanjeev Jain, ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 18.08.2016.
- Shri Ravindra Prabhakar Marathe, was appointed as MD & CEO of Bank of Maharashtra by the Central Government w.e.f. 26.09.2016.
- Shri Sushil Muhnot, ceased to be the CMD of the Bank w.e.f. 26.09.2016.
- Shri R. Athmaram ceased to be the Executive Director of the Bank by the Central Government w.e.f. 31.10.2016.
- Shri Alekh C. Rout was appointed as Executive Director of the Bank by the Central Government w.e.f. 31.03.2017.



13. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनिमय 2015 के अनुसार बैंक की व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) 2016-17 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर प्रदर्शित की गई है। इसकी भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

14. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और "महाबैंक परिवार" के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबद्धता और योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. पी. मराठे)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : पुणे

दिनांक : 4 मई, 2017

13. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Business Responsibility Report (BRR) 2016-17 of the Bank has been hosted on the Bank's website i.e www.bankofmaharashtra.in. Any member interested in obtaining a physical copy of same may write to the Company Secretary of the Bank.

14. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges and CDSL for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

(R.P. Marathe)

Managing Director and CEO

Place : Pune

Date : 4 May, 2017

वर्ष 2016-17 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1. कंपनी अभिशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है। बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा हरसंभव प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक प्रथाएं और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। हमारे ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक संवर्धित करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार शासित होता है।

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व सांविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यमूलक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरीयों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना।

31 मार्च 2017 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

Corporate Governance for the year 2016-17

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

2.1. The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended from time to time.

2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vest with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2017 is as under:

अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2017 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखितों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2017	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात् बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री आर. पी. मराठे Shri R.P.Marathe	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	शून्य NIL	11	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 26.09.2016 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए Appointed as the Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. 26.09.2016 by the Central Government.

2	श्री आर. के. गुप्ता Shri. R.K. Gupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	13 13	01 01	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. वे महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं. Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.12.2013 by the Central Government. He is also the Chairman of the Board of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
3.	श्री ए. सी. राउत Shri A.C.Rout	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	12 12	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2017 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.03.2017 by the Central Government.
4	श्री अतीश सिंह Shri Ateesh Singh	निदेशक (गैर-कार्यपालक) भारत सरकार द्वारा नामित Director(Non-Executive) Government Nominee	शून्य NIL	07 07	02 02	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 20.07.2012 से निदेशक के रूप में नामित किए गए. आप जम्मू व कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड तथा सिंचाई व जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक हैं. Nominated as a Director w.e.f. 20.07.2012 by the Central Government. He is Director on the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited & Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited.
5	श्री जी. श्रीकुमार Shri G. Sreekumar	निदेशक (गैर-कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित Director (Non-Executive) RBI Nominee	शून्य NIL	05 05	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 10.06.2014 से निदेशक के रूप में नामित किए गए. Nominated as a Director w.e.f. 10.06.2014 by the Central Government.
6	श्री प्रेमचंद्र अमोलकचंद सेठी Shri Premchandra Amolakchand Sethi	निदेशक (गैर-कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Director (Non-Executive) Representing Shareholders	200 200	08 08	02 02	शून्य NIL	दिनांक 27.06.2014 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए. वे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्रो-जी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं. Elected as Shareholder Director w.e.f. 27.06.2014. He is also Director on the Board of Aarti Industries Ltd. and Pro- G Agro Pvt. Ltd.
7	श्री आर. तामोदरान Shri R. Thamodharan	निदेशक (गैर-कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Director (Non-Executive) Representing Shareholders	100 100	05 05	01 01	शून्य NIL	दिनांक 30.06.2015 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए. वे टिडेल पार्क लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं. Elected as Shareholder Director w.e.f. 30.06.2015. He is Nominee Director on the Board of Tidel Park Ltd., representing LIC of India
8	डॉ. अर्चना रविन्द्रराय धोलकिया Dr. Archana Ravindraraai Dholakia	निदेशक (गैर-कार्यपालक) Director (Non-Executive)	शून्य NIL	05 05	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 28.01.2016 से निदेशक के रूप में नामित की गई. Nominated as a Director w.e.f. 28.01.2016 by the Central Government.
9	श्री दीनदयाल अग्रवाल Shri Deendayal Agrawal	निदेशक (गैर-कार्यपालक) Director (Non-Executive)	शून्य NIL	06 06	04 04	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से निदेशक के रूप में नामित किए गए. वे फोर फाउंडेशन के निदेशक मंडल में निदेशक हैं. Nominated as a Director w.e.f. 26.07.2016 by the Central Government. He is Director on the Board of Four Foundations.

2.3 वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/अवसान

- श्री रामदेव एल. सायदीवाल दिनांक 20.07.2016 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे।
- श्री दीनदयाल अग्रवाल को केंद्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री संजीव जैन, दिनांक 18.08.2016 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे।
- श्री रविंद्र प्रभाकर मराठे को 26.09.2016 से केंद्र सरकार द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री सुशील मुहनोत दिनांक 26.09.2016 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रहे।
- श्री आर. आत्माराम दिनांक 31.10.2016 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नहीं रहे।
- श्री आलेख सी. राउत को 31.03.2017 से केंद्र सरकार द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

2.4 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल

2.4.1 श्री दीनदयाल अग्रवाल

नाम	श्री दीनदयाल अग्रवाल
पता	बी-1202, ग्राउंड फ्लोर, क्लासिक रेस्टॉरेंट के पास, शास्त्री नगर, दिल्ली - 110052
जन्म दिनांक	08.06.1968
आयु	49 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.कॉम., सीए
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
अनुभव	आपको सनदी लेखाकार के रूप में 21 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार फर्म मेसर्स सैमसैंड एंड एसोसिएट्स, दिल्ली के वरिष्ठ भागीदार हैं। आपको सांविधिक लेखापरीक्षा, कराधान, आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंध लेखापरीक्षा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर मामलों, आर्थिक व पूंजी बाजार मुद्दों इत्यादि का समृद्ध अनुभव है। 26.07.2016 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में नियुक्त
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	वे जलाधिकार फाउंडेशन, आशा आकांक्षा फाउंडेशन, सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन और गौमाता फाउंडेशन के निदेशक मंडल में निदेशक हैं।

2.4.2 श्री रविंद्र पी. मराठे

नाम	श्री रविंद्र पी. मराठे
पता	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005
जन्म दिनांक	17.11.1958
आयु	58 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम.ए. (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी तथा ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा (आईआईबीएफ) इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर एप्लिकेशन में सर्टिफिकेट

2.3 Appointment / Cessation of Directors during the year 2016-17:

- Shri. Ramadev L. Saydiwal, ceased to be the Director of the Bank w.e.f 20.07.2016.
- Shri Deendayal Agrawal was appointed as Director by the Central Government w.e.f 26.07.2016.
- Shri. Sanjeev Jain, ceased to be the Director of the Bank w.e.f 18.08.2016.
- Shri Ravindra Prabhakar Marathe, was appointed as MD & CEO of Bank of Maharashtra by the Central Government w.e.f 26.09.2016.
- Shri Sushil Muhnot, ceased to be the CMD of the Bank w.e.f 26.09.2016.
- Shri. R. Athmaram, ceased to be the Executive Director of the Bank w.e.f 31.10.2016.
- Shri Alekh C. Rout was appointed as Executive Director of the Bank by the Central Government w.e.f 31.03.2017.

2.4 Profile of Directors appointed during the financial year 2016-17:

2.4.1 Shri Deendayal Agrawal

Name	Shri Deendayal Agrawal
Address	B-1202, Ground Floor, Near Classic Restaurant, Shastri Nagar, Delhi - 110 052
Date of Birth	08.06.1968
Age	49 years
Qualification	B.Com, CA
Nature of appointment as Director	Part time non-official Director
Experience	He is having more than 21 years of experience as Chartered Accountant. He is the Senior Partner of the Practicing Chartered Accountants Firm i.e. M/s. Samsand & Associates, Delhi. Possess a rich experience in Statutory Audit, Taxation, Internal Audit, Management Audit, Direct and Indirect tax matters, Economic and Capital Market issues etc., Appointed as Director of Bank of Maharashtra w.e.f 26.07.2016.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	He is Director on the Board of Jaladhikar Foundation, Asha Akankshka Foundation, CSR Research Foundation and Gaumata Foundation.

2.4.2 Shri Ravindra P. Marathe

Name	Shri Ravindra P. Marathe
Address	Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar Pune - 411 005.
Date of Birth	17.11.1958
Age	58 years
Qualification	M.A. (Economics), CAIIB and Diploma in Treasury, Investment & Risk Management (IIBF) besides a Certificate in Computer Applications

निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुभव	श्री रविंद्र पी. मराठे को कॉर्पोरेट रणनीतिक आयोजना, ऋण मूल्यांकन, कार्यनिष्पादन बजटिंग, आर्थिक अनुसंधान, एमआईएस, परिवेशी स्कैनिंग और डाटा वेयरहाउस कार्यों का 35 वर्षों से भी अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव प्राप्त है। उन्होंने अत्यधिक बड़ी शाखाओं में कार्य किया है और कॉर्पोरेट क्रेडिट तथा ट्रेड फाइनेंस में उन्हें छः वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। श्री रविंद्र पी. मराठे ने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक (10.03.2015 से 26.09.2016 तक) के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1982 में बैंक ऑफ बड़ौदा में आयोजना अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। श्री रविंद्र पी. मराठे को 26 सितंबर 2016 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.4.3 श्री आलेख सी. राउत

नाम	श्री आलेख सी. राउत
पता	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005
जन्म दिनांक	13.04.1960
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम.एससी. (भौतिकशास्त्र) और एम.बी.ए. (वित्त)
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	कार्यपालक निदेशक
अनुभव	आपको 34 वर्षों का व्यापक बैंकिंग अनुभव है और निगमित ऋण, वाणिज्यिक बैंकिंग, मानव संसाधन, सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में विशेष योग्यता है। आपने उद्योग में विभिन्न कार्यक्षमताओं में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में कार्य किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यग्रहण से पूर्व आपने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यिक बैंकिंग) के रूप में कार्य किया। 31.03.2017 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

Nature of appointment as Director	Managing Director and Chief Executive officer
Experience	Shri Ravindra P. Marathe, has over 35 years of rich Banking experience in Corporate Strategic Planning, Credit Appraisal, Performance Budgeting, Economic Research, MIS, Environmental Scanning, and Data Warehouse functions. He also worked at exceptionally large branches having exposure to Corporate Credit and Trade Finance for over six years. Shri Ravindra P. Marathe served as the Executive Director of Bank of India (from 10.03.2015 to 26.09.2016). He started his career with Bank of Baroda as Planning Officer in 1982. Shri Ravindra P. Marathe was appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of Bank of Maharashtra w.e.f. 26 th September, 2016.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.3 Shri Alekh. C. Rout

Name	Shri Alekh. C. Rout
Address	Bank of Maharashtra 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005
Date of Birth	13.04.1960
Age	57 years
Qualification	M.Sc (Physics) and M.B.A (Finance)
Nature of appointment as Director	Executive Director
Experience	Having a vast Banking experience of 34 years and core competence in the area of Corporate Credit, Commercial Banking, Human Resource, General Administration. He has worked with State Bank of Hyderabad, State Bank of Patiala and State Bank of Bikaner and Jaipur in various capacities across the industry. He served as Chief General Manager (Commercial Banking) in State Bank of Bikaner and Jaipur before joining Bank of Maharashtra. Appointed as Executive Director of Bank of Maharashtra w.e.f 31.03.2017.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.5 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 14 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें निर्धारित हैं।

07.05.2016	12.05.2016	04.06.2016	29.06.2016	12.08.2016	03.09.2016	28.09.2016
25.10.2016	05.11.2016	09.12.2016	02.01.2017	31.01.2017	28.02.2017	24.03.2017

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुह्नोट	01.04.2016 से 26.09.2016	06	06
श्री आर. पी. मराठे	26.09.2016 से 31.03.2017	08	08
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	08	07
श्री आर. के गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	14	14
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री अतीश सिंह	01.04.2016 से 31.03.2017	14	08
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2016 से 31.03.2017	14	14
श्री आर. एल. सायदीवाल	01.04.2016 से 20.07.2016	04	04
श्री संजीव जैन	01.04.2016 से 18.08.2016	05	05
श्री पी.ए. सेठी	01.04.2016 से 31.03.2017	14	14
श्री आर. तामोधरण	01.04.2016 से 31.03.2017	14	13
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2016 से 31.03.2017	14	12
श्री दीनदयाल अग्रवाल	26.07.2016 से 31.03.2017	10	10

2.6 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात् सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण) अधिनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.7 बैंक के पास उनके निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

2.8 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

2.5 Board Meetings:

During the Financial Year 2016-17, 14 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.

07.05.2016	12.05.2016	04.06.2016	29.06.2016	12.08.2016	03.09.2016	28.09.2016
25.10.2016	05.11.2016	09.12.2016	02.01.2017	31.01.2017	28.02.2017	24.03.2017

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2016 to 26.09.2016	06	06
Shri R.P.Marathe	26.09.2016 to 31.03.2017	08	08
Shri R.Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	08	07
Shri.R.K.Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	14	14
Shri. A.C. Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri Ateesh Singh	01.04.2016 to 31.03.2017	14	08
Shri.G. Sreekumar	01.04.2016 to 31.03.2017	14	14
Shri.R.L. Saydiwal	01.04.2016 to 20.07.2016	04	04
Shri. Sanjeev Jain	01.04.2016 to 18.08.2016	05	05
Shri.P. A.Sethi	01.04.2016 to 31.03.2017	14	14
Shri.R. Thamodharan	01.04.2016 to 31.03.2017	14	13
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2016 to 31.03.2017	14	12
Shri Deendayal Agrawal	26.07.2016 to 31.03.2017	10	10

2.6 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed the compliance of the code.

2.7 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2016-17 are available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in.

2.8 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

3. वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक सोमवार, दिनांक 29 जून, 2016 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे :

1.	श्री एस. मुहनोट	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री आर. के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री संजीव जैन	भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक और निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
4.	श्री रामदेव एल. सायदीवाल	कर्मकार कर्मचारी निदेशक
5.	श्री पी. ए. सेठी	शेयर धारकों के प्रतिनिधि निदेशक
6.	श्री आर. तामोदरण	शेयर धारकों के प्रतिनिधि निदेशक

4 निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है.

4.1 प्रबंधन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की छः सदस्यीय प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया गया है. प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

- क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी देना
- ख) ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना
- ग) परिसर/क्वार्टर्स व अन्य वस्तुओं को अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना तथा
- घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 15 बैठकें हुईं:

07.05.2016	18.05.2016	28.06.2016	20.07.2016	05.08.2016	02.09.2016	21.09.2016
24.10.2016	05.11.2016	08.12.2016	29.12.2016	30.01.2017	27.02.2017	15.03.2017
24.03.2017						

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोट	01.04.2016 से 26.09.2016	07	07
श्री आर. पी. मराठे	26.09.2016 से 31.03.2017	08	08
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	08	08
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	15	15
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2016 से 31.03.2017	15	14
श्री आर. एल. सायदीवाल	01.04.2016 से 20.07.2016	04	04
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2016 से 31.03.2017	13	13
श्री आर. तामोदरण	02.09.2016 से 31.03.2017	09	08

3. Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 29th June, 2016 at Appasaheb Joag Hall, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 where following Directors were present.

1	Shri S. Muhnot	Chairman & Managing Director
2	Shri R. K. Gupta	Executive Director
3	Shri. Sanjeev Jain	Director appointed by Govt. of India and Chairman of Audit Committee of the Board
4	Shri Ramdev L. Saydiwal	Workmen Employee Director
5	Shri. P.A. Sethi	Director representing shareholders
6	Shri R. Thamodharan	Director representing shareholders

4. Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with six members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- a) Sanction of credit and investment proposals,
- b) Sanction of loan compromise / write off proposals,
- c) Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and other procurements,
- d) Any other matter referred by the Board.

The Committee met 15 times during the period under review on the following dates:

07.05.2016	18.05.2016	28.06.2016	20.07.2016	05.08.2016	02.09.2016	21.09.2016
24.10.2016	05.11.2016	08.12.2016	29.12.2016	30.01.2017	27.02.2017	15.03.2017
24.03.2017						

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2016 to 26.09.2016	07	07
Shri R.P.Marathe	26.09.2016 to 31.03.2017	08	08
Shri R. Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	08	08
Shri R. K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	15	15
Shri A.C. Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri G. Sreekumar	01.04.2016 to 31.03.2017	15	14
Shri R.L. Saydiwal	01.04.2016 to 20.07.2016	04	04
Shri P.A.Sethi	01.04.2016 to 31.03.2017	13	13
Shri.R.Thamodharan	02.09.2016 to 31.03.2017	09	08

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i.	श्री आर. पी. मराठे	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iv.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य
v.	श्री पी. ए. सेठी	सदस्य
vi.	श्री आर. तामोधरण	सदस्य

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

- निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता, पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है।
- विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।
- निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।
- निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य पर निगरानी रखती है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण का अनुपालन करती है।
- निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है। यह समिति लॉग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है।
- निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 10 बैठकें हुईं। बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

11.05.2016	12.05.2016	28.06.2016	12.08.2016	02.09.2016
25.10.2016	05.11.2016	02.01.2017	30.01.2017	28.02.2017

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री संजीव जैन	01.04.2016 से 18.08.2016	04	04
श्री आर. आत्माराम*	01.04.2016 से 31.10.2016	06	06

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

i	Shri R.P.Marathe	Chairman
ii	Shri R.K. Gupta	Member
iii	Shri A.C. Rout	Member
iv	Shri G. Sreekumar	Member
v.	Shri P.A. Sethi	Member
vi.	Shri R.Thamodharan	Member

4.2. Audit Committee of the Board:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

- ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation, quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.
- As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.
- It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.
- ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.
- ACB monitors the reports under concurrent audit, compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.
- ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly / quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- ACB to take care of other issues entrusted to it under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year, the ACB met 10 times and the dates of the meetings are as under:

11.05.2016	12.05.2016	28.06.2016	12.08.2016	02.09.2016
25.10.2016	05.11.2016	02.01.2017	30.01.2017	28.02.2017

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sanjeev Jain	01.04.2016 to 18.08.2016	04	04
Shri R. Athmaram*	01.04.2016 to 31.10.2016	06	06

श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	10	10
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री अतीश सिंह	01.04.2016 से 31.03.2017	10	06
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2016 से 31.03.2017	10	10
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2016 से 31.03.2017	10	10
श्री दीनदयाल अग्रवाल	26.07.2016 से 31.03.2017	06	06

* श्री आर. आत्माराम ने आमंत्रित सदस्य के रूप में एसीबी बैठक में सहभाग लिया श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री दीनदयाल अग्रवाल अध्यक्ष
- श्री आर. के. गुप्ता सदस्य
- श्री अतीश सिंह सदस्य
- श्री जी. श्रीकुमार सदस्य
- डॉ. अर्चना आर. धोलकिया सदस्य

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, इस समिति में पांच निदेशक सदस्य हैं। समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम विगोपन शामिल हैं, नीति और रणनीति तैयार करती है।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 05 बैठकें हुईं।

28.06.2016	02.09.2016	25.10.2016	02.01.2017	27.02.2017
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2016 से 26.09.2016	02	02
श्री आर. पी. मराठे	26.09.2016 से 31.03.2017	03	03
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	03	03
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	05	05
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री संजीव जैन	01.04.2016 से 18.08.2016	01	01
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2016 से 31.03.2017	04	04
श्री आर. तामोदरन	01.04.2016 से 31.03.2017	01	01
श्री दीनदयाल अग्रवाल	26.07.2016 से 31.03.2017	04	04

Shri R.K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	10	10
Shri A.C. Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri Ateesh Singh	01.04.2016 to 31.03.2017	10	06
Shri G. Sreekumar	01.04.2016 to 31.03.2017	10	10
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2016 to 31.03.2017	10	10
Shri Deendayal Agrawal	26.07.2016 to 31.03.2017	06	06

*Shri R. Athmaram attended the ACB Meetings as invitee member.

Shri. Chandrakant Bhagwat, Company Secretary, also acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

- Shri Deendayal Agrawal Chairman
- Shri R.K. Gupta Member
- Shri Ateesh Singh Member
- Shri G. Sreekumar Member
- Dr. Archana R. Dholakia Member

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with Five Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The Committee met 05 times during the year as under.

28.06.2016	02.09.2016	25.10.2016	02.01.2017	27.02.2017
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2016 to 26.09.2016	02	02
Shri R.P. Marathe	26.09.2016 to 31.03.2017	03	03
Shri R. Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	03	03
Shri R.K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	05	05
Shri. A.C. Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri Sanjeev Jain	01.04.2016 to 18.08.2016	01	01
Shri P.A. Sethi	01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Shri R. Thamodharan	01.04.2016 to 31.03.2017	01	01
Shri Deendayal Agrawal	26.07.2016 to 31.03.2017	04	04

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | |
|--------------------------|---------|
| i. श्री आर. पी. मराठे | अध्यक्ष |
| ii. श्री आर. के. गुप्ता | सदस्य |
| iii. श्री ए. सी. राउत | सदस्य |
| iv. श्री दीनदयाल अग्रवाल | सदस्य |
| v. श्री पी. ए. सेठी | सदस्य |

4.4 हितधारकों की संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा बैंक के शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण की देखरेख के लिए हितधारकों की संबंध समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं।

12.05.2016	02.09.2016	08.12.2016	30.01.2017
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	02	02
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	04	04
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री आर.एल. सायदीवाल	01.04.2016 से 20.07.2016	01	01
श्री पी.ए. सेठी	01.04.2016 से 31.03.2017	04	04
श्री आर. तामोदरण	01.04.2016 से 31.03.2017	04	03
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2016 से 31.03.2017	03	03

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | |
|----------------------------|---------|
| i. श्री आर. तामोदरण | अध्यक्ष |
| ii. श्री आर.के. गुप्ता | सदस्य |
| iii. श्री ए. सी. राउत | सदस्य |
| iv. डॉ. अर्चना आर. धोलकिया | सदस्य |
| v. श्री पी.ए. सेठी | सदस्य |

वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

01.04.2016 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	224
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	224
31.03.2017 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

- | | |
|---------------------------|----------|
| i. Shri R.P.Marathe | Chairman |
| ii. Shri R.K.Gupta | Member |
| iii. Shri A.C. Rout | Member |
| iv Shri Deendayal Agrawal | Member |
| v. Shri P.A. Sethi | Member |

4.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee was formed by the Board to oversee the grievances redressal of Shareholders/ Investors of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under.

12.05.2016	02.09.2016	08.12.2016	30.01.2017
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	02	02
Shri R.K.Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Shri A.C. Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri R. L. Saydiwal	01.04.2016 to 20.07.2016	01	01
Shri P.A.Sethi	01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Shri R. Thamodharan	01.04.2016 to 31.03.2017	04	03
Dr. Archana R.Dholakia	01.04.2016 to 31.03.2017	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

- | | |
|----------------------------|----------|
| i. Shri. R. Thamodharan | Chairman |
| ii. Shri R.K. Gupta | Member |
| iii. Shri A.C. Rout | Member |
| iv. Dr. Archana R.Dholakia | Member |
| v. Shri P.A. Sethi | Member |

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2016	0
Number of complaints received during the year	224
Number of complaints resolved during the year	224
Number of complaints pending as on 31.03.2017	0

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the stock exchanges and investor grievances of the Bank.

4.5 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा 'हितधारकों की संबंध समिति के साथ ही 'शेयर अंतरण समिति का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रांसमिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन करती है। शेयरों के अंतरण को लागू करने के लिए समिति की बैठक 15 दिन में कम से कम एक बार होती है। बोर्ड ने आवेदनों के तत्काल निपटान हेतु 05.11.2016 से कार्यपालकों की शेयर अंतरण संवीक्षा समिति को शेयरों के संबंध में अंतरण के आवेदनों, हस्तांतरण और नाम हटाने इत्यादि के अनुमोदित आवेदनों हेतु प्राधिकारी प्रत्यायोजित किया है।

समिति के गठन के पश्चात निम्नलिखित तारीखों को बैठकों का आयोजन किया गया।

11.04.2016	20.04.2016	03.05.2016	25.05.2016	03.06.2016
10.06.2016	20.06.2016	05.07.2016	14.07.2016	25.07.2016
01.08.2016	12.08.2016	22.08.2016	19.09.2016	23.09.2016
03.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	08.12.2016	27.02.2017

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस. मुहनोत	01.04.2016 से 26.09.2016	15	09
श्री आर.पी.मराठे	26.09.2016 से 31.03.2017	05	05
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	18	17
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	20	19
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री पी.ए.सेठी	05.11.2016 से 31.03.2017	02	02

31 मार्च, 2017 तक समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

- श्री आर.पी.मराठे अध्यक्ष
- श्री आर.के. गुप्ता सदस्य
- श्री ए. सी. राउत सदस्य
- श्री पी.ए.सेठी सदस्य

4.6 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य रु.1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

28.06.2016	02.09.2016	08.12.2016	27.02.2017
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

4.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee meets at least once in 15 days to effect transfer of Shares. The Board has delegated the authority to approve applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares to Share Transfer Scrutiny Committee of Executives w.e.f 05.11.2016 for speedy disposal of applications.

The Committee met on following dates after its formation.

11.04.2016	20.04.2016	03.05.2016	25.05.2016	03.06.2016
10.06.2016	20.06.2016	05.07.2016	14.07.2016	25.07.2016
01.08.2016	12.08.2016	22.08.2016	19.09.2016	23.09.2016
03.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	08.12.2016	27.02.2017

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri S.Muhnot	01.04.2016 to 26.09.2016	15	09
Shri R.P.Marathe	26.09.2016 to 31.03.2017	05	05
Shri R. Athma-ram	01.04.2016 to 31.10.2016	18	17
Shri R.K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	20	19
Shri A.C. Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri P.A. Sethi	05.11.2016 to 31.03.2017	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

- Shri R.P. Marathe Chairman
- Shri R.K. Gupta Member
- Shri A.C. Rout Member
- Shri P.A. Sethi Member

4.6 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above.

The Committee met 04 times during the year as under:

28.06.2016	02.09.2016	08.12.2016	27.02.2017
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुह्नोत	01.04.2016 से 26.09.2016	02	02
श्री आर.पी.मराठे	26.09.2016 से 31.03.2017	02	02
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	02	02
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	04	04
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री अतीश सिंह	01.04.2016 से 31.03.2017	04	01
श्री संजीव जैन	01.04.2016 से 18.08.2016	01	01
श्री दीनदयाल अग्रवाल	26.07.2016 से 31.03.2017	03	03

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री आर.पी.मराठे अध्यक्ष
- श्री आर.के. गुप्ता सदस्य
- श्री ए. सी. राउत सदस्य
- श्री अतीश सिंह सदस्य
- श्री दीनदयाल अग्रवाल सदस्य

4.7 निदेशक पदोन्नति समिति

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 03 बैठकें निम्नानुसार हुईं।

28.06.2016	02.09.2016	09.12.2016
------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुह्नोत	01.04.2016 से 26.09.2016	02	02
श्री आर.पी. मराठे	26.09.2016 से 31.03.2017	01	01
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	02	02
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	03	03
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री अतीश सिंह	01.04.2016 से 31.03.2017	03	02
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2016 से 31.03.2017	03	03

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2016 to 26.09.2016	02	02
Shri R.P.Marathe	26.09.2016 to 31.03.2017	02	02
Shri R. Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	02	02
Shri R.K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Shri A. C.Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri Ateesh Singh	01.04.2016 to 31.03.2017	04	01
Shri Sanjeev Jain	01.04.2016 to 18.08.2016	01	01
Shri Deendayal Agrawal	26.07.2016 to 31.03.2017	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

- Shri R.P.Marathe Chairman
- Shri R.K. Gupta Member
- Shri A.C. Rout Member
- Shri Ateesh Singh Member
- Shri Deendayal Agrawal Member

4.7 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director/ Managing Director and CEO the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee

The Committee met 03 times during the year as under:

28.06.2016	02.09.2016	09.12.2016
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2016 to 26.09.2016	02	02
Shri R.P.Marathe	26.09.2016 to 31.03.2017	01	01
Shri R. Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	02	02
Shri R.K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	03	03
Shri A.C.Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri Ateesh Singh	01.04.2016 to 31.03.2017	03	02
Shri G. Sreekumar	01.04.2016 to 31.03.2017	03	03

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | |
|------------------------|---------|
| i. श्री आर.पी.मराठे | अध्यक्ष |
| ii. श्री आर.के. गुप्ता | सदस्य |
| iii. श्री ए. सी. राउत | सदस्य |
| iv. श्री अतीश सिंह | सदस्य |
| v. श्री जी. श्रीकुमार | सदस्य |

4.8 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं।

11.05.2016	20.07.2016	08.12.2016	30.01.2017
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुह्नोत	01.04.2016 से 26.09.2016	02	02
श्री आर.पी. मराठे	26.09.2016 से 31.03.2017	02	02
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	02	02
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	04	04
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री आर.एल. सायदीवाल	01.04.2016 से 20.07.2016	02	02
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2016 से 31.03.2017	02	02
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2016 से 31.03.2017	02	02

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | |
|----------------------------|---------|
| i. श्री आर. पी. मराठे | अध्यक्ष |
| ii. श्री आर.के. गुप्ता | सदस्य |
| iii. श्री ए. सी. राउत | सदस्य |
| iv. डॉ. अर्चना आर. धोलकिया | सदस्य |
| v. श्री पी. ए. सेठी | सदस्य |

4.9 पारिश्रमिक समिति

समिति का गठन पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने तथा उन्हें देय कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को अनुमोदित करने के लिए किया गया था। समिति ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि पर निर्णय लेने हेतु दिए गए मानदंडों पर बैंक के मात्रात्मक व गुणात्मक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | |
|--------------------------|---------|
| i. श्री अतीश सिंह | अध्यक्ष |
| ii. श्री जी. श्रीकुमार | सदस्य |
| iii. श्री आर. तामोधरण | सदस्य |
| iv. श्री दीनदयाल अग्रवाल | सदस्य |

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under.

- | | |
|-----------------------|----------|
| i. Shri R.P.Marathe | Chairman |
| ii. Shri R.K.Gupta | Member |
| iii. Shri A.C.Rout | Member |
| iv. Shri Ateesh Singh | Member |
| v. Shri G. Sreekumar | Member |

4.8 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under:

11.05.2016	20.07.2016	08.12.2016	30.01.2017
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2016 to 26.09.2016	02	02
Shri R.P. Marathe	26.09.2016 to 31.03.2017	02	02
Shri R. Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	02	02
Shri R.K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Shri A.C.Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri R.L. Saydiwal	01.04.2016 to 20.07.2016	02	02
Shri P.A. Sethi	01.04.2016 to 31.03.2017	02	02
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2016 to 31.03.2017	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

- | | |
|----------------------------|----------|
| i. Shri R.P.Marathe | Chairman |
| ii. Shri R.K.Gupta | Member |
| iii. Shri A.C. Rout | Member |
| iv. Dr. Archana R.Dholakia | Member |
| v. Shri P.A.Sethi | Member |

4.9 Remuneration Committee:

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for determining the performance-linked incentive payable to them. The Committee evaluates the qualitative and quantitative performance of the Bank on the given parameters, to decide on the performance linked incentive, admissible to the Whole Time Directors of the Bank. No such meeting of Committee was held during the year 2016-17.

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

- | | |
|----------------------------|----------|
| i. Shri Ateesh Singh | Chairman |
| ii. Shri.G. Sreekumar | Member |
| iii. Shri R. Thamodharan | Member |
| iv. Shri Deendayal Agrawal | Member |

4.10 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति में तीन गैर-कार्यपालक निदेशक हैं श्री अतीश सिंह, श्री जी. श्रीकुमार और डॉ. अर्चना आर. धोलकिया। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.11 प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के सभी पहलुओं की देखरेख हेतु निदेशक मंडल की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुई :

11.05.2016	02.09.2016	25.10.2016	30.01.2017
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	03	03
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	04	04
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00
श्री संजीव जैन	01.04.2016 से 18.08.2016	01	01
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2016 से 31.03.2017	04	04
श्री आर. तामोदरण	01.04.2016 से 31.03.2017	04	02
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2016 से 31.03.2017	03	03

31 मार्च 2017 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री आर. तामोदरण अध्यक्ष
- श्री आर.के. गुप्ता सदस्य
- श्री ए. सी. राउत सदस्य
- श्री पी. ए. सेठी सदस्य
- डॉ. अर्चना आर. धोलकिया सदस्य

4.12 ऋण अनुमोदन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/80 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी 2012 को किया गया। समिति को व्यक्तिगत रु.250.00 करोड़ तक के, समूह विगोपन हेतु रु.500.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा

4.10 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and accord 'fit and proper' status in respect of the elected Shareholder Directors. The Committee comprised of three non-executive directors, i.e. Shri Ateesh Singh, Shri G Sreekumar, and Dr. Archana R. Dholakia. No such meeting of Committee was held during the year 2016-17.

4.11 Technology Committee:

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans.

The Committee met 04 times during the year as under:

11.05.2016	02.09.2016	25.10.2016	30.01.2017
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R. Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	03	03
Shri R.K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Shri A.C.Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00
Shri Sanjeev Jain	01.04.2016 to 18.08.2016	01	01
Shri P.A. Sethi	01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Shri R. Thamodharan	01.04.2016 to 31.03.2017	04	02
Dr. Archana Dholakia	01.04.2016 to 31.03.2017	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

- Shri. R.Thamodharan Chairman
- Shri. R.K.Gupta Member
- Shri. A.C.Rout Member
- Shri. P.A.Sethi Member
- Dr. A.R.Dholakia Member

4.12 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to Rs. 250.00 crore individual, Rs. 500.00 crore for group exposure and loan compromise/write off proposals. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- Chairman & Managing Director/ MD & CEO
- Executive Director/s
- General Manager, Credit
- General Manager, Integrated Risk Management
- General Manager, Financial Management & Accounts

- vi. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
vii. महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं
वर्ष के दौरान समिति की 22 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
01	20.04.2016	10	29.10.2016	19	09.03.2017
02	05.05.2016	11	19.11.2016	20	22.03.2017
03	20.05.2016	12	23.11.2016	21	29.03.2017
04	08.07.2016	13	22.12.2016	22	31.03.2017
05	05.08.2016	14	27.12.2016		
06	08.09.2016	15	13.01.2017		
07	23.09.2016	16	21.01.2017		
08	30.09.2016	17	10.02.2017		
09	15.10.2016	18	23.02.2017		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2016 से 26.09.2016	07	07
श्री आर. पी. मराठे	26.09.2016 से 31.03.2017	15	15
श्री आर. आत्माराम	01.04.2016 से 31.10.2016	10	10
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017	22	22
श्री ए. सी. राउत	31.03.2017 से 31.03.2017	00	00

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार
- महाप्रबंधक, वसूली-आवश्यकतानुसार

4.13 वर्ष के दौरान वसूली निगरानी समिति (04), कोटिअवनयन व दबावग्रस्त खातों की निगरानी समिति (03), हरादतन चूक पहचान की समीक्षा हेतु निदेशक मंडल समिति (01), मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति (03) और अपील/समीक्षा प्राधिकरण के रूप में निदेशक मंडल समिति (01) की बैठकें भी आयोजित हुईं.

(कोष्टक के आंकड़े वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या दर्शाते हैं).

4.14 अन्य समितियां

विभिन्न विशिष्ट विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरीयों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, उच्च प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि समितियां भी हैं.

- vi. General Manager, Credit Priority
vii. General Manager, Recovery and Legal Services.

The Committee met 22 times during the year on the dates given below.

Sr.No	Date	Sr.No	Date	Sr.No	Date
01	20.04.2016	10	29.10.2016	19	09.03.2017
02	05.05.2016	11	19.11.2016	20	22.03.2017
03	20.05.2016	12	23.11.2016	21	29.03.2017
04	08.07.2016	13	22.12.2016	22	31.03.2017
05	05.08.2016	14	27.12.2016		
06	08.09.2016	15	13.01.2017		
07	23.09.2016	16	21.01.2017		
08	30.09.2016	17	10.02.2017		
09	15.10.2016	18	23.02.2017		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2016 to 26.09.2016	07	07
Shri R.P.Marathe	26.09.2016 to 31.03.2017	15	15
Shri R. Athmaram	01.04.2016 to 31.10.2016	10	10
Shri R.K. Gupta	01.04.2016 to 31.03.2017	22	22
Shri A.C.Rout	31.03.2017 to 31.03.2017	00	00

The meetings were also attended by the following executives.

- General Manager, Credit
- General Manager, Integrated Risk Management
- General Manager, Financial Management & Accounts
- General Manager, Credit Priority – As per requirement
- General Manager, Recovery- As per requirement

4.13 The meetings of Committee for Monitoring Recovery (04), Committee for Monitoring Slippages and Stressed Accounts (03), Committee of the Board for review of identification of willful default (01), Steering Committee of the Board on HR (03) and Committee of Board as Appellate/Reviewing Authority (01) were also held during the year.

(Figures in bracket denote number of meetings held during the year).

4.14 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन होता है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

- क) वर्ष 2016-17 के दौरान अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (₹)
1	श्री सुशील मुहोत	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	14,72,063.10
2	श्री आर. पी. मराठे	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	13,45,074.32
3	श्री आर. आत्माराम	कार्यपालक निदेशक	14,73,216.22
4	श्री आर.के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	24,46,118.68
5	श्री ए. सी. राउत*	कार्यपालक निदेशक	शून्य

*श्री ए. सी. राउत को 31.03.2017 से बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।

- ख) वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों को कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया।

- ग) बैंक की कोई स्टॉक विकल्प नीति नहीं है।

वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है)।

अनु.क्र.	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹.)
1	श्री आर.एल. सायदीवाल	1,50,000
2	श्री संजीव जैन	1,60,000
3	श्री पी. ए. सेठी	6,50,000
4	श्री आर. तामोदरन	3,70,000
5	श्रीमती अर्चना आर. धोलकिया	4,30,000
6	श्री दीनदयाल अग्रवाल	3,50,000
	कुल	21,10,000

इसके अलावा क्रमशः दिनांक 16.04.2016, 12.09.2016 और 08.12.2016 को मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की बैठक में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे, श्रीमती आशा भंडारकर और श्रीमती गितिका कपूर को प्रति व्यक्ति ₹.10,000/- बैठक शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director/MD & CEO and two Executive Directors (3 whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India.

- A) The details of salaries paid to Chairman & Managing Director/ MD & CEO and Executive Directors during the year 2016-17 are as under:

Sr. No.	Name	Designation	Amount (in Rs.)
1	Shri Sushil Muhnot	Chairman & Managing Director	14,72,063.10
2	Shri R.P. Marathe	Managing Director & CEO	13,45,074.32
3	Shri R. Athmaram	Executive Director	14,73,216.22
4	Shri R.K. Gupta	Executive Director	24,46,118.68
5	Shri A.C. Rout*	Executive Director	Nil

*Shri A.C. Rout was appointed as the Executive Director of the Bank w.e.f 31.03.2017

- B) No Performance linked Incentive was paid to the Directors during the Financial Year 2016-17:

- C) The Bank does not have any stock options policy.

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2016-17 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (Rs.)
01	Shri. R.L. Saydiwal	1,50,000
02	Shri. Sanjeev Jain	1,60,000
03	Shri P. A Sethi	6,50,000
04	Shri R. Thamodharan	3,70,000
05	Dr. Archana R. Dholakia	4,30,000
06	Shri Deendayal Agrawal	3,50,000
	Total	21,10,000

Besides this sitting fees of Rs.10,000/- each is paid to External experts i.e. Mrs. S.A. Panse, Mrs. Asha Bhandarkar & Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 16.04.2016, 12.09.2016 and 08.12.2016 respectively.

6. सर्वसाधारण बैठकें :

6.1 पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	उद्देश्य
ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक	26 जून 2014 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे -411005	(i) वर्ष 2013-2014 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और वर्ष 2013-2014 के लिए अंतरिम लाभांश की पुष्टि (ii) भारत सरकार द्वारा आयोजित पीएनसीपीएस के रूपांतरण और एलआईसी को इक्विटी शेयरों के अधिमन्य मामले द्वारा भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को अनुमोदन (विशेष प्रस्ताव). (iii) एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव
बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक	29 जून 2015 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे -411005	i) वर्ष 2014-15 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और वर्ष 2014-15 के लाभांश की घोषणा ii) एफपीओ/ अधिकार/क्यूआईपी आदि द्वारा पूंजी बढ़ाने के लिए (विशेष प्रस्ताव) iii) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन
असाधारण सामान्य बैठक	06 अक्टूबर, 2015 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन
तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक	29 जून 2016 को प्रातः 10.00 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2015-16 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना ii) एफपीओ/ अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि से पूंजी उभारना (विशेष प्रस्ताव).

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below:

Nature	Date & Time	Venue	Purpose
Eleventh Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 26th June 2014	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of audited Annual accounts for the year 2013-14, confirmation of Interim Dividend for the year 2013-14. ii) Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India by conversion of PNCPS held by Govt of India, preferential issue of equity shares to LIC of India (Special Resolution). iii) Election of one shareholder director.
Twelfth Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 29th June 2015	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of audited Annual accounts for the year 2014-15 and declaration of dividend for the year 2014-15. ii) To raise capital through FPO/ Rights/ QIP etc., (Special Resolution). iii) Election of one Shareholder director.
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 06th October, 2015	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Approval for issue of equity shares on preferential basis to Government of India by (Special Resolution).
Thirteenth Annual General Meeting	At 10.00 a. on 29th June, 2016	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of audited Annual accounts for the year 2015-16. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP etc., (Special Resolution).

- 6.2 दिनांक 29.06.2016 को संपन्न तेरहवीं साधारण वार्षिक साधारण आम सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए.
- क. रु. 1000/- करोड़ तक एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि से पूंजी उधारना.
- 6.3 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान डाक मतपत्र के द्वारा कोई विशेष संकल्प जारी नहीं करना.
- 6.4 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने समय-समय पर भारत के राष्ट्रपति का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण आम सभा में भाग लेने के लिए भेजा.
7. **प्रकटीकरण**
- 7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों, अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष टकराव हुआ हो. संबंधित पार्टी लेनदेन तथा सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण पर बैंक द्वारा नीति अपनायी गयी है तथा यह बैंक की वेबसाइट: www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है.
- 7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया. विनियामक प्राधिकारियों नामतः सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य विधिक प्राधिकारी द्वारा किसी कानून, दिशानिर्देश और निदेशों या पूंजी बाजार से संबंधित मामलों का अनुपालन न करने पर, बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) द्वारा उनके संप्रेषण दिनांक 06/05 अक्टूबर, 2015 के अनुसार रु. 1,42,000/- की धनराशि के अलावा कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया. तथापि केंद्र सरकार द्वारा दि. 28.01.2016 से महिला निदेशक की नियुक्ति की गयी थी.
- 7.3 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण निदेशकों की रिपोर्ट के अंग है.
- 7.4 सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन.
- बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक सेबी की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम उठाए.
- क) निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया-
- i. सेबी प्रावधानों (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं महाप्रबंधक-वित्तीय प्रबंधन व लेखा (मुख्य वित्तीय अधिकारी) ने निदेशक मंडल को प्रमाणित किया है कि बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई अवास्तविक कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ी नहीं गई है कि बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई अवास्तविक कथन नहीं है अथवा कोई भ्रामक विवरण नहीं दिया गया है. सभी विवरण मिलकर बैंक के कार्यकलापों का सही और वास्तविक ब्योरा प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान लेखा मानकों, लागू कानून और विनियमावलिओं का अनुपालन सिद्ध करते हैं. प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंग हैं. बैंक के मामलों का और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं। प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है
- ii. ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहार नहीं है जिससे बैंक के हितों के साथ बड़े पैमाने पर संभावित टकराव हो. इस संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर नोट्स में संबंधित पार्टी संव्यवहारों का प्रकटन किया है.
- iii. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का भाग बनाया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है.
- iv. संबंधित पार्टी संव्यवहार पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर पोस्ट की गई है. संबंधित पार्टी संव्यवहारों के विवरण का उल्लेख एसए - 18 के अंतर्गत किया गया है.
- v. निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर पोस्ट की गई है.

- 6.2 In the Thirteenth Annual General Meeting held on 29.06.2016, following Special Resolution was passed:
- a. To raise capital through FPO/ Rights issue/ QIP etc., upto Rs. 1,000/- Crore.
- 6.3 No special Resolution was passed through Postal Ballot during the financial year 2016-17.
- 6.4 The Ministry of Finance, Government of India had sent an authorized representative of President of India, to attend the General Meetings of the Bank from time to time.
7. **Disclosures:**
- 7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. Bank has adopted the policy on Related Party Transactions and Determination of Material subsidiaries and same are available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.
- 7.2 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the BSE Ltd and National Stock Exchange of India Ltd., vide their communication dated 06th/05th October, 2015 to the tune of Rs.1,42,000/- for non-appointment of Woman Director. However, Woman Director was appointed by the Central Government w.e.f 28.01.2016.
- 7.3 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.
- 7.4 Compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The Bank has complied with all the mandatory requirements of provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non-mandatory requirements.
- a) Following mandatory requirements are complied with:
- i. CEO/CFO Certification as per provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Managing Director and Chief Executive Officer & General Manager FM&A (Chief Financial Officer) of the Bank have certified to the Board that the financial statements do not contain a materially untrue statement or omit any material fact or contains statement that might be misleading and that the statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable Laws and Regulations. The certificate forms part of the Annual Report.
- ii. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
- iii. Whistle Blower policy is made a part of the Fraud Risk Management Policy approved by the Board.
- iv. The Bank's policy on Related Party transaction is posted on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. The details of related party transactions are mentioned under AS-18.
- v. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

- vi. वर्तमान में, बैंक की कोई सहायक कंपनी अस्तित्व में नहीं है।
vii निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण :

अनु.क्र.	निदेशक का नाम	प्रशिक्षण /स्थान/ कार्यक्रम की जानकारी	अवधि	व्यतित किए गए घंटे
1	श्रीमती अर्चना आर. डोलकिया	आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा बैंकिंग तकनीक पर सम्मेलन	26.09.2016 से 27.09.2016	12
2	श्री दीनदयाल अग्रवाल	बेंगलुरु में सीएफएआरएएल द्वारा आयोजित वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड	29.11.2016 से 30.11.2016	12
3	श्री पी. ए. सेठी	बेंगलुरु में सीएफएआरएएल द्वारा आयोजित वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड	29.11.2016 से 30.11.2016	12
4	श्री दीनदयाल अग्रवाल	आईएमआई द्वारा दिल्ली में सीए निदेशकों की परिचर्चा बैठक.	12.01.2017	6

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुपालन संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा लागू सीमा तक जारी प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंग हैं.

ख) निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुसरण किया गया-

अनु.क्र.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
क.	निदेशक मंडल एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय के रखरखाव का पात्र हो सकता है और उसे उसके दायित्वों के निष्पादन हेतु उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जा सकती है.	बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित होता है जिसमें कि सभी निदेशक अधिनियम के 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चयनित निदेशकों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित निदेशक होते हैं.
ख.	शेयरधारक अधिकार प्रत्येक शेयरधारक को पिछले छः माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही / के दिनांक तक / वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं और समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं और बैंक की वेबसाइट पर रखे जाते हैं। इसीप्रकार, शेयरधारकों को जानकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजी जाती है।
ग.	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित दृष्टिकोण सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अंतरित कर सकते हैं.	बैंक की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अहंता नहीं है

- vi. At present, the Bank does not have any material subsidiary.

vii Training of Board members:

Sr. No.	Name of Director	Particulars of Program/ Training/ Venue	Period	No. of Hours spent
1	Dr. Archana R. Dholakia	Seminar on Banking Technology organized by IDBRT at Hyderabad	26.09.2016 to 27.09.2016	12
2	Shri Deendayal Agrawal	Boards of Commercial banks organized by CAFRAL at Bangalore.	29.11.2016 to 30.11.2016	12
3	Shri P.A. Sethi	Boards of Commercial banks organized by CAFRAL at Bangalore.	29.11.2016 to 30.11.2016	12
4	Shri Deendayal Agrawal	Interaction meeting of CA directors by IMI at Delhi.	12.01.2017	6

The Certificate issued by Statutory Central Auditors (SCAs) in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable forms part of the Annual Report.

b) Following non-mandatory requirements are complied with:

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
A.	The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, where all the Directors are appointed / nominated by Government of India except Directors to be elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3)(i) of the Act.
B.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website. As such, information to Shareholders is not sent individually.
C.	Modified opinion(s) in audit report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.

घ.	अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विशेष पद सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए विशेष व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है।	बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित होता है जिसमें कि सभी निदेशक अधिनियम के 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चयनित निदेशकों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित निदेशक होते हैं।
ड.	आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं।	आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य/इसकी संदर्भाधीन शर्तें तथा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन व इसकी संदर्भाधीन शर्तें विनियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों / परिपत्रों के माध्यम से नियंत्रित होती हैं, जिनका बैंक अनुपालन करता है।

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अलावा बैंक द्वारा वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए गए। परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी साथ-साथ ही उपलब्ध किया जाता है और शेयर बाजार को प्रस्तुत किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों और भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए बैंक विश्लेषक/ संस्थागत निवेशक सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति/कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

को समाप्त अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तिथि
	मराठी	अंग्रेजी	
जून 2016	पुण्यनगरी	बिजनेस लाइन	13.08.2016
सितंबर 2016	पुण्यनगरी	बिजनेस स्टैंडर्ड	07.11.2016
दिसंबर 2016	लोकसत्ता	फाइनांशियल एक्सप्रेस	01.02.2017
मार्च 2017	लोकमत	फाइनांशियल एक्सप्रेस	05.05.2017

9. सामान्य शेयरधारकों का ब्यौरा:

9.1 चौदहवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

लेखा पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	दिनांक 04 मई 2017
चौदहवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	शुक्रवार दिनांक 16 जून 2017 को प्रातः 10.45 बजे, अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे में।
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	25 मई 2017
बहियों के बंद होने का दिनांक	10 जून 2017 से 16 जून 2017

D.	Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, where all the Directors are appointed / nominated by Government of India except Directors to be elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3) (i) of the Act.
E.	Reporting of Internal auditor The internal auditor may report directly to the audit committee.	The Internal Audit function / its terms of reference and composition of the Audit Committee of the Board & its terms of reference are governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India from time to time, which the Bank comply.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Analysts/Institutional Investor meets, press conference/releases etc., for announcing bank's financial results and its future plans.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the Newspaper		Date of publication
	Marathi	English	
June 2016	Punyanagari	Business Line	13.08.2016
September 2016	Punyanagari	Business Standard	07.11.2016
December 2016	Loksatta	Financial Express	01.02.2017
March 2017	Lokmat	Financial Express	05.05.2017

9. General Shareholder Information:

9.1 Particulars of the Fourteenth Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts	04th May, 2017
Date, Time and Venue of Fourteenth AGM.	At 10.45 am on Friday, the 16th June, 2017 at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005
Posting of Annual Report	25th May, 2017
Dates of Book Closure	10th June, 2017 to 16th June, 2017

9.2 वित्तीय कैलेंडर 2017-18 (अंतिम)

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अंतिम समय
30 जून, 2017	14 अगस्त 2017 को या इससे पूर्व
30 सितंबर, 2017	14 नवंबर 2017 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2017	14 फरवरी 2018 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2018 (वार्षिक)	18 मई 2018 को या इससे पूर्व

9.3 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों के बारे में:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए गए हैं:

बीएसई लिमिटेड पता: फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पता: एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
--	---

9.4 स्टॉक कोड :

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) : 532525

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) : MAHABANK EQ

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान क्रमांक (आईएसआईएन) : INE457A01014

स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

9.5 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:-

(बाजार मूल्य डाटा रुप में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

माह	बीएसई			एनएसई			सेंसेक्स	
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून
अप्रैल, 2016	31.00	28.75	325758	30.90	28.95	1627545	26101	24523
मई, 2016	31.80	27.50	338383	31.25	27.40	1782473	26837	25058
जून, 2016	34.85	27.50	1296991	34.90	27.40	5834263	27105	25911
जुलाई, 2016	37.40	32.35	1157103	37.40	32.40	5531133	28240	27034
अगस्त, 2016	32.85	30.05	519597	32.90	30.15	1991710	28532	27628
सितंबर, 2016	34.15	29.00	607437	34.2	29.80	2318488	29077	27717
अक्तूबर, 2016	31.95	30.00	322042	31.70	29.80	1452178	28478	27548
नवंबर, 2016	32.50	25.00	783809	32.45	23.20	3676595	28030	25718
दिसंबर, 2016	31.50	28.10	328145	32.00	28.10	1512759	26769	25754
जनवरी, 2017	33.70	28.40	747005	33.60	28.50	2917208	27980	26447
फरवरी, 2017	38.70	32.10	2297775	38.70	31.30	11798581	29065	27590
मार्च, 2017	35.90	32.15	1180370	35.95	32.15	7839558	29688	28716

9.6 प्रति शेयर डाटा

विवरण	31.03.2016	31.03.2017
अंकित मूल्य (रु.)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (रु.)	0.91	(11.75)
लाभांश (%)	शून्य	शून्य
बही मूल्य (रु.)	63.36	46.96
लाभांश पे-आउट निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में (लाभांश कर को छोड़कर)	शून्य	शून्य

9.2 Financial Calendar 2017-18 (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30 th June 2017	On or Before 14 th August 2017
30 th September 2017	On or Before 14 th November 2017
31 st December 2017	On or Before 14 th February 2018
31 st March 2018 (Annual)	On or Before 18 th May 2018

9.3 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

BSE Limited Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001	National Stock Exchange of India Limited Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra (E), Mumbai - 400051
--	---

9.4 Stock code:

BSE Limited (BSE): 532525

National Stock Exchange of India Limited (NSE): MAHABANK EQ

International Security Identification Number (ISIN): INE457A01014

The annual listing fees for the financial year 2016-17 has been paid to the Stock Exchanges.

9.5 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

Month	BSE			NSE			SENSEX	
	High	Low	Volume	High	Low	Volume	High	Low
April, 2016	31.00	28.75	325758	30.90	28.95	1627545	26101	24523
May, 2016	31.80	27.50	338383	31.25	27.40	1782473	26837	25058
June, 2016	34.85	27.50	1296991	34.90	27.40	5834263	27105	25911
July, 2016	37.40	32.35	1157103	37.40	32.40	5531133	28240	27034
August, 2016	32.85	30.05	519597	32.90	30.15	1991710	28532	27628
September, 2016	34.15	29.00	607437	34.2	29.80	2318488	29077	27717
October, 2016	31.95	30.00	322042	31.70	29.80	1452178	28478	27548
November, 2016	32.50	25.00	783809	32.45	23.20	3676595	28030	25718
December, 2016	31.50	28.10	328145	32.00	28.10	1512759	26769	25754
January, 2017	33.70	28.40	747005	33.60	28.50	2917208	27980	26447
February, 2017	38.70	32.10	2297775	38.70	31.30	11798581	29065	27590
March, 2017	35.90	32.15	1180370	35.95	32.15	7839558	29688	28716

9.6 Per Share Data:

Particulars	31.03.2016	31.03.2017
Face Value (Rs.)	10/-	10/-
EPS (Rs.)	0.91	(11.75)
Dividend (%)	Nil	Nil
Book Value (Rs.)	63.36	46.96
Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit	Nil	Nil

9.7 ईश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट का ब्यौरा

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र), कार्यालय क्र. 002, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी. डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400009

9.8 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहायता

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, मुंबई, बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं। शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पत्तों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) आफिस क्रमांक 002 तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400009 टेलीफोन: (022) - 40206022 / 23 / 24 फैक्स: (022) - 40206021 ई-मेल : subodh@mcsregistrars.com	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : (020) 25511360 फैक्स: (020) 25533246 ईमेल : investor_services@mahabank.co.in

बैंक द्वारा जारी बॉण्डों के ट्रस्टियों का विवरण निम्नानुसार है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
पता	एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनैशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई - 400 025.
फोन क्र.	020-62260054/50
ई-मेल	debenturetrustee@axistrustee.com

9.9 शेयरधारिता का वितरण

31.03.2017 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	157730	91.24	2,11,54,841	1.81
501-1000	8540	4.94	70,14,121	0.59
1001-2000	3746	2.17	56,89,774	0.48
2001-3000	987	0.57	25,30,026	0.22
3001-4000	479	0.28	17,24,822	0.14
4001-5000	382	0.22	18,04,993	0.15
5001-10000	528	0.30	39,16,121	0.37
10000* से अधिक	477	0.28	112,44,99,010	96.24
कुल	172869	100.00	116,83,33,708	100.00

(* भारत सरकार द्वारा धारित 95,35,24,561 शेयरों का समावेश है)

9.7 Details of Registrar to an issue and Share Transfer Agents:

MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai - 400 009.

9.8 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai - 400 009. Tel: (022) 40206022/23/24 Fax: (022) 40206021 Email: subodh@mcsregistrars.com	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020) 25511360 Fax (020) 25533246 Email: investor_services@mahabank.co.in

The details of the Trustee for the bonds issued by the Bank are as under.

Name of the debenture trustee	Axis Trustee Services Ltd
Address	Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli Mumbai - 400 025
Phone Number	022- 62260054/50
E -mail	debenturetrustee@axistrustee.com

9.9 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.03.2017 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	157730	91.24	2,11,54,841	1.81
501-1000	8540	4.94	70,14,121	0.59
1001-2000	3746	2.17	56,89,774	0.48
2001-3000	987	0.57	25,30,026	0.22
3001-4000	479	0.28	17,24,822	0.14
4001-5000	382	0.22	18,04,993	0.15
5001-10000	528	0.30	39,16,121	0.37
Above 10000*	477	0.28	112,44,99,010	96.24
Total	172869	100.00	116,83,33,708	100.00

[* Includes 95,35,24,561 shares held by the Government of India]

9.10 शेयरों का डी-मैटीकरण

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आर्बिट्ररी आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दी गई है।

31.03.2017 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं :-

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में*	47489	27.47	6913727	0.59
डीमैट:				
एनएसडीएल	88205	51.02	192572038	16.48
सीडीएसएल*	37175	21.51	968847943	82.93
उप जोड़	125380	72.53	1161419981	99.41
कुल	172869	100.00	1168333708	100.00

(*भारत सरकार द्वारा धारित 95,35,24,561 शेयरों सहित)

9.11 आउटस्टैंडिंग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन दिनांक और इक्विटी पर संभावित प्रभाव : लागू नहीं

9.12 पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां:

खातों पर टिप्पणियां - अनुसूची 18 में विगोपन उपलब्ध है।

9.13 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस)

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा करने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। तथापि शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म वार्षिक साधारण बैठक की नोटिस के साथ संलग्न है, जिसे शेयरधारकों द्वारा भरकर भौतिक रूप में शेयरों का धारण करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाए। डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से उनके बैंक खाते ब्यौरे अद्यतित करने के लिए संपर्क करें।

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक को अपने सीबीएस खातों का विवरण लाभांश का भुगतान जमा करने हेतु सूचित करें।

9.14 अदत्त लाभांश

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्षों 2009-10, 2010-2011, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण न किया हो, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के खंड 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान या बिना दावे के खाते में पड़ी है, को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1) / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित 'निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि' (आईसीपीएफ) में अंतरित किया जाएगा और इसके पश्चात बैंक या आईसीपीएफ में लाभांश के भुगतान हेतु कोई भी दावा लंबित नहीं होना चाहिए।

9.10 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2016-17 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31.03.2017 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	47489	27.47	6913727	0.59
Demat:				
NSDL	88205	51.02	192572038	16.48
CDSL*	37175	21.51	968847943	82.93
Sub-total	125380	72.53	1161419981	99.41
Total	172869	100.00	1168333708	100.00

(* Including 95,35,24,561 shares held by the Government of India)

9.11 Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable

9.12 Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:

Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.

9.13 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards payment of dividend

9.14 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 से अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया गया तथा इसका ब्यौरा बैंक के वेबसाइट में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2009-10 हेतु दावा न किया गया/ अदत्त लाभांश निर्धारित सीमा के भीतर उक्त निधि को अंतरित किया जाएगा।

9.15 शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2017 तथा 31.03.2016 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयर धारक की श्रेणी	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	95,35,24,561	81.61	95,35,24,561	81.61
म्युचुअल फंड/यूटीआई	28,426	0.00	25,184	0.00
बैंक/वित्तीय संस्थान	4,39,117	0.04	4,48,885	0.04
बीमा कंपनियां	15,26,90,471	13.07	15,26,90,471	13.07
विदेशी संस्थागत निवेशक	29,65,209	0.25	33,99,179	0.29
घरेलू कंपनियां	35,82,983	0.31	35,75,765	0.31
न्यास (ट्रस्ट)	1,12,025	0.01	1,12,025	0.01
भारतीय निवासी व्यक्ति	5,27,03,339	4.51	5,25,65,888	4.50
अनिवासी भारतीय	22,87,477	0.20	19,91,650	0.17
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00
कुल	116,83,33,708	100.00	116,83,33,708	100.00

9.16 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल


"हरित पहल" के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95/2011 सीएल-वी/परि. क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की हमें जानकारी दें / अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/संप्रेषण/दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 29 जून 2016 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 63142 शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी गई।

कॉर्पोरेट पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के पालन करने की पुष्टि की है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र


(आर. पी. मराठे)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 4 मई 2017
स्थान : पुणे

Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter, no claim for payment of dividend shall lie in respect thereof either to the Bank or to IEPF.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-09 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The details are displayed on the Bank's website. The dividend for the year 2009-10 remaining unclaimed/ unpaid will be transferred to the said fund within the prescribed limits.

9.15 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank's shares as on 31.03.2017 and 31.03.2016 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2017		As on 31.03.2016	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total
Govt. of India	95,35,24,561	81.61	95,35,24,561	81.61
Mutual Fund/UTI	28,426	0.00	25,184	0.00
Banks/Financial Institutions	4,39,117	0.04	4,48,885	0.04
Insurance Companies	15,26,90,471	13.07	15,26,90,471	13.07
Foreign Institutional Investors	29,65,209	0.25	33,99,179	0.29
Domestic Companies	35,82,983	0.31	35,75,765	0.31
Trusts	1,12,025	0.01	1,12,025	0.01
Resident Individuals	5,27,03,339	4.51	5,25,65,888	4.50
Non Resident Individuals	22,87,477	0.20	19,91,650	0.17
Overseas Bodies Corporate	100	0.00	100	0.00
Total	116,83,33,708	100.00	116,83,33,708	100.00

9.16 Green Initiatives in communication to the Shareholders:


The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/emails to the shareholders, requesting them to inform/update their email Ids to enable the Bank to send the notices/communications/documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the Thirteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank, held on 29th June, 2016 were sent to 63142 shareholders by electronic mode.

Report of the Board of Directors on Corporate

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2017.

For Bank of Maharashtra


(R.P. Marathe)
Managing Director and CEO

Date: 4th May, 2017
Place: Pune

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र
[विनियम 17(8)]

सेवा में,
निदेशक मंडल
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पुणे
हम प्रमाणित करते हैं कि

- क. हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- (1) इन विवरणों में कोई गंभीर असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.
 - (2) ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.
- ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.
- घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :
- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन.
 - (2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है.
 - (3) हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत.

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक
(वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
और मुख्य वित्तीय अधिकारी)

दिनांक : 4 मई 2017
स्थान : पुणे

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं
सीईओ

CEO/ CFO Certificate
[Regulation 17(8)]

To the Board of Directors,
Bank of Maharashtra,
Pune

This is to certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2017 and that to the best of our knowledge and belief:
- (1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
- (1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

R. H. Phadnis
General Manager
(FM&A & CFO)

R.P. Marathe
Managing Director & CEO

Date: 04th May, 2017
Place: Pune

**बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों के लिए
लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्यों के लिए

हमने यथा लागू सीमा तक सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) की शर्तों के अनुसार 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके कार्यान्वयन तथा कार्यविधि तक हमारी जांच सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है तथा न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंधन तंत्र के प्रतिवेदन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदंडों का बैंक ने अनुपालन किया है।

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यकलापों की कार्यक्षमता या उसके प्रभावी होने का भावी आश्वासन है।

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
for Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for A.R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

**कृते सीएमआरएस एंड
एसोसिएट्स, एलएलपी**
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए इंद्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता क्र.: 410433
CA Indra Pal Singh
Parther
Membership No. 410433

सीए आनंद सुलाखे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 33451
CA Anand Sulakhe
Parther
Membership No. 33451

सीए मनस्वी कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 64601
CA Manaswy Kothari
Parther
Membership No. 64601

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M Marathe
Parther
Membership No. 212175

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2017

Place : Pune
Date : 4th May, 2017

**Auditors' Certificate to the Shareholders of
Bank of Maharashtra**

To the Members of Bank of Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.03.2017 as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the Directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2016 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1168,33,37	1168,33,37
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	6211,19,10	7618,81,01
जमा राशियां Deposits	3	139052,83,79	138989,81,78
उधारियां Borrowings	4	8136,65,21	9228,10,29
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	4754,96,65	3952,25,99
जोड़ TOTAL		159323,98,12	1609,57,32,44
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	15274,71,92	8382,28,66
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	1367,30,17	937,86,23
निवेश Investments	8	38590,18,48	36230,87,24
अग्रिम Advances	9	95515,22,99	107562,67,06
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1586,08,00	1694,41,51
अन्य आस्तियां Other Assets	11	6990,46,56	6149,21,74
जोड़ TOTAL		159323,98,12	160957,32,44
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	29329,20,74	29971,43,72
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		4021,46,55	3756,43,76
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R. K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
R.P. MARATHE
MANAGING DIRECTOR & CEO

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया
निदेशक
Dr. ARCHANA R. DHOLAKIA
Director

आर. तामोदरान
निदेशक
R. THAMODHARAN
Director

पी. ए. सेठी
निदेशक
P. A. SETHI
Director

दीनदयाल अग्रवाल
निदेशक
DEENDAYAL AGRAWAL
Director

जी. श्रीकुमार
निदेशक
G. SREEKUMAR
Director

अतीश सिंह
निदेशक
ATEESH SINGH
Director

प्रदीप मिश्रा
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
PRADEEP MISHRA
Asst. Gen. Manager, FM&A

संजय रुद्र
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SANJAY RUDRA
Dy. Gen. Manager, FM&A

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
R. H. PHADNIS
Gen. Manager, FM&A

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2017

Place : Pune
Date : 4th May, 2017

“अनुमत्य अनुपस्थिति के कारण श्री अतीश सिंह और जी. श्रीकुमार, (निदेशकों) ने हस्ताक्षर नहीं किए।”

“Shri Ateesh Singh and Shri G. Sreekumar, (Directors) did not sign since, they were granted leave of absence.”

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	12061,95,97	13052,98,57
अन्य आय Other Income	14	1508,07,46	1019,28,97
जोड़ TOTAL		13570,03,43	14072,27,54
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	8887,27,12	9174,28,93
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	2855,69,51	2552,80,93
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		3199,57,61	2244,49,19
जोड़ TOTAL		14942,54,24	13971,59,05
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		-1372,50,81	100,68,52
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		59,63,96	136,50,52
जोड़े : निवेश आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Investment Reserve		812,29	12,95,89
जोड़ TOTAL		-1304,74,56	250,14,93
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		-	25,17,13
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		87,25,27	28,83,32
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve			6,19,60
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve			130,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve			-
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		-	-
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		-	-
लाभांश पर कर Tax on Dividend		-	-
अंतरिम लाभांश और अंतरिम लाभांश पर कर Interim Dividend & Tax on Interim Dividend		-	30,92
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		-1391,99,83	59,63,96
जोड़ TOTAL		-1304,74,56	250,14,93
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		-11.75	0.91

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि खातों के अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
for Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for A.R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड
एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates,LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए इंद्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता क्र.: 410433
CA Indra Pal Singh
Parther
Membership No. 410433

सीए आनंद सुलाखे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 33451
CA Anand Sulakhe
Parther
Membership No. 33451

सीए मनस्वी कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 64601
CA Manaswy Kothari
Parther
Membership No. 64601

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M Marathe
Parther
Membership No. 212175

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 4 मई, 2017

Date : 4th May, 2017

अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE - 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
₹10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3000,00,00	3000,00,00
जारी व अभिलक्षित Issued & Subscribed		
₹10/- के 116,83,33,708 (गत वर्ष 116,83,33,708) इक्विटी शेयर 116,83,33,708 Equity Shares (Previous year 116,83,33,708) of ₹10/- each	1168,33,37	1063,18,29
प्रारंभिक शेष Opening Balance		
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	1168,33,37	105,15,08
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital		
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	953,52,46	953,52,46
₹10/- के 95,35,24,561 (गत वर्ष 95,35,24,561) इक्विटी शेयर 95,35,24,561 (Previous year 95,35,24,561) Equity shares of ₹10/- each		
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others	214,80,91	214,80,91
₹ 10/- के 21,48,09,147 (गत वर्ष 21,48,09,147) इक्विटी शेयर 21,48,09,147 (Previous year 21,48,09,147) Equity Shares of ₹10/- each		
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	1168,33,37	1168,33,37
जोड़ TOTAL	1168,33,37	1168,33,37

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1252,49,29	1227,32,16
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1252,49,29	25,17,13
II. पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	216,89,35	188,06,03
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	87,25,27	28,83,32
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	304,14,62	216,89,35
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	2937,28,25	2648,43,33
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	2937,28,25	288,84,92
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES		
क) राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1330,11,35	1378,13,03
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	54,21,28	6,19,60
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	1384,32,63	54,21,28

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	498,00,00		368,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—		130,00,00	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	498,00,00		—	498,00,00
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1295,78,35		1016,13,78	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—		386,49,12	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	89,32,41	1206,45,94	106,84,54	1295,78,36
घ) निवेश आरक्षित खाता d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	28,60,45		41,56,34	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—		12,95,89	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	8,12,29	20,48,15	—	28,60,45
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	-1391,99,78	-1391,99,78	59,63,96	59,63,96
जोड़ TOTAL		6211,19,10		7618,81,01

अनुसूची - 3 : जमा राशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
क I. मांग जमा राशियां A. DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	215,71,33		290,70,65	
ii) अन्यो से From others	11313,77,93	11529,49,26	11838,01,61	12128,72,26
II. बचत बैंक जमा राशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		50889,09,61		38838,09,68
III. मीमादी जमा राशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	1592,40,12		1827,38,53	
ii) अन्यो से From others	75041,84,80		86195,61,31	88022,99,84
जोड़ TOTAL (I, II व III)		139052,83,79		138989,81,78
ख B. (i) भारत में शाखाओं की जमा राशियां Deposits of Branches in India		139052,83,79		138989,81,78
(ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमा राशियां Deposits of Branches outside India		—		—
जोड़ TOTAL		139052,83,79		138989,81,78

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India			500,00,00	
ii) अन्य बैंकों से Other Banks			—	

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	2892,99,98	3620,76,67
iv) अन्य उधारियां Other Borrowings		
क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1795,00,00	1295,00,00
ख) बॉण्ड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	600,00,00	1250,00,00
ग) गौण ऋण बॉण्ड c) Subordinated Debt Bonds	1830,00,00	1555,00,00
घ) इंफ्रा बॉण्ड d) Infra Bonds	1000,00,00	1000,00,00
	8117,99,98	9220,76,67
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA	18,65,23	7,33,62
जोड़ TOTAL (I व II)	8136,65,21	9228,10,29
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE	”	574,53,80

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. देय बिल Bills Payable	457,17,85	442,38,51
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	502,35,64	”
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	197,65,99	187,62,88
IV. अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):		
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	657,47,88	707,60,39
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित)* Other liabilities (including provisions)*	2940,29,29	2614,64,21
	3597,77,17	3322,24,60
जोड़ TOTAL	4754,96,65	3952,25,99

*नोट : अन्य देयताओं में ₹ NIL की निवल आस्थगित कर देयताएं शामिल हैं (गत वर्ष निवल आस्थगित कर देयताएं ₹ 203,62,387)

* Note : Others liabilities include Net Deferred Tax Liability of ₹ NIL (Previous Year Net DTL ₹ 203,62,387)

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	659,26,06	818,97,64
II. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	7165,45,86	6363,31,02
ii) अन्य खातों में In other Accounts	7450,00,00	1200,00,00
	14615,45,86	7563,31,02
जोड़ TOTAL (I व II)	15274,71,92	8382,28,66

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	29,24,09		31,82,52	
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	15,18,56	44,42,65	15,18,56	47,01,08
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास				
(a) With Banks	—		—	
(ख) अन्य संस्थानों के पास				
(b) With Other Institutions	—	—	—	—
जोड़ TOTAL (i व ii)		44,42,65		47,01,08
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	—			
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	1322,87,52		890,85,15	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन				
(c) Money at Call & Short Notice	—	1322,87,52	—	890,85,15
जोड़ TOTAL		1322,87,52		890,85,15
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		1367,30,17		937,86,23

अनुसूची - 8 : निवेश

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
क i भारत में निवेश				
A.I Investments in India in				
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)				
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	33104,39,62		32324,97,00	
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
b) Other approved securities	—		—	
ग) शेयर्स				
c) Shares	362,35,78		220,90,92	
घ) डिबेंचर्स और बांड				
d) Debentures and Bonds	1672,82,27		1590,73,70	
इ) सहायक कंपनी और / या संयुक्त उद्यम				
e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	73,42,11		73,42,11	

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
च) अन्य				
f) Others				
i) यूटीआई / म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I / Mutual funds	129,37,00		134,61,41	
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	3125,61,38		1555,34,99	
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	122,20,32		330,87,11	
iv) पीटीसी PTCs	—		—	
v) अन्य Others	—	3377,18,70	—	2020,83,51
जोड़ TOTAL		38590,18,48		36230,87,24
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India				
जोड़ TOTAL				
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		38590,18,48		36230,87,24
ख B. क) भारत में सकल निवेश				
a) Gross Investments in India	38841,56,32		36331,91,88	
घटाएं : निवेश पर मूल्यहास Less: Depreciation on Investment	24,19,99		36,28,69	
घटाएं : निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Investment	227,17,85	38590,18,48	64,75,95	36230,87,24
निवल निवेश Net Investment		38590,18,48		36230,87,24
ख) भारत के बाहर सकल निवेश				
b) Gross Investments outside India				
जोड़ TOTAL (क एवं ख) (a & b)		38590,18,48		36230,87,24

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
क A. i) बड़ाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	552,60,10		805,68,24	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	42414,49,69		44143,60,42	
iii) मीयादी ऋण Term Loans	52548,13,20	95515,22,99	62613,38,40	107562,67,06
जोड़ TOTAL		95515,22,99		107562,67,06
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	85954,73,70		96726,33,19	
ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	14,12,34		43,79,63	
iii) अप्रत्याभूत Unsecured	9546,36,95	95515,22,99	10792,54,24	107562,67,06
जोड़ TOTAL		95515,22,99		107562,67,06

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India				
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	34883,69,15		36898,46,58	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	5561,36,73		7856,16,31	
iii) बैंक Banks	14,91,42		13,68,24	
iv) अन्य Others	55055,25,69	95515,22,99	62794,35,93	107562,67,06
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
जोड़ TOTAL (ग C.I एवं ग C.II)		95515,22,99		107562,67,06

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
I परिसर Premises *				
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1556,74,68		1335,39,31	
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	5,26,88		1402,62,89	
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year				
	1562,01,55		2738,02,20	
4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period			1181,27,53	
	1562,01,55		1556,74,67	
5 अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	259,46,04	1302,55,52	166,39,52	1390,35,15
II प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in Progress		220542		—
III अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1064,20,65		1113,26,24	
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	75,42,73		138,04,84	
	1139,63,38		1251,31,08	
3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	23,70,34		28,43,31	
	1115,93,04		1222,87,77	
4 अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	854,45,98	261,47,06	918,81,41	304,06,36
जोड़ TOTAL (I व II)		1586,08,00		1694,41,51

* इसमें "कार्य प्रगति पर" पूंजी ₹ शून्य शामिल है (गत वर्ष ₹ शून्य) *Includes Capital "Work in Progress" ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil)

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तिग
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	—	294,25,65
II. उपचित ब्याज Interest accrued	926,57,45	932,49,38
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	1381,78,99	1148,33,48
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	3,28,33	4,12,38
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तिग Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	—	—
VI. आरआईडीएफ व अन्य RIDF Others	4678,81,79	3770,00,85
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)	6990,46,56	6149,21,74

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	1858,23,68	1503,99,83
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	12997,65,05	14089,80,03
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	8668,60,91	7667,16,23
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	1635,57,87	10304,18,78
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	3971,31,98	4153,75,39
VI. अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contingently liable	197,81,25	491,49,38
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)	29329,20,74	29971,43,72

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	8469,95,77	9934,82,60
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2892,02,31	2787,65,80
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	62,54,95	52,45,85
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	401,91,29	52,02,07
IV. अन्य Others	360,61,55	330,93,95
जोड़ TOTAL (I, II, III व IV)	12061,95,97	13052,98,57

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage	733,93,07	675,29,79
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	594,55,15	170,69,49
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	13,85,81	13,75,88
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	—	—
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	—	—
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	1,63,87	51,57
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	1,77,42	70,05
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	101,90,75	77,82,76
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	2	—
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India	2,48,69	3,31,14
VII. विविध आय Miscellaneous Income	89,19,18	106,10,15
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI व VII)	1508,07,46	1019,28,97

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	8075,59,16	8421,89,03
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	11,61,45	54,88,01
III. अन्य Others	800,06,51	697,51,89
जोड़ TOTAL (I, II व III)	8887,27,12	9174,28,93

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1807,29,24	1540,97,92
II. किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	197,55,95	196,20,17
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	21,81,86	21,57,77
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	16,02,86	18,06,50
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्य-हास (मूल्य-हास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	117,61,78	149,19,72
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	91,78	69,28
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	16,83,58	18,13,86
VIII. विधि प्रभार Law Charges	16,63,55	13,99,95
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	40,91,86	36,13,23
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	88,89,83	76,35,75
XI. बीमा Insurance	131,70,87	119,88,06
XII. अन्य व्यय Other expenditure	399,46,35	361,58,72
जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII)	2855,69,51	2552,80,93

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों/दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं।
- 1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार है।

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

- 2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अन्तिम दरों पर किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि का लेखांकन लाभ व हानि खाते में किया गया है।
- 2.2 बकाया वायदा विदेशी विनिमय करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं तथा तिमाही आधार पर और तुलनपत्र दिनांक को भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिमिडा) - रयूटर द्वारा प्रकाशित लागू एमआईएफओआर दरों अर्थात् पीवी01 आधार पर कटौती की गई और फेडआई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए प्रकाशित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यन/बाजार को अंकित की गई। पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को भारतीय रिजर्व बैंक / फेडआई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है और इसके प्रभाव को लाभ की दशा में 'अन्य आस्तियां' और हानि की दशा में 'अन्य देयताओं' में प्रभावित किया गया है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को फेडआई द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है।
- 2.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार घटकों के गैर-रक्षित विदेशी मुद्रा ऋण विगोपन यदि कोई है पर प्रावधान और पूंजी आवश्यकताएं लागू होती हैं।

3. निवेश:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- 3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।

- क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory / Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.
- 1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

- 2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit / loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued / marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit / loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.
- 2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.
- 2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 3.1 Investments are classified in the following categories:

- a. Held to Maturity (HTM)
- b. Available for sale (AFS)
- c. Held for trading (HFT)



3.2 सभी प्रतिभूतियाँ निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

- क. सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- ग. शेयर्स
- घ. डिबेंचर तथा बांड
- ड. सहायक कंपनियाँ तथा संयुक्त उद्यम
- च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है। निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार व्यापार हेतु धारित श्रेणी (एचटीएफ) से विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में अंतरण करने के अलावा प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में, अंतरण के दिनांक पर बाजार मूल्य / बही मूल्य / अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का बहीमूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में मिली अनुमति के अनुसार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में किया जाता है। अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कि तरलता की जटिल स्थिति के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों को बेचने में सक्षम नहीं होने के कारण या गंभीर उतार-चढ़ाव या बाजार के दिशाहीन हो जाने की स्थिति में ही निवेशों का अंतरण/परिवर्तन व्यापार हेतु धारित श्रेणी (एचटीएफ) से विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में किया जाता है।

3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो

बैंक ने मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट एकसमान लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीदी करार के साथ सहायक उधारी / उधारी परिचालनों के रूप में माना गया है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है। बकाया रेपो/टर्म रेपो को उधारी के रूप में दर्शाया गया है और बकाया रिवर्स रेपो को ऋणदान के रूप में दर्शाया गया है। लागत और राजस्व का लेखांकन यथाप्रसंग व्याज व्यय/आय के रूप में किया गया है।

3.5 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित

- i) 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों का मूल्यन औसत लागत पर किया गया है। जब कभी प्रतिभूति की लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। निवेश की दशा में जब भी लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तो अंतर पर ध्यान नहीं दिया जाता।
- ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मामले में निवेश मूल्य में आई स्थायी कमी का अभिनिर्धारण पर उसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है।
- iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को 'पूँजी आरक्षित खाते' में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किया गया है। केंद्र/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन फिमडा द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर किया गया। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और बॉन्डों का मूल्यन लाभ कर्ब, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाया गई पद्धति के अनुसार किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यन बाजार दरों पर किया गया। कोट न किए गए शेयरों का मूल्यन उपलब्ध नवीनतम तुलनपत्र अर्थात् एकदम पिछले वर्ष की तुलनपत्र में अंकित बहीमूल्य के अनुसार किया गया है और यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो इसका मूल्यन रु.1/- प्रति कंपनी/स्क्रिप पर किया गया है।

3.2 All the securities are further classified in the following six baskets:

- a. Government Securities
- b. Other approved Securities
- c. Shares
- d. Debentures and Bonds
- e. Subsidiaries and Joint Ventures
- f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

3.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

- (i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at average cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.
- (ii) In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.
- (iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central / State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात् खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) / प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहिमूल्य (अर्थात् बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।

"बिक्री हेतु उपलब्ध" छह उप-श्रेणी में से प्रत्येक के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- (i) यदि इसका परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- (ii) यदि इसके कारण निवल मूल्यहास होता है तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है और देयता पक्ष में निवेश (विक्रय हेतु उपलब्ध) पर मूल्यहास हेतु प्रावधान में जमा किया गया है।

बशर्ते कि रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के अनुवर्ती आर्बिट्रि ईक्विटी शेयरों पर मूल्यहास, यदि कोई है, ईक्विटी में कर्ज के परिवर्तन के दिनांक से स्ट्रेट लाईन आधार पर अधिकतम 4 कैलेंडर तिमाही के लिए प्रदान किया जाए।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकताओं को छोड़कर बाजार को अंकित (एमटीएम) प्रतिभूतियों के बहिमूल्य को नहीं बदला गया है।
- (iv) इस संवर्ग में निवेशों के विक्रय पर लाभ या हानि का लेखांकन लाभ-हानि खाते में किया गया है।

ग. व्यापार हेतु धारित :

- i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है। राज्य/केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन भारतीय स्थिर आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है।
 - ii. बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात् खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। प्रतिभूति रसीद/प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहिमूल्य (अर्थात् बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।
 - iii. निवल समूहवार मूल्यहास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश (व्यापार हेतु धारित) पर मूल्यहास हेतु प्रावधान को जमा किया गया है। यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्रतिभूतियों के बहिमूल्य को बदला नहीं गया है।
 - iv. इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- घ. पुनर्गठित निवेशों पर शामिल निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।
- ङ. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि दलाली, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है।

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) / Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- (i) If it results in appreciation, the same is ignored.
- (ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.
- (iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- (iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- (i) The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central / State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.
 - (ii) Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.
 - (iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
 - (iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.
- d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.
- e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized.

च. ब्याज दर स्वेप :

i) मूल्यांकन :

क) हेजिंग स्वेप : आस्ति और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वेप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वेप : ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वेप को बाजार को अंकित किया गया है।

ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

क) हेजिंग स्वेप: आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है। यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वेप : निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है।

(iii) स्वेप समाप्ति पर आय या हानि का लेखा:

क) हेजिंग स्वेप : समाप्त हुए स्वेप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वेप की शेष बची सविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वेप : स्वेप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वेप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है।

4. अग्रिम:

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भाजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है।

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को "अन्य देयताओं व प्रावधान" शीर्ष में दर्शाया गया है।

4.4 पुनर्निर्धारित / पुनर्संचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।

4.5 एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान किए गए हैं।

4.6 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर हुआ है तो अधिशेष को रखा जाता है और एससी / एआरसी को अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री से कमी / हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य (अर्थात बकाया से कम प्रावधान) पर हुआ है, तो कमी को लाभ और हानि खाते से नामे किया जाता है। तथापि अगर अधिशेष उपलब्ध है तो इन कमियों को अधिशेष द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। एनपीए की बिक्री के कारण किसी प्रकार की कमी को अधिशेष द्वारा अवशोषित न किए जाने पर उसे दो वर्षों की अवधि के बाद परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री के कारण किए जानेवाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल/या एसआरएस/पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) आस्ति के विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक हो। आस्तियों के एनबीवी से अधिक की नकदी की सीमा तक ही अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल किया जाएगा।

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

5.1 पुनर्मूल्यांकित और पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है।

5.2 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों, जिनके संबंध में उच्च मूल्यहास इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लगाया जाता है, को छोड़कर स्थिर आस्तियों (नीचे उल्लिखित अनुच्छेद 5.3 और 5.4 में उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर) पर मूल्यहास, हासमान शेष पद्धति से नीचे उल्लिखित दरों पर लगाया गया है।

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) **Trading Swaps:** Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset / liability.

(b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4. Advances:

4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

4.5 In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

4.6 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/ or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5. Fixed Assets and Depreciation:

5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

5.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 5.3 and 5.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यहास की दर (%)
1	भवन और परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य मदें	18.10
3	इलेक्ट्रिकल उपकरण	13.91
4	ऑफिस मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	बाईसिकल	20.00

5.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यहासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कंप्यूटरों में साफ्टवेयर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं.

5.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है. वर्ष के दौरान बेची गई/ त्यागी गई संपत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है.

5.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत के ऊपर पुनर्मूल्यांकित रकम से संबंधित मूल्यहास स्थिर संपत्ति के बचे हुए जीवन के आधार पर ह्रासमान शेष पद्धति के आधार पर लगाया गया है जैसा कि उपरोक्त पैरा 5.2 में उल्लेख किया गया है और उसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में समायोजित किया गया है. पूरी तरह से मूल्यहासित संपत्तियों पर पुनर्मूल्यन आरक्षित का परिशोधन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रमाणित उनके शेष बचे जीवन के आधार पर किया गया है.

5.6 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) पर किया गया है.

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :-

क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फंड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया.

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ. बीमा दावे

च. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक

छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क

ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हमीदारी कमीशन से आय

झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

7. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण प्रत्येक तिमाही/ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. बीमाकिक लाभ और हानि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00

5.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.

5.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.

5.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 5.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.

5.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on SLM basis.

6. Revenue Recognition

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz., on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassurance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Loan Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid / payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

8. आस्तियों की हानि :

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति, के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभावित किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 "प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो। यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो।

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, आशुध्द ऋण और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित करसहित) आकस्मिकताओं / अन्य तथा धोखाधड़ी के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

11. आयकर :

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्ति और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि तुलन पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से लागू किए गए हैं।

आस्थगित कर आस्ति की पहचान उस सीमा तक है जबतक कि भविष्य में संपत्ति के वसूल होने की उचित निश्चितता है। कराधान कानूनों के तहत असंतुलित अवमूल्यन या आगे लाई गई हानि के मामलों में, सभी आस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, जब इस तरह की परिसंपत्तियों की पूर्ति की आभासी निश्चितता संतोषजनक साक्ष्य के आधार पर समर्थित होती है। तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख को आस्थगित कर आस्ति की समीक्षा की जाती है और राशि को प्रतिबिंबित करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है जो कि यथोचित / वर्चुअल रूप से वसूल होना निश्चित हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग उस पर ब्याज सहित तब प्रदान की गई जब ऐसी मांग को दूसरी अपील (अर्थात आईटीएटी द्वारा) में कायम रखा गया।

12. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और कम किए गए अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) - "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल कमाई का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है। प्रति इक्विटी शेयर कम किए गए अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर की गई है।

8. Impairment of Assets:

Impairment losses, if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account.

9. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, on bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for **advances** including cases identified as fraud and contingencies / others.

11. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, Wealth Tax and also Deferred Tax. The deferred tax asset / liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future. In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT).

12. Earnings per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियाँ

(नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. पूंजी

(रुपए करोड़ में)

क्र.	मदें	31.03.2017	31.03.2016
i.	सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर- 1 पूंजी का अनुपात(%)	**7.28	7.88
ii.	टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	9.01	9.02
iii.	टियर- 2 पूंजी का अनुपात(%)	2.17	2.18
iv.	कुल पूंजी का अनुपात - (सीआरएआर) (%)	11.18	11.20
v.	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	81.61	81.61
vi.	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	105.15
vii.	अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि (बेमियादी ऋण पूंजी लिखत द्वारा)	500.00	शून्य
viii.	उगाही गई अतिरिक्त टियर- 2 पूंजी की राशि	500.00	शून्य

** भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 मार्च, 2017 के पत्र क्र. डीबीआर. सीओ.बीपी. क्र.11544/21.01.002/2016-17 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त रुपए 300 करोड़ (शेअर आवेदन धन) को कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) के भाग के रूप में माना है.

बैंक द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर बेसल III अनुरूप रु. 500.00 करोड़ के गैरजमानती, बेमियादी, गैर-परिवर्तनीय अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बॉन्ड तथा बेसल III अनुरूप रु. 500.00 करोड़ के गैरजमानती, गैर-परिवर्तनीय टियर 2 बॉन्ड जारी किए गए हैं. इसकी जानकारी निम्नानुसार है.

लिखत का नाम	आईएसआईएन	जारी का दिनांक	बॉन्ड की संख्या	प्रति बॉन्ड अंकित मूल्य रु.	कूपन %
एटी-1 बेमियादी बॉन्ड सीरीज - II (बेसल III)	आईएसआई 457ए08043	15.12.2016	5000	10 लाख	11.60
टियर - 2 बॉन्ड सीरीज + I (बेसल III)	आईएसआई 457ए08035	27.06.2016	5000	10 लाख	9.20

2. निवेश

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम), "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) और "व्यापार हेतु धारित" (एचएफटी) तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यन किया है।

(रुपए करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2017	31.03.2016
परिपक्वता तक धारित	29973.12	28528.82
बिक्री हेतु उपलब्ध	8616.81	7702.05
व्यापार हेतु धारित	0.25	0.00
कुल निवेश	38590.18	36230.87

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं. सभी निवेश भारत में किए गए हैं भारत के बाहर निवेश नहीं हैं.

(रुपए करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	38841.56	36331.92
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	251.38	101.05
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	38590.18	36230.87
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
(i) प्रारंभिक शेष	101.05	54.23
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	158.89	51.99
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान पुनर्लेखांकित किए गए /बढ़ते खाते डाले गए अधिक प्रावधान	8.56	5.17
(iv) बढ़ते खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	0	0
(v) अंतिम शेष	251.38	101.05

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. Capital:

(Rs. in Crores)

S. N.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio including CCB (%)	**7.28	7.88
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	9.01	9.02
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.17	2.18
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	11.18	11.20
v)	Percentage of the shareholding of Government of India	81.61	81.61
vi)	Amount of Equity Capital raised	0.00	105.15
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital (through Perpetual Debt Instruments)	500.00	Nil
viii)	Amount of Tier 2 Capital raised	500.00	Nil

**In terms of Reserve Bank of India letter DBR.CO.BP No. 11544/21.01.002/2016-17 dated March 30,2017 the Bank has considered Rs. 300 Crores (Share Application Money) received from Government of India as a part of Common Equity Tier 1 (CET 1) as on March 31, 2017 .

Bank has issued Basel III compliant Unsecured, Perpetual, Non-Convertible Additional Tier 1 (AT-1) Bond of Rs. 500.00 crores, and Basel III compliant Unsecured Non-Convertible Tier 2 Bond of Rs. 500.00 crores on private placement basis. The details are as under:

Instrument Name	ISIN	Date of Issue	No. of Bonds	Face Value per bond Rs.	Coupon (%)
AT-1 Perpetual Bond Series- II (Basel III)	INE457A08043	15.12.2016	5000	10 Lakh	11.60
Tier -2 Bond Series - I (Basel III)	INE457A08035	27.06.2016	5000	10 Lakh	9.20

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity (HTM)", "Available for Sale (AFS)", and "Held for Trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

(Rs in Crores)

Category	31.03.2017	31.03.2016
HTM	29973.12	28528.82
AFS	8616.81	7702.05
HFT	0.25	0.00
Total Investment	38590.18	36230.87

2.1 The Total Investments of Bank, as under, are made in India and no Investments are made outside India:

(Rs. in Crores)

Items	31.03.2017	31.03.2016
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	38841.56	36331.92
(ii) Provisions for Depreciation	251.38	101.05
(iii) Net Value of Investments	38590.18	36230.87
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	101.05	54.23
(ii) Add: Provisions made during the year	158.89	51.99
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	8.56	5.17
(iv) Provision used for Written-off	0.00	0
(v) Closing balance	251.38	101.05

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी से एफएस श्रेणी में प्रतिभूतियां अंतरित नहीं की गईं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा एफएस तथा एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियां अंतरित नहीं की गईं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01.07.2015 के दिशानिर्देशों आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर क्र. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसार ऐसे अंतरण के कारण रु.3158.65 करोड़ (रु.1321.20 करोड़) तथा लाभ व हानि मूल्यहास राशि के लिए रु. शून्य राशि की प्रतिभूतियां अंतरित की गईं।

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में)

(रुपये करोड़ में)

व्यौरे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31 मार्च, 2017 को
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	300.00	53.00	शून्य
क. रेपो उधारियां (एलएएफ)	शून्य	(1000.00)	(106.00)	(500.00)
ख. रेपो उधारियां (मीयादी)	शून्य	5000.00	21.00	शून्य
	(शून्य)	(3029.00)	(478.00)	(शून्य)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	19480.00	3494.00	7450.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	(शून्य)	(2575.00)	(250.00)	(1200.00)
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग:

2.3.1 गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र

(रुपये करोड़ में)

क्र.	निर्गमकर्ता	रकम	निजी ग्लेसमेंट का विस्तार	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों का विस्तार	गैरक्रम वाली प्रतिभूतियों का विस्तार	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	394.12 (171.09)	379.25 (153.99)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	56.69 (46.17)	6.86 (5.75)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बैंक	3233.85 (1666.14)	3224.63 (1651.33)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निर्गमित निकाय	931.47 (957.94)	897.41 (890.98)	179.91 (182.93)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम	83.53 (83.53)	83.53 (83.53)	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
(vi)	अन्य	2528.88 (3186.70)	2494.00 (3175.70)	0.00 (9.90)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	उप जोड़	7228.54 (6111.57)	7085.68 (5961.26)	194.91 (192.83)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	के लिए धारित प्रावधान					
	1 मूल्यहास	13.60 (20.95)				
	2 एनपीआई	187.66 (56.12)				
	3 पुनर्संचित खाते	15.01 (8.63)	XXX	XXX	XXX	XXX
	4 एसडीआर खातों में	15.01 (0.81)				
	एमटीएम मूल्यहास पर किया गया प्रावधान					
	कुल	6991.33 (6025.06)	7085.68 (5961.28)	194.91 (192.83)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

टिप्पणी :

- i) उक्त (v) में 'सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम होने के कारण तथा (vi) में अन्य होने के कारण निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग व लिस्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त है।

During the financial year 2016-17, the Bank has not shifted securities from HFT category to AFS category. Also, during the FY 2016-17, the Bank has not shifted securities from AFS and HFT categories to HTM Category.

During the FY 2016-17, the Bank has transferred securities from HTM category to AFS category amounting to Rs. 3158.65 crores (Rs. 1321.20 crores) and charged to Profit & Loss depreciation amounting to Rs. Nil due to such transfer taking in terms of RBI guidelines RBI/2015-16/97 DBR No BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated 1.7.2015.

2.2 Repo Transactions (In face value terms)

(Rs. in Crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	As on March 31, 2017
<u>Securities sold under repo</u>				
i. Government Securities	Nil	300.00	53.00	Nil
a) Repo Borrowing (LAF)	(Nil)	(1000.00)	(106.00)	(500.00)
b) Repo Borrowing (Term)	Nil	5000.00	21.00	Nil
	(Nil)	(3029.00)	(478.00)	(Nil)
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
<u>Securities purchased under reverse repo</u>				
i. Government Securities	Nil	19480.00	3494.00	7450.00
	(Nil)	(2575.00)	(250.00)	(1200.00)
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

2.3.1 Issuer composition of Non-SLR Investments

(Rs. in Crores)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	394.12 (171.09)	379.25 (153.99)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	FIs	56.69 (46.17)	6.86 (5.75)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	Banks	3233.85 (1666.14)	3224.63 (1651.33)	15.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporate	931.47 (957.94)	897.41 (890.98)	179.91 (182.93)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	83.53 (83.53)	83.53 (83.53)	N.A. N.A.	N.A. N.A.	N.A. N.A.
(vi)	Others	2528.88 (3186.70)	2494.00 (3175.70)	0.00 (9.90)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	SUB TOTAL	7228.54 (6111.57)	7085.68 (5961.28)	194.91 (192.83)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	Provision held towards					
	(i) Depreciation	13.60 (20.95)				
	(ii) NPI	187.66 (56.12)				
	(iii) Restructured Account FITL etc	15.01 (8.63)	XXX	XXX	XXX	XXX
	(iv) Provision Made on MTM Depreciation in SDR Accounts	15.01 (0.81)				
	Total	6991.33 (6025.06)	7085.68 (5961.28)	194.91 (192.83)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

Note:

Investments as in (v) being "Subsidiaries / Joint Ventures, & (vi) being "Others" are exempt from rating & listing requirements as per RBI guidelines.

कॉलम 4, 5, 6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबंध नहीं है।

कुल रु.6991.33 करोड़ (रु.6025.06 करोड़) के कुल निवेश में रु.875.61 करोड़ (रु.1194.93 करोड़) के राजस्थान स्पेशल बॉण्ड रु.153.76 करोड़ (रु.284.63 करोड़) के यूपी स्टेट पावर बॉण्ड रु.199.59 करोड़ (रु. 199.59 करोड़) के हरियाणा स्टेट स्पेशल बॉण्ड, रु.276.58 करोड़ (रु. 439.99 करोड़) के पंजाब स्टेट स्पेशल बॉण्ड शामिल हैं। तुलन पत्र की अनुसूची 8 में इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है।

2.3.2 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश (रूपये करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2017	31.03.2016
प्रारंभिक शेष	102.31	86.30
वर्ष के दौरान परिवर्धन	569.15	16.01
वर्ष के दौरान कमी	16.01	0.00
अंतिम शेष	655.45	102.31
किए गए कुल प्रावधान	187.66	56.12

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 17.03.2016 के पत्र क्र. डीबीआर.बीपी. क्र.11657/21.04.132/2015-16 के अनुसार, यूडीएवाय बॉण्ड में रु.476.80 करोड़ की निवेश राशि एनपीआई मानी गई और उसपर 25% का प्रावधान किया गया है, जो की रु. 119.20 करोड़ होता है।

2.4 वित्तीय वर्ष 2016 -17 के दौरान निदेशक मंडल के अनुदान से एकबारगी अंतरण को छोड़कर एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के विक्रय और अंतरण का मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत किए अनुसार और ओएमओ नीलामियों में पूर्व घोषित के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को विक्रय वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

एचटीएम श्रेणी ने निवेशों के विक्रय पर लाभ को पहले लाभ व हानि खाते में लिया जाना चाहिए और उसके बाद इसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 07 जनवरी, 2014 के परिपत्र क्र. आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.बीसी.क्र.74 / 03.05.33 / 2013-14 के अनुसार सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि और करों का समायोजन (नेटिंग ऑफ) करने के पश्चात पूंजी आरक्षित खाते को समायोजित किया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेश के विक्रय पर लाभ से कर पर निवल रु. 87.25 करोड़ की राशि पूंजी आरक्षित को अंतरित की गई। पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2015-16 में कर पर निवल रु. 28.83 करोड़ की राशि तथा सांविधिक आरक्षित को उपयुक्त अंतरण की राशि पूंजी आरक्षित को अंतरित की गई।

2.5 बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत रु.62.55 करोड़ (रु.52.46 करोड़) की प्रतिभूतियों का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूतियों के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया।

2.6 चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के करों के निवल रु.8.12 करोड़ की राशि एफएस और एसटीएस श्रेणियों के अंतर्गत धारित निवेश के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित मूल्यहास के कारण आरक्षित निवेश खाते से आहरित की गई।

विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में, करों के निवल रु.12.96 करोड़ की राशि तथा सांविधिक आरक्षित के उपयुक्त अंतरण एफएस और एसटीएस श्रेणियों के अंतर्गत धारित निवेश के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित मूल्यहास के कारण आरक्षित निवेश से आहरित की गई।

3 डेरिवेटिव:

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (रु. करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	100.00	425.00
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	(-) 0.46	(-) 0.84

Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 may not be mutually exclusive.

The total investment of **Rs. 6991.33 crores** (Rs. 6025.06 crores) includes Rajasthan Special Bonds of Rs. 875.61 crores (Rs 1194.93 crores) UP state Power Bonds of Rs. 153.76 crores (Rs 284.63 crores) Haryana State Special Bonds Rs. 199.59 crores (Rs.199.59 crores) Punjab State Special bonds Rs 276.58 crores (Rs. 439.99 crores) The same has been included in Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

2.3.2 Non performing Non-SLR investments

(Rs. In Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance	102.31	86.30
Additions during the year	569.15	16.01
Reductions during the year	16.01	0.00
Closing balance	655.45	102.31
Total provisions held	187.66	56.12

As per RBI letter DBR.BP.No.11657/21.04.132/2015-16 dated 17.03.2016, Investment amounting to Rs. 476.80 crores in UDAY bonds is treated as NPI and provision at 25% amounting to Rs. 119.20 crores is made on the same.

2.4 The value of the sales and transfer of securities to / from HTM category during the financial year 2016-17, excluding onetime transfer with the approval of the Board, sales to RBI under pre announced OMO auctions and as permitted by RBI, does not exceed 5 percent of the book value of the investments in HTM category at the beginning of the year.

Profit on sale of investments in HTM category should be first taken to the Profit & Loss Account, and thereafter be appropriated to the 'Capital Reserve Account' after netting off taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves as per RBI circular RPCD.CO.RRB.BC.No. 74/03.05.33/2013-14 dated 7th January 2014.

As per RBI guidelines, an amount of Rs. 87.25 crores net of taxes being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve. In the previous FY i.e. 2015-16, amount of Rs. 28.83 crores net of taxes and appropriate transfer to statutory reserve had been transferred to capital reserve

2.5 The Bank has amortized Rs.62.55 crores during the year (Rs. 52.46 crores) for securities classified under 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing the value of respective securities to that extent.

2.6 During the current financial year 2016-17, an amount of Rs. 8.12 crores net of taxes has been drawn down from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories.

In the previous FY i.e. 2015-16, amount of Rs. 12.96 crores net of taxes and appropriate transfer to statutory reserve had been drawn down from Investment Reserve on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories

3. Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crores)

Items	31.03.2017	31.03.2016
i) The notional principal of swap agreements	100.00	425.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	(-) 0.46	(-) 0.84

बैंक ने आईआरएस/एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/एफआरए की अनुमोदित सीमा रु.2000 करोड़ है। 31 मार्च 2017 के अनुसार बैंक के कल्पित मूलधन के 4 (चार) बकाया स्वैप रहे, जिसकी सांकेतिक मूल राशि रु.100 करोड़ रही जो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए थी। बकाया क्रय-विक्रय स्वैप का बाजार हेतु चिन्हित (एमटीएम) मूल्यांकन रु. (-) 0.46 करोड़ रहा।

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर:

(रु.करोड़ में)

क्र. सं.	ब्योरे	2016-17	2015-16
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन क) ब्याजदर भविष्य	587.57	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन का प्रकटन

3.3.1 गुणात्मक प्रकटन:

- डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।
- उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।
- डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।
- महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.5 (एफ) (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटन :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	करोन्सी डेरिवेटिव		ब्याज दर डेरिवेटिव	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि)	12997.65	14089.80	100.00	425.00
	क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए	7065.81	2695.06	0.00	0.00
	ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए	5931.84	11394.74	100.00	425.00
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां (1)				
	क) आस्ति (+)	175.81	40.00	0.00	0.00
	ख) देयताएं (-)	-	0.00	(-) 0.46	(-) 0.84

The Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRA's. The approved ceiling for IRS / FRAs in terms of notional principal is Rs 2000 crores. As on 31st March 2017, the Bank had 4 outstanding swaps for notional principal of Rs 100 crores which were for trading purpose. MTM valuation for outstanding trading swaps is Rs. (-) 0.46 crores.

3.2 Exchange Traded Interest Rate

(Rs. in Crores)

S.N.	Particulars	2016-17	2015-16
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) Interest Rate Future	587.57	Nil
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosure

- Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.
- Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.
- Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Head Office. The swaps are tracked on regular basis.
- Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, expenditure, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

3.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. in Crores)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate derivatives	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
(i)	Derivatives (Notional Principal amount)	12997.65	14089.80	100.00	425.00
	(a) For hedging	7065.81	2695.06	0.00	0.00
	(b) For Trading	5931.84	11394.74	100.00	425.00
(ii)	Marked to Market Position [1]				
	(a) Asset (+)	175.81	40.00	0.00	0.00
	(b) Liability (-)	-	0.00	(-) 0.46	(-) 0.84

(iii)	ऋण विगोपन (2)	435.76	321.80	0.75	4.50
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.37	0.02	0.00	0.00
	ख) लेनदेन डेरिवेटिव पर	1.08	0.07	0.02	9.37
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर				
	1) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर	अधि: 3.37 न्यून: 0.02	अधि: 4.32 न्यून: 0.02	अधि:लागू नहीं न्यून:लागू नहीं	अधि:लागू नहीं न्यून:लागू नहीं
	2) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर	अधि: 1.98 न्यून: 0.05	अधि: 13.78 न्यून: 0.07	अधि: 0.11 न्यून: 0.02	अधि: 9.37 न्यून: 1.77

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान:

(रु.करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	
		ऋण विगोपन	मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	0.75	0.003
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	477.11	1.91
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वेप	शून्य	शून्य
	कुल	477.86	1.913

* ऋण विगोपन की गणना बेसल III के जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार।

3.5 ऋण चूक स्वेप (सीडीएस) :

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वेप (सीडीएस) नहीं है या दिनांक 31 मार्च, 2017 को शून्य है।

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	11.76	6.35
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	10385.85	6402.06
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	9119.05	5723.85
(ग) वर्ष के दौरान कमी	2316.19	1740.06
(घ) अंतिम शेष	17188.71	10385.85
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) प्रारंभिक शेष	6832.03	4126.57
जोड़े - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी द्वारा निपटायें गये खाते	87.30	49.22
सकल प्रारंभिक शेष	6919.33	4175.79
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	7101.09	2844.03
(ग) वर्ष के दौरान कमी	2689.23	100.49
(घ) सकल अंतिम शेष	11331.19	6919.33
घटायें - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटायें गये खाते	101.63	87.30
निवल अंतिम शेष	11229.56	6832.03

(iii)	Credit Exposure [2]	435.76	321.80	0.75	4.50
(iv)	Likely impact of one per-centage change in interest rate (100*PV01)				
	(a) On hedging derivatives	0.37	0.02	0.00	0.00
	(b) On trading derivatives	1.08	0.07	0.02	9.37
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	(a) On hedging	Max : 3.37 Min : 0.02	Max : 4.32 Min : 0.02	Max : NA Min : NA	Max : NA Min : NA
	(b) On trading	Max : 1.98 Min : 0.05	Max : 13.78 Min : 0.07	Max : 0.11 Min : 0.02	Max : 9.37 Min : 1.77

3.4 Standard provision on derivative exposure*:

(Rs. in Crores)

S. N.	Particulars	31.03.2017	
		Credit Exposure	Provision as applicable to standard advances
1	Interest rate derivative	0.75	0.003
2	Foreign exchange derivative	477.11	1.91
3	Gold contract	Nil	Nil
4	Credit default swaps	Nil	Nil
	Total	477.86	1.913

* Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III.

3.5 Credit Default Swaps (CDS):

The Bank has no credit default swaps during the year 2016-17 or as on March 31, 2017 is Nil.

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	11.76	6.35
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	10385.85	6402.06
(b) Additions during the year	9119.05	5723.85
(c) Reductions during the year	2316.19	1740.06
(d) Closing balance	17188.71	10385.85
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	6832.03	4126.57
Add: ECGC/DICGC Settled amount	87.30	49.22
Gross Opening Balance	6919.33	4175.79
(b) Additions during the year	7101.09	2844.03
(c) Reductions during the year	2689.23	100.49
(d) Gross closing balance	11331.19	6919.33
Less : ECGC/DICGC Settled amount	101.63	87.30
Net closing Balance	11229.56	6832.03

(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	3425.61	2136.49
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान*	3688.34	2164.05
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना	1319.10	874.93
(घ) अंतिम शेष	5794.85	3425.61

* ₹.303.76 करोड़ (54.21) करोड़ की राशि के धोखाधड़ी राशि के रूप में वर्गीकृत खाते के प्रावधान सहित.

4.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण में अंतर और अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान

(₹.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार 31 मार्च, 2016 को सकल एनपीए	10385.85
2	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2016 को सकल एनपीए	13419.45
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	3033.60
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार 31 मार्च 2016 को निवल एनपीए	6832.03
5	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2016 को निवल एनपीए	9865.63
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	3033.60
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार 31 मार्च 2016 को एनपीए के लिए प्रावधान	3425.61
8	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2016 को एनपीए के लिए प्रावधान	3930.81
9	प्रावधान में अंतर (8-7)	505.20
10	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीटीए)	100.69
11	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर के बाद निवल लाभ (पीटीए) प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए	(404.51)

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1	खातों की संख्या	6	8
2	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	86.97	72.10
3	कुल प्रतिफल	168.90	48.48
4	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0
5	निवल खाताबही मूल्य पर सकल प्राप्ति/ हानि	81.93	(-) 28.72

वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹.86.97 करोड़ (₹.1.94 करोड़) सहित, ₹.86.97 करोड़ (₹.72.10 करोड़) बही मूल्य की अनर्जक आस्तियां बेचीं, जिसके परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियों में कमी आई.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01.07.2015 के अपने मास्टर परिपत्र डीबीआर. क्र.बीपी.बीसी.2/ 21.04.048/ 2015-16 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार 26.02.2014 से और 31.03.2016 तक दो साल की अवधि में बेची संपत्ति हेतु वित्तीय संपत्तियों की एआरसी को बिक्री से होने वाली कमी के लिए बैंकों को परिशोधन करने की अनुमति दी गई है. तदनुसार बैंक द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹.14.33 करोड़ (विगत वर्ष मार्च 2016 के लिए ₹. 14.39 करोड़) का परिशोधन किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय संपत्तियों की एआरसी को बिक्री से कोई कमी नहीं आयी है.

(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	3425.61	2136.49
(b) Provisions made during the year*	3688.34	2164.05
(c) Write-back/write off of excess provisions	1319.10	874.93
(d) Closing balance	5794.85	3425.61

*includes provision towards accounts classified as fraud amounting to Rs. 303.76 crores (Rs. 54.21 crores).

4.2 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(Rs in Crores)

S N	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	10385.85
2	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	13419.45
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	3033.60
4	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	6832.03
5	Net NPAs as of March 31, 2016 as assessed by RBI	9865.63
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	3033.60
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	3425.61
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	3930.81
9	Divergence in provisioning (8-7)	505.20
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	100.69
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	(404.51)

4.3 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Rs. in Crores)

S. N.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	No. of accounts	6	8
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	86.97	72.10
3	Aggregate consideration	168.90	48.48
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/loss over net book value.	81.93	(-) 28.72

During the year 2016-17, the Bank has sold non-performing assets of the book value of Rs. 86.97 crores (Rs.72.10 crores) including Rs. 86.97 crores (Rs.1.94 crores), during the quarter ended March 31, 2017 resulting in reduction of NPAs.

As per guidelines issued by RBI vide master circular DBR.No.BP. BC.2/21.04.048/2015-16, dated 01.07.2015, banks have been allowed to amortise shortfall arising from sale of financial assets to ARC, for assets sold from 26.02.2014 and up to 31.03.2016 over a period of two years. Consequently the Bank has amortised Rs. 14.33 crores during the year ended March 31, 2017 (Rs. 14.39 crores for previous year March 2016). During the current financial year, there is no shortfall arising from sale of financial assets to ARCs.

4.4 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दे

(रु.करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016
जमानत रसीदों में निवेश का बही मूल्य	*127.71	40.90	-	-	127.71	40.90

* **टिप्पणी :** बैंक द्वारा ने वित्तीय वर्ष 2016- 17 के दौरान रु.127.71 करोड़ की राशि प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) की सदस्यता के लिए एआरसी को हस्तांतरित निधि के साथ आवेदित है. एआरसी द्वारा डीमैट में एसआर का आर्बटन प्रक्रियाधीन है.

प्रतिभूति रसीदों में वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवेशों के बही मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
i) इस रूप में बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	102.28	106.34
ii) इस रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
कुल	102.28	106.34

प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई एसआर	5 वर्षों से अधिक से पूर्व में परंतु पिछले 8 वर्षों से भीतर जारी की गयी एसआर	8 वर्षों से अधिक से पहले जारी की गयी एसआर
i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	99.53	0.00	2.75
i) के लिए किए गए प्रावधान	0.96	0.00	2.75
ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाएं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
(ii) के लिए किए गए प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल i) + ii)	99.53	0.00	2.75

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 13.06.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी. 102/21.04.048/2015-16 के अनुसार, शून्य प्रावधान किया गया वर्ष के दौरान प्रतिभूति कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए तथा अपरिशोधित प्रावधान वर्ष की समाप्ति में अन्य आरक्षितियों को नामे किया गया था.

4.5 अन्य बैंकों से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.4 Sale of financial assets to Securitization Company / Reconstruction Company and related issues

(Rs. in Crores)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-financial companies as underlying		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016
Book Value of Investment in Security Receipts	*127.71	40.90	-	-	127.71	40.90

***Note:** Bank has applied with fund transferred to ARC for subscription of Security Receipts (SRs) amounting to Rs. 127.71 crores during FY 2016-17. Allotment of SR in DEMAT form by ARC is in process.

The details of the book value of investments outstanding at the end of the year in security receipts are as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
i) Backed by NPAs sold by Bank as underlying	102.28	106.34
ii) Backed by NPAs sold by other Banks /financial institutions / non- banking financial companies as underlying	0.00	0.00
Total	102.28	106.34

Disclosure of investment in Security Receipts

(Rs in Crores)

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i) Book Value of SRs Backed by NPAs sold by the bank as underlying	99.53	0.00	2.75
Provision held against (i)	0.96	0.00	2.75
ii) Book Value of SRs Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
TOTAL i) + ii)	99.53	0.00	2.75

As per RBI circular DBR No. BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated 13.06.2016, Nil provisions was made during the year to meet the shortfall in sale of NPA's to Securitization Company/ Reconstruction Company and unamortized provision was debited to other reserves at the end of the year.

4.5 Details of non- performing financial assets purchased from other Banks

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1 (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2 (a) Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.6 अन्य बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	0.00	0.00
3. प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.7 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	सं. / राशि
1	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों हेतु प्रायोजित एसपीवी की संख्या*	शून्य
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर अनुपालन के प्रति बैंक द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि	
	क)) तुलनपत्र बाह्य विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि	
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

* यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों से संबंधित एसपीवी ही रिपोर्ट किए जाएं.

4.8 पुनर्संरचित खातों के विवरण

4.9 31.03.2017 को दबावग्रस्त आस्तियां (एस 4 ए) की सतत संरचना

(रुपए करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या जहां (एस4ए) लागू किया गया है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक	1	30.96	30.96	शून्य	0.12
एनपीए	2	118.81	104.21	14.60	32.77

4.6 Details of non- performing financial assets sold to other Banks

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1. No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	0.00	0.00
3. Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.7 Disclosure relating to Securitization:

(Rs. In Crores)

S. N.	Particulars	No. / Amount
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	Nil
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Loss	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	

*Only the SPVs relating to outstanding securitization transactions may be reported here

4.8 Particulars of Accounts Restructured

4.9 Sustainable structuring of stressed assets (S4A), as on 31.03.2017

(Rs in Crores)

Asset Classification	No of accounts where S4A has been applied	Ag-gregate amount out-standing	Amount outstanding		Provision held
			In Part A	In Part B	
Standard	1	30.96	30.96	Nil	0.12
NPA	2	118.81	104.21	14.60	32.77

31.03.2017 को पुनर्गठित खातों का विवरण Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2017

बैंक का नाम - बैंक ऑफ महाराष्ट्र

NAME OF THE BANK : Bank of Maharashtra

क्र.सं. Sl No	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring → अतिरिक्त संपत्ति Asset Classification → विवरण Details →	संशोधन के अंतर्गत Under CDR Mechanism				स्वायत्त ऋण पुनर्गठन के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism				अन्य Others				कुल Total				(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)			
		मानक Stand-ard	अवमानक Sub- Stand-ard	संशोधन Double-fid	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अवमानक Sub- Stand-ard	संशोधन Double-fid	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अवमानक Sub- Stand-ard	संशोधन Double-fid	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अवमानक Sub- Stand-ard	संशोधन Double-fid	हानि Loss	कुल Total
1	1 अप्रैल 2016 से पुनर्गठित खाते (अतिरिक्त अंशों)* structured Accounts as on April 1, 2016 (opening figures)*	अनुवर्तकों के संख्या No. of borrowers बकाया रकम Amount outstanding अप्रत्यक्ष प्रदान Provision thereon	19 7 8 0	34 281 148 3	572	26535	4330	3088	213	34166	26835	4485	3236	216	34772						
2	वर्ष के दौरान में पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	अनुवर्तकों के संख्या No. of borrowers बकाया रकम Amount outstanding अप्रत्यक्ष प्रदान Provision thereon	0 0 0 0	1 584 2.17 0.43	8.44	307.07	38.96	57.36	0.04	403.44	312.91	41.13	57.36	0.47	411.88						
3	वर्ष के दौरान में पुनर्गठित ऋणों का कैटेगरी Upgradation to restructured standard category during the FY	अनुवर्तकों के संख्या No. of borrowers बकाया रकम Amount outstanding अप्रत्यक्ष प्रदान Provision thereon	0 0 0 0	2 2.98 -1.09 0.00	0.00	6.11	-6.11	0.00	0.00	0.00	9.10	-7.21	-1.89	0.00	0.00						
4	पुनर्गठित ऋणों के दौरान पुनर्गठित ऋणों का कैटेगरी Downgradations of restructured accounts during the FY	अनुवर्तकों के संख्या No. of borrowers बकाया रकम Amount outstanding अप्रत्यक्ष प्रदान Provision thereon	-4 -280.15 -5.47	-101 -59.99 -0.50	-101	-12	-117	-12	-117	-12	-117	-117	-117	-117	-117						
5	वर्ष के दौरान में पुनर्गठित ऋणों का कैटेगरी Write-offs of restructured accounts during the FY	अनुवर्तकों के संख्या No. of borrowers बकाया रकम Amount outstanding अप्रत्यक्ष प्रदान Provision thereon	-12 -211.98 -32.56	-2 1399.17 41.29	34 10.00	-8 -249.00 -2.49	-9 -249.00 -2.49	16 0.00	1 0	0 0	-41 -27	-27	64 4	0 0	-589.15						
6	वर्ष के दौरान में पुनर्गठित ऋणों का कैटेगरी Write-offs of restructured accounts during the FY	अनुवर्तकों के संख्या No. of borrowers बकाया रकम Amount outstanding अप्रत्यक्ष प्रदान Provision thereon	0 -133.83 0	-6 -338.66 0	-32 -1202	-8 -58.11	-8 -183.37	-2 -6.74	-4 -52.48	0 0	-14 -242.59	-43 -403.15	-40 0	0 0	-118						
7	31 मार्च 2017 से पुनर्गठित खाते (अतिरिक्त अंशों)* Accounts as on 31st March 2017 (closing figures)*	अनुवर्तकों के संख्या No. of borrowers बकाया रकम Amount outstanding अप्रत्यक्ष प्रदान Provision thereon	3 4 18 0	25 155 77	381	26516	6770	3781	272	37339	26674	6851	3940	280	37745						
			1635	709	4074	0.00	35.90	4.94	5.96	0.00	40.86	14.38	48.29	0.00	106.53						
*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).																					
भारत पुनर्गठित ऋणों के अंशों के अंतर्गत में अनुवर्तकों का संख्या (रु. करोड़ में) अनुवर्तकों																					
भिन्नताओं का समझ Reconciliation of Differences																					
भिन्नताओं के कारण Reason for Differences																					
पुनर्गठित ऋणों के अंतर्गत में अनुवर्तकों के संख्या No. of borrowers																					
वर्ष के दौरान में पुनर्गठित ऋणों का कैटेगरी Upgradation to restructured standard assets not attracting higher provision & Upgradation to restructured standard assets not attracting provision																					

अतिरिक्त/नाप सवितरण/पुनर्गठन के कारण है. Variation in restructured amount is mainly on account of additional / fresh disbursement / repayments.

4.10 विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना

(रुपए करोड़ में)

अवधि	लचीलेपन की संरचना हेतु गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीलेपन की संरचना के लिए ली गई ऋण की राशि		लचीली संरचना के लिए उठाए गए ऋणों की अवधि का विगोपन भारित औसत	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने से पहले	लचीली संरचना लागू करने के पश्चात
विगत वित्तीय वर्ष - 2015 - 16	7	352.85	1653.69	4.57	14.28
चालू वित्तीय वर्ष - 2016 - 17	1	0.18	शून्य	9.13	9.18

4.10 Flexible structuring of Existing Loans

(Rs in Crores)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous financial year - 2015-16	7	352.85	1653.69	4.57	14.28
Current financial year - 2016-17	1	0.18	Nil	9.13	9.18

4.11 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (जो खाते अभी भी स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)

Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand still period)

(Rs in Crores)

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू किया गया है No of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि Amount Outstanding as on the reporting date		जहां इक्विटी के लिए ऋण का रूपांतरण लंबित ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जहां इक्विटी के लिए ऋण का रूपांतरण हुआ है खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत** Classified as NPA**	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
20	802.83	2337.53	Nil	19.06	802.83	113.13

** रु. 2205.34 करोड़ के ऐसे मामले जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हेतु 31.03.2017 को 210 दिनों की अवधि समाप्त हुई है, को रिपोर्ट नहीं किया गया है।

**10 cases amounting to Rs. 2205.34 crores where the period of 210 days for conversion of debt into equity has expired as of 31.03.2017 are not reported

4.12 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन (जो खाते अभी भी स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)

4.12 Change in ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under stand still period)

(रुपए करोड़ में)
(Rs in Crores)

खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन का फैसला किया है No of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की दिनांक के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति / इक्विटी के प्रतिभूति का रूपांतरण लंबित है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares is pending		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि के रूप में बकाया राशि, जहां इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति / इक्विटी के प्रति समर्पण के लिए रूपांतरण किया गया है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares has taken place		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री के द्वारा स्वामित्व में बदलाव की परिकल्पना की गई है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as	
	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA
1	89.25	Nil	89.25	Nil	Nil	Nil	89.25	Nil

4.13 कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (जो खाते अभी भी स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)

(रु. करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचना	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.13 Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand still period)

(Rs in Crores)

No of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as Standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
Nil	Nil	Nil	Nil

4.13.1 सीडीआर / गैर सीडीआर के अंतर्गत मानक परिसंपत्तियों के रूप में पुनर्गठन ऋण के मामले में, अग्रिमों का वर्गीकरण और परिणामी आय मान्यता को नियमों और शर्तों के प्रमुख अनुपालन के आधार पर किया गया है, जहां लागू होनेवाले पुनर्गठन पैकेज विस्तारित अवधि सहित है

4.13.1 In case of restructured loans as standard assets under CDR/ non CDR, classification of advances and consequent income recognition have been done based on major compliances of terms and conditions of restructuring package including extension period wherever applicable

4.14 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	655.57	660.17
2	फॉरेक्स मानक आस्तियों (डेरिवेटिव विगोपन) हेतु प्रावधान	1.91	0.60
3	आरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन हेतु प्रावधान	7.68	24.84
4	डेरिवेटिव ब्याज दर	0.00	0.00
	कुल	665.16	685.61

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को रु.381.93 करोड़ के बकाया ऋण पर रु. 11.70 करोड़ विवेकपूर्ण प्रावधान किया है। कुल प्रावधान राशि रु.57.29 करोड़ की है, जो बकाया राशि का 15% है।

4.14 Provisions on Standard Assets

(Rs. in Crores)

S.N	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	Provisions towards Standard Advances	655.57	660.17
2	Provisions towards Standard Assets (Derivative exposure) Forex	1.91	0.60
3	Provision towards Un-hedged Foreign Currency Exposure	7.68	24.84
4	Interest rate derivative	0.00	0.00
	Total	665.16	685.61

In compliance with the RBI guidelines, the Bank has made remaining prudential provision of Rs. 11.70 crores on outstanding loan of Rs. 381.93 crores as on 31st March 2017 under Food Credit availed by Government of Punjab. The total provision held is of Rs. 57.29 crores, which is 15% of outstanding amount.

4.15 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क) अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख) लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
(घ) अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

4.15 Details of floating provision

(Rs. in Crores)

SN	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
a	Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
b	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d	Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

बैंक का रु.21.06 करोड़ (रु.21.06 करोड़) सामान्य प्रावधान है, जो बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

5. कारोबारी अनुपात:

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	7.55%	8.71%
2. कार्यकारी निधियों से गैरब्याजी आय का प्रतिशत	0.94%	0.68%
3. कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.14%	1.56%
4. आस्तियों पर आय	(0.86)	0.07
5. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (रूपये करोड़ में)	18.40	18.02
6. प्रति कर्मचारी लाभ (रूपये लाख में)	(10.58)	0.73

6. आस्ति देयता प्रबंधन:

Asset Liability Management:

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(रुपए करोड़ में)

(Rs. in Crores)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह 31 days to 2 months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months and up to 3 months	3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियाँ Deposits	882.67	1671.31	1722.08	2763.73	3299.29	4927.23	8792.55	29282.52	80303.97	1138.18	4269.30	139052.83
अग्रिम Advances	880.29	1363.19	3643.63	3894.87	2486.82	2139.81	10600.07	7653.98	37396.04	14188.24	17289.84	101536.78
निवेश Investments	11.00	149.46	0.00	355.58	418.57	226.61	1596.71	1398.91	6202.24	4083.85	24398.65	38841.58
उधारियाँ Borrowings	40.65	0.00	0.00	1500.00	0.00	22.00	70.00	324.29	1270.78	1013.88	3996.68	8238.28
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	636.97	3355.57	33.97	917.52	624.48	1140.35	889.51	661.48	0.00	0.00	0.00	8259.85
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	123.65	4170.62	40.28	2151.62	497.01	673.72	748.85	715.60	211.76	143.86	0.00	9476.97

6.1 तरलता कवरेज अनुपात :

Liquidity Coverage Ratio:

मात्रात्मक प्रकटन :

Quantitative Disclosure:

(रुपए करोड़ में)

(Rs in Crores)

		2016-17		2015-16	
		कुल अभाारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल अभाारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां High Quality Liquid Assets (HQLAs)					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां Total High Quality liquid Assets		18596.48		14278.33
नकदी बहिर्गमन Cash outflows					
2	रिटेल जमाराशियां और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियां Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	107266.86	9067.68	96930.79	8243.66
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	33180.06	1659.00	28988.47	1449.43
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	74086.80	7408.68	67942.33	6794.23
3	अरक्षित थोक निधीयन, जिनमें से : Unsecure wholesale funding, of which:	21877.24	13388.50	23020.52	11667.56
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	167.41	41.85	1413.08	353.27
(ii)	अपरिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	21709.83	13346.64	21607.44	11314.29
(iii)	अरक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधीयन Secured wholesale funding	236.85	0.00	236.85	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which:	16944.35	2014.84	16610.11	1933.91
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य सहायक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन Outflows related to derivatives exposure and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि संबंधी बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	16944.35	2014.84	16610.11	1933.91
6	अन्य अनुबंधात्मक निधीयन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	150.35	150.35	197.58	197.58
7	अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताएं Other contingent funding obligtations	14634.09	476.07	13992.74	662.14
8	कुल नकदी बहिर्गमन Total cash outflows		25097.44		22704.85

नकदी अंतर्वाह Cash inflows					
9	रक्षित उधारी (उदा.प्रतिवर्तित रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	2950.65	0.00	439.99	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	9473.86	8863.02	4133.04	3309.18
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	523.36	367.21	896.91	510.42
12	कुल नकदी अंतर्वाह TOTAL CASH INFLOWS	12947.87	9230.23	5469.94	3819.60
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां TOTAL HQLA		18596.48		14278.33
14	कुल निवल नकदी अंतर्वाह TOTAL NET CASH OUTFLOWS		15867.21		18885.25
15	तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity coverage ratio (%)		117.20%		75.61%

मात्रात्मक

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जोकि तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को विभक्त कर किया जाता है। निवल नकदी बहिर्वाह का परिकलन दैनिकताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैर प्रत्याभूत थोक उधारियों) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए औसत एलसीआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट उपर्युक्त न्यूनतम 70% की आवश्यकता की तुलना में 117.20% रहा है।

एसक्यूएलए में स्तर 1 की आस्तियां (नकदी, अतिरिक्त सीआरआर शेष, न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूति, एफएलएलसीआर के अंतर्गत 8% और एमएसएफ के अंतर्गत 2% तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियां) और अन्य स्तर 2 की आस्तियां समाविष्ट हैं।

निधियन स्रोत एसएलआर प्रतिभूतियों में संघटित है तथापि वे बैंक द्वारा धारित तरल आस्तियों का मुख्य भाग बनाते हैं।

7. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

7.1 जमाराशियों का संकेन्द्रण

(₹. करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	7849.10	13693.14
बैंक की कुल जमाराशियों से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	5.64%	9.85%

Qualitative

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

Average LCR for the year ended 31st March 2017 is 117.20%, above RBI prescribed minimum requirement of 70%.

HQLAs consist of Level 1 assets (Cash, excess CRR balance, Government security in excess of minimum SLR requirement, Government securities with in mandatory SLR requirement up to 2% under MSF and 8% under FALLCR) and other level 2 assets.

Funding sources are concentrated in SLR securities however they constitute major portion of liquid assets possessed by Bank.

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Deposits of Twenty largest Depositors	7849.10	13693.14
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	5.64%	9.85%

7.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	14524.85	15530.01
बैंक के कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	14.31%	13.96%

7.3 विगोपनों का संकेन्द्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	20842.46	20052.01
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	15.26%	13.40%

7.4 अनर्जक आस्तियों का जमाव

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	3566.33	2145.08

7.5 सकल अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
दिनांक 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)	10385.85	6402.06
वर्ष के दौरान (नई अनर्जक आस्तियों में) वृद्धि	9119.05	5723.85
उप जोड़ (क)	19504.90	12125.91
घटाएं :		
(i) कोटि उन्नयन	149.36	191.29
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नत खातों में हुई वसूलियों को छोड़कर)	809.72	645.45
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	1119.04	820.23
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत दर्शाए गए बट्टे खातों को छोड़कर	238.07	83.09
उप जोड़ (ख)	2316.19	1740.06
31 मार्च को (लेखाबंदी शेष) सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	17188.71	10385.85

7.6 तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का संचलन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों का आरंभिक शेष	2007.56	1281.77
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते + परिवर्तन (पिछले वर्ष के लिए रु.0.86 करोड़ और चालू वर्ष के लिए रु.0.18 करोड़)	1136.25	821.10
उप जोड़ (क)	3143.81	2102.87
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में हुई वसूलियां (ख)	75.12	95.31
31 मार्च को लेखाबंदी शेष (क-ख)	3068.69	2007.56

7.2 Concentration of Advances

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Advances of Twenty largest borrowers	14524.85	15530.01
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.31%	13.96%

7.3 Concentration of Exposure

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	20842.46	20052.01
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	15.26%	13.40%

7.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposure to top four NPA accounts	3566.33	2145.08

7.5 Movement of Gross NPAs

(Rs. in Crores)

Particulars	2016-17	2015-16
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	10385.85	6402.06
Additions (Fresh NPA) during the year	9119.05	5723.85
Sub-total (A)	19504.90	12125.91
Less:		
(i) Up gradations	149.36	191.29
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	809.72	645.45
(iii) Technical / Prudential write-off	1119.04	820.23
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	238.07	83.09
Sub-Total (B)	2316.19	1740.06
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	17188.71	10385.85

7.6 Movement of Technical / Prudential Write off

(Rs. in Crores)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 1st April	2007.56	1281.77
Add: Technical / Prudential write-offs during the year + variation (Rs. 0.18 crores for Current Year and Rs.0.86 crores for Previous Year)	1136.25	821.10
Sub-Total (A)	3143.81	2102.87
Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year (B)	75.12	95.31
Closing balance as at 31st March (A-B)	3068.69	2007.56

क्षेत्रवार अग्रिम

7.7 Sector-Wise Advances:

(रु.करोड़ में)
(Rs. in Crores)

क्रमांक S. N.	क्षेत्र Sector	2016-17			2015-16		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
A	प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector						
1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	15290.78	1728	11.30	14851.67	1205.86	8.12
2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5965.21	1927.19	32.31	6807.98	1533.55	22.53
3	सेवाएं Services	9180.9	1595.55	17.38	9262.61	1336.62	14.43
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	7005.01	364.61	5.20	7478.93	244.99	3.28
	उप-जोड़ (क) Sub-total (A)	37441.95	5615.35	15.00	38401.19	4321.02	11.25
B	गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non-Priority Sector						
1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	200.67	147.49	73.50	---	--	---
2	उद्योग Industry	26415.63	8319.05	31.49	31972.22	3842.43	12.02
3	सेवाएं Services	24711.66	2677.19	10.83	32045.59	1890.51	5.90
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	12766.85	429.63	3.37	8821.28	331.89	3.76
	उप-जोड़ (ख) Sub-total (B)	64094.81	11573.36	18.06	72839.09	6064.83	8.33
	कुल (क+ख) Total (A+B)	101536.76	17188.71	16.93	111240.28	10385.85	9.34

7.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
कुल आस्तियां	1469.03	890.85
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	2.59	1.62

7.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Assets	1469.03	890.85
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	2.59	1.62

7.9 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

7.9 Off-balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

8. विगोपन:

8.1 स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2017	31.03.2016
क. प्रत्यक्ष विगोपन	20414.56	18522.62
i) आवासीय बंधक - जिसमें से रु.25.00 लाख तक के ऋण उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित है. (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए)	14370.45 6982.71	11460.65 7008.77
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहु-प्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित सीमाएं भी शामिल हैं.	6044.11	7061.97
iii) बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश-		
क) आवासीय	शून्य	शून्य
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख) अप्रत्यक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	1763.32	4663.55
रीयल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	22177.88	23186.17

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i) ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	83.09	100.52
ii) व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	शून्य	शून्य
iii) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.69	0.67
iv) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपात्तिविक प्रतिभूति माना गया है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती.	62.70	62.83

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crores)

S N	Category	31.03.2017	31.03.2016
a)	Direct exposure	20414.56	18522.62
i	Residential Mortgages – Out of which Loans up to Rs. 25lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)	14370.45 6982.71	11460.65 7008.77
ii	Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits.	6044.11	7061.97
iii	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – a. Residential, b. Commercial Real Estate.	Nil Nil	Nil Nil
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	1763.32	4663.55
	Total Exposure to Real Estate Sector	22177.88	23186.17

8.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in Crores)

S N	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	83.09	100.52
ii	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds	Nil	Nil
iii	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	0.69	0.67
iv	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	62.70	62.83

v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों को ओर से जारी गारंटियां	106.02	106.02
vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
x) उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी विगोपन	30.16	29.33
पूँजी बाजार में कुल विगोपन	282.66	299.37

31.03.2017 को समाप्त वर्ष को ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन के कारण प्राप्त/आबंटित इक्विटी शेयरों में निवेश	12	126.57	3	19.57

8.3 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता को उधार देने के संबंध में विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है। प्रकटन करने के उद्देश्य हेतु और विगोपन सीमा प्राप्त करने हेतु मंजूरी सीमा या संपूर्ण बकाया, जो भी उच्च हो, को परिकलन हेतु लिया जाएगा।

8.4 अंतर-समूह विगोपन

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है

(रु. करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	2016-17	2015-16
1	अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि	472.11	91.11
2	20 शीर्ष अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि	472.11	91.11
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	0.46%	0.08%
4	अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	शून्य	शून्य

v	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	106.02	106.02
vi	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/ bonds /debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	Nil	Nil
vii	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	Nil	Nil
viii	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
ix	Financing to stockbrokers for margin trading	Nil	Nil
x	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	30.16	29.33
Total Exposure to Capital Market		282.66	299.37

As on the year ended 31.03.2017, the details of Bank's direct investment in equity shares, on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits, is as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
	No. of accounts	Amount	No. of accounts	Amount
Investment in equity shares received / allotted on account of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from Capital Market Exposure limits	12	126.57	3	19.57

8.3 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

The Bank has not exceeded the prudential exposure limits in respect of lending to single borrower or group borrower during financial year 2016-17. The sanctioned limit or entire outstanding, whichever is higher, shall be reckoned for arriving at exposure limit and for disclosure purpose.

8.4 Intra-Group Exposures:

The details of the intra-group exposures of the bank are as under

(Rs. In Crores)

S.N.	Particulars	2016-17	2015-16
1	Total amount of intra-group exposures	472.11	91.11
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	472.11	91.11
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.46%	0.08%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

8.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन

(रु. करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1	यूएफसीई पर किया गया अतिरिक्त प्रावधान	7.68	24.84
2	यूएफसीई पर धारित पूंजी	37.53	73.76

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाली करंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों (यूएफसीई) को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधान के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है।

1) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति:

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु रु.10.00 करोड़ एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले 5 वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदे अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मदों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/या प्राकृतिक रूप से संरक्षित को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (डेरिवेटिव संविदा (अर्थात् वायदा संरक्षा) के माध्यम से वित्तीय रक्षित और प्राकृतिक रूप से रक्षित पर भी विचार किया गया, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करंसी विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई थी। अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी वित्तीय वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

2) संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

3) अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाईल पर आधारित है।

8.6 गैर जमानती अग्रिम:

दिनांक 31.03.2017 को गैर जमानती अग्रिमों में रु. 837.38 करोड़ (रु.1003.08 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे। इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2017 को अनुमानित मूल्य रु. 1892.12 करोड़ (रु. 1819.83 करोड़) है।

8.5 Unhedged Foreign Currency Exposure:

(Rs. In Crores)

S N	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	Provisioning held on account of UFCE	7.68	24.84
2	Capital held on account of UFCE	37.53	73.76

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

1. Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of Rs. 10 crores and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity / cash flow within the same accounting year).

2. Method to estimate the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

3. Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:

The likely loss / EBITD so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

8.6 Unsecured Advances:

Unsecured advances includes Rs 837.38 crores (Rs. 1003.08 crores) as on 31.03.2017 which is collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authorities etc. The estimated value of such intangible collateral is Rs. 1892.12 crores (Rs.1819.83 crores) as on 31.03.2017.

8.7 जोखिम श्रेणीवार देश निवेश

(रु.करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2017 को विगोपन (निवल)	31.03.2017 को धारित प्रावधान	31.03.2016 को विगोपन (निवल)	31.03.2016 को धारित प्रावधान
नगण्य जोखिम	2184.32	0.00	2240.51	0.00
कम जोखिम	1004.03	0.00	463.46	0.00
साधारण जोखिम	25.75	0.00	6.29	0.00
साधारणतः कम जोखिम	0.00	0.00	28.36	0.00
साधारणतः उच्च जोखिम	0.00	0.00	21.23	0.00
उच्च जोखिम	38.03	0.00	4.42	0.00
अति उच्च जोखिम	0.34	0.00	0.14	0.00
ऋणोत्तर जोखिम	0.02	0.00	0.08	0.00
कुल	3252.49	0.00	2764.49	0.00

बैंक का जोखिम श्रेणीवार निधि आधारित निवल विगोपन हर देश के लिए दिनांक 31.03.2017 को बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत से कम है अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

8.8 प्रावधान संरक्षा अनुपात:

दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2009-10 के निर्देशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात का परिकलन किया है जो 44.48% है। इस अनुपात का परिकलन 31.03.2017 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है।

जबकि ऐसे प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के परिपत्र क्र. डीपीडीसी 87/21.04.048/2010-11 के आधार पर परिकलित किए गए हैं जो 30.09.2010 के एनपीए स्तर रु.2049.81 और 31.03.2017 के एनपीए प्रावधान पर आधारित हैं जो आवश्यक न्यूनतम अपेक्षित 70% की तुलना में 440.01% है।

9. विविध:

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
आयकर हेतु प्रावधान	128.02	322.52

9.2 ला/हा खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	3800.20	2110.29
2	एएफएस/एचएफटी में निवेश पर मूल्यहास	0.00	26.42
3	अनर्जक निवेश पर प्रावधान	147.55	22.55
4	निवेश पर प्रावधान सीडीआर/पुनर्संचित	0.00	0.00
5	अरक्षित विदेश विनिमय विगोपन का प्रावधान	0.00	3.33
6	आयकर पर प्रावधान	81.36	322.51
7	आस्थगित कर आस्ति/देयता (निवल)	0.00	227.59
8	धोखाधड़ी (गैर- उधारकर्ता) के लिए प्रावधान	23.06	1.09
9	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	95.96	55.68
	उप जोड़ (क)	4148.13	2769.46

8.7 Risk Category wise Country Exposure

(Rs. in Crores)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2017	Provision held as at March 31, 2017	Exposure (net) as at March 31, 2016	Provision held as at March 31, 2016
Insignificant Risk	2184.32	0.00	2240.51	0.00
Low Risk	1004.03	0.00	463.46	0.00
Moderate Risk	25.75	0.00	6.29	0.00
Moderately Low Risk	0.00	0.00	28.36	0.00
Moderately High Risk	0.00	0.00	21.23	0.00
High Risk	38.03	0.00	4.42	0.00
Very High Risk	0.34	0.00	0.14	0.00
Off-credit	0.02	0.00	0.08	0.00
Total	3252.49	0.00	2764.49	0.00

Since Bank's net funded exposure for risk category-wise exposure for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2017, no provision is required in terms of RBI guidelines.

8.8 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the provision coverage ratio (PCR) as required vide circular No.DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010, dated December 1, 2009, which is 44.48%. This ratio has been calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2017.

Whereas such provision coverage ratio (PCR) calculated as per RBI circular No. DP.DC.87/21.04.048/2010-11, dated April 21, 2011, based on NPA level as on 30.09.2010 Rs. 2049.81 crores and NPA provision as on 31.03.2017 works out to 440.01%, as against minimum required 70%.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(Rs. in Crores)

Particulars	2016-17	2015-16
Provision for Income Tax	128.02	322.52

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crores)

S. N.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	Provision towards NPA	3800.20	2110.29
2	Depreciation on investments in AFS/HFT	0.00	26.42
3	Provision for Non Performing Investment	147.55	22.55
4	Provision for Investment – CDR/ Re-structure	0.00	0.00
5	Provision for un-hedged foreign currency exposure	0.00	3.33
6	Provision for Income tax	81.36	322.51
7	Deferred Tax Asset /Liability(Net)	0.00	227.59
8	Provision for fraud (Non Borrowal)	23.06	1.09
9	Other provision and contingencies	95.96	55.68
	Sub-total (A)	4148.13	2769.46

घटायें : प्रतिलेखन/समायोजन		
1 निवेश पर मूल्यहास का प्रतिलेखन	7.70	0.00
2 आयकर प्रावधान पर प्रतिलेखन	0.00	127.96
3 आस्थगित कर देयता/आस्ति	851.92	105.12
4 पुनर्संरचित निवेश प्रावधान पर प्रतिलेखन	27.14	0.00
5 मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	4.60	31.14
6 पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	39.65	260.75
7 अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	17.55	0.00
उप जोड़ (ख)	948.56	524.97
कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं (क - ख)	3199.57	2244.49

9.3 स्थिर आस्तियां

9.3.1 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष हेतु मूल्यहास की राशि रु 89.32 करोड़ (रु. 106.85 करोड़) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते के समक्ष समायोजित किया गया. 31.03.2017 को अंतिम पुनर्मूल्यांकन आरक्षित रु. 1206.46 करोड़ (रु. 1295.78 करोड़) है।

9.3.2 रु.6.54 करोड़ (रु.6.54 करोड़) की लागत वाली 4 (4) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों/परिसरों के संबंध में हक विलेखों को कतिपय लंबित/प्रलंबित औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अब तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किया गया था.

9.3.3 पूंजीगत कार्य-प्रगति में निश्चित परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो अभी तक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। प्रगति की पूंजी में रु. 22.05 करोड़ में किदवाई नगर, नई दिल्ली के निर्माण का निर्माण शामिल है। यह संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदी गई है और वर्तमान में निर्माणाधीन है और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भुगतान काम पूरा करने के चरण से जुड़ा हुआ है। संपत्ति और भुगतान की शर्तों की प्रकृति के विचार को देखते हुए निर्माणाधीन संपत्ति के तहत पूंजी कार्य की प्रगति में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार प्रकट किया गया है।

9.4 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई कालातीत गारंटियों की रकम रु.1635.13 करोड़ (रु.906.11 करोड़) शामिल है, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है.

ईसीजीसी के पास लंबित व उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले रु.34.60 करोड़ (रु.76.57 करोड़) के दावों को प्रावधानों के परिकलन के प्रयोजनार्थ वसूली योग्य माना गया है .

पट्टे पर पट्टे के लिए लंबित मामले हैं, जहां कोई भी आकस्मिक दायित्व नहीं माना जाता है क्योंकि बैंक पट्टे के काम की समाप्ति के कारण शाखा परिसर के जमींदारों द्वारा अदा किए गए सभी मामलों का बचाव कर रहा है। इनमें से, एक मामले में बैंक अपने दायित्व के लिए लगभग रु. 1.60 करोड़ अन्य सभी मामलों में जहां मकान मालिकों ने मुनाफे का दावा किया है, तब तक राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि अदालत मेसेन मुनाफे की मात्रा बढ़ा नहीं देती है।

9.5 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में रु.0.43 करोड़ (रु.0.44 करोड़) की रकम शामिल है .

9.6 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जुर्माना निम्नानुसार लगाया गया है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण / जुर्माने की प्रकृति	राशि
1.	---शून्य---	

	Less: Write back /adjustments		
1	Write-back of depreciation on Investment	7.70	0.00
2	Write-back of provision for Income Tax	0.00	127.96
3	Deferred Tax Assets/ Liability	851.92	105.12
4	Write back of Provision for restructured Investment	27.14	0.00
5	Write back of Provisions for Standard Advances	4.60	31.14
6	Write back of Provisions for Restructured Advances	39.65	260.75
7	Other provision and contingencies	17.55	0.00
	Sub-total (B)	948.56	524.97
	Total Provisions & Contingencies (A-B)	3199.57	2244.49

9.3 Fixed Assets:

9.3.1 Depreciation for the current year amounting to Rs. 89.32 crores (Rs.106.85 crores) on revalued assets has been adjusted against Revaluation Reserve Account. The closing Revaluation Reserve as on 31.03.2017 is Rs. 1206.46 crores (Rs.1295.78 crores).

9.3.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of Rs. 6.54 crores (Rs. 6.54 crores) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

9.3.3 Capital work-in-progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to Rs. 22.05 crores includes construction of building at Kidwai Nagar, New Delhi. This property has been purchased from the NBCC Ltd and currently under construction, and payment to Ministry of Urban Development, GOI, is linked with stage of completion of work. Considering the substance of the nature of asset and payment terms, said under construction property is classified as Capital Work in progress and disclosed accordingly.

9.4 Contingent Liabilities include expired guarantees amounting to Rs. 1635.13 crores (Rs. 906.11 crores) which have not been cancelled because of pending completion formalities.

Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to Rs. 34.60 crores (RS. 76.57 crores) have been considered as realizable for the purpose of computing provisions.

There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed against it by landlords of Branch Premises due to expiration of lease deeds. Out of these, in one case Bank accounts for its liability to around Rs. 1.60 crores. In all other cases where landlords have claimed mesne profits, the amounts cannot be ascertained unless the court crystalises quantum of mesne profit.

9.5 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 include Rs. 0.43 crores (Rs. 0.44 crores) towards unclaimed Share Application Money.

9.6 During the Financial year 2016-2017, Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007 has been imposed as under:

(Rs in Crores)

S. N.	Particulars/nature of penalties	Amount
1	---Nil---	

9.7 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	73	2
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2912	3218
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2931	3147
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	54	73

उपरोक्त आंकड़ों में ई-मेल से प्राप्त प्राप्त शिकायतें सम्मिलित नहीं हैं। इन शिकायतों को शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यद्यपि ई-मेल से प्राप्त अधिकतर शिकायतों का निवारण 48 घंटों में कर दिया जाता है।

9.8 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनियमों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनियमों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनियमों की संख्या	11	10
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनियमों की संख्या	11	10
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनियमों की संख्या	0	0

9.9 वर्ष के दौरान बैंक के एटीएम संव्यवहारों के संबंध में ग्राहक शिकायतों के विवरण

क्रं.	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	334	603
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	334	603
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

पिछले वर्ष के शिकायत के आंकड़ों में एटीएम दावों को भी सम्मिलित किया गया था। अब, 2015-16 के आंकड़ों को तदनुसार समायोजित कर दिया गया है। इन शिकायतों को शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यद्यपि ई-मेल से प्राप्त अधिकतर शिकायतों का निवारण 48 घंटों में कर दिया जाता है।

9.10 एटीएम संव्यवहारों के संबंध में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनियमों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनियमों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनियमों की संख्या	3	8
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनियमों की संख्या	3	8
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनियमों की संख्या	0	0

9.7 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	73	2
(b)	No. of complaints received during the year	2912	3218
(c)	No. of complaints redressed during the year	2931	3147
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	54	73

The above figures does not include complaints received by E-mail. The software for incorporating these complaints is under preparation. However most of the E-mail complaints are redressed in 48 hours

9.8 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

S. N.	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	11	10
(c)	No. of Awards implemented during the year.	11	10
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.9 The details of Customer complaints on account ATM transactions dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of complaints received during the year	334	603
(c)	No. of complaints re-dressed during the year	334	603
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	0	0

Last year, the complaint figures were including ATM claims also. Now, the figures for 2015-16 are adjusted accordingly, the above figures does not include complaints received by E-mail. The software for incorporating these complaints is under preparation. However most of the E-mail complaints are redressed in 48 hours

9.10 The details of awards passed by the Banking Ombudsman on account of ATM transactions are as under:

S. N.	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year.	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	3	8
(c)	No. of Awards implemented during the year	3	8
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

9.11 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने रु.1838 करोड़ के 1035 ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष के दौरान रु. 2360 करोड़ के 1189 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए.

दिनांक 31 मार्च, 2017 को रु. 334.97 करोड़ के 340 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31 मार्च, 2016 को रु. 811.36 करोड़ के 360 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे.

9.12 बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय

बैंक एश्योरेन्स के अधीन रु.10.93 करोड़ (रु.11.46 करोड़) की आय और रु.1.71 करोड़ (रु. 1.59 करोड़) की अन्य आय अर्जित की गई. बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	आय का स्वरूप	2016-17	2015-16
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	6.04	6.83
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	4.81	4.60
3	म्युचुअल फंड उत्पाद विक्रय हेतु	0.08	0.03
4	अन्य (उल्लेख करें)	1.71	1.59
	कुल	12.64	13.05

9.13 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ)

(रु.करोड़ में)

ब्यौरे	2016-17	2015-16
डीईएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	66.49	52.66
जोड़ें वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित रकम	38.68	13.83
घटाएं डीईएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	2.84	0.00
डीईएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	102.33	66.49

9.14 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुल जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है. राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है.

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:

10.1 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन.

चूंकि आय / व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबद्ध किया है.

10.2 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है .

9.11 Letters of Comfort (LOCs):

During the current year, 1035 Trade credits amounting to Rs. 1838 crores (previous year 1189 trade credits amounting to Rs. 2360 crores) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favour of various other banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st March 2017, 340 trade credits amounting to Rs. 334.97 crores were outstanding as against 360 trade credits amounting to Rs. 811.36 crores as on 31st March, 2016

9.12 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is Rs. 10.93 crores (Rs 11.46 crores) and other income of Rs. 1.71 crores (Rs. 1.59 crores). The details of Bancassurance income is as under:

(Rs. in Crores)

S. N.	Nature of Income	2016-17	2015-16
1	For selling life insurance policies	6.04	6.83
2	For selling non-life insurance policies	4.81	4.60
3	For selling mutual fund products	0.08	0.03
4	Others	1.71	1.59
	Total	12.64	13.05

9.13 Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs in Crores)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening balance of amount transferred to DEAF	66.49	52.66
Add: Amount transferred to DEAF during the year	38.68	13.83
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	2.84	0.00
Closing balance of amount transferred to DEAF	102.33	66.49

9.14 Work is in progress for adjustment / reconciliation / elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks / institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material.

10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income / expenditure are not material, the same have been charged / accounted for in respective heads of accounts

10.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.3 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर के कारण जमा निवल आय रु.101.91 करोड़ (रु.77.83 करोड़) रही.

10.4 लेखा मानक (एएस) -15 (संशोधित 2005) " कर्मचारी लाभ "

क. परिभाषित अंशदान योजनाएं :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
क) भविष्य निधि	0.33	0.31
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	0.00	0.00

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ

- क) **पेंशन योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है. यह निधिगत योजना है.
- ख) **उपदान योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है.
- ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है. यह गैरनिधि योजना है.

10.3 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credited to in the Profit and Loss account for the year is Rs. 101.91 crores (Rs.77.83 crores)

10.4 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) - "Employee Benefits"

A. Defined Contribution Plans:

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
a. Provident Fund	0.33	0.31
b. Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

B. Defined Benefit Plans:

- A) Pension Plan** - This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- B) Gratuity Plan** - This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- C) Leave Encashment / Compensated Absences** - This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव:

(रु. करोड़ में)

Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(Rs. in Crores)

क्र.सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	4182.24	3729.84	483.82	495.39	270.23	275.06
2	ब्याज लागत Interest Cost	290.55	274.79	44.88	34.57	18.21	19.92
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	483.13	413.77	40.24	29.32	29.13	36.39
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(349.20)	(368.31)	(93.76)	(98.54)	(37.75)	(36.38)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains) Losses for the year	186.76	132.14	7.03	23.08	21.80	(24.76)
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का लेखा बंदी वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	4793.48	4182.24	482.21	483.82	301.62	270.23

II. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:

(रु.करोड़ में)

Change in the Fair Value of Plan Assets:

(Rs. in Crores)

क्र.सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	4180.48	3676.60	481.86	489.12
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुनर्अदायगी Expected return on plan assets	332.35	321.70	54.95	42.80
3	किया गया अंशदान Contributions made	595.40	540.76	42.00	52.27
4	किया गया अंशदान Benefits paid	(349.20)	(368.31)	(93.76)	(98.54)
5	उपचित (लाभ) / हानि Actuarial gains/losses	9.97	9.73	(18.25)	(3.79)
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	4769.00	4180.48	466.80	481.86

III. तुलन पत्र में निर्धारित रकम

(रु.करोड़ में)

Amount recognized in the Balance Sheet:

(Rs. in Crores)

क्र.सं. S N	विवरण Particulars	निध्दिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिध्दिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल OTAL		छुट्टी नगदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.17	31.03.16	31.03.17	31.03.16	31.03.17	31.03.16	31.03.17	31.03.16
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	4793.48	4182.24	482.21	483.82	5275.69	4666.06	270.23	270.23
2	योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(4769.00)	(4180.48)	(466.80)	(481.86)	(5235.80)	(4662.34)	(0.00)	(0.00)
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	24.48	1.76	15.41	1.96	39.89	3.72	270.23	270.23
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	24.48	1.76	15.41	1.96	39.89	3.72	270.23	270.23

IV लाभ और हानि लेखा में निर्धारित रकम:

(रु.करोड़ में)

Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(Rs. in Crores)

क्र.सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1.	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	483.13	413.77	40.24	29.32	29.13	36.39
2.	ब्याज लागत Interest Cost	290.55	274.79	44.88	34.57	18.21	19.91
3.	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(332.35)	(321.70)	(54.95)	(42.80)	0.00	0.00
4.	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	176.78	122.42	25.27	26.86	21.80	(24.76)
5.	सेवा पश्चात लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	618.12	489.28	55.44	47.96	69.14	31.54

7.	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	618.12	489.28	55.44	47.96	69.14	31.54

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान

Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(रु. करोड़ में)

(Rs. in Crores)

क्र.सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	1.76	53.24	1.96	6.27	270.23	275.06
2	निर्धारित व्यय Expense recognized	618.12	489.28	55.44	47.96	69.14	31.54
3	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/Benefits paid	(595.40)	(540.76)	(42.00)	(52.27)	(37.75)	(36.37)
4	समापन निवल देयता Closing Net Liability	24.48	1.76	15.41	1.96	301.62	270.23

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय

Actual Return on Plan Assets

(करोड़ में)

(Rs. in Crores)

क्र.सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	332.35	321.70	54.95	42.80
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	9.97	9.73	(18.25)	(3.79)
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	342.32	331.43	36.70	39.01

VII. मूल जीवनांकिक मान्यताएं (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)

Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	भाजित दर Discount rate	7.25%	7.75%	7.25%	7.75%	7.25%	7.75%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	7.95%	8.75%	8.05%	8.75%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	लाभ व हानि खाते में निर्धारित	
		31.03.2017	31.03.2016
1	पुनर्स्थापन भत्ता	0.15	1.20
2	छुट्टी किराया रियायत	43.91	18.85
3	रजत जयंती पुरस्कार	0.09	0.12
	जोड़	44.15	20.08

C. Other Long Term Benefits:

(Rs. in Crores)

S N	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2017	31.03.2016
1	Resettlement Allowance	0.15	1.20
2	Leave Fare Concession	43.91	18.85
3	Silver Jubilee Award	0.09	0.12
	Total	44.15	20.08

10.5 लेखा मानक 17 - क्षेत्र रिपोर्टिंग

Accounting Standard 17- Segment Reporting

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है।

Bank has identified its primary reportable segments as under:

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र

Part A: Business segments

(रु.करोड़ में) Rs in crores

व्यवसाय क्षेत्र → Business Segments >	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व Revenue	4079.07	3106.57	5147.54	6676.80	3992.21	3899.26	351.21	389.65	13570.03	14072.27
परिणाम Result	1317.49	323.79	(2616.86)	(293.36)	(896.99)	338.50	53.58	48.84	(2143.06)	417.77
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating profit									(2143.07)	417.77
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									(770.56)	317.08
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									(1372.51)	100.69
अन्य जानकारीयाँ : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियाँ Segment assets	48024.30	39000.66	58617.74	72228.59	39219.77	37924.10	11432.09	10859.27	157293.90	160012.62
अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated assets									2030.08	944.71
कुल आस्तियाँ Total assets									159323.98	160957.32
क्षेत्र देयताएँ Segment liabilities	47378.24	38336.91	55545.34	67345.86	36979.63	35167.74	12041.24	11319.67	151944.46	152170.18
अनाबंटित देयताएँ Unallocated liabilities									0.00	0.00
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियाँ Capital & Other Reserves									7379.52	8787.14
कुल देयताएँ Total liabilities									159323.98	160957.32

- क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।
- ख) संस्थागत/थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में संस्था/ संबंधित को विगोपन शामिल है जहां
- कुल औसत वार्षिक पण्यवर्त रु. 50 करोड़ से कम है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम निवेश रु. 5 करोड़ तक है।
- घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.
- b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where
- Total average annual turnover less than Rs.50 crores and
 - No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5 crores.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

10.6 लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार है

क. संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

(क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

(ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

(ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

- 1) श्री सुशील मुहोत, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (09.11.2013 से 26.09.2016)
- 2) श्री रविन्द्र मराठे, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (26.09.2016 से अब तक)
- 3) श्री आर. आत्माराम, कार्यपालक निदेशक (07.08.2013 से 31.10.2016)
- 4) श्री आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से अब तक)
- 5) श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक (31.03.2017 से अब तक)

ख. संबंधित पक्षों से संव्यवहार -

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.17	31.03.16
वेतन व भत्ते (परिलब्धियों सहित)	0.67	0.62
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण व अग्रिम	0.43	0.55
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की जमाराशि	1.35	0.06
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा जमाराशियों का नियोजन	0.00	0.25
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को चुकता ब्याज	0.02	0.03
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त ब्याज	0.05	0.05

एएस 18 संबंधित पक्ष प्रकटन के परिच्छेद 9 के मद्देनजर बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्ष जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित है, उनके संव्यवहारों से संबंधित किसी भी प्रकटन से छूट देता है।

10.7 लेखा मानक-19-पट्टा

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जेखिमों और पुरस्कार को काफी हद तक वर्गीकृत किया जाता है, वित्तीय पट्टे होते हैं। ऐसी आस्तियों को आस्ति को उचित दर पर या पट्टे की शुरुआत में पट्टे के भुगतान द्वारा, जो भी कम हो, पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा :

जब पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में जोड़े जाने पर परिचालन पट्टों के तहत पट्टे का भुगतान मान्यता प्राप्त व्यय है। परिचालन पट्टों में लाभ और हानि खातों के लिए पट्टे के भुगतान की राशि रु. 131.95 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 127.82 करोड़) है।

10.8 लेखा मानक-20 -प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
मूल प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)	रु. (11.75)	रु. 0.91
अनुकृत प्रति शेयर अर्जन	रु. (11.75)	रु. 0.91
मूल / अनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना.		
क) कर उपरांत निवल लाभ (रु. लाख में)	137250.77	10068.52
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	11683.34	11117.36
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन रु(क) विभाजित (ख) द्वारा	रु. (11.75)	रु. 0.91
घ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	रु. 10.00	रु. 10.00

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.6 Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

A. Name of the Related Parties and their relationship:

(A) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(B) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank

(C) Key Management Personnel-

- 1) Shri Sushil Muhnot Chairman & Managing Director (from 09.11.2013 to 26.09.2016)
- 2) Shri Ravindra Marathe, Managing Director and CEO (from 26.09.2016 to till date)
- 3) Shri R Athmaram, Executive Director (from 07.08.2013 to 31.10.2016)
- 4) Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to till date)
- 5) Shri A C Rout, Executive Director (from 31.03.2017 to till date)

B. Transactions with Related parties

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.17	31.03.16
Salary & Allowances (including perquisites)	0.67	0.62
Loans & Advances to Key Management Personnel	0.43	0.55
Deposits of Key Management Personnel	1.35	0.06
Placement of Deposits by Key Management Personnel	0.00	0.25
Interest paid to Key Management Personnel	0.02	0.03
Interest received from Key Management Personnel	0.05	0.05

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

10.7 Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases:

Lease payments under operating leases are recognized as an expense as and when incurred in the Statement of Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases is Rs. 131.95 crores (Previous year Rs. 127.82 crores)

10.8 Accounting Standard 20 - Earnings per Share

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Basic E.P.S.	Rs. (11.75)	Rs 0.91
Diluted E.P.S.	Rs. (11.75)	Rs 0.91
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (Rs. in Lakhs)	137250.77	10068.52
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Lakhs)	11683.34	11117.36
c) Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	Rs (11.75)	Rs 0.91
d) Nominal Value per Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

10.9 लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनी अर्थात् महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात् महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है।

10.10 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

10.10.1

संपूर्ण समीक्षा और बैंक के कर सलाहकार की विशेषज्ञ सलाह के आधार पर बैंक ने भविष्य में कर योग्य आय का अनुमान लगाया है जिसके कारण खराब और संदेहास्पद ऋण (एनपीए) के प्रावधानों के कारण होने वाले समय के अंतर को महसूस किया जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने रुपये की आस्थगित कर संपत्तियों को मान्यता दी है, भविष्य के कर योग्य आय की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर, इस तरह के समय अंतर पर उपरोक्त के संबंध में रु. 761.25 करोड़, जिसके खिलाफ इस तरह की स्थगित कर संपत्ति का एहसास हो सकता है।

10.10.2

बैंक ने एस 22 का पालन करते हुए कर का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियाँ और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
आस्थगित कर आस्तियाँ		
1) संचित हानियों के कारण	0.00	0.00
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	144.58	92.49
3) अन्य प्रावधान जहाँ डीटीए बनाया गया है।	868.60	39.94
उप जोड़ (क)	1013.18	132.43
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	171.68	171.68
2) निवेश पर मूल्यहास के रूप में	161.08	161.08
3) स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के रूप में	3.29	3.29
4) अन्य प्रावधान जहाँ डीटीएल तैयार किया गया	28.84	0.00
उप जोड़ (ख)	364.89	336.05
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	648.29	(-)203.62

10.11 लेखा मानक 24 - परिचालन का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटारा रहा और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.12 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि 3 वर्ष
परिशोधन दर 33.33%
परिशोधन पद्धति - लागत पर सरल रेखा पद्धति

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	33.70	29.16
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	9.64	34.16
वर्ष के दौरान परिशोधन	25.52	29.62
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	17.82	33.70

टिप्पणी : सॉफ्टवेयर के पिछले साल के आंकड़ों को सही संतुलन पर पहुंचाने के लिए पुनर्मूल्यांकित और सुधारा गया है।

10.9 Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10.10 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

10.10.1

Based on the thorough review and on the expert advice of Bank's Tax Consultant, the Bank has estimated future taxable income against which timing difference arising on account of provisions for Bad & Doubtful Debts (NPA) can be realized and accordingly during the year 2016-17, the Bank has recognized deferred tax assets of Rs. 761.25 crores in respect of the above on such timing difference based on reasonable certainty of availability of future taxable income against which such deferred tax assets can be realized.

10.10.2

The bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	0.00	0.00
2) On account of provisions for Employees benefits	144.58	92.49
3) Other Provisions where DTA is created	868.60	39.94
Sub-Total (A)	1013.18	132.43
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	171.68	171.68
2) On account of Depreciation on Investment	161.08	161.08
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	3.29	3.29
4) Other Provisions where DTL is created	28.84	0.00
Sub-Total (B)	364.89	336.05
Net Deferred Tax Asset (A-B)	648.29	(-)203.62

10.11 Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2016-17, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.12 Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.
Amortization Rate - 33.33 %
Amortization Method - Straight line at cost

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Software at the beginning of the year	33.70	29.16
Software acquired during the year	9.64	34.16
Amortization during the year	25.52	29.62
Net carrying amount at the end of the year	17.82	33.70

Note : Previous Year figures of software have been regrouped and rectified to arrive at the correct balance

10.13 लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं। इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

10.14 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

11 ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामले हेतु प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को जालसाजी की पहचान की दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षित की प्रभावित की जानी है।

(रु. करोड़ में)

31.03.2017 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2017 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष तक (राशि)	31.03.2017 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षित की मात्रा (राशि)
3893	281	2041.46	35.98	303.76	शून्य

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान पाए गए धोखाधड़ी के संबंध में रु. 54.21 करोड़ का अपरिशोधित प्रावधान किया है और 31.03.2016 को समाप्त 2016-17 वर्ष के दौरान परिशोधित "राजस्व रिजर्व" को नामे किया है।

बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान पता लगे रु. 303.76 करोड़ के धोखाधड़ी के लिए पूर्ण प्रावधान किया है और 2016-17 के दौरान पता लगे धोखाधड़ी के लिए कोई अनौपचारिक प्रावधान नहीं किया गया है।

12. बैंक के खिलाफ दावों को वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

(रुपये करोड़ में)

श्रेणी	2016-17	2015-16
बकाया राशि	359.55	633.05
प्रावधान	1.33	0.47

13. बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के कार्यान्वयन की स्थिति को भारतीय लेखा मानक (इंड-एस) के साथ सम्मिलित करना

क. बैंक ने बैंक में इंड-एस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समितियां बनाई हैं:

1. संचालन समिति- इंड-एस के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना
2. कोर समिति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रियान्वयन की प्रक्रिया का संचालन समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
3. मुख्य समूह- वास्तविक कार्यान्वयन गतिविधियों में शामिल

ख. बैंक में इंड-एस के सुचारू और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स केपीएमजी (वित्तीय परामर्श फर्म) को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

ग. जून 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, इंड-एस के कार्यान्वयन में मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए और डेटा अंतर और खामियों को दूर करने के उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य समूह और मुख्य समितियों के सदस्यों की 23 बैठकें आयोजित की गईं।

घ. रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश प्रारूप के अनुसार सितंबर 2016 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय विवरणों को सलाहकार की मदद से तैयार किया गया है और आरबीआई को प्रस्तुत किया गया है।

10.13 Accounting Standard 28- Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

10.14 Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11 Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortise the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(Rs. in crores)

Up to the year ended 31.03.2017 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2017 (No. of Cases)	Up to the year ended 31.03.2017 (Amount)	During the quarter ending 31.03.2017 (Amount)	Quantum of provision made during the year ended 31.03.2017 (Amount)	Quantum of amortised provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2017 (Amount)
3893	281	2041.46	35.98	303.76	Nil

The Bank had unamortised provision of Rs. 54.21 crores in respect of frauds detected during the year 2015-16 and debited to "Revenue Reserve" as at year ended 31.03.2016 which the Bank amortised during the year 2016-17

During the year 2016-17, the Bank has made full provision for the frauds of Rs. 303.76 crores detected during the year and there is no un-amortise provision for frauds detected during 2016-17

12 Claims against the bank not acknowledged as debts as on Year End

(Rs in Crores)

Category	2016-17	2015-16
Balance Outstanding	359.55	633.05
Provision Held	1.33	0.47

13 Status of implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) converged with Indian Accounting Standards (Ind-AS) by Bank.

- A. The Bank has formed following committees for effective implementation of Ind-AS in Bank:
 - 1 Steering Committee- To oversee the progress of implementation of Ind-AS
 - 2 Core Committee - To ensure that the process of implementation is carried out as per directions of the Steering Committee.
 - 3 Core Group -Engaged in the actual implementation activities.
- B. M/s KPMG (financial consultancy firm) has been appointed as Consultant to ensure smooth & timely implementation of Ind-AS in the Bank.
- C. During the period from June 2016 to March 2017, 23 meetings of members of Core Group & Core Committees have been held to discuss issues & challenges in implementation of Ind-AS, also to ascertain the data gaps and measures to be taken for bridging those gaps.
- D. As per RBI directives proforma financial statements for the half year ended September 2016 has been prepared with the help of consultant and submitted to RBI.

- ड. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा मासिक प्रगति स्थिति का मूल्यांकन किया गया है और प्रगति की स्थिति बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर की जाती है।
- च. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन की प्रक्रिया को बेहतर समझने और निखारने के लिए वित्तीय विवरण प्रोफार्मा को दिसंबर 2016 को समाप्त नौ महीनों के लिए तैयार किया गया है।
- छ. वित्तीय सलाहकार द्वारा नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में कमी सहित नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट और प्रमुख क्षेत्रों पर पड़नेवाले प्रभाव को तैयार किया गया है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परिवर्तन की शुरूवात करने के लिए रिपोर्ट का मूल्यांकन जारी है।
14. चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को समूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया।
- E. As per RBI guidelines, monthly progress status has been appraised to the Audit committee of the Board and status of progress is reported to Board on quarterly basis.
- F. As directed by the Audit Committee of the Board, proforma financial statements for the nine months ended December 2016 has been prepared for better understanding and smoothening the process of implementation.
- G. The diagnostic study report covering gaps in policies, procedures and systems and impacts on key areas has been prepared by financial consultant. Evaluation of the reports is under progress to initiate necessary changes for effective implementation.
14. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

बेसल III - 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु पिलर 3 प्रकटन-

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2013 से बेसल III दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 31.03.2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन हेतु संक्रमण अनुसूची उपलब्ध कराते हैं। बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन पर न्यूनतम पूंजी, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की 11.50% होगी, न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर-1 अनुपात 8.00% होगा और न्यूनतम इक्विटी टियर-1 अनुपात 9.50% होगा।

बेसल III ढांचे में तीन आपसी सुदृढ़ पिलर्स शामिल हैं -

- पिलर 1 : न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम)
- पिलर 2 : पर्यवेक्षणीय समीक्षा और मूल्यांकन (Evaluation) प्रक्रिया
- पिलर 3 : बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (पिलर 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रकटन शामिल हैं। ये प्रकटन निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं।

सारणी डीएफ-1 : अनुप्रयोजन का विस्तार

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर संरचना लागू हो - **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

(i) गुणात्मक प्रकटन :

संस्था का नाम / निगमन देश Name of entity / Country of incorporation	क्या संस्था समेकन की लेखांकन व्याप्ति में शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	क्या संस्था समेकन के विनियामक व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण Reasons for difference in method of consolidation	यदि समेकन की केवल एक व्याप्ति के अंतर्गत समेकित की गई है तो समेकन के कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) / इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO) / India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एस-21 के अनुसार पंक्ति-दर-पंक्ति आधार Line by Line basis as per AS-21 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	चूंकि यह संस्था बैंकिंग कंपनी नहीं है, अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार के बाहर है। बैंक की सीईटी1 पूंजी से पूंजी निवेश घटाया है। Entity is not a banking company, hence outside the purview of regulatory consolidation. Capital Investment is deducted from CET1 capital of Bank.
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)/ इंडिया Maharashtra Gramin Bank (MGB) / India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार Equity method Basis as per AS-23 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	यह संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहायक संस्था है। अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है। निवेश 250% जोखिम भारित है। Entity is RRB, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%.

BASEL III – PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013. These guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till 31.03.2019. Upon full implementation, Basel III guidelines target minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) would be 11.50%, minimum Common Equity Tier -1 ratio would be 8.00% and minimum Tier 1 ratio would be 9.50%.

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

- Pillar 1: Minimum Capital Requirement (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)
- Pillar 2: Supervisory Review and Evaluation Process
- Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on capital adequacy and risk management framework of Bank. These disclosures have been set out as under:

TABLE DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of head of the banking group to which framework applies:
BANK OF MAHARASHTRA

(i) Qualitative Disclosures:

क. समेकन हेतु विचारणीय समूह इकाईयों की सूची

1. दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)
2. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

1. The Maharashtra Executors & Trustee Company Private Limited (METCO)
2. Maharashtra Gramin Bank (MGB)

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	संस्था के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश की विनियामक आवश्यकता Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य NIL					

ii) मात्रात्मक प्रकटन

ii) Quantitative Disclosures

ग) समेकन हेतु विचारणीय सामूहिक संस्थाओं की सूची (लेखांकन)

c. List of group entities considered for consolidation (accounting)

(राशि रु. मिलियन में) (Amount in Rs million)

संस्था का नाम/निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)/ इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	न्यासधारिता Trusteeship	29.77 (बीओएम शेयर 100%) (BOM share 100%)	139.91
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)/India	बैंकिंग Banking	4191.55 (बीओएम शेयर 35%) (BOM share 35%)	88263.11

घ) सभी अनुषंगी कंपनियों, जो समेकन के विनियामक विस्तार में शामिल नहीं हैं, में कुल पूंजी कमी की राशि अर्थात्, जिनकी कटौति की गई.

बैंक की किसी भी अनुषंगी कंपनी में कोई पूंजी कमी नहीं है जिन्हें 31 मार्च 2017 को समेकन के विनियामक विस्तार हेतु शामिल नहीं किया गया है,

ङ) बीमा इकाईयां, जो जोखिम भारित हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य)

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiary of Bank which is not included in regulatory scope of consolidation as of March 31, 2017.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the insurance entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	वोटिंग अधिकार के अनुपात में/ कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	पूर्ण कटौति पद्धति विरुद्ध जोखिम भारित पद्धति का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
बैंक की बीमा व्यवसाय वाली कोई सहायक संस्था नहीं है. Bank is not having any subsidiary having insurance business.				

च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर दिनांक 31 मार्च, 2017 को कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध नहीं है.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2017.

सारणी डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क. पूंजी प्रबंधन

बैंक की जोखिम रूपरेखा के संबंध में इसकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया एवं इसके पूंजी स्तरों को बनाये रखने की रणनीति बैंक के पास है। इस प्रक्रिया से यह आश्वासन मिलता है कि बैंक के व्यवसाय में अन्तर्निहित समग्र जोखिमों को वहन करने हेतु बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। बैंक नियामक मानकों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की उगाही के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंधन करता है।

संगठनात्मक ढांचा:

बैंक के पूंजी प्रबंधन का प्रशासन समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के समन्वय से बैंक के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में किया जाता है। बैंक ने मार्गदर्शन देने हेतु पूंजी आयोजना समिति भी गठित की है।

पूंजी का आंतरिक मूल्यांकन:

बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) का समावेश है जो वार्षिक आधार पर किया जाता है जिससे नियामक मानकों एवं वर्तमान तथा भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए, जिसमें दबाव परिदृश्य के अंतर्गत की स्थितियां शामिल हैं, को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए पूंजीकरण के पर्याप्त स्तर का निर्धारण होता है। व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) में बैंक के समक्ष आने वाले समस्त जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं महत्व के पश्चात दो वर्षों की समय सीमा के लिए पूंजी आयोजना शामिल होती है जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बैंक द्वारा निम्नलिखित को जोखिम माना जाता है जो बैंक के व्यवसाय हेतु सामान्य कामकाज के दौरान प्रतिपादित होता है और पूंजी आयोजना के लिए विचारणीय होता है:

ऋण जोखिम (जिसमें अवशिष्ट जोखिम शामिल है)	निपटान जोखिम
बाजार जोखिम	बैंकिंग बहियों पर ब्याज दर जोखिम
परिचालन जोखिम	प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
ऋण केन्द्रीकरण जोखिम	रणनीतिक जोखिम
तरलता जोखिम	अनुकूल जोखिम
देश जोखिम	कानूनी जोखिम
अनुपालन जोखिम	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के कम आकलन का जोखिम

बैंक द्वारा आवधिक रूप से इसके दबाव जांच का मूल्यांकन एवं निर्धारण एक प्रयास के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि दबाव परिदृश्य व्यापक जोखिमों का पता लगाने के साथ-साथ संभावित चरम बाजार संचलन, जो व्यवसाय वातावरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है, को प्रदर्शित करता है। पूंजी आयोजना के उद्देश्य से बैंक की व्यवसाय आयोजना के अनुरूप दबाव जांच की जाती है।

निगरानी एवं रिपोर्टिंग :

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्तरों की निगरानी की जाती है। पूंजी पर्याप्तता स्थिति और जोखिम धारित आस्तियों का विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाता है और पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन पर बेसल III के विभिन्न पहलुओं का निदेशक मंडल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटन

ख. पूंजी आवश्यकता

ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक का प्रयोग करते हुए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का परिकलन किया जाता है। ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी 10.25% की आवश्यकता होती है जो निम्नानुसार है:

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

a. Capital Management

Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. Process provides an assurance that Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

Organisational Set-up:

Capital Management is administered by Financial Management and Accounts Department in co-ordination with Integrated Risk Management Department under the supervision of Board of Directors. Bank has also formed Capital Planning Committee to provide guidance.

Internal Assessment of Capital:

Bank's Capital Management framework includes a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually which determines adequate level of capitalisation for Bank to meet regulatory norms and current and future business need, including under stressed scenarios. ICAAP encompasses capital planning for two years time horizon, after identification and evaluation of significance of all risks that Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. Bank considers following as risks it is exposed to in the normal course of its business and considers them for capital planning:

Credit Risk – including residuary risk	Settlement Risk
Market Risk	Interest Rate Risk on Banking Book
Operational Risk	Reputational Risk
Credit Concentration Risk	Strategic Risk
Liquidity Risk	Pension Obligation Risk
Country Risk	Legal Risk
Compliance Risk	Risk of underestimation of Credit Risk under the Standardized approach

Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of business environment conditions. Stress tests are used in conjunction with Bank's business plans for the purpose of capital planning.

Monitoring and Reporting:

The Board of Directors of Bank monitors capital adequacy levels of Bank. On a quarterly basis an analysis of the capital adequacy position and risk weighted assets and an assessment of various aspects of Basel III on capital and risk management are undertaken by Board.

Quantitative Disclosures

b. Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Minimum capital required to be held at 10.25% for credit, market and operational risks is given below:

(राशि रु. मिलियन में)

(Amount in Rs million)

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि
(क)	ऋण जोखिम के लिए वांछित पूंजी		
(i)	मानक दृष्टिकोण के अध्याधीन संविभाग		843030.92
(ii)	प्रतिभूतिकरण विगोपन के लिए	0.00	
	मानक दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		843030.92
(ख)	बाजार जोखिम		
(i)	ब्याज दर जोखिम	2583.61	
(ii)	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	0.45	
(iii)	इक्विटी जोखिम	984.96	
	मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)		*3569.02
(ग)	परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार		
	मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत		*7011.98
	मानक दृष्टिकोण के तहत (समानांतर)		*6804.50
(घ)	पूंजी अनुपात		एकल % में
	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)		6.033
	पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)		1.25
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (इनसीसीसीबी)		7.283
	टियर I पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)		9.009
	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सीसीबी सहित		11.181

(* भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर की प्राप्ति हेतु लिए बाजार और परिचालन जोखिम पूंजीगत शुल्क का 12.50 की दर से आरएडब्लू में अंतरण किया जाता है। डीएफ 7 और डीएफ 8 का विवरण)

सारणी-डीएफ-3 -- ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

प्रतिपक्षों अथवा उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आई कमी से उत्पन्न हानियों की संभावनाओं के रूप में ऋण जोखिम परिभाषित है। बैंक के संविभाग में ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों की उधारी, ट्रेडिंग, निपटान और अन्य वित्तीय संव्यवहारों में प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की अक्षमता अथवा अनिच्छा के कारण सीधे चूक से हानि उत्पन्न होती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन का संघटनात्मक ढांचा

बैंक में व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना है। बैंक के निदेशक मंडल ऋण जोखिम रणनीति का समर्थन और बैंक की ऋण जोखिम नीतियों को अनुमोदित करते हैं। बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणाली को देखने के लिए निदेशक मंडल ने समितियां गठित की हैं। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ऋण जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति बनाने हेतु उत्तरदायी है। इस हेतु यह समिति बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के साथ समन्वय करती है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की सिफारिशों को लागू करने की उत्तरदायी है।

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है। जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है। उठाए गए विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, प्रतियोगिता, बाजार परिदृश्य और लाभप्रदता

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount
(A)	Capital Required for Credit Risk		
(i)	Portfolios subject to Standardised Approach		843030.92
(ii)	For Securitisation Exposure	0.00	
	Total capital charge for credit risks under standardized approach (i+ii)		843030.92
(B)	Market Risk		
(i)	Interest Rate Risk	2583.61	
(ii)	Foreign Exchange Risk (including Gold)	0.45	
(iii)	Equity Risk	984.96	
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)		*3569.02
(C)	Capital Charge for Operational Risk		
	Under Basic Indicator Approach		*7011.98
	Under The Standardized Approach (Parallel run)		*6804.50
(D)	Capital Ratios		Standalone (In %)
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Excl CCB)		6.033
	Capital Conservation Buffer (CCB)		1.25
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)		7.283
	Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)		9.009
	Total Capital Ratio (CRAR) – Including CCB		11.181

(*For market and operational risks capital charge is converted in RWA @ 12.50 to arrive at CRAR as per RBI guidelines. Details in DF7 and DF 8)

TABLE DF-3: CREDIT RISK - GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

Credit Risk is defined as possibility of losses associated with diminution in credit quality of borrowers or counterparties. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions.

Organizational Structure for Credit Risk Management

Bank has comprehensive credit risk management architecture. Board of Directors of Bank endorses its Credit Risk strategy and approves credit risk policies. The Board has formed committees to oversee risk management processes, procedures and systems. Risk Management Committee (RMC) is responsible for devising policy and strategy for credit risk management. For this purpose, committee co-ordinates with Credit Risk Management Committee (CRMC) of Bank. CRMC is responsible for overseeing implementation of credit risk management framework across Bank and providing recommendations to RMC.

Policy & Strategy

Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and strategy of Bank are decided taking into account profit considerations, level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. Bank

इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं। बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है।

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

- उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
- ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
- निवेश प्रबंधन नीति
- रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति
- बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनकी सहायता से बैंक द्वारा उठाए जा रहे ऋण जोखिम और उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेक्षा के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है। नीतियों में विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है। निवेश प्रबंधन नीति, निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति और बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक : ऋण प्रदान करने के एकरूप मानक, ऑफ बैलेन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु बैंक की अपनी अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं।

विगोपन सीमाएं : एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं। विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है।

ऋण अनुमोदन समिति : बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय / प्रधान कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृद्धि या बिना वृद्धि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैंक ने केंद्रीयकृत प्रसंस्करण कक्ष स्थापित किए हैं।

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है। उच्च मूल्य के ऋणों के संबंध में, समिति दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया : बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमाण एवं निगरानी के जरिये करता है। बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं। ऋण जोखिम रेटिंग से बैंक को किसी ऋण प्रस्ताव में अन्तर्निहित जोखिम के सटीक निर्धारण और किसी भी ऋण प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह ऋण सुविधाओं के लिए जोखिम आधारित समझौताकारी तालमेल के अनुसार यथोचित जोखिम मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है।

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है। हर उधारकर्ता की रेटिंग की वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम रेटिंग को एक संकल्पना के रूप में बैंक में भली-भांति रूप से आत्मसात किया गया है।

ऋण पुनरीक्षण तंत्र - बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं -

- बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना।
- मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना।

is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

Bank has put in place following policies approved by Board.

- Lending & Loan Review Policy
- Credit Risk Management Policy
- Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
- Investment Management Policy
- Policy for Exposure to Real Estate
- Policy for Issuance of Bank Guarantees

Lending & Loan Review Policy, Credit Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, processes and tools whereby credit risks carried by Bank can be identified, quantified and managed within framework that Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel III framework. The Investment Management Policy, Policy on Exposure to Real Estate and Policy for issuance of Bank Guarantee forms an integral part of credit risk.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored.

Credit Approval Committees: Credit Approval committees have been constituted at various levels covering very large branches / Zonal offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. Bank has also setup centralized processing cells for considering credit proposals above specified limit.

Sanctioning Powers: Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanctioning of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines. In respect of high value loans, committee approach is adopted.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables Bank to accurately assess risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject proposal based on risk appetite of Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off.

As a measure of robust credit risk management practices, Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in Bank.

Loan review Mechanism: Objectives of Loan Review Mechanism are:

- To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with Bank's Lending Policy and delegated lending powers.
- To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by Bank are adhered to.

- iii) सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.
- iv) आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.
- v) बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय-समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित की गई हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय-समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव के सतत नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विनियामक दिशानिर्देशों का पालन कुयी जाता है और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां -

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/ सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन या अधिक अनियमित रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के संबंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किस्त 2 फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के संबंध में) और 1 फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के संबंध में) अतिदेय रही हो.
- अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम.

अनियमित स्थिति : एक खाता तब अनियमित माना जाता है जब खाते में बकाया शेष लगातार मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से अधिक बना रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूरी सीमा / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को 'अनियमित' माना जाएगा.

अतिदेय : किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक हेतु देय कोई भी राशि अतिदेय होती है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत दिनांक पर न किया जाए.

मीयादी जमा राशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और जीवन बीमा पॉलिसियों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो.

किसी भी अवसंरचना परियोजना हेतु कोई ऋण वसूली के अभिलेख के अनुसार (90 दिन अतिदेय) वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने से पूर्व किसी भी समय के दौरान अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब तक कि उसे पुनर्गठित न किया गया हो और वह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसरण में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र न हो गया हो. अवसंरचना परियोजना हेतु कोई ऋण अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह वाणिज्यिक परिचालनों (डीसीसीओ) के मूल दिनांक से दो वर्षों के भीतर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने से चूक जाए फिर चाहे वह वसूली के अभिलेख के अनुसार नियमित क्यों न हो बशर्ते कि उसे पुनर्गठित न किया गया हो और वह भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसरण में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र न हो गया हो.

- iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.
- iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and up gradation in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.
- v) To assess health of credit portfolio of Bank and to apprise Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired:

Regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning. Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- Account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC) for 90 days or more
- Bill remains overdue for a period of more than 90 days in case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit/drawing power. In cases where outstanding balance in the principal operating account is less than sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on date of Balance Sheet or credits are not enough to cover interest debited during same period, these accounts are also treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on due date fixed by Bank.

Advances against term deposits, National Savings Certificates, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra and Life insurance policies need not be treated as NPAs, provided adequate margin is available in the accounts.

A loan for an infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue), unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset' in terms of conditions laid down as per RBI guidelines. A loan for an Infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from the original Date of Commencement of Commercial Operations (DCCO), even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset' in terms of conditions laid down in the related RBI guidelines.

A loan for a non-infrastructure project (other than commercial real estate exposure) will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue), unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset' in terms of conditions laid down in the related RBI guidelines. A loan for a non-infrastructure project (other

किसी गैर अवसंरचना परियोजना (वाणिज्यिक रियल इस्टेट विगोपन को छोड़कर) हेतु कोई ऋण वसूली के अभिलेख के अनुसार (90 दिन अतिदेय) वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने से पूर्व किसी भी समय के दौरान अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब तक कि उसे पुनर्गठित न किया गया हो और वह भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसरण में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र न हो गया हो। किसी भी गैर अवसंरचना परियोजना (वाणिज्यिक रियल इस्टेट विगोपन को छोड़कर) हेतु कोई ऋण अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) के मूल दिनांक से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने से चूक जाए फिर चाहे वह वसूली के अभिलेख के अनुसार नियमित क्यों न हो बशर्ते कि उसे पुनर्गठित न किया गया हो और वह भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसरण में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र न हो गया हो।

वाणिज्यिक रियल इस्टेट परियोजना के लिए ऋण वसूली के अभिलेख के अनुसार (90 दिन अतिदेय) कोई वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने से पूर्व किसी भी समय के दौरान या यदि वह परियोजना मूल डीसीसीओ से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने से चूक जाए या फिर ऋण का पुनर्गठन किया गया हो तो उसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

मात्रात्मक प्रकटन:

1. कुल सकल ऋण विगोपन (रु मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2017
निधिक	1160000.00
गैर-निधिक	204391.30

2. ऋण विगोपनों का भौगोलिक वितरण: (रु मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2017	
	समुद्रपारीय	घरेलू
निधिक	शून्य	1160000.00
गैर-निधिक	शून्य	204391.30

3. उद्योगवार वितरण

(रु.मिलियन में)

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन	गैर-निधिक विगोपन
3.1	खनन व उत्खनन (कोयला सहित)	14779.00	5584.50
3.2	खाद्य प्रसंस्करण	7582.30	80.50
3.2.1	चीनी	5134.70	26.60
3.2.2	खाद्य तेल व वनस्पति	126.80	0.00
3.2.3	चाय	0.80	0.50
3.2.4	अन्य	2320	53.40
3.3	पेय (Beverage) व तंबाखू	202.20	9.10
3.4	वस्त्र	27744.90	3736.80
3.4.1	सूती वस्त्र	9943.70	1362.90
3.4.2	पटसन वस्त्र	356.70	88.50
3.4.3	मानव निर्मित वस्त्र	19.50	13.70
3.4.4	अन्य वस्त्र	17425.00	2271.70
3.5	चमड़ा व चर्म उत्पाद	775.40	35.60
3.6	लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद	1362.60	200.00
3.7	कागज व कागज उत्पाद	5655.00	426.60
3.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व न्यूक्लियर ईंधन जिसमें से :	10911.20	377.50
3.8.1	पेट्रोलियम	7519.50	25.30
3.9	केमिकल व केमिकल उत्पाद	34906.80	2422.30
3.9.1	उर्वरक	17156.10	447.00
3.9.2	औषध व भेषज	10207.40	720.20
3.9.3	पेट्रो केमिकल्स	5980.90	1026.00
3.9.4	अन्य	1562.40	229.10
3.10	रबर, प्लास्टिक व उनके उत्पाद	5493.90	1232.40
3.11	काच और काच की वस्तुएं	1168.50	143.40
3.12	सीमेंट व सीमेंट उत्पाद	11950.40	440.60
3.13	मूल धातु व धातु उत्पाद	55864.70	12485.60
3.13.1	लोहा व हस्यात	31164.70	3547.10
3.13.2	अन्य धातु व धातु उत्पाद	24700.00	8938.50
3.14	सभी अभियांत्रिकी	41416.80	29766.90

than commercial real estate exposures) will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within one year from the original DCCO, even it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset' in terms of conditions laid down in the related RBI guidelines.

A loan for commercial real estate project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue), or if the project fails to commence commercial operations within one year from the original DCCO or if the loan is restructured.

Quantitative Disclosures

1. Total Gross Credit exposure:

(Amount in Rs million)

Category	31.03.2017
Fund Based	1160000.00
Non-Fund Based	204391.30

2. Geographic Distribution of credit exposure :

(Amount in Rs million)

Category	31.03.2017	
	Overseas	Domestic
Fund Based	NIL	1160000.00
Non-Fund Based	NIL	204391.30

3. Industry-wise Distribution:

(Amount in Rs million)

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.1	Mining and Quarrying (incl. Coal)		14779.00		5584.50
3.2	Food Processing		7582.30		80.50
3.2.1	Sugar	5134.70		26.60	
3.2.2	Edible Oil and Vanaspati	126.80		0.00	
3.2.3	Tea	0.80		0.50	
3.2.4	Others	2320		53.40	
3.3	Beverage and Tobacco		202.20		9.10
3.4	Textiles		27744.90		3736.80
3.4.1	Cotton Textiles	9943.70		1362.90	
3.4.2	Jute Textiles	356.70		88.50	
3.4.3	Man-Made Textiles	19.50		13.70	
3.4.4	Other Textiles	17425.00		2271.70	
3.5	Leather and Leather Products		775.40		35.60
3.6	Wood and Wood Products		1362.60		200.00
3.7	Paper and Paper Products		5655.00		426.60
3.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels of which:		10911.20		377.50
3.8.1	Petroleum	7519.50		25.30	
3.9	Chemicals and Chemical Products		34906.80		2422.30
3.9.1	Fertiliser	17156.10		447.00	
3.9.2	Drugs & Pharmaceuticals	10207.40		720.20	
3.9.3	Petro Chemicals	5980.90		1026.00	
3.9.4	Others	1562.40		229.10	
3.10	Rubber, Plastic & their Products		5493.90		1232.40
3.11	Glass & Glassware		1168.50		143.40
3.12	Cement & Cement Products		11950.40		440.60
3.13	Basic Metal & Metal Product		55864.70		12485.60
3.13.1	Iron & Steel	31164.70		3547.10	
3.13.2	Other Metal & Metal Product	24700.00		8938.50	
3.14	All Engineering		41416.80		29766.90

क्र.	उद्योग	निधित्व विगोपन	गैर-निधित्व विगोपन
3.14.1	इलेक्ट्रॉनिक्स	8911.30	5352.30
3.14.2	अन्य	32505.50	24414.60
3.15	वाहन एवं वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपकरण	20229.00	801.30
3.16	रत्न और जेवरात	5072.60	1170.30
3.17	निर्माण (मूलभूत संरचना के अलावा)	1199.10	9.00
3.18	मूलभूत संरचना	110543.90	56078.80
3.18.1	पावर	56866.70	10047.90
3.18.2	टेलीकम्यूनिकेशन	1504.80	20062.10
3.18.3	रास्ते	31074.50	17033.50
3.18.4	हवाई अड्डा	2947.20	0.20
3.18.5	पोर्ट	3605.80	1.00
3.18.6	रेल्वे (भारतीय रेल्वे के अलावा)	151.30	1502.70
3.18.7	अन्य मूलभूत संरचना	14393.60	7431.40
3.19	अन्य उद्योग	9028.00	2976.80
3.20	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	794113.70	86413.30
	कुल	1160000.00	204391.30

उद्योग जिनमें सकल ऋण विगोपन 5% से अधिक है .

उद्योग	विगोपन का %
--	--

4. आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण : (रु.मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
1 दिन	110.00	8802.90	6369.69
2 से 7 दिन	1494.58	13631.88	33555.65
8 से 14 दिन	0.00	36436.27	339.67
15 से 30 दिन	3555.78	38948.66	9175.24
31 दिन से 2 महीने	4185.68	24868.15	6244.75
2 महीने से अधिक व 3 महीने तक	2266.07	21398.11	11403.51
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	15967.06	106000.71	8895.06
6 महीने से अधिक व 1 वर्ष तक	13989.10	76539.80	6614.77
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	62022.41	373960.36	0.00
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	40838.46	141882.37	0.00
5 वर्ष से अधिक	243986.49	172898.38	0.00
कुल	388415.63	1015367.59	82598.34

5. अनर्जक आस्तियों और अनर्जक निवेश हेतु प्रकटन

घरेलू : (रु मिलियन में)

	31.03.2017
(क) सकल अनर्जक आस्तियाँ	
अवमानक	52842.26
संदिग्ध 1	66441.88
संदिग्ध 2	46044.61
संदिग्ध 3	4774.58
हानि	1783.81
कुल	171887.14
(ख) निवल अनर्जक आस्तियाँ	112295.60

Sr. No.	Industry	Funded Exposure	Non-Fund Exposure
3.14.1	Electronics	8911.30	5352.30
3.14.2	Others	32505.50	24414.60
3.15	Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment	20229.00	801.30
3.16	Gems & Jewellery	5072.60	1170.30
3.17	Construction (other than In-frastructure)	1199.10	9.00
3.18	Infrastructure	110543.90	56078.80
3.18.1	Power	56866.70	10047.90
3.18.2	Telecommunication	1504.80	20062.10
3.18.3	Roads	31074.50	17033.50
3.18.4	Airports	2947.20	0.20
3.18.5	Ports	3605.80	1.00
3.18.6	Railways (other than Indian Railways)	151.30	1502.70
3.18.7	Other Infrastructure	14393.60	7431.40
3.19	Other Industries	9028.00	2976.80
3.20	Residuary Other Advances	794113.70	86413.30
	Total	1160000.00	204391.30

Industry having more than 5% of gross credit exposure

Industry	% of Exposure
--	--

4. Residual Maturity break down of Assets:

(Amount in Rs million)

Maturity Pattern	Invest-ments	Advances	Foreign Currency Assets
1 day	110.00	8802.90	6369.69
2 to 7 days	1494.58	13631.88	33555.65
8 to 14 days	0.00	36436.27	339.67
15 to 30 days	3555.78	38948.66	9175.24
31 days to 2 months	4185.68	24868.15	6244.75
Over 2 months to 3 months	2266.07	21398.11	11403.51
Over 3 months and up to 6 months	15967.06	106000.71	8895.06
Over 6 months and up to 1 year	13989.10	76539.80	6614.77
Over 1 year and upto 3 years	62022.41	373960.36	0.00
Over 3 years and upto 5 years	40838.46	141882.37	0.00
Over 5 years	243986.49	172898.38	0.00
Total	388415.63	1015367.59	82598.34

5. Disclosures for NPAs & NPIs :

Domestic: (Amount in Rs million)

	31.03.2017
(A) Gross NPA	
Sub-standard	52842.26
Doubtful 1	66441.88
Doubtful 2	46044.61
Doubtful 3	4774.58
Loss	1783.81
Total	171887.14
(B) Net NPA	112295.60

(ग)	अनर्जक आस्ति अनुपात	
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां (%)	16.93%
	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	11.76%
(घ)	अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल)	
I	प्रारंभिक शेष	103858.53
II	जोड़ें-अवधि के दौरान वृद्धि	91190.48
III	घटाएं- अवधि के दौरान कमी	23161.87
	वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष(i+ii-iii)	171887.14
(च)	प्रावधानों की गतिशीलता	
च1	विशिष्ट प्रावधान	
i.	प्रारंभिक शेष	32666.28
ii.	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	36883.42
iii.	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	13751.93
iv.	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित अन्य कोई समायोजन	560.92
vi.	अंतिम शेष (i+ii-iii-iv(+/-v))	56358.68
च2	सामान्य प्रावधान	
i.	आरंभिक शेष	1589.85
ii.	अवधि के दौरान किए प्रावधान	0.00
iii.	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	0.00
iv.	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	0.00
vi.	समापन शेष (i+ii-iii-iv(+/-v))	1589.85
(छ)	वर्ष के दौरान बट्टे खाते	13751.93
(ज)	वर्ष के दौरान बट्टे डाले गए खातों में वसूली	448.10
(झ)	अनर्जक निवेश (एनपीआई)	6554.52
(ञ)	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	1876.63
(ट)	निवेशों के लिए मूल्यहास हेतु प्रावधान का संचलन (अनर्जक निवेशों, एमटीएम मूल्यहास और पुनर्संरचित निवेशों के प्रावधान सहित)	
I	आरंभिक शेष	1010.46
II	अवधि के दौरान किए प्रावधान	1588.93
III	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	0.00
IV	वर्ष के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	85.61
V	स्थानांतरण के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	0.00
	समापन शेष (i+ii-iii-iv-v)	2513.78

(C)	NPA Ratios	
	% of Gross NPAs to Gross Advances	16.93%
	% of Net NPAs to Net Advances	11.76%
(D)	Movement of Gross NPA	
I	Opening Balance	103858.53
II	Add:-Addition during the period	91190.48
III	Less:- Reduction during the period	23161.87
	Closing balance as at the end of year (i +ii-iii)	171887.14
(E)	Movement of provision	
E1	Specific Provision	
i.	Opening Balance	32666.28
ii.	Provisions made during the year	36883.42
iii.	Write-off made during the year	13751.93
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	560.92
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v))	56358.68
E2	General Provisions	
i.	Opening Balance	1589.85
ii.	Provisions made during the period	0.00
iii.	Write-off made during the period	0.00
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v))	1589.85
(F)	Write off during the year	13751.93
(G)	Recovery in the written off accounts during the year	448.10
(H)	Non Performing Investments (NPI)	6554.52
(I)	Provisions for NPI	1876.63
(J)	Movement of provision for depreciation on investments (including provision of Non Performing Investments, MTM depreciation and Restructured Investments)	
I	Opening balance	1010.46
II	Provisions made during the year	1588.93
III	Write-off made during the year	0.00
IV	Write – back of excess provision made during the year	85.61
V	Provisions used during shifting	0.00
	Closing balance (i+ii-iii-iv-v)	2513.78

(ठ)	उद्योग वार	
	अनर्जक आस्ति की राशि	102462.10
	विनिर्दिष्ट प्रावधान	32442.90
	सामान्य प्रावधान	0.00
	वर्ष के दौरान किए गए विनिर्दिष्ट प्रावधान	0.00
	वर्ष के दौरान बट्टे खाते	0.00

समुद्रपारीय - शून्य

पांच प्रमुख उद्योगों के उद्योगवार प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(राशि मिलियन में)

		अनर्जक आस्ति	प्रावधान
क	अवसंरचना	34809.00	9376.70
	ऊर्जा	15239.30	4521.20
	सड़क	8362.30	2399.40
	अन्य अवसंरचना	4504.60	1167.50
ख	सभी इंजिनियरींग	2221.60	928.70
ग	मूल धातु व धातु उत्पाद (लोहे व स्टील सहित)	9492.40	3545.20
घ	रसायन व रासायनिक उत्पाद	9187.50	2441.70
ड.	कपड़ा	7864.10	3412.00

1. अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का प्रकटन :

(राशि मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2017
1.	यूएफसीई के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान	76.80
2.	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	375.30

सारणी-डीएफ-4 - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग हेतु ऋण जोखिम विगोपन

क. गुणात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए

बैंक, ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के मापन हेतु मानक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। मानक दृष्टिकोण के अनुसार बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित ईसीएआई रेटिंग (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था) स्वीकार करता है और जहां यह रेटिंग उपलब्ध है वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है।

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
3. इंडिया रेटिंग
4. ईक्रा लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क
6. भारतीय एसएमई रेटिंग एजेंसी लिमि. (स्मेरा)

विगोपन के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी का प्रयोग किया गया है:

बैंक ने सभी पात्र विगोपनों के लिए उक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है। बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग में कोई पक्षपात नहीं किया है और न ही इन्हें किसी विशेष प्रकार के विगोपन में इनके प्रयोग के लिए बाधित किया है।

(K)	Industry-wise	
	Amount of NPAs	102462.10
	Specific Provisions	32442.90
	General Provisions	0.00
	Specific Provisions made during the year	0.00
	Write offs during the year	0.00

Overseas - NIL

The Industry-wise Provision of five major industries is as below
(Amount in Rs million)

		NPA	Provision
A	Basic Metal & Metal Product (Incl Iron and Steel)	34809.00	9376.70
B	Infrastructure	15239.30	4521.20
	Roads	8362.30	2399.40
	Power	4504.60	1167.50
	Other Infrastructure	2221.60	928.70
C	All Engineering	9492.40	3545.20
D	Cement & Cement Products	9187.50	2441.70
E	Textiles	7864.10	3412.00

6. Disclosures of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) :

(Amount in Rs million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017
1.	Additional provisioning made on account of UFCE	76.80
2.	Incremental Capital held on account of UFCE	375.30

TABLE DF-4 - CREDIT RISK DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

a. Qualitative Disclosures:

For portfolios under Standardised Approach:

Bank uses standardized approach to measure capital requirements for credit risk. As per Standardised Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. India Ratings,
4. ICRA Limited,
5. Brickwork,
6. SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

Types of exposures for which each agency is used:

Bank has used solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures. Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

बैंक की बाह्य रेटिंग को लागू करने हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा ऋणकर्ताओं द्वारा मांगी गई और स्वीकार्य उक्त किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करेगा.
- जहाँ भी उपलब्ध हो, बैंक ऋणकर्ताओं के जोखिम भारित विगोपन का निर्धारण करने के लिए सुविधा रेटिंग अथवा बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करता है. जहाँ जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध होती है बैंक वहाँ इसका प्रयोग करता है बशर्ते कि बैंक ऋण की विशिष्ट रेटिंग नहीं हुई हो.
- जब उधारकर्ता का रेटिंग निर्धारण 150% जोखिम भार को दर्शाता है तो उधारकर्ता की बिना रेटिंग वाली सभी सुविधाओं पर भी यह रेटिंग लागू होती है और उनका जोखिम भार भी 150% होता है.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने एकाधिक रेटिंग वाली सुविधाओं के लिए विशेष परिस्थितियाँ सूचित की हैं. इस संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं के लिए जब दो रेटिंग दी गई हों तो निम्नतर रेटिंग और जब दो या अधिक रेटिंग दी गई हो तो दूसरी निम्नतर रेटिंग (सेकेंड लोएस्ट रेटिंग) का प्रयोग होता है.
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग/ लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है.

अनाहरित विगोपनों से व्यवहार :

विनियामक मानदंडों की अपेक्षानुसार बैंक ऋण सुविधाओं के अनाहरित भाग के लिए भी पूंजी धारित करता है जो प्रयोज्य ऋण परिवर्तनकारक (सीसीएफ) पर आधारित समकक्ष ऋण प्रकटन में इन ऋणों को परिवर्तित कर बैंक द्वारा पूर्वसूचना के बिना शर्तहीन रूप से निरस्त करनेयोग्य होते हैं.

ख. मात्रात्मक प्रकटन

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट्स के अंतर्गत प्रकट बैंक की बकाया (रेट की गई और रेट न की गई) राशियाँ, मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त 31.03.2017 को विगोपनों राशियाँ निम्नानुसार हैं-

(राशि रुपए मिलियन में)

क्र.	विवरण	शेष विगोपन
i	100% जोखिम भार से कम	1331261.74
ii	100% जोखिम भार	334610.53
iii	100% जोखिम भार से अधिक	179599.10
	उप जोड़	1845471.37
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य	45417.36
	कुल विगोपन	1890888.73

सारणी-डीएफ-5- ऋण जोखिम प्रशमन - मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

- **ऋण जोखिम प्रशमन हेतु नीतियाँ**
बैंक में संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की निरंतर निगरानी और निगरानी की बारबारता तथा उनके मूल्यांकन का आधार और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक को लागू करना सम्मिलित है.
- **संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन**
बैंक को दी गई प्राथमिक प्रतिभूति या उसके स्थान पर दी गई प्रतिभूति के ऊपर या अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति को परिभाषित किया है. यह चूक की स्थिति में बैंक को ऋण की वसूली में अतिरिक्त सुविधा/अनुकूल स्थिति प्रदान करती है. कई बार ये प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखती अथवा ऋणकर्ता द्वारा क्रय नहीं की गई होती. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी पूर्वाधिकार दस्तावेज बैंक को प्रतिपक्ष द्वारा चूक की स्थिति में उस प्रतिभूति अथवा ऋण संवर्धन के अन्य प्रकारों पर उपयुक्त अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें निर्धारित समय में परिसमापन करना अथवा विधिक कब्जा करना सम्मिलित है.
- **संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन**
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है. इस दृष्टिकोण में बैंक बेसल - III द्वारा विनिर्दिष्ट संपार्श्विक

Key aspects of Bank's External Ratings application framework are as follows:

- Bank uses ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by borrowers in line with RBI guidelines.
- Wherever available, Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting borrower's exposures. Where issuer rating is available Bank uses such ratings unless bank loan is specifically rated.
- When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.
- RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, lower rating, where there are two ratings and second-lowest rating where there are two or more ratings are used for a given facility.
- While mapping/applying the ratings assigned by credit rating agencies, Bank is guided by Regulatory guidelines.

Treatment of undrawn exposures:

As required by the regulatory norms, Bank holds capital even for the undrawn portion of credit facilities which are not unconditionally cancellable without prior notice by Bank, by converting such exposures into a credit exposure equivalent based on the applicable Credit Conversion Factor (CCF).

b. Quantitative Disclosures:

Exposure amounts as of 31.03.2017 after risk mitigation subject to Standardized Approach, amount of a Bank's outstandings (rated and unrated) disclosed under following major risk buckets:-

(Amount in Rs million)

Sr. No.	Particulars	Exposure Outstanding
i	Below 100 % risk weight	1331261.74
ii	100 % risk weight	334610.53
iii	More than 100 % risk weight	179599.10
	sub total	1845471.37
iv	Deducted CRM Value	45417.36
	Total Exposure	1890888.73

TABLE DF-5 – CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

- **Policies for Credit Risk Mitigation:**
Bank has a Board approved policy framework for collateral management and credit risk mitigation techniques, which include among other aspects guidelines on acceptable types of collateral, ongoing monitoring of collateral including frequency and basis of valuation and application of credit risk mitigation techniques.
- **Collateral Management**
Bank defines collateral as it is an additional security given, over and above primary security or in substitution thereof. It serves as an additional comfort to Bank for recovery of loans in default situations. At times, these securities are not connected to main business of the borrower or may not be owned by the borrower. Bank ensures that underlying documentation for collateral provides Bank appropriate rights over collateral or other forms of credit enhancement including right to liquidate/retain or take legal possession of it in a timely manner in the event of default by counterparty.
- **Collateral Valuation**
As stipulated by RBI guidelines, Bank uses comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank

प्रतिभूति के द्वारा प्रदान किए गए ऋण जोखिम प्रशमन की सीमा तक अपनी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय अपने प्रतिपक्ष पर विगोपन को कम कर देता है। बैंक उपयुक्त मार्जिन भी लागू करता है। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित ऋण नीति भी कार्यान्वित की है जिसमें ऋण देते समय बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, उनके प्रशासन / निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है ताकि बैंक का हित सुरक्षित रह सके तथा इससे जुड़ा जोखिम न्यूनतम हो सके। बैंक निर्धारित नीति के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को सुरक्षित करने के लिए जिन चल और अचल आस्तियों को प्राप्त करता है, उन सभी का मूल्यांकन बैंक द्वारा पैनल में शामिल बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। उच्च मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दो या उससे अधिक मूल्यांकनकर्ताओं से कराया जाए।

• बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों का विवरण

ऋण जोखिम की पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए बैंक केवल उन्हीं संपार्श्विक प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम को कम करने हेतु पात्र हैं। ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं -

- बैंकों में नकद जमा
- स्वर्ण, बुलियन और आभूषणों सहित
- केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- बीमा क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित बीमा कंपनी द्वारा घोषित समर्पण मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- कम-से-कम बीबीबी(-), ए3 की रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियाँ।
- म्युचुअल फंड के यूनिट जिसका निवेश उक्त उल्लिखित लिखतों में से एक है।

• प्रतिपक्ष के गारंटीदाता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण साख

जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशन के रूप में व्यक्तिगत अथवा निगमित गारंटी प्राप्त करता है जिससे गारंटीदाता पर सीधे दावा किया जा सकता है और जो बिना शर्त और अविकल्पी होती है। बैंक सुरक्षा कवच के रूप में राज्य/ केंद्रीय सरकार /ईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई द्वारा दी गई गारंटी भी स्वीकार करता है।

• ऋण जोखिम प्रशमन में केंद्रीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र ऋण जोखिम प्रशमन हेतु शर्तों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि उधारकर्ता के ऋण की गुणवत्ता और स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में कोई तात्त्विक सकारात्मक सह-संबंध नहीं है। वर्तमान में, बैंक के पास ऋण जोखिम प्रशमन के अंतर्गत कोई केंद्रीकृत जोखिम नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटन:

क) अलग-अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेस शीट नेटिंग के बाद)

(₹. मिलियन में)

	31.03.2017
मार्जिन लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन (तुलनपत्र पूर्व या तुलनपत्र पश्चात समायोजन करने के बाद, जहां कहीं लागू हो)	45417.36

ख) अलग-अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

(₹. मिलियन में)

	31.03.2017
गारंटियों द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन	22631.69

reduces its exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by eligible financial collateral as specified in Basel III guidelines. Bank also applies appropriate haircuts. Bank has also put in place Lending Policy duly approved by Board, which lay down the types of securities normally accepted by Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of Bank so as to minimize risk associated with it. Both fixed and current assets obtained to secure loans granted by Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by Bank. In respect of high value of collateral, valuation from two or more valuers is obtained.

• Description of main types of collateral taken by Bank

For computation of capital requirement for Credit Risk, Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as under:

- Cash Deposit with bank
- Gold, including bullion and Jewellery
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate
- Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator
- Debt securities including Certificate of Deposit rated at least BBB(-),A3
- Units of Mutual Funds, where the investment is in instruments mentioned above

• Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

Wherever required Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE/NCGTC as a security comfort.

• Concentrations within Credit Risk Mitigation

RBI guidelines, among its conditions for eligible credit risk mitigants, require that there should not be a material positive correlation between the credit quality of the counterparty and the value of the collateral being considered. Currently, Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures:

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts.

(Amount in Rs million)

	31.03.2017
Total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts	45417.36

(b) For each separately disclosed portfolio total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Amount in Rs million)

	31.03.2017
Total exposure that is covered by Guarantees	22631.69

सारणी-डीएफ-6-- प्रतिभूतिकरण

गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने वर्ष 31.03.2017 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

मात्रात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए मात्रात्मक प्रकटन लागू नहीं है।

सारणी-डीएफ-7-- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम

बैंक को बाजार के व्युत्पन्न जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रूप में बाजार जोखिम को परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनों श्रेणियों) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है। बैंक वस्तुओं में व्यापार नहीं करता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम से उत्पन्न आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां और कार्यपद्धतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएमएल) विद्यमान है। उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमाणन, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरूप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो। नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी निगरानी हेतु रिपोर्टिंग संरचना का भी समावेश है। नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु रिपोर्टिंग ढांचा है और विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाइट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है। प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनकी निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है। बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सब्स-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबावों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति लागू की है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के संबंध में आवधिक रूप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसिस के जरिये किया जाता है और निगरानी की जाती है। बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु ड्यूरेशन गैप एनालिसिस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। बैंक निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों (ईएआर) और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुद्ध संशोधित ड्यूरेशन गैप (जीजीएपी) का प्राक्कलन करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/निदेशक मंडल बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और बाजार की स्थितियों के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। डीलिंग रूम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रूम के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है। खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीआईबीडी) का मिड-ऑफिस भी सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन नीति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाजार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय या बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाजार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे।

बैंक की बाजार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों का प्रबंध किया जा सके अर्थात् इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम

TABLE DF-6 SECURITIZATION EXPOSURE

Qualitative Disclosures:

Bank does not have any case of its assets securitized as on 31st March 2017.

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Standardized Approaches is **Not Applicable**

TABLE DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

Bank has put in place Board approved Investment Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby market risks carried by Bank are identified, measured, monitored and controlled within policy framework consistent with Bank's risk tolerance. Policies deal with reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for counterparty banks and exposures are monitored on daily basis.

ALM Policy deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Interest rate risk is monitored through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities. Bank has also put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by Bank and determines strategy in light of market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor dealing room activities. Mid-Office at Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Market Risk Management Policy - To ensure that Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that Bank has a defined set of principles and processes in place for articulating how it plans to manage market risks it faces, in Trading or Banking Book.

Bank's Market Risk Management Policy aims to set out broad outlines of processes by which market risks carried by Bank shall be managed

अनुमोदित जोखिम सख्त सीमाओं के भीतर हो। इस नीति की व्यापकता बैंकिंग बही के निवेश भाग और बैंक की व्यापार बही के कारण उत्पन्न हो रहे बाजार जोखिम को कवर करती है।

मात्रात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(राशि रु. मिलियन में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2017	
	पूंजी प्रभार	जोखिम भारित आस्तियां
i व्याज दर जोखिम	2583.61	32295.13
ii इक्विटी स्थिति जोखिम	984.96	12312.00
iii विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	0.45	5.60
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाजार जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)	*3569.02	44612.73

(* बाजार जोखिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी प्रभार को सीआरएआर पर पहुंचने के लिए 12.50 की दर से आरडब्ल्यू में परिवर्तित किया गया है)

सारणी डीएफ-8--परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों का जोखिम होता है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां -

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों (टीसीए एवं एएमए) हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु अन्य नीतियां यथा क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति घ) बाह्यस्रोत-उपयोग नीति और ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन का समावेश है

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है जिसमें प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कापेरिट मूल्यों को शामिल किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां लागू की हैं।

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रूप से पुनरीक्षा करता है। जोखिम अंतरण के उपाय के रूप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रूप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियां भी पर्याप्त रूप से बीमाकृत हैं। परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन, निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रूप से भूमिकाएं तय करने के द्वारा बैंक की दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है। बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिए किया जाता है।

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण:

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक को परिचालन जोखिम हेतु पूंजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए समकक्ष विकल्प के तौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) में प्रस्थापन हेतु समानांतर संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तथापि, बैंक को विनियामक उद्देश्य हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत गणना किए अनुसार पूंजी प्रभार के रखरखाव की अनुमति दी गई है।

i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of this policy covers market risks arising from Bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book".

Quantitative Disclosure:

Capital requirement for Market Risk is as under:

(Amount in Rs million)

Risk Category	31.03.2017	
	Capital Charge	Risk Weighted Assets
i Interest Rate Risk	2583.61	32295.13
ii Equity Position Risk	984.96	12312.00
iii Foreign Exchange Risk (including gold)	0.45	5.60
Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)	*3569.02	44612.73

(*For market risks capital charge is converted in RWA @ 12.50 to arrive at CRAR as per RBI guidelines.)

TABLE DF-8 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with RBI Guidelines for Advanced Approaches for Operational Risk (TSA & AMA). Other policies which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy.

Strategies and processes: Operational Risk Management process of Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in Bank.

Bank has been constantly reviewing legal documents to ensure that legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk transfer, Bank has obtained insurance cover for all assets owned by Bank. It is also ensured that assets financed by Bank are also adequately insured, as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. Basic objective of policy is to closely integrate operational risk management system into day-to-day risk management processes of Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. Bank has received approval for migration to 'The Standardised Approach' (TSA) for calculating Operational Risk Capital Charge as a parallel run. However, Bank has been allowed to maintain capital charge as per Basic Indicator Approach (BIA) for regulatory purpose.

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार रु.7011.98 मिलियन है।

सारणी डीएफ-9 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबी) ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का संदर्भ लेता है। ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है।

- जोखिम पर आय** - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए एक वर्ष के लिए किया गया है।
- इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस)** - बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) ड्यूरेशन गैप एनालिसिस को अपनाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हिंगित 200 बीपीएस रेट शॉक हेतु इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इक्विटी का आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन: जोखिम पर अर्जन:

(रु.मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	एक वर्ष की अवधि के लिए 100 बीपीएस का पैरेलल शिफ्ट	
	31.03.2017	
	(+)100 आधार पॉइंट	(-)100 आधार पॉइंट
निवल ब्याज आय पर प्रभाव	2776.78	- 2776.78

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

(रु.मिलियन में)

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव	31.03.2017	
	(+)200 आधार पॉइंट	(-)200 आधार पॉइंट
	-10809.45	10809.45

सारणी डीएफ 10 : काउंटर पक्ष ऋण जोखिम संबंधी विगोपन हेतु सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक व्युत्पन्न बाजार में अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के रेखांकित विगोपन के बचाव के लिए उपयोगकर्ता के रूप में भाग लेता है। बैंक के व्यावसायिक घटक, ग्राहकों के मिश्रण और स्वरूप, पूँजी आवश्यकता के साथ-साथ जोखिम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक निम्नलिखित व्युत्पन्न उत्पादों का लेन-देन करता है :

- मुद्रा वायदा
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा क्रय-विक्रय
- ब्याज दर क्रय-विक्रय - ओआईएस एवं आईआरएस

वर्तमान में बैंक ऋण डिफॉल्ट सेट स्वेप और मुद्रा विकल्प के अंतर्गत लेन-देन नहीं कर रहा है।

विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लिमिट्स जैसे, काउंटर पक्ष लिमिट्स, स्टॉप लॉस लिमिट्स, डे-लाईट लिमिट्स, ओवर नाईट लिमिट्स, और विगोपन लिमिट्स इत्यादि का निर्धारण करते हुए विभिन्न जोखिमों का आकलन और प्रबंधन किया जाता है। इन लिमिट्स का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/विनिमय केन्द्रों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विनिमय की ओर से विनिर्दिष्ट लिमिट्स (1) आरंभिक मार्जिन (2) बाजार हेतु चिन्हित मार्जिन (3) मुक्त ब्याज हैं। बैंक द्वारा इन लिमिट्स का अनुपालन किया गया है।

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is **Rs 7011.98 Million.**

TABLE DF-9 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to potential adverse financial impact on Bank's Banking Book from changes in interest rates. Interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

- Earnings at Risk:** Impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps) for a period of one year.
- Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):** Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing impact (as a percentage) on economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with the method suggested by RBI.

Impact on Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI. The Economic Value of Equity is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosure: Earning at Risk:

(Amount in Rs. Million)

Change in Interest rate	Parallel shift of 100 bps for 1 Year period	
	31.03.2017	
	(+) 100 basis point	(-) 100 basis point
Impact on Net Interest Income	2776.78	- 2776.78

Economic Value of Equity:

Impact on economic value of equity	31.03.2017	
	(+) 200 basis point	(-) 200 basis point
	-10809.45	10809.45

TABLE DF-10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures:

Bank is participating in derivative market as a user to hedge risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view business composition of Bank, nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, Bank is dealing in following derivative products:

- Currency futures
- Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps – OIS & IRS.

Bank at present is not undertaking transactions under Credit Default Swaps and Currency options.

Measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. Utilization of such limits would be subject to guidelines of RBI/SEBI/Exchanges.

From exchange side, limits stipulated are (1) initial margin (2) mark to market margins (3) open interest. Bank is complying with these limits.

In respect of currency futures transactions, Bank is maintaining account with exchange approved Bank for purpose of clearing and settlement of transactions and also maintains margin in the form of cash/bank deposits/bank guarantees/ G-Sec or any other approved securities.

मुद्रा वायदा लेन-देनों के मामले में बैंक ने विनिमय केंद्र द्वारा अनुमोदित बैंक में समाशोधन और लेन-देनों के निपटान हेतु खाता रखा है साथ ही, बैंक नकदी/बैंक जमा राशियों/बैंक गारंटियों/सरकारी प्रतिभूतियों अथवा किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन भी रखता है।

वायदा संविदाओं की बुकिंग का उद्देश्य विनिमय जोखिम संबंधी लेन-देन के विगोपन से बचाव है, जिसके लिए फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खरीदने और/अथवा बिक्री की अनुमति है। अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम से बचाव के लिए बैंक अपने ग्राहकों को वायदा संविदा एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है।

बैंक केवल उन काउंटर पक्ष बैंकों के साथ आईआरएस/ एफआरए संव्यवहार करता है जिन्होंने आईएसडीए मास्टर समझौता/ सीएसए किया है और जिसके लिए बैंक ने काउंटर पक्ष विगोपन सीमा निर्धारित की है।

बैंक ने वर्तमान विगोपन पद्धति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित व्युत्पन्न संविदाओं के ऋण विगोपन के लिए अपेक्षित प्रावधान किए हैं।

- जब कभी बैंक जोखिम और तत्संबंधी पूंजी आवश्यकता के आकलन हेतु उन्नत दृष्टिकोण में अंतरित होगा, तदनुसार बैंक द्वारा प्रतिपक्ष ऋण विगोपन हेतु पद्धतियां और आर्थिक पूंजी का निर्धारण करता है।

(क) मात्रात्मक प्रकटन : (राशि रुपए मिलियन में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2017
1	प्रतिस्थापित लागत	3013.03
2	संभावित वायदा विगोपन	1863.19
3	सकल ऋण तुल्य	4876.22
	समाविष्ट :	
3.1	ब्याज दर संविदा	7.53
3.2	ऋण व्युत्पन्न संविदा	0.00
3.3	ईक्विटी संविदाएं	0.00
3.4	विदेशी मुद्रा संविदाएं और स्वर्ण	4868.69
3.5	वस्तु संविदाएं	0.00
4	सकल ऋण तुल्य राशि	4876.22
5	घटाएं : निवल व्यवस्था का प्रभाव	0.00
6	निवल उपरांत ऋण तुल्य राशि (4-5)	4876.22
7	घटाएं : संपार्श्विक राशि	0.00
7.1	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	0.00
7.2	अन्य पात्र संपार्श्विक	0.00
8	निवल ऋण तुल्य राशि	4876.22

आईएसडीए समझौतों और पात्र संपार्श्विक की पहचान के माध्यम से विगोपन निवल द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन का न्यूनीकरण किया गया, जिसके प्रभाव यथोचित रूप से विनियामक पूंजी गणनाओं में शामिल किए गए हैं।

(ख) ऋण व्युत्पन्न लेन-देन (राशि रुपए मिलियन में)

विवरण	खरीदा गया सुरक्षा अनुमानित अंश	बेची गई ऋण व्युत्पन्न सुरक्षा
स्वयं का ऋण संविभाग	शून्य	शून्य
ग्राहक की मध्यस्थता गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
ऋण चूक अदलाबदली	शून्य	शून्य
कुल अदलाबदलियों की वापसी	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

Purpose of booking forward contracts is to hedge an exposure to exchange risk in respect of transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under FEMA 1999. Bank offers to its customers, forward contract as a product for hedging their foreign currency exchange risk.

Bank is doing IRS/FRA deals only with those counterparty banks which have executed ISDA Master agreement/CSAs and for whom Bank has set up counterparty exposure limits.

Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

- Bank will describe methodology and will assign economic capital for counter party credit exposure, as and when Bank migrates to Advanced Approach of measurement of Risk and related Capital requirement.

(a) Quantitative Disclosures

(Amount in Rs. million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017
1	Replacement Cost	3013.03
2	Potential Future Exposure	1863.19
3	Gross Credit Equivalent	4876.22
	Comprising:	
3.1	Interest Rate Contract	7.53
3.2	Credit Derivatives Contract	0.00
3.3	Equity Contracts	0.00
3.4	Foreign Exchange Contracts and Gold	4868.69
3.5	Commodities Contracts	0.00
4	Gross Credit Equivalent Amount	4876.22
5	Less: Effect of Netting Arrangements	0.00
6	Credit Equivalent Amount after netting (4-5)	4876.22
7	Less: Collateral Amount	0.00
7.1	Eligible Financial Collateral	0.00
7.2	Other Eligible Collateral	0.00
8	Net Credit Equivalent Amount	4876.22

Counterparty credit exposure is mitigated by exposure netting through ISDA agreements and recognition of eligible collateral, effect of which have been included in regulatory capital calculations where appropriate.

(b) Credit Derivatives Transactions-

(Amount in Rs Million)

Particulars	Notional of Protection Bought	Credit Derivatives Protection Sold
Own Credit Portfolio	NIL	NIL
Client Intermediation Activities	NIL	NIL
Total	NIL	NIL
Credit default swaps	NIL	NIL
Total return swaps	NIL	NIL
Total	NIL	NIL

सारणी डीएफ -11 : पूंजी संमिश्र

(रुपए मिलियन में)

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.17 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
कॉमन इक्विटी टियर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
1 संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम)*	44056.17		
2 रोकी गई आय	-13919.98		बी8(a)
3 अन्य समाविष्ट संयोजी आय (और अन्य आरक्षितियां, मूल्यांकन आरक्षितियां एवं डीटीए)	46058.60		बी2+बी3+बी4+बी5+बी6(ए)
4 सीईटी I से फेज आउट होने के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00		
दिनांक 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी प्रत्यारोपण	0.00		
5 अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी I समूह में अनुमत्य राशि)	0.00		
6 विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी	76194.79		
सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी : विनियामक समायोजन			
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00		
8 साख (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		
9 बंधक सेवी अधिकारों के अतिरिक्त अमूर्तताएं (संबंधित कर देयता को घटाकर)	178.20	178.200	के1(b)
10 आस्थगित कर आस्तियां	6482.94		
11 नकदी-प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00		
12 संभावित हानियों के प्रावधानों में कमी	0.00		
13 बिम्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00		
14 उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ और हानि	0.00		
15 परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00		
16 स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि सूचित तुलनपत्र में अदा पूंजी पहले से कम न की गई हो)	0.00		
17 सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिताएं * शेयर आवेदन राशि सहित	0.00		
18 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
19 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर सामान्य बैंकिंग स्टॉक, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
20 बंधक सेवी अधिकार (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
21 अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता के बाद प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		

TABLE DF-11- COMPOSITION OF CAPITAL

(Rs. in Million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.17	Amounts subject to Pre-BASEL III Treatment	Ref. No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium) *	44056.17		
2 Retained earnings	-13919.98		B8(a)
3 Accumulated other comprehensive income (other reserves, revaluation reserves and DTA)	46058.60		B2+B3+B4 + B5 +B6(a)
4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00		
Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	76194.79		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7 Prudential valuation adjustments	0.00		
8 Goodwill (net of related tax liability)	0.00		
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	178.20	178.200	K1(b)
10 Deferred tax assets	6482.94		
11 Cash-flow hedge reserve	0.00		
12 Shortfall of provisions to expected losses	0.00		
13 Securitisation gain on sale	0.00		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00		
15 Defined-benefit pension fund net assets	0.00		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital in reported balance sheet) * Including share application money	0.00		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00		
18 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19 Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00		
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00		

22	प्रारंभिक 15 प्रतिशत से अधिक राशि	0.00		
23	जिसमें से : वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00		
24	जिसमें से : बंधक सेवी अधिकार	0.00		
25	जिसमें से : अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1.50		
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुबंधियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00		
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुबंधियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	1.50		
26ग	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेशन निधि व्यय	0.00		
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अतिरिक्त टियर I और टियर II की अपर्याप्तता के कारण सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
28	सामान्य ईक्विटी टियर I की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	6662.64		
29	सामान्य ईक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी I)	69532.14		
	अतिरिक्त टियर I पूंजी : लिखतें			
30	प्रत्यक्ष जारी संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित पात्र अतिरिक्त टियर I लिखतें (31+32)	10000.00		
31	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00		
32	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर ऋण लिखतें)	10000.00		
33	अतिरिक्त टियर I से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	6475.00		
34	अनुबंधियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (एटी I समूह में अनुमत्य राशि) अतिरिक्त टियर I लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी I लिखतें)	0.00		
35	जिसमें से : फेज आउट के अधीन अनुबंधियों द्वारा जारी लिखतें	0.00		
36	विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टियर I पूंजी	16475.00		डी4(क)
	अतिरिक्त टियर I पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं की अतिरिक्त टियर I लिखतों में निवेश	0.00		
38	अतिरिक्त टियर I लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00		
39	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, जहां पात्र अत्यकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी कॉमन शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		

22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00		
24	of which: mortgage servicing rights	0.00		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	1.50		
26a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00		
26b	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	1.50		
26c	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
26d	Of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	6662.64		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	69532.14		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	10000.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	10000.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	6475.00		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	16475.00		D4(a)
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		

40	बैंकिंग पूंजी, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00		
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूंजी में निवेश	0.00		
41ख	प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की अतिरिक्त टियर I पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
	बेसल III पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में अतिरिक्त टियर I पर लागू विनियामक समायोजन, जिसमें से :			
	आस्थगित कर आस्तियां	0.00		
	अमूर्त आस्तियां	0.00	178.20	के1(b)
	पेंशन और उपदान का अपरिशोधित भाग	0.00		
	अपरिशोधित मूल्यहास	0.00		
	पारस्परिक समायोजन	0.00		
42	कटौतियों को कवर करने के लिए टियर II की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
43	अतिरिक्त टियर I पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	0.00		
44	अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी 1)	16475.00		
45	टियर I पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44)	86007.13		
	टियर II पूंजी : लिखतें और प्रावधान			
46	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर II लिखतें	0.00		
47	टियर II से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	13920.00		डी 4(b)
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (टियर II समूह में अनुमत्य राशि) टियर II लिखतें (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न की गई सीईटी 1 और एटी 1 लिखतें)	0.00		
49	जिसमें से : फेज आउट शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00		
50	प्रावधान और अन्य आरक्षितियां	6918.50		
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टियर II पूंजी	20838.50		
	टियर II पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं की टियर II लिखतों में निवेश	0.00		
53	टियर II लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00		
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व इकाई की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	101.10		
55	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00		

40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
41	National specific regulatory adjustments (41a+ 41b)	0.00		
41a	Investments in the Additional Tier 1 Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT of which:			
	Deferred tax Assets	0.00		
	Intangible Assets	0.00	178.20	K1(b)
	Unamortised portion of Pension and Gratuity	0.00		
	Unamortised Depreciation	0.00		
	Reciprocal Adjustments	0.00		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	16475.00		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	86007.13		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	13920.00		D4(b)
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions & Other Reserves	6918.50		
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	20838.50		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	101.10		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		

56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क + 56ख)	0.00		
56क	जिसमें से : असमायोजित अनुबंधियों का टीअर 2 पूंजी में निवेश	0.00		
56ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाइयों की टीअर 2 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
	राशि के संबंध में टीअर 2 हेतु प्रयुक्त विनियामक समायोजन जो कि हदद्वारा III अनुप्रयोग के अधीन है			
57	टीयर II पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	101.10		
58	टीयर II पूंजी (टी 2)	20737.40		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45+58)	106744.54		
	बेसल III पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में जोखिम भारित आस्तियां			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)	954732.60		
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	822469.19		
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	44613.61		
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	87649.81		
	पूंजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	7.283%		
62	टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	9.009%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	11.181%		
64	संस्थान विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप दर्शाया गया पूंजी संरक्षण और प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताओं सहित न्यूनतम सीईटी I आवश्यकता)	6.75%		
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.25%		
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00		
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00		
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	0.533%		
	राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	6.75%		
70	राष्ट्रीय टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	8.25%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	10.25%		
	कटौती हेतु प्रारंभिक राशियों से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	0.00		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00		

56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a	Of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00		
56b	Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	101.10		
58	Tier 2 capital (T2)	20737.40		
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45+ 58)	106744.54		
	RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	954732.60		
60a	of which: total credit risk weighted assets	822469.19		
60b	of which: total market risk weighted assets	44613.61		
60c	of which: total operational risk weighted assets	87649.81		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.283%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.009%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.181%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.75%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.25%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.533%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.75%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.25%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.25%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00		

74	बंधक सेवी अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		
75	अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		
	टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु लागू सीमाएं			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	6632.46		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	10280.26		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	लागू नहीं		
	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 तक लागू)	लागू नहीं		
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं		
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं		
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं		
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं		
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान सीमा	लागू नहीं		
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं		

टेम्पलेट नोट

टेम्पलेट पंक्ति क्रमांक	व्यौरे	रुपए मिलियन में
10	संचयी हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	0.00
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर (संचयी हानियों से संबद्ध के अतिरिक्त) आस्थगित कर आस्तियां	6482.94
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार जोड़	6482.94
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूंजी से पूर्ण कटौती न की गई हो और इसके बजाय कटौती के प्रारंभिक 10 प्रतिशत के अंतर्गत विचार किया गया हो तो परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : अतिरिक्त टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टीयर II पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित वित्तीय/गैर-वित्तीय सहायक/संबद्ध कंपनियों की ईक्विटी पूंजी के निवेशों की कटौती न की गई हो, जिसके कारण जोखिम भार	
	i) सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	732.71
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	1831.78

74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	6632.46		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	10280.26		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)	N.A		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A		

Notes to Template

Row No. of Template	Particulars	Rs. In Million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	6482.94
	Total as indicated in row 10	6482.94
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If Investments in the Equity Capital of unconsolidated financial/non-financial subsidiaries/Associates are not deducted and hence, risk weighted then,	
	i) Increase in Common Equity Tier 1 Capital	732.71
	i) Increase in Risk Weighted Assets	1831.78

44क	पूँजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर I पूँजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए गए एटी1 और पंक्ति 44क में रिपोर्ट किए गए अनुमत्य एटी1 के बीच अंतर)	0.00
	जिसमें से : अधिशेष एटी 1, जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत विचारित टीयर II पूँजी माना गया	0.00
50	टीयर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	6918.50
	टीयर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल	6918.50

सारणी : डीएफ-12 : पूँजी संमिश्र - समाधान आवश्यकता चरण 1

(रुपए मिलियन में)

	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
	31.03.2017 को	31.03.2017 को
क पूँजी व देयताएं		
i प्रदत्त पूँजी	11683.34	
आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	62111.91	
अल्प ब्याज	0.00	
कुल पूँजी	73795.25	
ii जमाराशियाँ जिसमें से :	1390528.38	
बैंकों से जमाराशियाँ	18081.14	
ग्राहक जमाराशियाँ	508890.96	
अन्य जमाराशियाँ	863556.28	
iii उधारियाँ जिसमें से:	81366.52	
भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	
बैंकों से	0.00	
अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	28930.00	
बॉण्ड्स एवं डिबेंचर पूँजी लिखतों के रूप में उधारियाँ	52250.00	
भारत के बाहर से उधारियाँ	186.52	
iv अन्य देयताएं व प्रावधान	47549.67	
कुल पूँजी एवं देयताएं	1593239.81	
ख आस्तियाँ		
i भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और खाता शेष	152747.19	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	13673.02	
ii निवेश	385901.85	
जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ	331043.96	
जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	
जिसमें से : शेयर्स	3623.58	
जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	16728.23	
जिसमें से : सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी प्रतिष्ठान	734.21	
जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि)	33771.87	
iii ऋण और अग्रिम जिसमें से :	955152.30	
बैंकों को ऋण और अग्रिम	149.14	
ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	955003.16	

44a	Excess Additional Tier 1 Capital not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	6918.50
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of Row 50	6918.50

TABLE DF-12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENT

Step 1

(Rs. In Million)

	Balance sheet as in published financial statements As on 31.03.2017	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2017
A Capital & Liabilities		
Paid-up Capital	11683.34	
Reserves & Surplus	62111.91	
Minority Interest	0.00	
Total Capital	73795.25	
Deposits of which:	1390528.38	
Deposits from banks	18081.14	
Customer deposits	508890.96	
Other deposits	863556.28	
Borrowings of which:	81366.52	
From RBI	0.00	
From Banks	0.00	
From other institutions & agencies	28930.00	
Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	52250.00	
Borrowings from outside India	186.52	
Other Liabilities and Provision	47549.67	
Total Capital & Liabilities	1593239.81	
B Assets		
Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	152747.19	
Balance with banks and money at call and short notice	13673.02	
Investments of which:	385901.85	
of which: Government securities	331043.96	
of which: Other approved securities	0.00	
of which: Shares	3623.58	
of which: Debentures & Bonds	16728.23	
of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	734.21	
of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	33771.87	
Loans and Advances of which:	955152.30	
Loans and Advances to banks	149.14	
Loan and Advances to Customers	955003.16	

iv	स्थिर आस्तियां	15860.80	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से :	69904.66	
	साख और अमूर्त आस्तियां	178.20	
	आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
vi	समेकन पर साख	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	
	कुल आस्तियां	1593239.81	

चरण 2

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.17 को	31.03.17 को
क			पूंजी और देयताएं	
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से	ए	11683.33	
	सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	ए1	11683.33	
	एटी 1 हेतु पात्र राशि	ए2	0.00	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष जिसमें से :	बी	62111.91	
	ईक्विटी शेयर प्रीमियम	बी 1	29372.83	
	सांविधिक आरक्षितियां	बी 2	12524.93	
	पूंजी आरक्षितियां	बी 3	3041.46	
	राजस्व आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां	बी 4	13843.26	
	विशेष आरक्षितियां	बी 5	4980.00	
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां जिसमें से:	बी 6	12064.59	
	सीईटी 1 के लिए पात्र	बी 6(क)	5429.07	
	निवेश आरक्षितियां	बी 7	204.82	
	लाभ और हानि खाते में शेष जिसमें से :	बी 8	-13919.98	
	सीईटी 1 हेतु पात्र	बी 8 (ए)	-13919.98	
	अल्प ब्याज	बी 9	0.00	
	कुल पूंजी	ए+बी	73795.25	
ii	जमा राशियां जिसमें से :	सी	1390528.38	
	बैंकों से जमा राशियां	सी 1	18081.14	
	ग्राहक जमा राशियां	सी 2	508890.96	
	अन्य जमा राशियां	सी 3	863556.28	
iii	उधारियां जिसमें से :	डी	81366.52	
	भारतीय रिजर्व बैंक से	डी1	0.00	
	बैंकों से	डी2	0.00	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	डी3	28930.00	
	बॉण्ड्स एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां, जिसमें से	डी4	52250.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व एटी1 हेतु पात्र	डी4(ए)	16475.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर II हेतु पात्र	डी4(बी)	13920.00	
	अन्य देयताएं और प्रावधान जिसमें से :	ई	47549.67	
	साख संबंधी डीटीएल	ई1	0.00	
	अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	ई2	0.00	
	कुल		1593239.81	
ख	आस्तियां			
i	भारतीय रिजर्व बैंक में नकद एवं खाता शेष	एफ	152747.19	
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	जी	13673.02	
ii	निवेश जिसमें से :	एच	385901.85	
	सरकारी प्रतिभूतियां	एच 1	331043.96	

iv	Fixed Assets	15860.80	
v	Other Assets of which:	69904.66	
	Goodwill and Intangible Assets	178.20	
	Deferred Tax Assets	0.00	
vi	Goodwill on Consolidation	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	0.00	
	Total Assets	1593239.81	

Step 2

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2017	As on 31.03.2017
A			Capital & Liabilities	
I	Paid-up Capital of which	A	11683.33	
	Amount eligible for CET 1	A1	11683.33	
	Amount eligible for AT1	A2	0.00	
	Reserves & Surplus of which:	B	62111.91	
	Equity Share Premium	B1	29372.83	
	Statutory Reserve	B2	12524.93	
	Capital Reserve	B3	3041.46	
	Revenue Reserve and Other Reserves	B4	13843.26	
	Special Reserve	B5	4980.00	
	Revaluation Reserve of which:	B6	12064.59	
	Eligible for CET 1	B6(a)	5429.07	
	Investment Reserve	B7	204.82	
	Balance in Profit and Loss Account of which	B8	-13919.98	
	Eligible for CET 1	B8(a)	-13919.98	
	Minority Interest	B9	0.00	
	Total Capital	A+B	73795.25	
ii	Deposits Of which:	C	1390528.38	
	Deposits from banks	C1	18081.14	
	Customer deposits	C2	508890.96	
	Other deposits	C3	863556.28	
iii	Borrowings Of which:	D	81366.52	
	From RBI	D1	0.00	
	From banks	D2	0.00	
	From other institutions & agencies	D3	28930.00	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments of which:	D4	52250.00	
	Eligible for AT1 before regulatory adjustments	D4(a)	16475.00	
	Eligible for Tier 2 before regulatory adjustments	D4(b)	13920.00	
	Other Liabilities and Provision of which	E	47549.67	
	DTLs related to Goodwill	E1	0.00	
	DTLs related to Intangible Assets	E2	0.00	
	Total		1593239.81	
B	Assets			
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	152747.19	
	Balance with banks and money at call and short notice	G	13673.02	
ii	Investments of which:	H	385901.85	
	Government Securities	H1	331043.96	

	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एच 2	0.00	
	शेयर्स	एच 3	3623.58	
	डिबेंचर एवं बॉण्ड	एच 4	16728.23	
	सहायक/संयुक्त उद्यम	एच 5	734.21	
	अन्य (म्यूचुअल फंड, सीओडी, आरआईडीएफ, पीटीसी)	एच 6	33771.87	
iii	ऋण और अग्रिम जिसमें से :	आई	955152.30	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	आई 1	149.14	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	आई 2	955003.16	
iv	स्थिर आस्तियां	जे	15860.80	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से :	के	69904.66	
	साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से :	के 1	1782.00	
	साख	के 1(ए)	0.00	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर के अतिरिक्त)	के 1(बी)	0.00	
	आस्थगित कर आस्तियां	के 1(सी)		
	अपरिशोधित पेंशन	के 1(डी)	0.00	
vi	समेकन पर साख	एल	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	एम		
	कुल आस्तियां		1593239.81	

	Other Approved Securities	H2	0.00	
	Shares	H3	3623.58	
	Debentures and Bonds	H4	16728.23	
	Subsidiaries/Joint Ventures	H5	734.21	
	Others(Mutual Funds, CoDs, RIDF, PTCs)	H6	33771.87	
iii	Loans and Advances of which:	I	955152.30	
	Loans and Advances to banks	I1	149.14	
	Loan and Advances to Customers	I2	955003.16	
iv	Fixed Assets	J	15860.80	
v	Other Assets of which:	K	69904.66	
	Goodwill and Intangible Assets out of which	K1	1782.00	
	Goodwill	K1(a)	0.00	
	Other Intangibles (Excluding MSRs)	K1(b)	0.00	
	Deferred Tax Assets	K1 (c)		
	Unamortised Pension	K 1 (d)	0.00	
vi	Goodwill on Consolidation	L	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	M		
	Total Assets		1593239.81	

चरण 3

बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट सार (जोड़े गए कॉलम सहित)- डीएफ 11			
सामान्य ईक्विटी टायर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी समिश्र	चरण 2 के समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के पत्रों/ संदर्भ क्रमांकों पर आधारित स्रोत	
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी* (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समरूप)	44056.16	
2	रोकी गई आय	-13919.98	बी 8 (ए)
3	अन्य समाविष्ट आय संचयी (और अन्य आरक्षितियां)	46058.60	बी2+बी3+बी4 +बी5+बी6(ए)
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टायर I पूंजी	76194.79	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता के बाद)	0.00	

(* शेयर आवेदन राशि सहित)

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – DF 11

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letter s of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share * (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	44056.16	
2	Retained earnings	-13919.98	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	46058.60	B2+B3+ B4+B5+B6(a)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	76194.79	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

(* Including share application money)

डीएफ-13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं DF-13: Main Features of the Regulatory Capital Instruments

		आईपीडीआई IPDI				टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds					
		बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
1		INE457A09124	INE457A09165	INE457A09215	INE457A08043	INE457A09116	INE457A09157	INE457A09173	INE457A09132	INE457A09140	INE457A09199
2	विशिष्ट पहचानकर्ता अर्थात् (जैसे निजी स्थापन हेतु क्यूसिप, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता) Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws
3	लिखत हेतु शासकीय नियम Governing law(s) of the instrument	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws
	नियामक प्रतिपादन Regulatory treatment										
4	परिवर्ती बेसल III नियम Transitional Basel III rules	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम Post-transitional Basel III rules	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible
6	एकल/समूह/एकल एवं समूह में पात्र Eligible at solo/group/ group& solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo
7	लिखत का प्रकार Instrument type	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	उपरी टीयर 2 ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर 2 ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर 2 ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर 2 ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर 2 ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर 2 ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments
8	विनियामक पूंजी के रूप में पहचानी गई राशि (हाल की रिपोर्टिंग दिनांक को रूप में) Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1125	350	10000	5000	1000	500	1500	400	520	5000
9	लिखत का सममूल्य (रूप में मिलियन में) Par value of instrument(Rs in million)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	लेखा वर्गीकरण Accounting classification	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing	देयता - उधारियां Liability-borrowing

		आईपीडीआई IPDI				टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds						
		31.07.2007	30.09.2009	12.01.2015	15.12.2016	19.07.2007	30.09.2009	01.02.2010	15.01.2008	30.09.2009	31.12.2012	27.06.2016
11	जारी करने का मूल दिनांक Original date of issuance	निरंतर Perpetual	निरंतर Perpetual	निरंतर Perpetual	निरंतर Perpetual	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated
12	निरंतर अथवा दिनांकित Perpetual or dated	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	19.07.2022	30.09.2024	01.02.2025	15.04.2018	30.04.2019	31.12.2022	27.09.2026
13	मूल परिपक्वता दिनांक Original maturity date	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	19.07.2022	30.09.2024	01.02.2025	15.04.2018	30.04.2019	31.12.2022	27.09.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन अधीन जारीकर्ता कॉल Issuer call subject to prior supervisory approval	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल डिनांक और मोचन राशि Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.07.2017	30.09.2019	12.01.2020	15.12.2021	19.07.2017	30.09.2019	01.02.2020	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
16	तदुपरांत कॉल दिनांक, यदि लागू हो Subsequent call dates, if applicable	भारिबैंक के अनुमोदन के अधीन 31.07.2017 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर On each anniversary after 31.07.2017 subject to RBI Approval	भारिबैंक के अनुमोदन के अधीन 30.09.2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर On each anniversary after 30.09.2019 subject to RBI Approval	भारिबैंक के अनुमोदन के अधीन 12.01.2020 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर On each anniversary after 12.01.2020 subject to RBI Approval	भारिबैंक के अनुमोदन के अधीन 15.12.2021 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर On each anniversary after 15.12.2021 subject to RBI Approval	नहीं No	नहीं No	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	कूपन/लाभांश Coupons / dividends											
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन Fixed or floating dividend/coupon	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed
18	कूपन दर और संबंधित कोई सूचकांक Coupon rate and any related index	10.65 % वार्षिक	9.25% pa वार्षिक	9.48% pa वार्षिक	11.60% pa वार्षिक	10.35%pa वार्षिक	8.95%pa वार्षिक	8.65%pa वार्षिक	9.20%pa वार्षिक	8.74%pa वार्षिक	9.00%pa वार्षिक	9.20%pa वार्षिक
19	लाभांश स्टॉपर की उपस्थिति Existence of a dividend stopper	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं Yes
20	पूर्णतः विवेकाधीन /अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अनिवार्य Mandatory	अनिवार्य Mandatory	अनिवार्य Mandatory	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary



	आईपीडीआई IPDI				टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds					
	हाँ Yes	हाँ Yes	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	हाँ Yes	हाँ Yes	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	हाँ Yes	हाँ Yes
21 उमोचन हेतु कोटिउत्पन्न अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता Existence of step up or other incentive to redeem			नहीं No	नहीं No			नहीं No	नहीं No		
22 असंचयी अथवा संचयी Noncumulative or cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative
23 परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय Convertible or non-convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible
24 यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन उत्प्रेरक If convertible, conversion trigger (s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
25 यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः अथवा आंशिक If convertible, fully or partially	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
26 यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
27 यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
28 यदि परिवर्तनीय तो यह स्वरूप जिसमें लिखत परिवर्तित हुआ If convertible, specify instrument type convertible into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
29 यदि परिवर्तनीय लिखत जिसमें परिवर्तित हुआ, के जारीकर्ता का उल्लेख If convertible, specify issuer of instrument it converts into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
30 अवलेखन विशेषता Write-down feature	नहीं No	हाँ Yes	हाँ Yes	हाँ Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	हाँ Yes	हाँ Yes
31 यदि अवलेखन हुआ तो अवलेखन के उत्प्रेरक If write-down, write-down trigger(s)	लागू नहीं NA	घटना विशिष्ट Event Specific	घटना विशिष्ट Event Specific	घटना विशिष्ट Event Specific	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	अक्षमता का प्रारंभिक बिंदु Point of Non-viability trigger	पूर्ण Full
32 यदि अवलेखन हुआ तो पूर्णतः अथवा आंशिक If write-down, full or partial	लागू नहीं NA	पूर्ण Full	पूर्ण Full	पूर्ण Full	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	पूर्ण Full	स्थायी Permanent
33 यदि अवलेखन हुआ तो स्थायी अथवा अस्थायी If write-down, permanent or temporary	लागू नहीं NA	स्थायी Permanent	स्थायी Permanent	स्थायी Permanent	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	स्थायी Permanent	स्थायी Permanent

		आईपीडीआई IPDI				टीयर II बॉन्ड्स Tier II Bonds					
		लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
34	यदि अस्थायी अवलेखन तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा If temporary write-down, description of write-up mechanism										
35	परिसमापन में गौण वरिष्ठता की स्थिति (तत्काल वरिष्ठ लिखत का स्वरूप विनिर्दिष्ट करें) Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank
36	गैर-अनुपालित परिवर्ती विशेषताएं Non-compliant transitioned features	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No
37	अगर हां तो गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें If yes, specify non-compliant features	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	लागू नहीं NA

सारणी डीएफ-14 : पूंजी लिखतों की पूर्ण विनियामक शर्तें एवं निबंधन

डीएफ 14 बैंक की वेब साईट www.bankofmaharashtra.in की बेसल III प्रकटन मद के अंतर्गत उपलब्ध है।

सारणी डीएफ-15 : पारिश्रमिक हेतु प्रकटन आवश्यकताएं

मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रकटन : लागू नहीं।

सारणी डीएफ-16 : इक्विटी : बैंक बहि स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

इक्विटी जोखिम के संबंध में आवश्यक सामान्य गुणात्मक प्रकटन.

- निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में क्रय की तारीख पर निवेशों का वर्गीकरण 'ट्रेडिंग के धारित' (एचएफटी) 'विक्रय हेतु उपलब्ध' (एएफएस) तथा 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम) श्रेणियों में किया जाता है. परिपक्वता तक धारित करने हेतु बैंक के प्रयोजन के निवेशों को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सहायक एवं संयुक्त कंपनियों की इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत करना आवश्यक है. इन्हें रणनीतिक संबंध बनाए रखने अथवा रणनीतिक व्यवसाय प्रयोजन के उद्देश्यों से धारित किया जाता है.
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर लिए गये हैं और उन्हें बाजार पर चिन्हित नहीं किया गया है. इक्विटी निवेशों के मूल्य में गिरावट, अस्थायी गिरावट को छोड़कर, का प्रावधान किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर किसी भी हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है. एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री से किसी भी लाभ को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 'पूंजी आरक्षित के प्रति सांविधिक आरक्षित और करों के निवल के रूप में समायोजित किया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, प्रारम्भिक 3 वर्षों की अवधि के लिए तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश को बैंकिंग बहि (एचटीएम श्रेणी) में धारित करने की अनुमति है.

मात्रात्मक प्रकटन

1. निवेशों के मूल्य

(राशि रु. मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य
बिना भाव वाले	868.25	868.25
भाव वाले	शून्य	शून्य

2. निवेशों का प्रकार एवं स्वरूप

(राशि रु. मिलियन में)

निवेश	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	निजी रूप से धारित
सहायक, संबद्ध और संयुक्त कंपनियां	शून्य	734.21
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य
उद्यम पूंजी निधि	शून्य	134.04

TABLE DF 14 – FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

DF 14 is available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in under the line "Basel III Disclosures"

TABLE DF – 15: DISCLOSURE REQUIREMENT FOR REMUNERATION

Quantitative and Qualitative Disclosures: Not Applicable

TABLE DF – 16: EQUITIES: DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure:

General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.

- In accordance with RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classify under HTM category in accordance with RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.
- As per RBI guidelines, Bank is allowed to hold investments in units of Venture Capital Fund (VCF) under Banking Book (HTM category) for initial period of 3 years and valued at cost during this period.

Quantitative Disclosures

1. Value of Investments

(Amount in Rs million)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value
Unquoted	868.25	868.25
Quoted	NIL	NIL

2. Type and Nature of Investments

Investments	Publicly Traded	Privately Held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures	NIL	734.21
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL
Venture Capital Funds	NIL	134.04

3. लाभ/हानि विवरण

(राशि रु. मिलियन में)

विवरण	रकम
वसूले गए संचयी लाभ (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री एवं नकदीकरण से उद्भूत हानियां)	शून्य
वसूले न गए कुल लाभ (हानियां)	शून्य
कुल अप्रकटित मूल्यांकन लाभ (हानियां)	शून्य
उपर्युक्त में से कोई भी रकम टियर I एवं टियर II पूंजी में सम्मिलित है	शून्य

4. बैंकिंग बही हेतु पूंजी आवश्यकता

(राशि रु. मिलियन में)

निवेश	बेसल III के अधीन व्यवहार	विगोपन	जोखिम आधारित आस्तियां	पूंजी आवश्यकता 10.25% की दर से
सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां, उद्यम पूंजी निधियां	250% पर जोखिम भारित	732.71	1831.78	187.76
	150% पर जोखिम भारित	#134.04	201.05	20.61
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(#रु.1.50 मिलियन की पूंजी निधि में से कटौति की गई है।)

सारणी डीएफ - 17 - लेखांकन अस्तियों बनाम लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय का तुलनात्मक सार

क्र.सं.	मद	(रु. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	1593239.81
2	बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा तथा वाणिज्यिक इकाइयों में निवेशों का समायोजन जिन्हें लेखांकन प्रयोजनों हेतु समेकित किया है किंतु वे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है (उपर्युक्त 1 में से)	(0.00)
3	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त, प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन, जिन्हें लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय में शामिल नहीं किया है	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	5539.10
5	प्रतिभूति वित्तीय व्यवहारों के लिए समायोजन (यथा रैपो एवं सामान्य प्रतिभूति उधारी)	0.00
6	तुलनपत्र में शामिल न किए गए मदों का समायोजन (यथा तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की राशि के समकक्ष ऋण का परिवर्तन)	124944.80
7	अन्य समायोजन (टियर 1 पूंजी से कटौती की गई अमूर्त आस्तियां)	(6662.64)
8	लिवरेज अनुपात विगोपन	1717061.07

3. Gain/ Loss Statement

(Amount in Rs million)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period).	NIL
Total unrealized gains (losses)	NIL
Total latent revaluation gains (losses)	NIL
Any amount of the above included in Tier I and Tier II capital	NIL

4. Capital Requirement for Banking Book

(Amount in Rs million)

Investments	Treatment under Basel III	Exposure	Risk Weighted Assets	Capital Requirement @10.25%
Subsidiary, Associate and Joint Ventures , Venture Capital Funds	Risk weighted at 250%	732.71	1831.78	187.76
	Risk weighted at 150%	#134.04	201.05	20.61
Other shares of PSU/ Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL	NIL	NIL

(# Rs 1.50 million has been deducted from capital fund)

LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

Table DF-17 – Summary Comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

Sr. No.	Item	(Rs. in millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	1593239.81
2	Adjustments for Investments in Banking, Financial, Insurance and Commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation (Out of 1 above)	(0.00)
3	Adjustments for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	5539.10
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	124944.80
7	Other adjustments	(6662.64)
8	Leverage Ratio Exposure	1717061.07

सारणी डीएफ-18 - लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन ढांचा		
क्र. सं.	मद	(रु. मिलियन में)
तुलनपत्र में शामिल विगोपन		
1	तुलनपत्र में शामिल मदें (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोड़कर परंतु समर्थक को शामिल करते हुए)	1593239.81
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी निर्धारित करने हेतु कटौती की गई आस्तियों की रकम)	(6662.64)
3	तुलनपत्र में शामिल कुल विगोपन (व्युत्पन्न एवं एसएफटी के अलावा) (पंक्ति क्र. 1 एवं 2 का जोड़)	1586577.17
4	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध बदली की लागत (यथा पात्र नकद विचलन मार्जिन का निवल)	3013.00
5	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध पीएफई की अड-ऑन रकम	2526.10
6	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में जहां तुलनपत्र आस्तियों से प्रदत्त व्युत्पन्न समर्थक मदों के सकल जोड़ की कटौती की गई है	0.00
7	(व्युत्पन्न व्यवहारों में प्रदान किए गए नकद विचलन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0.00
8	(ग्राहक द्वारा स्पष्ट किए गए व्यापार विगोपनों में सीसीपी का छूट प्राप्त अंश)	0.00
9	बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	0.00
10	(बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों के समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ-सेट एवं अड-ऑन)	0.00
11	कुल व्युत्पन्न विगोपन (पंक्ति क्र. 4 से 10 का जोड़)	5539.10
12	बिक्री लेखांकन व्यवहारों का समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियों (निवल जोड़ को मान्यता न देते हुए)	0.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय एवं नकद प्राप्यों की निवल रकम)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर विगोपन	0.00
15	एजेंट व्यवहार विगोपन	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण व्यवहार विगोपन (पंक्ति क्र. 12 से 15 का जोड़)	0.00
तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपन		
17	तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की सकल अनुमानित रकम	317070.00
18	(ऋण की समकक्ष रकमों में परिवर्तित हेतु समायोजन)	(192125.20)
19	तुलनपत्र में शामिल न की गई मदें (पंक्ति क्र. 17 एवं 18 का जोड़)	124944.80
पूंजी एवं कुल विगोपन		
20	टियर 1 पूंजी	86007.13
21	कुल विगोपन (पंक्ति क्र. 3, 11, 16 एवं 19 का जोड़)	1717061.07
लिवरेज अनुपात		
22	बेसल III लिवरेज अनुपात	5.01%

31 मार्च, 2017 को बैंक का बेसल III लिवरेज अनुपात सांकेतिक विनियामक न्यूनतम 4.50% की तुलना में 5.01% रहा।

Table DF-18 – Leverage Ratio Common Disclosure Template		
Sr. No.	Item	(Rs. in million)
On-Balance Sheet Exposure		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	1593239.81
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(6662.64)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	1586577.17
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	3013.00
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	2526.10
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	5539.10
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0.00
Off-Balance Sheet Exposure		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	317070.00
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(192125.20)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	124944.80
Capital and total Exposures		
20	Tier 1 Capital	86007.13
21	Total Exposures (sum of lines 3,11,16 and 19)	1717061.07
Leverage Ratio		
22	Basel III Leverage Ratio	5.01%

Basel III Leverage ratio as of 31st March 2017 is 5.01% above the indicative regulatory minimum of 4.50%.

(राशि रु. करोड़ में)

(Amount Rs in crore)

तरलता कवरेज अनुपात

	वित्तीय वर्ष 2016- 2017		वित्तीय वर्ष 2015- 2016	
	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तितां				
1 कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तितां (एचक्यूएलएएस)		18596.48		14278.33
नकद बहिर्वाह				
2 रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां, जिनमें से :	107266.86	9067.68	96930.79	8243.66
(i) स्थिर जमाराशियां	33180.06	1659.00	28988.47	1449.43
(ii) कम स्थिर जमाराशियां	74086.80	7408.68	67942.33	6794.23
3 अप्रत्याभूत थोक निधियन, जिसमें से :	21877.24	13388.50	23020.52	11667.56
(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	167.41	41.85	1413.08	353.27
(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	21709.83	13346.64	21607.44	11314.29
(iii) अप्रत्याभूत ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
4 प्रत्याभूत थोक निधियन	236.85	0.00	236.85	0.00
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से :	16944.35	2014.84	16610.11	1933.91
(i) डेरिवेटिव विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) ऋण और तरलता उत्पाद	16944.35	2014.84	16610.11	1933.91
6 अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	150.35	150.35	197.58	197.58
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	14634.09	476.07	13992.74	662.14
8 कुल नकद बहिर्वाह		25097.44		22704.85
नकद अंतर्वाह				
9 प्रत्याभूत उधारी (उदाहरणार्थ - प्रति रेपो)	2950.65	0.00	439.99	0.00
10 संपूर्ण कार्यनिष्पादक विगोपन से अंतर्वाह	9473.86	8863.02	4133.04	3309.18
11 अन्य नकद अंतर्वाह	523.36	367.21	896.91	510.42
12 कुल नकद अंतर्वाह	12947.87	9230.23	5469.94	3819.60
	कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य	
21 कुल एचक्यूएलए		18596.48		14278.33
22 कुल निवल नकद बहिर्वाह		15867.21		18885.25
23 तरलता कवरेज अनुपात (%)		117.20%		75.61%

नोट: तिमाही ब्योरा बैंक की वेबसाइट पर विनियामक प्रकटीकरण लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

Liquidity Coverage Ratio

	FY 2016- 2017		FY 2015- 2016	
	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High quality Liquid assets				
1 Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		18596.48		14278.33
Cash outflows				
2 Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	107266.86	9067.68	96930.79	8243.66
(i) Stable deposits	33180.06	1659.00	28988.47	1449.43
(ii) Less stable deposits	74086.80	7408.68	67942.33	6794.23
3 Unsecured wholesale funding, of which:	21877.24	13388.50	23020.52	11667.56
(i) Operational deposits (all counterparties)	167.41	41.85	1413.08	353.27
(ii) Non operational deposits (all counterparties)	21709.83	13346.64	21607.44	11314.29
(iii) Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Secured wholesale funding	236.85	0.00	236.85	0.00
5 Additional requirements, of which:	16944.35	2014.84	16610.11	1933.91
(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Credit and liquidity products	16944.35	2014.84	16610.11	1933.91
6 Other contractual funding obligations	150.35	150.35	197.58	197.58
7 Other contingent funding obligations	14634.09	476.07	13992.74	662.14
8 Total Cash Outflows		25097.44		22704.85
Cash inflows				
9 Secured lending (e.g. reverse repos)	2950.65	0.00	439.99	0.00
10 Inflows from fully performing exposures	9473.86	8863.02	4133.04	3309.18
11 Other cash inflows	523.36	367.21	896.91	510.42
12 Total Cash Inflows	12947.87	9230.23	5469.94	3819.60
	Total Adjusted Value		Total Adjusted Value	
21 Total HQLA		18596.48		14278.33
22 Total Net Cash Outflows		15867.21		18885.25
23 Liquidity Coverage Ratio (%)		117.20%		75.61%

Note: Quarterly details are available on Bank's website under Regulatory disclosure link.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March 2017

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

विवरण Particulars	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2016
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
A. Cash Flow From Operating Activities:		
आय Income		
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	12061,95,97	13052,98,57
अन्य आय Other Income	1508,07,46	1019,28,97
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions		
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	8887,27,12	9174,28,93
परिचालन व्यय Operating Expenses	2855,69,51	2552,80,93
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	3199,57,60	2244,49,20
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses	-1372,50,80	100,68,48
जोड़े: गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	3199,57,60	2244,49,20
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	117,61,78	149,19,72
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	13,55	18,07
आयकर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	-	-
राजस्व आरक्षित निधि में वृद्धि Addition to revenue reserve	54,21,28	-
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	502,49,08	478,33,70
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)	2501,52,49	2972,89,17
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	508,10,00	439,00,00
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:		
जमा राशियां Deposits	63,02,01	16870,87,53
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings excluding Bond borrowings	-1216,45,08	-1898,62,16
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-2696,86,83	-2950,48,41
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	-3850,29,90	12021,76,96
घटाएं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets		
निवेश Investments	2359,31,24	3465,86,64
अग्रिम Advances	-12047,44,07	8963,57,08
अन्य आस्तियां Other Assets	333,14,91	-759,18,23
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	-9354,97,92	11670,25,49
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	5504,68,02	351,51,47
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	7498,10,51	2885,40,64
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow From Investing Activities		
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	4,00,80	6,07,42
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-102,75,03	-138,04,84
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	-98,74,23	-131,97,42

(क) (A) =
I+II

(ख)
(B)

ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह

C. Cash Flow From Financing Activities:

i) गौण बांडों को जारी / (मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds	125,00,00	-
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPs	-	-85,05,46
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-	-17,00,59
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-502,49,08	-478,33,70
v) शेयर प्रीमियम सहित ईक्विटी शेयरों को जारी करना Issue of Equity Shares including share premium/share application money	300,00,00	394,00,00
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)	-77,49,08	-186,39,75
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	(क+ख+ग) (A+B+C)	7321,87,20 2567,03,47

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By- वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	8382,28,66	6652,74,93
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	937,86,23	100,36,49
	9320,14,89	6753,11,42
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	15274,71,92	8382,28,66
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	1367,30,17	937,86,23
	16642,02,09	9320,14,89
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	7321,87,20	2567,03,47

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R. K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
R.P. MARATHE
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रदीप मिश्रा
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
PRADEEP MISHRA
Asst.Gen. Manager, FM&A

संजय रूद्र
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SANJAY RUDRA
Dy. Gen. Manager, FM&A

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
R. H. PHADNIS
Gen. Manager, FM&A

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
for Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for A.R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए इंद्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता क्र.: 410433
CA Indra Pal Singh
Parther
Membership No. 410433

सीए आनंद सुलाखे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 33451
CA Anand Sulakhe
Parther
Membership No. 33451

सीए मनस्वी कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 64601
CA Manaswy Kothari
Parther
Membership No. 64601

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M Marathe
Parther
Membership No. 212175

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 4 मई, 2017 Date : 4th May, 2017



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्य

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2017 के संलग्न वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और खातों पर टिप्पणियां शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग और 20 शाखाओं की विवरणियां तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 962 शाखाओं और संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 19 शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता विवरण में 938 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 6.03%, जमा राशियों में 23.83%, ब्याज आय में 8.51% और ब्याज खर्च में 22.12% हिस्सा है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसरण में तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कि जालसाजी या किसी भी अन्य गलती के कारण से किए गए भौतिक गलत कथन से मुक्त है।

3. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में लेखा परीक्षा की है। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं।

4. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए इकाई की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें। उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है।

5. हम विश्वास करते हैं कि प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

6. अभिमत :

हमारी राय में, बैंक की खाता-बहियों में दर्शाए गये अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि :

क. समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों सहित पठित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक व्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च, 2017 के व्यवहारों का सही और उचित चित्र सामने आ सके।

ख. समेकित हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियों के साथ पठित, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप लाभ/ हानि का सही तुलन दर्शाती है; और

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

Members of Bank of Maharashtra

1. Report on Financial Statements:

We have audited the accompanying Financial Statements of Bank of Maharashtra as at 31st March 2017 which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2017 Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended and a summary of significant accounting policies and Notes on Accounts. Incorporated in these financial statements the return of 20 branches, and also Treasury & International Banking Division, audited by us and 962 branches audited by branch auditors & 19 branches by concurrent auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit & Loss account and the return from 938 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.03% per cent of the advances, 23.83 % per cent of deposits, 8.51% per cent of interest income and 22.12 % per cent of interest expenses.

2. Management's responsibility for the Financial Statements:

Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditors' Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of exercising an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Audit opinion.

6. Opinion:

In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us, we hereby report that:

a. The Balance Sheet read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of the affairs of the Bank as at 31st March 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India.

b. Profit and loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

- ग. समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.
7. **मामले का जोर:**
- (क) सीडीआर/ गैर सीडीआर तंत्र के तहत पुनर्गठन अग्रिमों के वर्गीकरण से संबंधित अनुसूची 18 का नोट क्रमांक 4.13.1
- (ख) रु. 761.25 करोड़ खराब और संदिग्ध ऋण (एनएपीए) के प्रावधानों के कारण स्थगित कर आस्ति की मान्यता के संबंध में वित्तीय विवरणों हेतु खातों पर नोट की अनुसूची 18 का नोट क्रमांक 10.10
8. **अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**
- समेकित तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म "ए" तथा "बी" के अनुसार तैयार किया गया है .
9. उपर्युक्त परिच्छेद 1 से 5 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि
- क) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और उन्हें संतोषजनक पाया.
- ख) बैंक के संव्यवहार जो हमारे ध्यान में आए हैं, वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं.
- ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं.
10. **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि**
- 1) इस रिपोर्ट द्वारा संचालित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता, विवरणियों और लेखा बहियों के अनुसरण में है.
- 2) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा, कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उसका समुचित उपयोग किया गया है.
- 3) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.
- c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.
7. **Emphasis of Matter:**
- (a) Note number 4.13.1 in schedule 18 in respect of classification of restructured advances under CDR/non CDR mechanism.
- (b) Note number 10.10 in Schedule 18 of Notes to Accounts to the Financial Statements regarding recognition of Deferred Tax Assets on account of provisions for Bad and Doubtful Debts (NPA) amounting to Rs. 761.25 crores.
8. **Report on Other Legal and Regulatory Requirements:**
- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the third Schedule to the Banking Regulation Act 1949.
9. Subject to the limitation of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970/1980, and also subject to the limitations of disclosure required therein we report that:
- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit and have found them to be satisfactory.
- b. The transactions of the bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
10. **We further report that;**
- a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
- b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
for Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for A.R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए इंद्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता क्र.: 410433
CA Indra Pal Singh
Partner
Membership No. 410433

सीए आनंद सुलाखे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 33451
CA Anand Sulakhe
Partner
Membership No. 33451

सीए मनस्वी कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 64601
CA Manaswy Kothari
Partner
Membership No. 64601

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M Marathe
Partner
Membership No. 212175

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2017

Place : Pune
Date : 4th May, 2017

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2016 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1168,33,37	1168,33,37
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	6300,58,19	7691,78,86
जमाशियां Deposits	3	139040,19,93	138979,99,00
उधारियां Borrowings	4	8136 ,65 ,21	9228,10,29
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	4765,29,75	3960,59,42
जोड़ TOTAL		159411,06,45	161028,80,94
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	15274,72,19	8382,28,75
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	1367,35,95	937,92,14
निवेश Investments	8	38677,00,66	36301,73,32
अग्रिम Advances	9	95515,22,99	107562,67,06
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1586,08,96	1694,50,83
अन्य आस्तियां Other Assets	11	6990,65,70	6149,68,84
जोड़ TOTAL		159411,06,45	161028,80,94
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	29329,20,74	29971,43,72
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		4021,46,55	3756,43,76
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R. K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
R.P. MARATHE
MANAGING DIRECTOR & CEO

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया
निदेशक
Dr. ARCHANA R. DHOLAKIA
Director

आर. तामोदरान
निदेशक
R. THAMODHARAN
Director

पी. ए. सेठी
निदेशक
P. A. SETHI
Director

दीनदयाल अग्रवाल
निदेशक
DEENDAYAL AGRAWAL
Director

जी. श्रीकुमार
निदेशक
G. SREEKUMAR
Director

अतीश सिंह
निदेशक
ATEESH SINGH
Director

प्रदीप मिश्रा
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
PRADEEP MISHRA
Asst. Gen. Manager, FM&A

संजय रुद्र
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SANJAY RUDRA
Dy. Gen. Manager, FM&A

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
R. H. PHADNIS
Gen. Manager, FM&A

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2017

Place : Pune
Date : 4th May, 2017

“अनुमत्य अनुपस्थिति के कारण श्री अतीश सिंह और श्री जी. श्रीकुमार, (निदेशकों) ने हस्ताक्षर नहीं किए।”

“Shri Ateesh Singh and Shri G. Sreekumar, (Directors) did not sign since, they were granted leave of absence.”

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	12061,98,03	13053,00,62
सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates		15,96,10	17,09,90
अन्य आय Other Income	14	1508,85,20	1020,07,25
जोड़ TOTAL		13586,79,33	14090,17,77
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	8886,32,34	9173,57,07
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	2856,77,91	2553,75,12
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		3199,78,20	2244,67,09
जोड़ TOTAL		14942,88,45	13971,99,28
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		-1356,09,12	118,18,49
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		72,76,43	146,41,60
जोड़े : निवेश आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Investment Reserve		8,12,29	12,95,89
जोड़ TOTAL		-1275,20,41	277,55,98
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		—	29,54,62
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		87,25,27	28,83,32
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Government Reserve		—	16,10,69
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		—	130,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		—	—
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		—	—
लाभांश पर कर Tax on Dividend (Subsidiary)		41	—
अंतरिम लाभांश और अंतरिम लाभांश पर कर Interim Dividend & Tax on Interim Dividend		—	30,92
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		-1362,46,09	72,76,43
जोड़ TOTAL		-1275,20,41	277,55,98
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		-11.61	1.06

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि खातों के अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
for Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for A.R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए इंद्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता क्र.: 410433
CA Indra Pal Singh
Parther
Membership No. 410433

सीए आनंद सुलाखे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 33451
CA Anand Sulakhe
Parther
Membership No. 33451

सीए मनस्वी कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 64601
CA Manaswy Kothari
Parther
Membership No. 64601

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M Marathe
Parther
Membership No. 212175

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 4 मई, 2017

Date : 4th May, 2017

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
₹ 10/- के इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3000,00,00	3000,00,00
जारी व अभिलेखित Issued & Subscribed		
₹10/- के 116,83,33,708 (गत वर्ष 116,83,33,708) इक्विटी शेयर 116,83,33,708 Equity Shares (Previous year 116,83,33,708) of ₹ 10/- each		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1168,33,37	1063,18,29
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	1168,33,37	105,15,08
	1168,33,37	1168,33,37
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital		
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	953,52,46	953,52,46
₹10/- के 95,35,24,561 (गत वर्ष 95,35,24,561) इक्विटी शेयर 95,35,24,561 (Previous year 95,35,24,561) Equity shares of ₹10/- each		
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others	214,80,91	214,80,91
₹10/- के 21,48,09,147 (गत वर्ष 21,48,09,147) इक्विटी शेयर 21,48,09,147 (Previous year 21,48,09,147) Equity Shares of ₹10/- each		
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	1168,33,37	1168,33,37
जोड़ TOTAL	1168,33,37	1168,33,37

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. सांविधिक आरक्षित STATUTORY RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1272,21,48	1242,66,86
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1272,21,48	29,54,62
II. पूंजीगत आरक्षित CAPITAL RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	216,89,34	188,06,02
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	87,25,27	28,83,32
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	304,14,61	216,89,34
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	2937,28,24	2648,43,32
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	2937,28,24	288,84,92
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES		
क) राजस्व आरक्षित a) REVENUE RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1369,70,57	1407,81,16
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	54,21,28	16,10,69
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	1423,91,85	54,21,28
	1423,91,85	1369,70,57

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	498,00,00		368,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—		130,00,00	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	498,00,00	—	498,00,00
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1295,78,35		1016,13,77	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—		386,49,12	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	89,32,41	1206,45,94	106,84,54	1295,78,35
घ) निवेश आरक्षित खाता d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	29,14,45		42,10,34	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—		—	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	8,12,29	21,02,16	12,95,89	29,14,45
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	-1362,46,09	-1362,46,09	72,76,43	72,76,43
जोड़ TOTAL		6300,58,19		7691,78,86

अनुसूची - 3 : जमा राशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)	
क A. मांग जमा राशियां DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	215,71,33		290,70,65	
ii) अन्यो से From others	11313,43,94	11529,15,27	11837,31,79	12128,02,44
II. बचत बैंक जमा राशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		50888,86,86		38837,98,66
III. मीयादी जमा राशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	1592,40,12		1827,38,53	
ii) अन्यो से From others	75029,77,68	7662,17,80	86186,59,37	88013,97,90
जोड़ TOTAL (I, II & III)		139040,19,93		138979,99,00
ख B. (i) भारत में सहायक कंपनियों की जमा राशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any		—		—
(ii) भारत के बाहर की सहायक कंपनियों की जमा राशियां, भारतीय कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any		—		—
(iii) मूल कंपनी की जमा राशियां Deposits of Parent		139040,19,93		138979,99,00
जोड़ TOTAL (i, ii & iii)		139040,19,93		138979,99,00
ग.C. (i) मूल कंपनी की भारत में जमा राशियां Deposits of parent in India		139040,19,93		138979,99,00
(ii) भारत में सहायक कंपनियों की जमा राशियां Deposits of subsidiaries in India		—		—
(iii) भारत में कुल जमा राशियां Total Deposits in India (i + ii)		139040,19,93		138979,99,00
(iv) मूल कंपनी की भारत से बाहर जमा राशियां Deposits of parent outside India		—		—
(v) सहयोगी कंपनियों की भारत से बाहर जमा राशियां Deposits of subsidiaries outside India		—		—
(vi) भारत से बाहर कुल जमा राशियां Total Deposits outside India (iv + v)		—		—
जोड़ TOTAL (C iii + C vi)		139040,19,93		138979,99,00

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India	—	500,00,00
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	—	—
iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	2892,99,98	3620,76,67
iv) डिबेंचर Debenture	—	—
v) अन्य उधारियां Other Borrowings		
क) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1795,00,00	1295,00,00
ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	600,00,00	1250,00,00
ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds	1830,00,00	1555,00,00
घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds	1000,00,00	9220,76,67
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA	18,65,23	7,33,62
जोड़ TOTAL (I & II)	8136,65,21	9228,10,29
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE	—	574,53,80

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. देय बिल Bills Payable	457,17,85	442,38,51
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
क मूल कंपनी Parent Company	502,35,64	—
ख सहायक कंपनी Subsidiary	—	—
III. अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)	—	—
IV. उपचित ब्याज Interest Accrued	197,47,72	187,52,18
V. अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):		
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	657,47,88	707,60,39
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	2950,80,66	3330,68,73
जोड़ TOTAL	4765,29,75	3960,59,42

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)	659,26,33	818,97,73
II. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	7165,45,86	6363,31,02
ii) अन्य खातों में In other Accounts	14615,45,86	1200,00,00
जोड़ TOTAL (I & II)	15274,72,19	7563,31,02

अनुसूची - 7 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. भारत में In India		
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in		
(क) चालू खातों में		
(a) Current Accounts	29,29,86	31,12,70
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) Other Deposit Accounts	15,18,57	15,94,29
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास		
(a) With Banks	—	—
(ख) अन्य संस्थों के पास		
(b) With Other Institutions	—	—
जोड़ TOTAL (i & ii)	44,48,43	47,06,99
II. भारत के बाहर Outside India		
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in		
(क) चालू खातों में		
(a) Current Accounts	—	—
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) Other Deposit Accounts	1322,87,52	890,85,15
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
(c) Money at Call & Short Notice	1322,87,52	890,85,15
जोड़ TOTAL	1322,87,52	890,85,15
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)	1367,35,95	937,92,14

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. भारत में निवेश Investments in India in		
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)		
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	33104,63,81	32325,21,19
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
b) Other approved securities	—	—
ग) शेयर्स		
c) Shares	362,35,78	220,90,92
घ) डिबेंचर्स और बांड		
d) Debentures and Bonds	1672,82,27	1590,73,70
ड़) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 231822 की साख सहित, गत वर्ष ₹ 231822)		
e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹ 231822)	160,00,10	144,04,00
च) अन्य		
f) Others		
i) यूटीआई / म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	129,37,00	134,61,41
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	3125,61,38	1555,34,99
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	122,20,32	330,87,11
iv) पीटीसी PTCs	—	—
v) अन्य Others	—	—
जोड़ TOTAL	3377,18,70	2020,83,51
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Govt. Securities (including Local Authorities)	—	—
ii) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	—	—
iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other Investment (to be specified)	—	—
जोड़ TOTAL	—	—
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)	38677,00,66	36301,73,32
III भारत में सकल निवेश Investments in India		
i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	38928,38,50	36402,77,96
ii) मूल्य-हास हेतु प्रावधानों का जोड़ Aggregate of Provisions for Depreciation	251,37,84	101,04,64
iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)	38677,00,66	36301,73,32
निवेशों के विवरण Details of Investments:		
i) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	160,00,10	144,04,00
ii) अन्य निवेश Other Investments	38517,00,56	36157,69,32
जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)	38677,00,66	36301,73,32

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
क. बट्टाकृत व खरीदे गए बिल		
A. i) Bills purchased and discounted	552,60,10	805,68,24
नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण		
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	42414,49,69	44143,60,42
मीयादी ऋण		
iii) Term Loans	52548,13,20	62613,38,40
प्राप्य लीज		
iv) Lease Receivable	—	107562,67,06
जोड़ TOTAL	95515,22,99	107562,67,06
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)		
B. Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	85954,73,70	96726,33,19
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित		
Covered by Bank/Government Guarantees	14,12,34	43,79,63
iii) असंरक्षित Unsecured	9546,36,95	10792,54,24
जोड़ TOTAL	95515,22,99	107562,67,06
ग. I. भारत में अग्रिम		
C. Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	34883,69,15	36898,46,58
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	5561,36,73	7856,16,31
iii) बैंक Banks	14,91,42	13,68,24
iv) अन्य Others	55055,25,69	62794,35,93
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		
i) बैंकों से देय Due from banks	—	—
ii) अन्यो से देय Due from others	—	—
iii) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	—	—
iv) संघीय ऋण Syndicated Loans	—	—
v) अन्य Others	—	—
जोड़ TOTAL (C.I & C.II)	95515,22,99	107562,67,06

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. परिसर* Premises *		
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1556,74,68	1335,39,31
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	5,26,88	—
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	—	1402,62,89
	1562,01,55	2738,02,20
4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	—	1181,27,53
	1562,01,55	1556,74,67
5. अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	259,46,04	166,39,52
II. प्रक्रियाधीन पंजीगत कार्य Capital Work in progress	22,05,42	1390,35,15

III अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व फिक्स्चर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1064,45,45		1113,39,89	
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	75,62,24		138,15,66	
	1140,07,69		1251,55,55	
3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	23,79,21		28,43,31	
	1116,28,48		1223,12,24	
4. अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	854,80,46	261,48,02	918,96,56	304,15,68
जोड़ TOTAL (I & II)		1586,08,96		1694,50,83

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
क a. मूल कंपनी Parent Company	—	294,25,65
ख b. सहायक कंपनी Subsidiaries Company	—	—
II उपचित ब्याज Interest accrued	926,58,48	932,50,41
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	1382,25,34	1149,11,12
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	3,28,34	4,12,41
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	—	—
VI. अन्य * Others *	4678,53,54	3769,69,25
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	6990,65,70	6149,68,84

*आस्थगित कर, यदि कोई हो, सहित.

*includes deferred tax if any.

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2016 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावों जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	1858,23,68	1503,99,83
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	12997,65,05	14089,80,03
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	8668,60,91	7667,16,23
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	1635,57,87	2065,22,86
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	3971,31,98	4153,75,39
VI. अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है. Other items for which Bank is contingently liable	197,81,25	491,49,38
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	29329,20,74	29971,43,72

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं.

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	8469,95,77	9934,82,60
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2892,04,37	2787,67,86
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	62,54,95	52,45,85
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	401,91,29	52,02,07
IV अन्य Others	360,61,55	330,93,94
जोड़ TOTAL (I, II, III & IV)	12061,98,03	13053,00,62

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage	733,93,07	675,29,79
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	594,55,15	170,69,49
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	13,85,81	13,75,88
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	—	—
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	—	—
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	1,63,87	51,57
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	1,77,42	70,05
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	101,90,75	77,82,76
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	2	—
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India	2,46,69	3,31,14
VII. विविध आय Miscellaneous Income	89,98,92	106,88,43
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)	1508,85,20	1020,07,25

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. जमाशायियों पर ब्याज Interest on deposits	8074,64,38	8421,17,17
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	11,61,45	54,88,01
III. अन्य Others	800,06,51	697,51,89
जोड़ TOTAL (I, II & III)	8886,32,34	9173,57,07

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Current Year)	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2016 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1807,93,73	1541,71,46
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	197,55,95	196,20,17
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	21,83,09	21,59,07
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	16,03,17	18,06,60
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्य-हास (मूल्य-हास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षित) को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	117,89,66	149,24,63
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	91,78	69,28
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	16,83,85	18,14,13
VIII. विधि प्रभार Law Charges	16,64,91	14,05,25
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	40,93,06	36,14,16
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	88,90,54	76,36,46
XI. बीमा Insurance	131,70,87	119,88,06
XII. अन्य व्यय Other expenditure	399,57,30	361,65,86
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	2856,77,91	2553,75,12

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को अस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं।
- 1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण और लेखा मानक 23- समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।
- 1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।
- 1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2017 के अनुसार बनाये गये हैं।

2. समेकन के सिद्धांत

क) मूल इकाई : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।

ख) संबद्ध इकाई : लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. इसके उपरांत "मेटको" के रूप में संदर्भित	भारत	पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी	100 %

लेखा मानक 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार

इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	मालिकाना हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहायक उद्यम	35 %

ग) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, अस्तित्वों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी मदों को लाइन-दर-लाइन आधार पर आपस में जोड़कर समेकित किया गया है। अपनी सहायक कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश के दिनांक को, मूल कंपनी के समानुपातिक निवेश की लागत के आधिक्य को साख माना गया है। जबकि इक्विटी में सहायक प्रतिष्ठान के हिस्से के आधिक्य को आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है।

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017.)

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.
- 1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- 1.6 The financial statements of the Subsidiary and Associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2017.

2. Principles of Consolidation:

A) Parent Entity: The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B) Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following Associate Company has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

C) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statement & its impact

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the like items of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances / transactions. The

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को इक्विटी पद्धति आधार पर एकत्र किया गया है। सहायक प्रतिष्ठान में बैंक के निवेश की रखाव लागत के अधिक्क को वित्तीय विवरणों में साख माना गया है।

जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनः समूहबद्ध किया गया है।

सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए "नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ" (फिमडा) - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडआई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यंकित/बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यंकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक / फेडआई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव "अन्य आस्तियों" और हानि के मामले में इसका प्रभाव "अन्य देयताओं" को प्रभारित किया गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

4. निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- i. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:
 - क. परिपक्वता तक धारित
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
 - ग. व्यापार के लिए धारित
- ii. सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छः भागों में वर्गीकृत की गई हैं :
 - क. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - ग. शेयर्स
 - घ. डिबेंचर तथा बांड
 - ड. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
 - च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट इत्यादि)
- iii बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. "व्यापार हेतु धारित" से "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी में अंतरण को छोड़कर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य

excess of the cost of investment to the parent over and above its proportionate share in equity of the subsidiary as on date of investment is recognized as Goodwill. While excess of share in equity of the subsidiary over the cost of investment is credited to Capital Reserve.

The Consolidated financial statements of the Bank & its associate have been combined on Equity Method basis. The excess of carrying cost of Bank's investment in Associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statement of the Subsidiary has been regrouped with that of the parent Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. Foreign Exchange Transactions:

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]- Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI

3.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- i. Investments are classified in following categories:
 - a. Held to maturity
 - b. Available for sale
 - c. Held for trading
- ii. All the securities are classified in the following six baskets:.
 - a. Government Securities
 - b. Other approved securities
 - c. Shares
 - d. Debentures and bonds
 - e. Subsidiaries and Joint Ventures
 - f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc).
- iii Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with

कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यहास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। “व्यापार के लिए धारित” श्रेणी से निवेशों का “बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढ़ाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।

iv. **रेपो/रिवर्स रेपो :**

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

v. **निवेशों का मूल्यन :**

क. **परिपक्वता तक धारित :**

- परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन औसत लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है। निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।
- इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ (लागू कर और आनुपातिक सांविधिक आरक्षित का निवल) को आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ख. **बिक्री हेतु उपलब्ध :**

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन “नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघटन” (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है। अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात् तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपए 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है।

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उम्मीद मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात् बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

iv. **REPO / Reverse REPO**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

v. **Valuation of investments**

a. **Held to Maturity:**

- Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at average cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.
- In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.
- On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit (net of applicable taxes and proportionate statutory reserve) is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to Profit & Loss Account.

b. **Available for Sale:**

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / Scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- (i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.
- (ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यहास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है.
- (iii) जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाजार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.
- (iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

ग. व्यापार हेतु धारित :

- (i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार हेतु चिन्हित किया गया है. केन्द्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन “नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघटन” (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है. उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दरों से किया गया है.
- (ii) बटुआगत लिखतों में निवेश जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) में से जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है.
- (iii) निवल श्रेणीवार मूल्यहास, यदि कोई हो, को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयताओं के अंतर्गत निवेशों के मूल्यहास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है. यदि निवल अधिमूल्यन है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है. जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.
- (iv) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

घ. पुनर्निवेशों सहित लागत का प्रावधान एवं वर्गीकरण किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक के समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास / प्रावधान किया गया है

ड. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों यथा दलाली, फीस, कमीशन, करों इत्यादि को पूंजीकृत किया गया है.

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यांकन :

- क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वैप, बाजार हेतु चिन्हित (माकर्ड टू मार्केट) नहीं है.
- ख) ट्रेडिंग स्वैप : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप बाजार हेतु चिन्हित (माकर्ड टू मार्केट) है.

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- क) हेजिंग स्वैप : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है.
- ख) ट्रेडिंग स्वैप : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

- (i) If it results in appreciation, the same is ignored.
- (ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
- (iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- (iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- (i) The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.
- (ii) Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.
- (iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- (iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account

d. Classification of provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

- (a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- (b) Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

- (a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- (b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) स्वैप निरसन पर लाभ या हानि का लेखा

- क) हेजिंग स्वैप : निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अधिक कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- ख) ट्रेडिंग स्वैप : स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

5. अग्रिम:

- 5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्संचित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन से निवल हैं।
- 5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 5.3 मानक पुनर्संचित अग्रिमों के प्रावधानों को छोड़कर अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को अन्य देयताएं व प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।
- 5.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संचित खातों के संबंध में पुनर्संचित अग्रिमों के उचित मूल्य में हास हेतु प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है।
- 5.5 एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार महीनों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान के जाएंगे।
- 5.6 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष प्रावधान को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात् बकाया घाटे प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया जाए।
- अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (एसआरएस/ पीटीसी के मोचन) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है। अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस पर प्राप्त नकद आस्ति के एनबीवी से अधिक हो जाता है।

6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

- 6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यकृत राशि का उल्लेख किया गया है।
- 6.2 पुनर्मूल्यकृत परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न परिच्छेद 6.3, और 6.4, को छोड़कर) पर मूल्यहास का प्रावधान, हासमान शेष पद्धति से निम्नानुसार दरों पर किया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यकृत परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी शेष अवधि के आधार पर उच्च मूल्यहास किया गया है।

क्रमांक	आस्ति की श्रेणी	मूल्यहास की दर (%)
1	भवन एवं परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	18.10
3	विद्युत उपकरण	13.91
4	कार्यालय मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	सायकिल	20.00

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- (a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- (b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

5. Advances:

- 5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.
- 5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.
- 5.5 In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.
- 5.6 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6. Fixed Assets and Depreciation:

- 6.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
- 6.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 6.3 and 6.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00



- 6.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यहासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर, यूपीएस और एटीएम भी शामिल हैं.
- 6.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के मामले में पूरे वर्ष के मूल्यहास का प्रावधान किया गया है. वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है.
- 6.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत से अधिक मूल्यांकित राशि से संबंधित मूल्यहास का प्रावधान परिच्छेद 6.2 में दिए अनुसार और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की तुलना में समायोजन के अनुसार स्थिर आस्तियों की शेष अवधि हेतु हासमान शेष पद्धति से किया गया है. पूर्णतः मूल्यहासित परिसंपत्तियों पर पुनर्मूल्यांकित आरक्षित का ऋण परिशोधन उसकी शेष अवधि के आधार पर अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित किए अनुसार किया गया है.

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

- 6.7 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यहास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है. इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं. बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यहास का प्रभाव देखते हुए लाभ/हानि की गणना की गई. आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए हासमान शेष पद्धति से मूल्यहास लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारण:

- 7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :
 - क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.
 - ख. कमीशन अर्थात् गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, बैंक एश्योरेंस, म्यूचुअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉकर किराए से आय.
 - ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
 - घ. बीमा दावे.
 - ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक.
 - च. प्रोसेसिंग शुल्क.
 - छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हमीदारी कमीशन से आय.
 - ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क.
- 7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

8. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण प्रत्येक तिमाही/ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. बीमाकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

9. आस्तियों का अनर्जक होना

पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28- आस्तियों का

- 6.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.
- 6.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.
- 6.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 6.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.

In case of the subsidiary:

- 6.7 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the Written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

7. Revenue Recognition

- 7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
 - a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.
 - b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassurance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.
 - c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
 - d. Insurance claims.
 - e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
 - f. Processing Fees.
 - g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
 - h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.
- 7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of each quarter / financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard

अनर्जक होना, के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 - “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिबद्धता के लिए प्रावधान करता है। यह संभावित है कि जब प्रतिबद्धता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो और प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो।

11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/ अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

12. आयकर:

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी गई है जिसमें उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों को वसूला जा सकेगा। कराधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि या अनवशोषित मूल्यहास के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो। आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को पुनरीक्षित किया जाता है और इसे उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से समायोजित किया जाता है जो वास्तविक रूप से/ यथोचित रूप से वसूले जाने हेतु निश्चित है।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग, ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया जब दूसरी अपील (अर्थात आयकर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा) में मांग को उचित ठहराया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए कर व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित कर व्ययों की राशि का जोड़ है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) प्रति शेयर अर्जन के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है। संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है।

28- “Impairment of Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies / others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future. In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for, in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT)

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

13. Earnings Per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) “Earnings Per Share” issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

1. निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः परिपक्वता धारित, बिक्री हेतु उपलब्ध और विपणन हेतु धारित में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मूल बैंक के संबंध में करों के निवल की रु.8.12 करोड़ की राशि को एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में धारित निवेश के लिए अपेक्षित मूल्यहास के कारण निवेश आरक्षित खाते से आहरित किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु.12.96 करोड़ की राशि कर समानुपातिक अंतरण मूल्यहास के कारण निवेश आरक्षित खाते से सांविधिक आरक्षित जिसे एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में निवेश के अंतर्गत रखने के लिए आवश्यक होगा।

2. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मद्दे तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूँकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मद्दे वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया गया है।

2.2. लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तविकता के कारण आय की कतिपय मद्दों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है।

3. अचल संपत्ति

1.1 चालू वर्ष के लिए मूल्यहासित कुल राशि रु.89.32 करोड़ (रु.106.85 करोड़) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का समायोजन पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते के साथ समायोजित की गई।

1.2 4(4) के संबंध में पुनर्मूल्यित संपत्तियों/परिसरों के स्वत्व विलेख जिनकी लागत रु.6.54 करोड़ (रु.6.54 करोड़) है, काफी समय से लंबित विधि विवादों/औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित/ पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

1.3 प्रगतिधीन पूंजी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है। रु.22.05 करोड़ राशि के प्रगतिधीन पूंजी कार्य में किदवाई नगर, नई दिल्ली में भवन का निर्माण शामिल है। यह संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदी गई है और वर्तमान में निर्माणाधीन है तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भुगतान कार्य की पूर्णता की पूर्ण होने के चरण के साथ लिंक है। आस्ति व भुगतान शर्तों की प्रकृति तत्व पर विचार करते हुए उक्त निर्माणाधीन संपत्ति को प्रगतिधीन पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार प्रकट किया गया।

4. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) - "कर्मचारी अनुलाभ" (मूल बैंक)

1. परिभाषित अंशदान योजना :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. भविष्य निधि	0.33	0.31
2. कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	0.00	0.00

2. परिभाषित अनुलाभ योजना :

क) **पेंशन योजना** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है। यह गैर-निधिगत योजना है।

SCHEDULE 18 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

In respect of Parent Bank, during the current financial year 2016-17, an amount of Rs. 8.12 crores net of taxes has been drawn down from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories.

In the previous FY i.e. 2015-16, amount of Rs. 12.96 crores net of taxes and appropriate transfer to statutory reserve had been draw down from Investment Reserve on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories

2. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income / expenditure are not material, the same have been charged/ accounted for in respective heads of accounts.

2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7(i), certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

3. Fixed Assets

1.1 Depreciation for the current year amounting to Rs. 89.32 crores (106.85 crores) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.

1.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of Rs. 6.54 crores (Rs. 6.54 crores) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

1.3 Capital work-in-progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to Rs. 22.05 crores includes construction of building at Kidwai Nagar, New Delhi. This property has been purchased from the NBCC Ltd and currently under construction, and payment to Ministry of Urban Development, GOI, is linked with stage of completion of work. Considering the substance of the nature of asset and payment terms, said under construction property is classified as Capital Work in progress and disclosed accordingly.

4. Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits" (Parent Bank)

A. Defined Contribution Plans:

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
a. Provident Fund	0.33	0.31
b. Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

B. Defined Benefit Plans:

a) **Pension Plan**- This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan**- This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences**-This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	4182.24	3729.84	483.82	495.39	270.23	275.06
2	ब्याज लागत Interest Cost	290.55	274.79	44.88	34.57	18.21	19.92
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	483.13	413.77	40.24	29.32	29.13	36.39
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(349.20)	(368.31)	(93.76)	(98.54)	(37.75)	(36.38)
6	वर्ष के लिए बीमाकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	186.76	132.14	7.03	23.08	21.80	(24.76)
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	4793.48	4182.24	482.21	483.82	301.62	270.23

II. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in the Fair Value of Plan Assets:

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	4180.48	3676.60	481.86	489.12
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	332.35	321.70	54.95	42.80
3	दिया गया अंशदान Contributions made	595.40	540.76	42.00	52.27
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(349.20)	(368.31)	(93.76)	(98.54)
5	बीमाकिक लाभ / हानि Actuarial gains/losses	9.97	9.73	(18.25)	(3.79)
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	4769.00	4180.48	466.80	481.86

III. तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Balance Sheet:

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैर निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.17	31.03.16	31.03.17	31.03.16	31.03.17	31.03.16	31.03.17	31.03.16
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	4793.48	4182.24	482.21	483.82	5275.69	4666.06	270.23	270.23
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(4769.00)	(4180.48)	(466.80)	(481.86)	(5235.80)	(4662.34)	(0.00)	0.00

3	मान्यता हेतु निवल देयता Net liability to be recognized	24.48	1.76	15.41	1.96	39.89	3.72	270.23	270.23
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	24.48	1.76	15.41	1.96	39.89	3.72	270.23	270.23

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	483.13	413.77	40.24	29.32	29.13	36.39
2	ब्याज लागत Interest Cost	290.55	274.79	44.88	34.57	18.21	19.91
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(332.35)	(321.70)	(54.95)	(42.80)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	176.78	122.42	25.27	26.86	21.80	(24.76)
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized	618.12	489.28	55.44	47.96	69.14	31.54
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	618.12	489.28	55.44	47.96	69.14	31.54

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. Sr. No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	1.76	53.24	1.96	6.27	270.23	275.06
2	मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized	618.12	489.28	55.44	47.96	69.14	31.54
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(595.40)	(540.76)	(42.00)	(52.27)	(37.75)	(36.37)
4	अंतिम निवल देयता Closing Net Liability	24.48	1.76	15.41	1.96	301.62	270.23

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	332.35	321.70	54.95	42.80
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	9.97	9.73	(18.25)	(3.79)
3	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	342.32	331.43	36.70	39.01

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	बट्टा दर Discount rate	7.25%	7.75%	7.25%	7.75%	7.25%	7.75%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	7.95%	8.75%	8.05%	8.75%	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

3. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ :

(रु.करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त	
		31.03.2017	31.03.2016
1	पुनर्वास भत्ता	0.15	1.20
2	छुट्टी किराया रियायत	43.91	18.85
3	रजत जयंती अवार्ड	0.09	0.12
	कुल	44.15	20.08

C. Other Long Term Benefits:

(Rs. in Crores)

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2017	31.03.2016
1	Resettlement Allowance	0.15	1.20
2	Leave Fare Concession	43.91	18.85
3	Silver Jubilee Award	0.09	0.12
	Total	44.15	20.08

5. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

व्यवसाय खंड Business Segments	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other bankin Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व Revenue	4079.07	3106.57	5147.54	6676.80	3992.21	3899.26	367.98	407.55	13586.80	14090.18
परिणाम Result	1317.49	323.79	(2617.02)	(293.36)	(897.12)	338.50	70.20	66.46	(2126.44)	435.39
अनाबंटित खर्च Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालनगत लाभ Operating profit									(2126.44)	435.39
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									(770.35)	317.20
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									(1356.09)	118.19
अन्य जानकारी Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	48024.30	39000.66	58617.74	72228.59	39219.77	37924.10	11519.17	10930.76	157380.98	160084.10
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									2030.08	944.71
कुल आस्तियां Total assets									159411.06	161028.81
खंड देयताएं Segment liabilities	47378.24	38336.91	55545.34	67345.86	36979.63	35167.74	12038.92	11318.19	151942.14	152168.02
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									7468.92	8860.12
कुल देयताएं Total liabilities									159411.06	161028.81

- क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित व्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।
- ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां
- कुल वार्षिक औसत आवर्त रु.50.00 करोड़ से कम है, और
 - किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं हैं, और
 - एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार रु.5.00 करोड़ तक है।
- घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।
- ड) गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुषंगी कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को अन्य बैंकिंग संव्यवहारों में शामिल किया गया है।

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.
- b) Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where
- Total average annual turnover is less than Rs. 50.00 Crores and
 - No aggregate exposure to one counterpart exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5.00 crores.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.
- e) Business operations of subsidiary company is included in other banking operation on account of materiality.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

6. लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन:

इस संबंध में ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

क. बैंक की अनुषंगी कंपनी - दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ख. बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

ग. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों -

- 1) श्री सुशील मुहोत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.11.2013 से 26.09.2016 तक)
- 2) श्री रविंद्र मराठे, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (26.09.2016 से आज दिनांक तक)
- 3) श्री आर. आत्माराम, कार्यपालक निदेशक (07.08.2013 से 31.10.2016 तक)
- 4) श्री आर.के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से आज दिनांक तक)
- 5) श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक (31.03.2017 से आज दिनांक तक)

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार

(रु. करोड़ में)

विवरण	विवरण	31.03.17	31.03.16
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)		0.67	0.62
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों को ऋण एवं अग्रिम		0.43	0.55
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों की जमा राशि		1.35	0.06
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा जमा संग्रहण		0.00	0.25
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों को प्रदत्त ब्याज		0.02	0.03
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों से प्राप्त ब्याज		0.05	0.05

मूल बैंक की अनुषंगी और सहायक इकाईयों के साथ संव्यवहारों को संबंधित पक्ष प्रकटन लेखा मानक-18 के परिच्छेद क्र.9 को ध्यान में रखते हुए प्रकट नहीं किया गया है जिससे राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित संबंधित पार्टी के साथ उनके संव्यवहारों के संबंधित किसी प्रकार के प्रकटन से छूट मिलती है।

7. लेखा मानक 19 - लीज

वित्तीय लीजेज :

लीज जिसके अंतर्गत बैंक पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और स्वामित्व के रिवाइड की जिम्मेदारी लेता है को वित्तीय लीजेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिगृहीत ऐसी आस्तियों को आस्तिक के उचित मूल्य पर या लीज के आरंभ पर लीज भुगतान, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया गया है।

परिचालन लीजेज :

हानि व लाभ विवरण में जब और जैसे एक खर्च के रूप में लीज अवधि पर उपचित लीज भुगतानों की परिचालन लीज के अंतर्गत पहचान की गई है। परिचालन लीज के लिए लाभ व हानि खाते में अभिनिर्धारित लीज भुगतानों की राशि रु.131.95 करोड़ है (पिछले वर्ष रु.127.82 करोड़)

8. लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय	रु.(11.61)	रु.1.06
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (रु. लाख में)	(135609.12)	11818.48
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	11683.34	11117.36

6. Accounting Standard 18 – Related party disclosures:

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- (a) Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- (b) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

- 1) Shri Sushil Muhnot Chairman & Managing Director (from 09.11.2013 to 26.09.2016)
- 2) Shri Ravindra Marathe, Managing Director and CEO (from 26.09.2016 to till date)
- 3) Shri R Athmaram, Executive Director (from 07.08.2013 to 31.10.2016)
- 4) Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to till date)
- 5) Shri A C Rout, Executive Director (from 31.03.2017 to till date)

(B) Transactions with Related parties

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.17	31.03.16
Salary & Allowances (including perquisites)	0.67	0.62
Loans & Advances to Key Management Personnel	0.43	0.55
Deposits of Key Management Personnel	1.35	0.06
Placement of Deposits by Key Management Personnel	0.00	0.25
Interest paid to Key Management Personnel	0.02	0.03
Interest received from Key Management Personnel	0.05	0.05

The transactions with the subsidiary and associate of the parent bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

7. Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases:

Lease payments under operating leases are recognized as an expense as and when incurred in the Statement of Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases is Rs. 131.95 crore (Previous year Rs. 127.82 crore)

8. Accounting Standard 20- Earning per Share

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Basic / Diluted E.P.S.	Rs. (11.61)	Rs.1.06
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and dividend on preference shares (Rs in lakhs)	(135609.12)	11818.48
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	11683.34	11117.36

ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	रु. (11.61)	रु.1.06
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	रु.10.00	रु.10.00

9. समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा मानक (एएस-21)

सहायक इकाई अर्थात् महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों का मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात् महाराष्ट्र एक्सक्यूटोर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के साथ क्रमशः लेखा मानक 23 तथा लेखा मानक 21 के अनुपालन में समेकन किया गया है और यह समेकन ऐसी सहायक कंपनी की अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है।

10. आय पर करों का लेखा (लेखा मानक - 22) :

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है। तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों का अभिनिर्धारण किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण	0.00	0.00
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	144.58	92.49
3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	868.73	40.11
कुल	1013.31	132.60
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	171.68	171.68
2) निवेश में हास के कारण	161.08	161.08
3) अचल संपत्तियों के मूल्य-हास के कारण	3.29	3.29
कुल	28.84	0.00
निवल आस्थगित कर आस्तियां	364.89	336.05
	648.42	(-)203.45

बैंक के कर परामर्शक की विशेषज्ञ सलाह पर और विस्तृत पुनरीक्षा के आधार पर बैंक ने भविष्य की करयोग्य आय का आकलन किया है जिसके समक्ष अशोध्य और संदिग्ध कर्जों (एनपीए) के लिए प्रावधानों के कारण उत्पन्न समय अंतरालों को वसूला जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने ऐसे समय अंतराल पर उपर्युक्त के संबंध में रु.761.25 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है जो भविष्य की करयोग्य आय की उपलब्धता की उचित निश्चितता पर आधारित है जिस पर ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकता है।

11. लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि	3 वर्ष
परिशोधन दर	33.33%
परिशोधन पद्धति	लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	33.70	29.16
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	9.64	34.17
वर्ष के दौरान परिशोधन	25.52	29.62
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	17.82	33.70

नोट-सही शेष प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर पर पिछले वर्ष के आकड़े पुनर्समूहबद्ध किए गए हैं और उनमें सुधार किया गया है।

c) Basic Earnings per share (a) divided by (b)	Rs. (11.61)	Rs.1.06
d) Nominal Value per Share	Rs. 10.00	Rs.10.00

9. Accounting Standard on Consolidated Financial Statements (AS - 21)

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10. Accounting for Taxes on Income (AS-22):

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	0.00	0.00
2) On account of provisions for Employees benefits	144.58	92.49
3) Other Provisions where DTA is created	868.73	40.11
Total	1013.31	132.60
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	171.68	171.68
2) On account of Depreciation on Investment	161.08	161.08
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	3.29	3.29
4) Other Provisions where DTL is created	28.84	0.00
Sub-Total (B)	364.89	336.05
Net Deferred Tax Asset (A-B)	648.42	(-)203.45

Based on the thorough review and on the expert advice of Bank's Tax Consultant, the Bank has estimated future taxable income against which timing difference arising on account of provisions for Bad & Doubtful Debts (NPA) can be realized and accordingly during the year 2016-17, the Bank has recognized deferred tax assets of Rs. 761.25 crores in respect of the above on such timing difference based on reasonable certainty of availability of future taxable income against which such deferred tax assets can be realized.

11. Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	- 3 years.
Amortization Rate	- 33.33 %
Amortization Method	- Straight line at cost

(Rs. In Crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Software at the beginning of the year	33.70	29.16
Software acquired during the year	9.64	34.17
Amortization during the year	25.52	29.62
Net carrying amount at the end of the year	17.82	33.70

Note: Previous Year figures of software have been regrouped and rectified to arrive at the correct balance

12. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक - 28):

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में स्थिर आस्तियों की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29)

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

14. अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभाव तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

15. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख "खातों पर टिप्पणियां" के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में किया गया है।

16. ऋण एवं अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामलों का प्रावधान:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को धोखाधड़ी की पहचान की तारीख के प्रारंभ से चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के मामलों और जहां दो विभिन्न वित्तीय वर्षों में प्रावधान किया गया है, के प्रावधान में परिशोधन करने की अनुमति है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्रक्रमांक डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.92/21.04.048/2015-16 के अनुसार प्रावधान नहीं की गई राशि को संबंधित वर्ष की समाप्ति पर राजस्व आरक्षित में प्रभारित करना है।

12. Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets during current Financial Year and as such no provision is required as per AS-28.

13. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

14. Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

15. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under "Notes on Accounts" as given in the Stand alone Financial Statements of Bank, its subsidiary and the associate.

16. Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortise the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

31.03.2017 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या) Up to the year ended 31.03.2017 (No. of Cases)	31.03.2017 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या) During the quarter ended 31.03.2017 (No. of Cases)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष तक (राशि) Up to the year ended 31.03.2017 (Amount)	31.03.2017 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि) During the quarter ending 31.03.2017 (Amount)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of provision made during the year ended 31.03.2017 (Amount)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षित को नामे डाली गई परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of amortised provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2017 (Amount)
3893	281	2041.46	35.98	303.76	Nil

बैंक के पास वर्ष 2015-16 के दौरान पता लगाई गई धोखाधड़ियों के संबंध में रु.54.21 करोड़ के अपरिशोधित प्रावधान थे और 31.03.2016 को समाप्त वर्ष को "राजस्व आरक्षित" को नामे किया जिसे बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान परिशोधित किया।

वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने वर्ष के दौरान पाई गई रु.303.76 की धोखाधड़ियों के लिए संपूर्ण प्रावधान किए और 2016-17 के दौरान पाई गई धोखाधड़ियों के लिए अपरिशोधित प्रावधान नहीं है।

16. जहां कहीं आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/ पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयोग्य बनाया जा सके।

The Bank had unamortised provision of Rs. 54.21 crores in respect of frauds detected during the year 2015-16 and debited to "Revenue Reserve" as at year ended 31.03.2016 which the Bank amortised during the year 2016-17

During the year 2016-17, the Bank has made full provision for the frauds of Rs. 303.76 crores detected during the year and there is no un-amortise provision for frauds detected during 2016-17

16. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the Year Ended 31st March 2017

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

विवरण Particulars	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
A. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities:		
आय Income		
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	12061,98,03	13053,00,62
अन्य आय Other Income	1524,81,30	1037,17,15
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions		
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	8886,32,34	9173,57,07
परिचालन व्यय Operating Expenses	2856,77,91	2553,75,12
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	3199,78,20	2244,67,11
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses	-1356,09,12	118,18,47
जोड़े: गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	3199,78,20	2244,67,11
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	117,89,66	149,24,63
सहयोगी कंपनियों में आय/हानि का भाग Share of Earnings/Loss in associates	-15,96,10	-17,09,90
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	13,55	10,18
आयकर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	-	-
राजस्व आरक्षित निधि में वृद्धि Addition to revenue Reserve	54,21,28	-
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	502,49,08	478,33,70
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)	2502,46,55	2973,44,18
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	1994,11,40	2534,36,98
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:		
जमा राशियां Deposits	60,20,93	16869,71,59
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings excluding Bond borrowings	-1216,45,08	-1898,62,16
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-2695,08,30	-2930,67,11
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	-3851,32,45	12040,42,32
घटाएं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets		
निवेश Investments	2359,31,24	3465,86,63
अग्रिम Advances	-12047,44,07	8963,57,08
अन्य आस्तियां Other Assets	332,61,71	-759,07,34
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	-9355,51,12	11670,36,37
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	5504,18,67	370,05,95
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	7498,30,07	2904,42,93
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash Flow From Investing Activities		
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	4,00,80	3,79,65
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-102,94,54	-154,79,46
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	-98,93,74	-150,99,81

ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
C. Cash Flow From Financing Activities:		
i) गौण बांडों को जारी / (मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds	125,00,00	-
ii) इक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS	-	-85,05,46
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-	-17,00,59
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-502,49,08	-478,33,70
v) शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयरों को जारी करना Issue of Equity Shares including share premium/share application money	300,00,00	394,00,00
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)	-77,49,08	-186,39,75
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	(क+ख+ग) (A+B+C)	7321,87,25 2567,03,37

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By- वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	8382,28,75	6652,75,05
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	937,92,14	100,42,47
	9320,20,89	6753,17,52
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	15274,72,19	8382,28,75
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त धन Balance with banks & money at call & Short notice	1367,35,95	937,92,14
	16642,08,14	9320,20,89
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	7321,87,25	2567,03,37

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R. K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
R.P. MARATHE
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रदीप मिश्रा
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
PRADEEP MISHRA
Asst.Gen. Manager, FM&A

संजय रुद्र
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SANJAY RUDRA
Dy. Gen. Manager, FM&A

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
R. H. PHADNIS
Gen. Manager, FM&A

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
for Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for A.R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड
एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates,LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए इंद्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता क्र.: 410433
CA Indra Pal Singh
Parther
Membership No. 410433

सीए आनंद सुलाखे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 33451
CA Anand Sulakhe
Parther
Membership No. 33451

सीए मनस्वी कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 64601
CA Manaswy Kothari
Parther
Membership No. 64601

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M. Marathe
Parther
Membership No. 212175

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2017

Place : Pune
Date : 4th May, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

निदेशक मंडल

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2017 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है : क) 4(चार) संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित बैंक के लेखा परीक्षित खाते जो 31.03.2017 को रु.159323.98 करोड़ की कुल आस्तियां, रु.13570.03 करोड़ का कुल राजस्व, रु.1372.51 करोड़ की हानि और समाप्त वर्ष के लिए रु.7321.87 करोड़ की राशि का निवल नकद अंतर्वाह प्रदर्शित करते हैं। साथ ही, एक सहायक कंपनी के लेखा परीक्षित खाते तथा एक सहयोगी संस्था के लेखा परीक्षित खाते जिनके वित्तीय विवरण 31.03.2017 को कुल आस्तियों में रु.159411.06 करोड़ का समूह का हिस्सा, कुल राजस्व में रु.13586.79 करोड़ का समूह का अंश तथा निवल नकद अंतर्वाह में रु.7321.87 करोड़ की राशि का समूह का हिस्सा प्रदर्शित करते हैं। समूह की इकाईयों जिनके वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों शामिल हैं अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणियों में सूचीबद्ध है जो समूह के समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।

2. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31.03.2017 को रु.1382.59 लाख के कुल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु रु.46.92 लाख का निवल लाभ दर्शाया गया है। साथ ही सहायक प्रतिष्ठानों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य किया है, समूह के लाभ कि हिस्से को रु.1596.10 लाख बताया गया है। यह वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किए गए और इस सहायक कंपनी तथा सहयोगी संस्था से संबंधित राशियों को शामिल करने के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है।
3. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी : इन वित्तीय विवरणों के परिचालन के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्था में निवेश के लिए लेखांकन तथा 'लेखांकन मानक (एएस) 21 - समेकित वित्तीय विवरणों की आवश्यकताओं के अनुसरण में बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत समूह के वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का ढांचा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कि धोखाधड़ी अथवा गलती से महत्वपूर्ण विवरणों में होनेवाली चूक से मुक्त रहते हैं।
4. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी : हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा करते हैं। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा का निष्पादन करना होता है ताकि उचित रूप से यह आश्वासन दिया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण बयानी में गलती से मुक्त हैं या नहीं।
5. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथन के जोखिम का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम मूल्यांकन करने

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The Board of Directors of Bank of Maharashtra,

Report on Consolidated Financial Statements.

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra, its subsidiary and an associate (the Group), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2017, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Incorporated in these consolidated financial statements are the: (a) audited accounts of the bank audited by 4 (Four) Joint Auditors which reflect total assets of Rs. 159323.98 crore as at 31st March 2017, total revenue of Rs. 13570.03 crore, loss of Rs. 1372.51 crore and net cash inflows amounting to Rs. 7321.87 crore for the year ended; audited accounts of one subsidiary, & audited accounts of one associate whose financial statements reflects the group's share in total assets of Rs. 159411.06 crore as at 31st March 2017, the group's share in the total revenue of Rs. 13586.79 crore, the group's share in net cash inflows amounting to Rs. 7321.87 crore. The entities of the group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 17- Significant Accounting Policies and Notes on Accounts – which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group.

2. We did not audit the financial statements of subsidiary whose financial statement reflect total asset of Rs. 1382.59 lacs as on 31st March 2017, and net profit of Rs. 46.92 lacs for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of Rs. 1596.10 lacs for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial statements have been furnished to us and our opinion is so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate is based solely on the reports of the other auditors.
3. Management's Responsibility for the Financial Statements: The Management of the bank is responsible for the operation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the bank in accordance with the requirements of the 'Accounting Standard (AS) 21 – Consolidated Financial Statements' and 'AS – 23 Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements of the Group that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
4. Auditors' Responsibility: Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
5. An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control

के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए हैं किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य, हमें दिए गए स्पष्टीकरण के पर्याप्त और उचित आधार हैं.

6. हमारी राय में बैंक की खाता बहियों में दर्शाए अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में सत्य और स्पष्ट चित्र प्रदान करते हैं :
- क. 31 मार्च, 2017 को समूह के व्यवहारों के मामले के समेकित तुलनपत्र की स्थिति में
- ख. उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु समूह के समेकित लाभ के समेकित लाभ व हानि खाते के मामले में और
- ग. उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में
7. मामले पर जोर :
- क. सीडीआर/ गैर-सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्गठित अग्रिमों के वर्गीकरण के संबंध में अनुसूची 18 में टिप्पणी क्रमांक 4.13.1.
- ख. रु.761.25 करोड़ की राशि के अशोध्य और संदिग्ध कर्जों (एनपीए) के लिए प्रावधानों के कारण आस्थगित कर आस्तियों की पहचान के संबंध में वित्तीय विवरणों हेतु खातों पर टिप्पणियों की अनुसूची 18 में टिप्पणी क्र.10.10

relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the explanation given to us.

6. In our opinion, as shown by books by bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us, the attached financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- a. In the case of the Consolidated Balance Sheet of the state of the affairs of the Group as at 31st March 2017.
- b. In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the Consolidated Profit of the Group for the year ended on that date; and
- c. In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.
7. Emphasis of Matter:
- a. Note number 4.13.1 in schedule 18 in respect of classification of restructured advances under CDR/non CDR mechanism.
- b. Note number 10.10 in Schedule 18 of Notes to Accounts to the Financial Statements regarding recognition of Deferred Tax Assets on account of provisions for Bad and Doubtful Debts (NPA) amounting to Rs. 761.25 crores.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
for Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for A.R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए इंद्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता क्र.: 410433
CA Indra Pal Singh
Parther
Membership No. 410433

सीए आनंद सुलाखे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 33451
CA Anand Sulakhe
Parther
Membership No. 33451

सीए मनस्वी कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 64601
CA Manaswy Kothari
Parther
Membership No. 64601

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M. Marathe
Parther
Membership No. 212175

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 4 मई, 2017 Date : 4th May, 2017

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2016-17

खंड क : कंपनी संबंधित सामान्य जानकारी

1	कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2	कंपनी का नाम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
3	पंजीकृत पता	लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे -411005
4	वेबसाइट	www.bankofmaharashtra.in
5	ई-मेल आईडी	gmrespln@mahabank.co.in
6	वित्तीय वर्ष	2016-17
7	जिस सेक्टर से कंपनी संबंधित है (औद्योगिक गतिविधि कोड)	बैंकिंग और वित्त
8	कंपनी द्वारा उत्पादित/ प्रदान की गई तीन मुख्य उत्पादों/ सेवाओं की सूची (तुलनपत्र के अनुसार)	जमा राशियाँ और ऋण उत्पाद तथा विप्रेषण इत्यादि
9	कंपनी द्वारा व्यवसाय किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या	1897
	क विदेश में शाखाओं की संख्या	शून्य
	ख देश के अंदर शाखाओं की संख्या	31 मार्च, 2017 को बैंक के 33 अंचल कार्यालय, 1897 शाखाएं और 1878 एटीएम हैं।
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाजार - स्थानीय/ राज्य/ राष्ट्रीय/ विदेश	राष्ट्रीय

खंड ख : कंपनी की वित्तीय जानकारी

1	प्रदत्त पूंजी (रुपये)	रु.1168.33 करोड़
2	कुल व्यवसाय (रुपये में)	रु.240589.60 करोड़
3	निवल हानि (रुपये में)	रु.1372.51 करोड़
4	कर (%) देने के बाद लाभ के प्रतिशत का कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	वित्तीय वर्ष '17 के दौरान सीएसआर क्रियाकलाप पर कुल रु.29 लाख व्यय किए गए और वित्तीय वर्ष 17 में बैंक को रु.1372.51 करोड़ की हानि हुई।
5	उपरोक्त चारों के लिए किए गए व्यय की गतिविधियों की सूची	उपरोक्त व्यय प्राथमिक रूप से लोगों हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए किए गए।

खंड ग : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां हैं?	
क	अनुषंगी	बैंक के पास 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी है अर्थात् दि महाराष्ट्र एक्जिक्युटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ख	सहयोगी :	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक जिसका प्रधान कार्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, में बैंक का 35% स्वामित्व है।
2	क्या अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां अपने मूल कंपनी के बीआर पहलों में सहभाग लेती हैं? अगर हां, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी(याँ) की संख्या इंगित करें।	नहीं

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2016-17

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2	Name of the Company	Bank of Maharashtra
3	Registered address	Lokmangal, "1501", Shivajinagar, Pune -411005
4	Website	www.bankofmaharashtra.in
5	E-mail id	gmrespln@mahabank.co.in
6	Financial Year reported	2016-17
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	"Banking and Finance"
8	List three key products/ services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	Deposits and Loan products and Remittances etc
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	1897
a	Number of International Locations	NIL
b	Number of National Locations	Bank has 33 Zonal Offices, 1897 Branches, and 1878 ATMs as on March 31 st 2017.
10	Markets served by the Company – Local/State/ National/International	National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1	Paid up Capital (INR)	Rs1168.33
2	Total Business (INR)	Rs 240589.60 cr
3	Net Loss (INR)	Rs 1372.51 cr
4	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	During FY'17, the total spending on CSR activities was Rs 29 lac and Bank had a loss of Rs 1372.51 cr in FY17.
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	The above expenditure has been undertaken primarily on education, health care and skill development of people.

SECTION C: OTHER DETAILS

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	
A	Subsidiaries	Bank has one subsidiary viz The Maharashtra Executor and Trustee Company Private Limited with 100% ownership
B	Associates:	Bank has 35 % ownership in Maharashtra Gramin Bank with its Head Office at Aurangabad, Maharashtra.
2	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	No

3	क्या कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाली कोई इकाई/ इकाईयों (उदाहरण आपूर्तिकर्ता वितरक इत्यादि) कंपनी के बीआर पहल में सहभाग लेती है? अगर हां, तो ऐसी इकाई/ इकाईयों का प्रतिशत इंगित करें। 30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक
	नहीं

खंड घ : बी आर विवरण

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/ निदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/ निदेशकों का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरे	विवरण
1	डीआईएन संख्या	: -
2	नाम	: श्री ए. सी. राउत
3	पदनाम	: कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरे	विवरण
1	डीआईएन संख्या	: 07393642
2	नाम	: श्री राजकिरण एच. भोईर
3	पदनाम	: महाप्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	: 020-25614216
5	ई-मेल आईडी	: gmrespln@mahabank.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/ नीतियाँ (हां/ नहीं में उत्तर)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
		नैतिक व्यवसाय	उत्पाद	कर्मचारी	हितधारक	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोक नीति	सीएसआर	ग्राहक सेवाएं
1	क्या आपके पास ---- के लिए नीति/ नीतियाँ हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के साथ विमर्श कर नीति तैयार की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति को किसी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेलना प्राप्त है? अगर हां, तो स्पष्ट करें? (50 शब्दों में)*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? अगर हां, तो क्या एमडी/ मालिक/ सोईओ/ बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कंपनी के पास बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारियों की निरिच्छता समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक भीगत करें।	www.bankofmaharashtra.in								
7	क्या नीति को औपचारिक जानकारी सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों को दी गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कार्यान्वयन हेतु कंपनी के पास आंतरिक सख्त कानून है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी के पास शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी अपनी नीति के कार्यान्वयन का आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाती है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]
	No

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

S.No.	Particulars	Details
1	DIN No.	: -
2	Name	: Shri A.C.Rout
3	Designation	: Executive Director

b) Details of the BR Head

S.No.	Particulars	Details
1	DIN No.	: 07393642
2	Name	: Shri Rajkiran H. Bhoir
3	Designation	: General Manager
4	Telephone number	: 020-25614216
5	E-mail id	: gmrespln@mahabank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1 Ethical Bus.	P2 Prod- ucts	P3 Em- ploy- ees	P4 Stake- hold- ers	P5 Human Rights	P6 Envi- ron- ment	P7 Public Policy	P8 CSR	P9 Cus- tomer Svs
1	Do you have policy/ policies for....?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.bankofmaharashtra.in								
7	Has the policy been formally communicate to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house stricter to implement	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have a grievances redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/evaluative of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2क. अगर क्रम संख्या 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया उसका कारण बताएं: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।	लागू नहीं								
2	कंपनी निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीति निर्माण और कार्यान्वयन की स्थिति में नहीं है									
3	कार्य के लिए कंपनी के पास वित्तीय या मानव बल संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीनों के भीतर इसे संपन्न करने की योजना है									
5	अगले 1 वर्ष के भीतर इसे संपन्न करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. बीआर से संबंधित प्रशासन

- ❖ कंपनी के बीआर प्रदर्शन के आकलन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ की बारंबारता इंगित करें। 3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।
वार्षिक
- ❖ क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? इसे देखने के लिए हाइपरलिंक की जानकारी दें?
बैंक ने पहली बार अपने बीआर रिपोर्ट का प्रकाशन किया है। यह <http://www.bankofmaharashtra.in> वेबसाइट पर उपलब्ध है।

खंड च: सिद्धांत-वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1: व्यवसायों द्वारा स्वयं को नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

1. क्या नैतिकता, रिश्ततखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है? हां/ नहीं। क्या वे समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करते हैं?

हां, यह बैंक को कवर करती है और अखंडता संधि को अपनाकर समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार (सीमा-रेखा से अधिक) को भी कवर करती है।

बैंक के पास स्टाफ उत्तरदायित्व और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति पर नीतियां हैं।

यद्यपि प्रचलन में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, पारदर्शिता और नैतिकता को बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा विनियमावली और द्विपक्षीय समझौता के अंतर्गत कवर किया जाता है।

भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन और निधियों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए बैंक के पास सतर्कता संबंधी प्रणाली है -

1. अधिकारियों द्वारा एपीआर का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण
2. संदिग्ध निष्ठा के अधिकारियों की सहमत सूची तैयार करना
3. कार्मिकों का रोटेशन
4. तकनीक का लाभ
5. कार्मिक खातों की जांच
6. नियमित/ आश्चर्यजनक/ संगामी लेखा परीक्षा/ निरीक्षण
7. शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई
8. अखंडता संधि
9. विसिल ब्लोअर पोर्टल

प्रायोजक बैंक अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के लिए भी अखंडता संधि को लागू किया गया है।

1. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया? अगर ऐसा है तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

2a. If answer to S.No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles	NA								
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. Governance related to BR

- ❖ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year.

Annually

- ❖ Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this?

The Bank has published its BR Report for the first time. It is available on the website <http://www.bankofmaharashtra.in>.

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs / Others?

Yes, it covers the Bank and is extended to the group/suppliers/contractors (above threshold limit) by adoption of the Integrity Pact.

Bank is having policy on Staff accountability & Fraud Risk Management Policy

Though there is no specific policy in vogue, the transparency and ethics are covered under Bank of Maharashtra Officers Service Regulations & Bi-Partite Settlement.

Bank has system in place regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds through-

1. Online submission of APR by officers
2. Preparation of Agreed List of Officers of Doubtful Integrity
3. Rotation of Staff
4. Leveraging of Technology
5. Scrutiny of Staff Accounts
6. Regular/Surprise/Concurrent Audit/Inspections
7. Prompt punitive action
8. Integrity Pact
9. Whistle Blower portal

The Integrity Pact is also made applicable to Sponsored Bank ie. Maharashtra Gramin Bank

1. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

- क. बैंक को अपने शेयरधारकों से 224 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से 224 शिकायतों का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया। बहुतांश शिकायतें लाभांश न प्राप्त होने की प्रकृति की थीं।
- ख. वर्ष के प्रारंभ में 73 लंबित शिकायतों के अतिरिक्त वर्ष के दौरान बैंक को अपने ग्राहकों से 2912 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 2931 शिकायतों का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया।

सिद्धांत 2: व्यवसायों द्वारा उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो सुरक्षित हो और अपने जीवनचक्र में सतत अच्छी सेवाएं प्रदान करें।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रदान करें जो सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिम और/ या अवसर के लिए तैयार किए गए हैं।

मुद्रा ऋण : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत बैंक उत्पादन, व्यवसाय और सेवा में संलग्न गैर-कृषि उद्यमों जिनकी ऋण आवश्यकता रु. 10.00 लाख से कम हो पर विशेष ध्यान दे रहा है।

स्व सहायता समूह को लघु वित्त : बैंक ने हमेशा से ही ग्रामीण और शहरी गरीबों के आर्थिक विकास के लिए ऋण के महत्व को समझा है। वह स्व सहायता समूहों, महिला स्व सहायता समूह और विशेष तौर पर उनकी वित्तीय सुरक्षा, जागरूकता बढ़ाने और समुदाय के संपूर्ण विकास के लिए वित्त प्रदान कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट द्वारा गठित एनजीओ ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) इनका गठन करने, पोषण, प्रशिक्षण और स्व सहायता समूह के साथ बैंक ऋण लिंक सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

एफएलसी : बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छः अग्रणी जिलों यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना और ठाणे में वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले हैं।

एमसेटी : बैंक ने ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को लघु व्यवसाय उद्यमों द्वारा स्व रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण देने हेतु सात महाबैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एमसेटी) स्थापित किए हैं। संस्थान केन्द्र पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे और नाशिक में स्थित हैं।

आरडीसी : महाराष्ट्र के पुणे जिले के हडपसर - पुणे और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केन्द्र द्वारा किसानों के लाभार्थ, वर्मी कम्पोस्ट, खारी मृदा का पुनर्विकास, मृदा जांच आदि के विकास के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बैंक ने किसानों के लिए मृदा जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है। पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पादों के उत्पाद की प्रत्येक इकाई (वैकल्पिक) के लिए प्रयुक्त संसाधनों (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

क) पिछले वर्ष की तुलना में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के स्रोत/ उत्पादन/ वितरण में हुई कमी?

ख) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) के प्रयोग में कमी?

वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह अनुभाग लागू नहीं है।

3. क्या कंपनी के पास सतत सोर्सिंग (परिवहन सहित) की प्रक्रियाएं हैं? अगर हां, तो आपके निवेश का कितना प्रतिशत सतत सोर्सिंग था? उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह अनुभाग लागू नहीं है।

4. क्या कंपनी ने स्थानीय और अपने कार्य क्षेत्र के आसपास के समुदायों सहित छोटे उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने कोई कदम उठाया है?

अगर हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण माल और सेवाओं को प्राप्त करने के सीमित अवसर हैं।

- a) The bank received 224 complaints from its shareholders of which 224 complaints have been resolved satisfactorily. The complaints were of the nature of non receipt of dividend mainly.
- b) In addition to the pending 73 complaints at the beginning of the year; Bank received 2912 complaints from its customers during the year. Of these 2931 complaints were resolved satisfactorily.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

Mudra Loans: Under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), Bank is giving special attention to financing non-farm enterprises engaged in manufacturing, trading and services whose credit needs are below Rs. 10.00 lakh.

Microfinance to SHGs: The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking up an economic activity. It is financing SHGs, women SHGs more specifically for their financial security, creating awareness and overall development of the entire community. Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit.

FLC: The Bank has opened Financial Literacy Centers in Six Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna and Thane for creating awareness about banking schemes.

MSETI: The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik.

RDCs: The Rural Development Centers at Hadapsar- Pune and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the benefit of farmers' viz. Vermi compost, Re-development of Saline Soils, Soil Testing etc. Bank has established Soil testing lab (STL) for the farmers. Those from the districts of Pune, Ahmednagar, Sholapur and Satara are taking benefit of the lab.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

a) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Being a financial service organization this section is not applicable.

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Being a financial service organization this section is not applicable.

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

If yes, what steps have been taken to improve the capacity and capability of local and small vendors?

Being a financial service organization, there is limited scope to procure goods and services.

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और व्यर्थ को पुनः चक्रित (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र है? अगर हां तो उत्पादों और व्यर्थ को पुनः चक्रित (अलग रूप में <5%, 5-10%, >10%) करने का प्रतिशत क्या है? उसका विवरण भी 50 शब्दों में दें।

बैंक पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (इईई) जिसमें सीसा, कैडमियम, पारा, पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) मिला हो, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। अगर ऐसे ई-कचरे को उचित तरीके से नहीं निपटाया गया तो इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। अतः पर्यावरण को बचाने के लिए ई-कचरा नीति का कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है, जिसे बैंक निष्ठापूर्वक कर रहा है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का समर्थन करना चाहिए

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें।

31.03.2017 को 12974 कर्मचारी थे।

2. कृपया अस्थायी/संविदा/ आकस्मिक आधार पर बहाल किए गए कुल कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

शून्य

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

31.03.2017 को 3577 महिला कर्मचारी थीं जो कुल कर्मचारियों का 27.57% हैं।

4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें?

31.03.2017 को 214 स्थायी विकलांग कर्मचारी थे जो कुल कर्मचारियों का 1.34% है।

5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कर्मचारी संस्था है?

हां

6. आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संस्था के सदस्य हैं?

अधिकारी 93.31% और अधिनिर्णयाधीन कर्मचारी 94.57% कर्मचारी संस्था के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वर्ष के दौरान बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, अनैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या इंगित करें जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित थीं।

शून्य

8. आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया?

अधिकारी	62%
लिपिक	14%
अधीनस्थ कर्मचारी	33%

सिद्धांत 4: व्यवसायों को समस्त हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और विशेष तौर पर वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों का उत्तरदायी होना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों की पहचान की है?

बैंक ने अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान की है यथा, सरकार, बैंक/ वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू कंपनियां, ट्रस्ट, वैयक्तिक और ओवरसीज कॉर्पोरेट निकाय।

आंतरिक ग्राहकों को आगे बड़े कॉर्पोरेट, लघु और मध्यम उद्यम और खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया गया है।

2. क्या कंपनी ने उपरोक्त में से वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों की पहचान की है?

हां

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

The Bank is committed towards environment protection. The Electrical and Electronic Equipments (EEE) containing substances like lead, cadmium, mercury, polyvinyl chloride (PVC) are hazardous to human health and environment. If such e-waste is not disposed off properly, it causes harm to the environment. Thus it is very essential to implement e-waste policy for protection of environment; which Bank is following scrupulously

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the Total number of employees

There were 12974 employees as on 31.03.2017.

2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.

NIL.

3. Please indicate the Number of permanent women employees.

There were 3577 women employees constituting 27.57% of the total employees as on 31.03.2017.

4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities?

There were 214 permanent employees with disabilities constituting 1.34% of the total employees as on 31.03.2017.

5. Do you have an employee association that is recognized by management?

Yes

6. What percentages of your permanent employees are members of this recognized employee association?

Officers accounts for 93.31% and Award Staff account for 94.57% of recognized employee association.

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Officers	62%
Clerks	14%
Sub-staff	33%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders?

Bank has identified its major stakeholders as Government, Banks/Financial Institutions, Insurance Companies, Foreign Institutional Investors, Domestic Companies, Trusts, Individuals and Overseas Corporate Bodies.

The internal customers are further segregated into the large corporates, small and medium enterprises and retail customers.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?

Yes

3. क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों के लिए कोई विशेष पहल की है? अगर हां, तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

- बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कई पहलें की हैं।
- बैंक हमेशा से ही कमजोर वर्ग को ऋण देने के लिए तत्पर रहा है। कमजोर वर्ग के लिए बैंक के अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एएनबीसी का अनिवार्य 10% से अधिक है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में बैंक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। बैंक ने इन योजनाओं के लिए प्रसंस्करण शुल्क और अन्य प्रभारों को पूर्णतः छूट दी है। बैंक एमएसएमई उद्यमियों को रु.2.00 करोड़ (सीजीटीएमसी तहत) तक के लिए संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान कर रहा है।
- बैंक ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को वित्त प्रदान करने और अग्रिमों की वसूली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली शाखा के लिए भारतरत्न डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नाम पर एक रोलिंग ट्रॉफी देने और श्रेष्ठ तीन शाखाओं को नकदी पुरस्कार देने की शुरुवात की है। डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती के दिन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है।
- बैंक ने एमएसई हेतु रु. पांच लाख तक की वित्तीय सहायता राशि के लिए प्रसंस्करण प्रभार को माफ कर दिया है।
- रु.10.00 लाख के सभी ऋण (मुद्रा सहित) बैंक की एमसीएलआर दर पर निर्धारित हैं।
- मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत, सभी योग्य महिला विद्यार्थियों द्वारा भारत या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बैंक ने ब्याज दर में 0.50% की छूट दी है।
- एनआरएलएम के तहत अप्रैल, 2013 से ग्रामीण क्षेत्रों के महिला स्व सहायता समूहों को सहायता प्रदान की जा रही है और अब इसका नामकरण डीएवाय एनआरएलएम किया गया है। डीएवाय एनआरएलएम योजना देश के चिह्नित 250 जिलों से एनआरएलएम स्व सहायता समूह को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर के आवेदन पर विचार करती है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों द्वारा मानवाधिकारों को सम्मान और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

1. क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यो को भी कवर करती है?

बैंक सभी मनुष्यों को स्वतंत्र और व्यक्ति मानता है और उनके अधिकारों का सम्मान करता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम :

बैंक ने सुनिश्चित किया है कि कार्य स्थल पर कोई यौन उत्पीड़न न हो। कार्य स्थल पर के मामलों विशेष तौर पर महिला कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए बैंक ने उप महाप्रबंधक स्तर की महिला अधिकारी को प्रधान कार्यालय में नियुक्त किया है।

ग्राहक अधिकार नीति :

बैंक ने नीति को अपनी वेबसाइट पर डाला है। जनता के सूचनार्थ उसकी एक प्रति शाखा में भी उपलब्ध कराई गई है।

शिकायत निवारण प्रणाली :

बैंक ने ग्राहक शिकायत तंत्र की स्थापना की है जो शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करता है। बैंक ने ग्राहक सेवा बेहतर करने के लिए सीसीएसओ (अपने प्रधान कार्यालय में आंतरिक लोकपाल) नियुक्त किया है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया?

वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या 2912 है।

सिद्धांत 6: व्यवसायों द्वारा सम्मान, संरक्षण और पर्यावरण बहाल करने का प्रयत्न करना चाहिए।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यो को भी कवर करती है?

यह नीति केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कवर करती है।

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

- Bank has taken various initiatives to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
- Bank is always in the forefront for lending to weaker sections. Bank's advances to weaker section is above mandated 10% of ANBC set by RBI. Bank is actively participating in various schemes sponsored by Government of India and various state governments. Bank has totally exempted these schemes from processing fee and other charges. Bank is extending collateral free loans to MSME entrepreneurs up to Rs. 2.00 cr (under CGTMC Cover).
- Bank has started giving one Rolling Trophy in the name of Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar to the best performing branch in extending finance and recovering advances to SC/STs beneficiaries and giving cash reward to top three performing branches. Award giving ceremony is held on the eve of birthday celebrations of Dr. B. R. Ambedkar.
- Bank has waived processing charges on financial assistance to MSEs up to Rs. Five lakh.
- All loans up to Rs. 10.00 lakh (including MUDRA) are priced at MCLR of the bank.
- Under model education loan scheme, Bank offers a concession of 0.50 % in rate of interest to all deserving GIRL STUDENT for perusing higher studies in India as well as abroad.
- Woman SHGs from Rural area are supported under NRLM since April 2013, now renamed as DAY NRLM. The DAY NRLM scheme envisages application of Rate of Interest @ 7.00% p.a. to NRLM SHGs from 250 identified districts of the country.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

Bank recognizes all human beings as free and individual and respects their rights.

Prevention of Sexual Harassment:

Bank has ensured that there is no sexual harassment at workplace. For addressing issues specifically related to women employees at workplace, the Bank has appointed Lady Officer in the rank of Deputy General Manager at the Head Office level.

Customer Right's Policy:

Bank has placed the policy on its website. A copy of the same is also kept in the branches for the public information.

Complaint Redressal System:

The Bank has well placed customer complaint redressal mechanism which ensures fast redressal of the complaints. The bank has appointed CCSO (internal ombudsman at its HO) to further boost the customer service

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

The total number of complaints received from the customers during the year is 2912.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others

The Policy covers Bank of Maharashtra only.

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मामलों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि का सामना करने के लिए रणनीति/ पहलें हैं? हां/ नहीं। यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक प्रदान करें।

हां, बैंक ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के निवारण हेतु सूची में दिए अनुसार कुछ महत्वपूर्ण पहलें की हैं।

- बैंक द्वारा वास्तविक यात्रा/ हार्ड कॉपी प्रेषित करने के स्थान पर वीडियो/ टेली-कॉन्फरेंसिंग, एसएमएस, ई-मेल तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
- कागज के इस्तेमाल को कम करने के लिए बैंक द्वारा ई-संव्यवहार और ई-चैनल जैसे पीओएस मशीन, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

3. क्या कंपनी द्वारा संभावित पर्यावरण जोखिम की पहचान और मूल्यांकन किया गया है? हां/ नहीं

हां, बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूल प्रस्तावों को उचित महत्व दिया जाता है और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकने वाली परियोजनाओं से बचा जाता है।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? अगर ऐसा है, तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें। साथ ही, अगर हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है?

- कागजरहित बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए बैंक इंटरनेट/ एसएमएस/ मोबाइल बैंकिंग द्वारा ई-बैंकिंग को प्रोत्साहित कर रहा है।
- बैंक ने ई-लॉबी की स्थापना की है और अपने ग्राहकों को ई-एफडी की सुविधा प्रदान की गई है।
- विक्रेताओं को एनएफटी/ आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरण ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हां/ नहीं। अगर हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक प्रदान करें।

बैंक इलेक्ट्रिकल लेखा परीक्षा का आयोजन कर इलेक्ट्रिकल क्षय को न्यूनतम करने के लिए प्रयासरत है।

6. क्या रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उत्सर्जन/ क्षय सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा स्वीकार्य सीमा के भीतर है?

लागू नहीं

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/ एसबीसीपी से प्राप्त कारण बताओ/ विधिक नोटिस की लंबित संख्या (अर्थात जिनका संतोषजनक रूप से समाधान न हुआ हो)

शून्य

सिद्धांत 7: जनता को प्रभावित करने और नियामक नीति से जुड़ने पर व्यवसायों द्वारा उसे जिम्मेदारीपूर्वक निभाया जाना

1. क्या आपकी कंपनी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? अगर हां, तो सिर्फ उन प्रमुखों का नाम बताएं जिनके साथ आप व्यापार कर रहे हैं :

हां। बैंक निम्नलिखित का सदस्य है-

- 1) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
- 2) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस (आईआईबीएफ)
- 3) इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस)
- 4) नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम)
- 5) नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई)
- 6) दि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

2. क्या आपने जनता की भलाई या उन्नति के लिए उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वकालत/ पैरवी की है? हां/ नहीं, अगर हां तो व्यापक क्षेत्र (ड्रॉप बॉक्स: गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, स्थायी व्यवसाय सिद्धांत, अन्य) का विवरण दें।

वित्तीय सेवाओं में सुधार के लिए बैंक नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ निकट समन्वय बनाने हेतु तत्पर है।

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes, Bank has taken certain important initiatives to address the environmental concerns as enlisted

- Bank tries to maximize the use of technology such as video/ tele-conferencing, sms, emails rather than physical travel / sending hard copies
- To reduce the paper consumption, Bank is trying to maximize the e-transactions and sage of e-channels such as POS machines, debit/ credit cards and internet banking.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Yes, Bank gives due weightage to the proposals which are environment friendly and consciously avoids the projects which could be potentially hazardous to the environment.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?

- To ensure paperless banking, Bank is promoting e-banking via internet/ sms/ mobile banking.
- Bank has established e-lobbies; has given facility of e-FD to its customers
- The payments to the vendors are being made through NEFT/ RTGS

5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc

The Bank strives for minimization of electrical wastage by conducting electrical audit

6. Are the Emissions/Waste generated by the Company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

Not Applicable

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at end of Financial Year

NIL

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes. The Bank is a member of

- 1) Indian Banks Association (IBA)
- 2) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- 3) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
- 4) National Institute of Bank Management (NIBM)
- 5) National Payments Corporation of India (NPCI)
- 6) The Clearing Corporation of India Ltd (CCIL)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).

Bank works in close coordination with the regulators and policy makers for improvement of financial services.

सिद्धांत 8: व्यवसायों द्वारा समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन किया जाना चाहिए।

1. क्या बैंक के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुशीलन हेतु निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहलें/ परियोजनाएँ हैं? अगर हाँ तो उनका ब्यौरा दें।

बैंक ने सिद्धांत 8 के अनुशीलन में कई पहल/ कार्यक्रम/ परियोजनाएँ शुरू की हैं।

1. वित्तीय समावेशन

बैंक ने आर्बिट्ररी उपसेवा क्षेत्रों (एसएसए) और गावों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंकिंग प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया है।

2. पीएमजेडीवाई

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक ने 15.08.2014 से 30.01.2015 के बीच खाते खोलने वालों के लिए एलआईसी द्वारा कई सुविधाएँ जैसे रुपे डेबिट कार्ड का निर्गम, रु.100000/- दुर्घटना बीमा कवर, रु.30000/- का अतिरिक्त सावधि बीमा प्रदान किया है।

3. अटल पेंशन योजना

असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक द्वारा अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें लाभार्थी अपने 60 वर्ष पूरे होने पर रु. 1000/- से रु. 5000/- की निश्चित पेंशन के विकल्प का चयन कर सकता है।

4. एमएसएमई योजनाएँ

एमएसएमई योजनाएँ : समावेशी विकास और न्यायोचित विकास को समर्थन देने के लिए बैंक के पास निम्नलिखित उत्पाद हैं जिससे कि एमएसएमई के प्रत्येक श्रेणी तक पहुँचा जा सके।

- महा एमएसएमई प्रोजेक्ट लोन स्किम
- महा एमएसएमई मशीनरी/ इक्विपमेंट स्किम
- महा एमएसएमई कैश क्रेडिट स्किम
- महा एमएसएमई कोलैटरल फ्री टर्म लोन स्किम
- महा एमएसएमई कोलैटरल फ्री कैश क्रेडिट स्किम
- महा एमएसएमई क्रेडिट +
- महाबैंक प्रोफेशनल लोन स्किम -
- महाबैंक स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर स्किम

5. कमजोर वर्गों को ऋण

बैंक द्वारा छोटे/ सीमान्त किसानों, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों, स्व सहायता समूहों, संयुक्त दायित्व समूहों को ऋण सुविधा प्रदान किया जा रहा है।

6. अल्पसंख्यकों के लिए ऋण

- क) अल्पसंख्यक समुदाय को निर्बाध रूप से ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों की शाखाओं की पहचान कर ली गई है और अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण देने के लिए इन शाखाओं को विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- ख) बैंक द्वारा महाराष्ट्र में अवस्थित अपने 7 महाबैंक आरसेटी की मदद से बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन आरसेटी के प्रभारियों को सलाह दी गई है कि वे इन संस्थाओं द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम को और अधिक प्रचारित करें और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभागियों की सहभागिता बढ़ाएं।
- ग) अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों और शहरों में अवस्थित शाखाओं की पहचान की गई है और उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों के अग्रिम को बढ़ाने हेतु प्रयत्न की सलाह दी गई है। इसका अनुवर्तन संबंधित अंचल कार्यालयों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
- घ) क्षेत्र कार्यकर्ताओं को जब कभी भी प्रधान कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने हेतु सजग किया जाता है।
- ङ) हमने क्षेत्र कार्यकर्ताओं को मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण अभियान की शुरुवात करने और उसमें अल्पसंख्यक समुदायों और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रमुखता देने की सलाह दी है।
- च) अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण पर विशेष सत्र की व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी महाविद्यालय को पत्र भेजा गया है।

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programs/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

Bank has taken several initiatives /programs/projects in pursuit of the Principle 8.

1. Financial Inclusion

Bank has engaged Business Correspondent Agents to provide basic banking services in allotted Sub service Areas (SSAs) and villages.

2. PMJDY

Prime Ministers Jan Dhan Yojana is the scheme under which Bank has offered many benefits such as issuance of Rupay debit card, Rs. 100000/- accident insurance cover, additional term Insurance of Rs.30000/- from LIC for those who have opened accounts between 15.8.1914 to 30.01.2015.

3. Atal Pension Yojna

To provide pension benefits to people of unorganized sector, Bank is implementing Atal Pension Yojana, wherein the beneficiaries can opt for a fixed pension of Rs.1000/- to Rs.5000/- on attaining the age of 60 years.

4. MSME Schemes

MSME Schemes: For supporting inclusive growth and equitable development bank is having the following product to reach each category of MSMEs..

- Maha MSME Project Loan Scheme
- Maha MSME Machinery/Equipment Scheme
- Maha MSME Cash Credit Scheme
- Maha MSE Collateral Free Term Loan Scheme
- Maha MSE Collateral Free Cash Credit Scheme
- Mahabank MSME Credit +
- Mahabank Professional Loan Scheme-
- Mahabank Small Road Transport Operator Scheme

5. Credit to Weaker Sections

Bank is providing credit facilities to small / marginal farmers, share cropper, landless labor, SC /ST Beneficiaries, Self Help Groups/ Joint Liability Groups.

6. Credit to Minorities

- a) A special cell has been set up at Head Office to review and ensure smooth flow of Credit to minority community. The branches were identified in minority concentrated districts and special targets were allotted to these branches for lending to minority communities.
- b) Bank has been training unemployed youth for self-employment through its 7 Mahabank RSETIs located in Maharashtra. Officers- in-charge of these RSETIs have been advised to give more publicity for the courses conducted by these institutes and to increase the participation of candidates belonging to minority communities.
- c) Branches in Minority Concentrated Districts and Towns are identified and have been advised to step up efforts for increasing advances to Minority Communities. This is being followed up by Head Office through respective Zonal Offices.
- d) Field functionaries are sensitised for lending to Minority Communities whenever called for training at Head Office.
- e) We had advised the field functionaries to arrange Education Loan Campaign for meritorious students where focus shall be given to students of minority communities and weaker section.
- f) Communication sent to Staff College to arrange special session on Credit to Minority community.

2. क्या घरेलू टीम/ स्व संस्थान/ बाह्य एनजीओ/ सरकारी संरचना/ अन्य कोई संस्थान द्वारा कार्यक्रम/ परियोजनाओं का आरंभ किया गया है?

उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाले विशेष कक्ष द्वारा वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए बैंक द्वारा सभी सात अग्रणी जिलों में **वित्तीय समावेशन केन्द्रों (एफएलसी)** की स्थापना की गई है ताकि बड़ी संख्या में सामान्य बैंकिंग ज्ञान और सुविधाओं से वंचित लाभार्थियों तक पहुंच बनाई जा सके। प्रत्येक केन्द्र में आउटसोर्स एफएलसी प्रभारी हैं। एफएलसी प्रभारी जिले के एलडीएम के साथ समन्वय कर कार्य कर रहे हैं। एफएलसी प्रभारी ग्रामों को भेंट देते हैं, वित्तीय साक्षरता कैम्प जैसे, विशेष कैम्प और लक्ष्य समूह के लिए कैम्प और जरूरतमंद किसानों को परामर्श प्रदान करना आदि का आयोजन करते हैं।

ग्रामीण विकास केन्द्र (आरडीसी) हडपसर और भिगवण बैंक द्वारा प्रयोजित ट्रस्ट यथा, महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास संस्थान (मार्डिफ) के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कार्यान्वित प्रमुख कार्यक्रम है - पशु स्वास्थ्य कैम्प, किसान शिक्षा दौरा, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल - अमरावती में दो दिनों का ऑफसाइट कार्यक्रम (यह कार्यक्रम विदर्भ के 6 जिलों के लिए है जिसका लक्ष्य काउंसिलिंग द्वारा किसानों की आत्महत्या प्रवृत्ति को रोकना और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि गतिविधि की जानकारी देना है), खारी मिट्टी में सुधार और वर्मीकल्चर इत्यादि।

3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है?

- बीएसबीडी खातों की शेष राशि रु.893.57 करोड़ से बढ़कर रु. 1410.85 करोड़ हो गई है।
- शून्य शेष खातों का प्रतिशत 31.03.2016 के 42.35% से घटकर 31.03.2017 को 38.65% हो गया है।
- व्यवसाय प्रतिनिधियों का संव्यवहार 31.03.2016 के 55.27 लाख (रु. 2063.37 करोड़) से बढ़कर 31.03.2017 को 109.75 लाख (रु. 4702.81 करोड़) हो गया है।
- वर्ष के दौरान आधार सीडिंग 74.77 % से बढ़कर 78.48% हो गई है।
- बैंक ने 5.90 लाख एलआईसी पॉलिसियों और 12.45 लाख सामान्य बीमा पॉलिसी के साथ अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाकर 18.35 लाख ग्राहक किया है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एफएलसी ने 67965 लाभार्थियों से संपर्क किया।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरसेटी ने 188 प्रशिक्षण बैचों का आयोजन किया और 5415 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 10.34 लाख खाते खोले जबकि पीएमएसबीवाई के तहत 56001 आवेदन, पीएमजेजेबीवाई के तहत 20614 और पीएमवाई के तहत 21521 आवेदन प्राप्त किए।

4. समुदाय विकास परियोजना में आपकी कंपनी की प्रत्यक्ष योगदान राशि- आईएनआर में और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण दें?

सामाजिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हेतु बैंक ने 31.03.2017 तक स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और सूखा राहत के लिए रु.29 लाख व्यय किए हैं।

5. क्या आपने इस समुदाय विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? कृपया उसका विवरण 50 शब्दों में दें।

बैंक द्वारा दी गई राशि के इष्टतम प्रयोग की जांच जमीनी स्तर पर भेंट देकर और कार्यक्रम के ऑनसाइट फोटो को देखकर की जाती है।

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?

Financial Inclusion is being undertaken in-house through a special cell headed by the rank of Deputy General Manager

For facilitating financial inclusion programs **Financial Literacy Centres (FLCs)** are established by the Bank in all seven lead districts to access large number of beneficiaries deprived of formal Banking knowledge & facilities. Each centre is having outsourced In Charge FLC. In Charge FLC are functioning in co- ordination with LDM of the district. FLC in charge undertakes visits to villages, conducts financial literacy camps viz. special camps & camps for target group and imparts individual counseling to needy farmers etc.

The Rural Development Centre (RDCs) at Hadapsar & Bhigwan undertake various rural development programs of Bank sponsored Trust viz. Mahabank Agricultural Research & Rural Development Foundation (MARDEF). The major programmes implemented are animal health camps, Farmers educational Tours, offsite two days program at Hanuman Vyayam Prsarak Mandal – Amravati, (this program is for 6 districts of Vidharbha aims at desisting farmers from suicide attitude by imparting counseling & making them aware of economically viable farm activity), saline soil reclamation and vermiculture etc.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

- Balance in BSBD accounts has increased from Rs. 893.57 Cr to Rs. 1410.85 Cr.
- Percentage of Zero Balance accounts has been brought down from 42.35% on 31.03.2016 to 38.65% as on 31.03.2017.
- Transactions by Business Correspondents have increased from 55.27 lakhs (Rs. 2063.37 Cr) as on 31.03.2016 to 109.75 lakh (Rs. 4702.81 Cr) as on 31.03.2017
- Aadhaar seeding during the year improved from 74.77 % to 78.48%
- Bank has increased its social security coverage to 18.35 lakh customers, with 5.90 lakh LIC policies and 12.45 lakh general insurance policies
- FLCs have contacted 67965 beneficiaries during FY 2016-17.
- Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) have conducted 188 training batches and trained 5415 candidates during FY 2016-17
- Bank has opened 10.34 lakhs accounts under PMJDY while 56,001 applications have been received under the PMSBY, 20,614 under PMJJBY and 21,521 under PMY

4. What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken?

As part of its commitment towards societal development, Bank has made expenses of Rs. 29 lakhs towards health, education, natural resources conservation and drought relief upto 31.03.2017.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

End use of the funds given by Bank is verified through ground level visits or on-site photographs of the events.

सिद्धांत 9: व्यवसायों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ संलग्न होना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/ उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है?

वर्ष के दौरान प्राप्त 2912 शिकायतों में से 31.03.2017 को 54 शिकायतों का (1.85%) समाधान नहीं हुआ है।

2. क्या कंपनी द्वारा उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्यताओं से अधिक प्रदर्शित की जाती है? हां/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

बैंक के उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी ग्राहकों के लिए शाखा में उपलब्ध कराई गई है। यह बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

3. क्या किसी हितधारक द्वारा विगत पांच वर्षों में कंपनी के प्रति अनुचित व्यापार प्रथा, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और/ या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कोई मामला दायर किया गया है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित था। अगर हां तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई ग्राहक सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों को अंजाम दिया है?

बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने को प्राथमिकता देता है।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

Of the 2912 number of complaints received during the year, 54 complaints (1.85%) remained unresolved as on 31.03.2017.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)

Information pertaining to all the products and services offered by the Bank are made available to the branches for the customers. They are also available on Bank's website

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as at the end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so

NIL

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

Bank gives utmost priority to providing prompt and efficient customer service to its customers.

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

टिप्पणियाँ
Notes



महाबैंक के साथ हर परिवार महा-प्रसन्न परिवार



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

All India Toll Free Number : 1800-233-4526 | website: bankofmaharashtra.in | Net Banking Website: www.mahaconnect.in

Internet Banking | Home Loan | Car Loan | Education Loan | MSME Loan | Mobile Banking | CASA



महाबैंक के विशेष उत्पाद



कार ऋण
Car Loan



आवास ऋण
Home Loan



एमएसएमई ऋण+
MSME Credit+



संपत्ति पर ऋण
Loan Against
Property



सुप्रीम पे-रोल योजना
Supreme Payroll
Scheme



कृषि ऋण
Agriculture Loan

वेबसाइट/Website:

www.bankofmaharashtra.in

नेट बैंकिंग/Net Banking:

<https://www.mahaconnect.in>



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

टोल-फ्री क्र./Toll Free No.: 1800-233-4526